खण्ड-315, अंक-8
गुरूवार, 20 चैत्र, शक संवत् 1897
(10 अप्रैल, 1975 ई0)

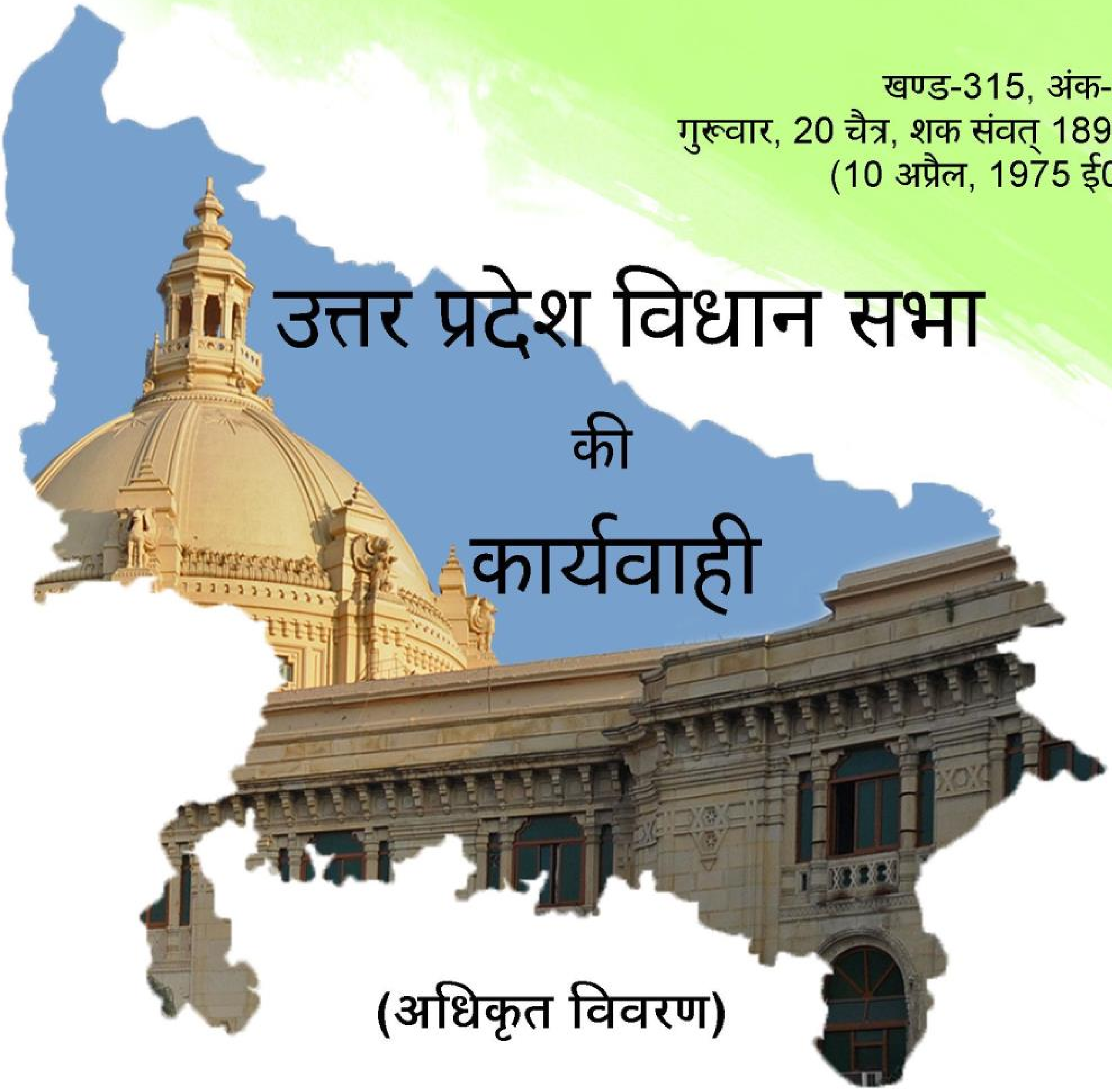

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 807–811
प्रश्नोत्तर	.. 811–861
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1975 (सदन के पटल पर रक्खा गया) ..	861
नगर में स्थानीय पुलिस द्वारा श्री विष्णु दत्त शर्मा के साथ किये गये कथित अमानुषिक व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य	861–868
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	868–872
1975–76 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या 13–अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन, अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन तथा अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	872–912
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	912
बलिया जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सांठ-गांठ से हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य	913–917
105 रुपये प्रति कुन्तल भाव पर काश्तकारों से जबरन गेहूं की लेवी की वसूली के सम्बन्ध में नियम 53 के अन्तर्गत चर्चा	917–945
नत्थियां	946–968

विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 10 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---361

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां,
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री

गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्म वीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लालबाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांकेलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर

राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे श्री
रामदेव यादव, श्री
रामनाथ, बाबा
रामनारायण पाठक ,श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रतिबिन्द, श्री (एडवोकेट)
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)

सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 10 अप्रैल, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पीलीभीत चीनी मिल द्वारा गन्ना समिति, शाहजहांपुर के निगोही व जिन्दपुर सेन्टरों का गन्ना न लेना

**1—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना समिति, शाहजहांपुर के निगोही व जिन्दपुरा सेन्टरों का गन्ना पीलीभीत फैक्टरी ने दिनांक 31 जनवरी, 1975 से लेना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अभी जिले में काफी गन्ना खड़ा है, इन सेन्टरों को पुनः अविलम्ब चालू करवाने की व्यवस्था करेगी ? और काश्तकारों की क्षति पूर्ति उपरोक्त फैक्टरी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जी हां। गन्ना समिति, शाहजहांपुर के निगोही व जिन्दपुर गन्ना क्रय केन्द्रों से दिनांक 31-1-75 तक की अवधि के आफर का 84 प्रतिशत गन्ना पीलीभीत चीनी मिल द्वारा खरीदा गया था जो अन्य गन्ना समितियों द्वारा दिये गये आफर के गन्ने की खरीद की अपेक्षा कहीं अधिक था। इस अधिक खरीद में समानता लाने के उद्देश्य से उक्त गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्नापूर्ति बन्द कर दी गयी थी। अन्य गन्ना समितियों की गन्ना खरीद समान अनुपात पर आते ही उक्त क्रय केन्द्रों को संचालित कराने की व्यवस्था की जा सकेगी। अतः उक्त चीनी मिल द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

केन यूनियनों द्वारा कीटाणुनाशक दवाइयों की खरीद

**2—श्री रामचन्द्र बक्शसिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की केन यूनियनों में करोड़ों रुपयों की कीटाणुनाशक दवाइयां विभाग द्वारा बगैर यूनियनों की पूर्व स्वीकृति के किसी विशेष फर्म को भेजी जा रही हैं और तमाम यूनियनें इस दवा को प्रभावहीन होने के कारण व आर्थिक कठिनाइयों के कारण वापस कर रही हैं ? यदि हां, तो इस फर्म का नाम क्या है और वह कौन-कौन सी दवाइयां हैं और क्या शासन गन्ना विभाग द्वारा जबरदस्ती दवा भेजने को तत्काल रोकेगा, यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं। केवल सहकारी गन्ना समिति, बुड़वल (बाराबंकी) द्वारा आर्थिक कठिनाइयों के कारण दवा की डिलीवरी फर्म को वापस कर देने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच कराई जा रही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, पहली बात तो मुझे आपसे यह निवेदन करनी है कि मेरे इस प्रश्न को आप देख लें, प्रश्न तो बहुत ही व्यापक और विशाल है और मंत्री जी ने जवाब दे दिया है—जी नहीं। इससे क्या मतलब समझा जाय? करोड़ों रुपये की दवाइयां खरीदी गयीं या नहीं खरीदी गयीं और तमाम फर्मों को भेजी गयीं या नहीं भेजी गयी और वे वापस की गयीं या नहीं की गयीं? "जी नहीं" उन्होंने कर दिया, इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी फिर से पूरे सवाल को देख लें और सही-सही जवाब दें, फिर मैं सप्लीमेंटरी करूं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

माननीय मंत्री जी से मैं पहली बात तो यह जानना चाहता हूं कि कितने करोड़ रुपये की कीटनाशक दवाइयां प्रदेश के गन्ना विभाग द्वारा किन-किन फर्मों से खरीदी गयीं हैं और यूनियन की पूर्व स्वीकृति के बिना किन-किन फर्मों को भेजी गयी हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गन्ना समितियों के लिये कीटनाशक दवायें निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश कानपुर तथा यू0पी0 सहकारी गन्ना समिति संघ उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वीकृत फर्मों से रेट कंट्रैक्ट व क्वान्टिटी कन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार क्रय की जाती हैं। कीटानाशक दवाओं के प्रभावकारी होने से पुष्टि हेतु उनका विश्लेषण भारतीय मानक संस्थान, नयी दिल्ली तथा पेस्टीसाइड केमिस्ट, कानपुर की प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। जो कीटनाशक दवायें खरीदी गयी हैं वे इन संस्थाओं के द्वारा जिनका कि मैंने उल्लेख किया—निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा यू0पी0 सहकारी गन्ना समिति संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जो तीन फर्में प्रेस्क्राइब्ड हैं वे हैं—

गन्ना संघ द्वारा हेप्टाक्लोर की पूर्ति के लिये

1—पेस्टोसाइड इन्डिया, उदयपुर,

2—सिंबल पेस्टीसाइड, आगरा,

3—मोतीलाल पेस्टीसाइड, मथुरा स्वीकृत की गयी हैं।

इन फर्मों से जो दवाइयां खरीद की गयी हैं वे इस प्रकार हैं—

4 लाख रुपये की 16 टन जमावर्द्धक रसायन, 25 हजार रुपये प्रति टन की दर से। बीज उपचार हेतु इसका क्रय किया गया, 74–75 में और इसी प्रकार 74–75 में 1,100 रुपये प्रति टन की दर से 11 लाख 42 हजार रुपये का 1039 टन बी0एच0सी0 धूल भूमिगत उपचार के लिये जो बोवाई के समय दीमक व सूट बोरर के लिये प्रिवेंटिव मेजर के लिये प्रयोग किये जाते हैं, खरीदा। 44 हजार रुपये का धूल एल्ड्रीन 10 टन 4,400 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा। गामा बी0 एच0 सी0 5584 लीटर 30 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से 1 लाख 84 हजार रुपये का खरीदा। गामा बी0एच0 सी0 1,84,000 रुपये की। हेप्टाक्लोर 37 लाख 94 हजार रुपये की। एल्ड्रीन, जिसमें 20 परसेंट ई0सी0 रहता है, 2 लाख 80 हजार रुपये की खरीदी गयीं। कुल मिलाकर 56 लाख 44 हजार रुपये की कीटनाशक दवायें इस प्रकार क्रय की गयीं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं फिर प्रश्न को दोहराता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी केन यूनियनें ऐसी हैं जिनकी स्वीकृति लेकर यह दवायें भेजी गयीं और कितनी केन यूनियनें ऐसी हैं जिनकी बगैर स्वीकृति की यह दवायें भेजी गयीं ? क्योंकि मान्यवर, गन्ना समितियां इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके ऊपर सरकार का दबाव खरीदने के लिये नहीं डाला जा सकता। तो मान्यवर, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कितनी यूनियनें थीं जिन्होंने स्वीकृति दी और कितनी यूनियनें ऐसी हैं जिनकी बगैर स्वीकृति के यह दवायें भेज दी गयीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, यह गन्ना समितियां, गन्ना विकास का काम भी यहां होता है और दवायें भी किसानों को देती हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई जबर्दस्ती हुयी है। समितियों की स्वीकृति से जिला गन्ना अधिकारी मांग पेश करते हैं। तो इस बात का भी प्रयास किया गया है और तमाम मीटिंग्स बुलायीं गयीं हैं जिनमें गन्ना यूनियनों के प्रतिनिधि और मिलों के प्रतिनिधि भी थे। इसमें यह प्रयास किया गया और योजना बनायी गयी कि प्रति एकड़ गन्ना विकास अधिक हो। दूसरा यह दृष्टिकोण है कि इसमें प्रेस्टीसाइड्स का बड़ा महात्वपूर्ण सवाल है। इसलिये हमने फोर्स नहीं किया है। बुढ़वल का जिक्र, जैसी मांग जिला गन्ना अधिकारी ने की उसी हिसाब से भेजी गयीं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे सन् 1972-73, 1973-74 में उन फर्मों को देखेंगे जहां से दवायें प्राप्त की जाती थीं और वह एप्रूव्ड फर्में थीं। तो उनको बदल करके ऐसी फर्मों से जिन के सैम्पिल भी टेस्ट करने के लिये उनके मालिक पहुंच जाते हैं और रद्दी किस्म की दवाइयों को उन्होंने एप्रूव्ड करा लिया। तो मंत्री जी 1972-73, 73-74 की फर्मों की लिस्ट को देखने की कृपा करेंगे कि उन फर्मों से दवायें क्यों नहीं खरीदीं गयीं और जो फर्में एप्रूव्ड नहीं थीं उनसे दवायें खरीद गयीं ? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अवश्य जांच करायेंगे ? मैं आभारी हूंगा कि माननीय सदस्य पूरा विवरण मेरे पास भेज दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आधे मिनट में बता दूंगा, मैं गन्ना इलाके से संबंधित हूं। यह दवायें जो खरीद कर भेजीं गयीं थीं क्या इनको टैस्ट किया गया ? दूसरा जरूरी सवाल है कि गन्ना समितियों ने कोई आर्डर नहीं दिया। गन्ना समितियां इन्डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी.....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह लोग ऐसा करते हैं कि दवाओं को खरीद कर यूनियनों को भेज देते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने का ड्रामा करते हैं। कहते हैं कि फ्री बांटेंगे लेकिन कहीं पर भी फ्री नहीं दिया है। इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में, क्या पूरे मामले की जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो वह जवाब दे चुके हैं कि जांच करायेंगे।

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय का नाम पुकारने पर)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मेरा सवाल पूछने का अधिकार है.....

श्री अध्यक्ष—

इसमें अधिकार क्या है.....

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं। बुढ़वल गन्ना यूनियन को बगैर वहां की स्वीकृति के डेढ़ लाख रुपये की दवायें डाइरेक्ट भेज दी गयीं। उन लोगों ने इनको रिफ्यूज कर दिया और टेलीग्राम कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो फर्म से आता है, श्री राम मूर्ति जो डिप्टी केन कमिश्नर हैं इस सारे घपले को डील करते हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

वहां से आया कि आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया। तो प्रश्न यह है कि उन्होंने रिफ्यूज किया फिर भी 50 हजार रुपये की दवाइयां सेक्रेटरी से मिलकर जबर्दस्ती उन पर लादी गयीं। तो इस प्रकार से स्केडिल हुआ। जबर्दस्ती दवायें भेजी गयीं। तो क्या मंत्री महोदय, जो यह घपला हुआ है, उसकी जांच करायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें बुढ़वल समिति ने जिला गन्ना अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 4500 लिटर की मांग की थी जिसके लिये गन्ना आयुक्त ने आदेश 6 जनवरी, 1975 को दिये थे। समिति ने 28 जनवरी, 1975 को माल लौटाया और लौटाने का कारण आर्थिक कठिनाई बतलाई जिसके कारण समिति मूल्य का भुगतान नहीं कर सकती थी। इसके बाद दुबारा गन्ना अधिकारी द्वारा केवल 2 हजार लिटर की संशोधित मांग भेजी गयी जिसकी पूर्ति हेतु गन्ना आयुक्त ने 10 मार्च, 75 को आदेश दिये। तो ऐसी बात नहीं है कि समिति ने कोई मांग पेश नहीं की। समिति ने रिवाइज्ड मांग पेश की आर्थिक कठिनाई के कारण। अब माननीय सदस्य ने जो दूसरी बातों का जिक्र किया है उनको देख लिया जायगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं अव्यवस्थित न हों।

आजमगढ़ जिले के कतिपय वनस्पति घी के व्यापारियों तथा जिलापूर्ति कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

**3—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 तथा दिनांक 29 जनवरी, 1975 की लिखित शिकायत कि आजमगढ़ के तीन नामांकित बनस्पति घी डीलरों तथा जिला पूर्ति अधिकारी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने आपस में साठ-गांठ करके 6,374 टिन डालडा (प्रति टीन 16 1/2 किलो) को चोर बाजारी में बेच दिया है, शासन को प्राप्त हुआ था? क्या यह भी सही है कि उक्त घोटाला जांच के लिये उपमहानिरीक्षक, पुलिस (खाद्य तथा आपूर्ति) 9 मार्च, 1975 को आजमगढ़ गये थे? यदि हां, तो उनकी जांच रपट क्या है कौन-कौन लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां, खाद्य तथा रसद विभाग के उप महानिरीक्षक इस मामले की जांच के सम्बन्ध में कथित तिथि को आजमगढ़ गये थे। इसके पहले जिलाधिकारी, आजमगढ़ के आदेशानुसार परगनाधिकारी द्वारा भी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है अतः दोषी व्यक्तियों तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही के विषय में इस समय सूचना देना जनहित में नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह घोटाला लगभग साढ़े 6 हजार डालडा के टिनों का है, साढ़े 16 किलो वाले टिन का। जनवरी, 74 में यह घटित हुआ। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसमें किन-किन के खिलाफ शिकायत है, किन-किन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है और उन अधिकारियों को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया और डीलर्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, शिकायत मुख्य रूप से तीन डीलर्स के खिलाफ थी। इंक्वायरी के दौरान 11 डीलर्स इंवाल्व थे। श्री हरि कृष्ण ने जिन तीन डीलर्स के खिलाफ शिकायत की थी उनके खिलाफ हमने इंक्वायरी कराई और उनके नाम ये हैं मदन मोहन हीरालाल, बलदेव प्रसाद शंकरदास तथा हाजी मुहम्मद अब्दुल रहमान। मैं स्वयं आजमगढ़ के दौरे पर गयी थी। कलेक्टर ने मौखिक रूप से आदेश भी दे दिये थे जांच के लिये और जो 26 तारीख को जांच शुरू हुई उसमें जो फर्म्स इंवाल्व थीं उनकी संख्या 6 थी जिनमें गड़बड़ियां दिखाई दीं और उनसे एक आध पहले से ही निलम्बित थी। अभीतक जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार गड़बड़ी बहुत स्पष्ट रूप से जान पड़ती है। इसलिये मैंने बतलाया कि इस पर कार्यवाही की जा रही है और जो कार्यवाही करने की ओर माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उस तरह की कार्यवाही करने के आदेश प्राप्त सूचना के आधार पर जारी किये जा चुके हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

दो मर्तबा जांच हो चुकी है। जिलाधिकारी के आदेश पर परगनाधिकारी ने जांच की और 9 मार्च, 75 को डी0 आई0 जी0 गये और सर्वोपरि स्वयं माननीय मंत्री जी ने भी कुछ जांच की है। इस संदर्भ में न कोई गिरफ्तारी की गयी, न किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी और उत्तर में यह कहा गया कि बाकी बात बतलाना जनहित में उचित नहीं होगा तो भ्रष्टाचार को छिपाना जनहित में है अथवा भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना जनहित में है ? यह डेढ़ लाख रुपये का मामला है और लोग एक-एक डालडे के डिब्बे के लिये तरस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह जवाब दे रही हैं, उसको आप सुनें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना जनहित में है लेकिन जो जनहित चाहते हैं और जिस उद्देश्य से माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं उसमें अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं जिनको कभी-कभी डिस्क्लोज करना इस स्टेज पर सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उसी दिशा में कार्यवाही करने के आदेश हमारे यहां से चले गये हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट हो जाता है कि प्राइमाफेसी केस इस्टेवलिश हो गया। तो जब प्राइमा-फेसी केस इस्टैवलिश हो गया तो सम्बन्धित अफसरों को क्यों निलम्बित नहीं किया गया और जो डीलर्स थे उनके खिलाफ मीसा या डी0 आई0 आर0 क्यों लागू नहीं किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजपेयी--

मान्यवर, अब तक की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही कार्यवाही करने के आदेश यहां से गये हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

एक सवाल और पूछ लेने दें।

(अनुमति नहीं दी गई।)

मुरादाबाद जिले में कोर्ट फीस टिकट और स्टाम्पों की कमी

**4—श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री सुल्तान सिंह यादव (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मुरादाबाद जनपद में कोर्ट फीस टिकट और स्टाम्प उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और इनमें चोर बाजारी हो रही है जिसके सम्बन्ध में मुरादाबाद बार एसोसियेशन ने कोई प्रस्ताव 20 मार्च, 1975 को पारित किया तथा श्री ओम प्रकाश पथिक, एडवोकेट, बी0एल0डी0, संयोजक रुहेलखंड ने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल भी आरम्भ कर दी है? यदि हां, तो शासन ने इस कठिनाई को दूर करने हेतु अविलम्ब क्या कदम उठाये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, शासन को ज्ञात है कि मुरादाबाद जनपद में कोर्ट फीस तथा गैर अदालती स्टाम्पों की कमी है।

कुछ स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य में स्टाम्प की बिक्री की शिकायतें भी प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने जांच के बाद ऐसे तीन विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त भी किया।

इस सम्बन्ध में मुरादाबाद बार एसोसियेशन का एक प्रस्ताव भी 21-3-1975 को जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ तथा श्री ओम प्रकाश पथिक, एडवोकेट, बी0एल0डी0 संयोजक, रुहेलखंड ने इस कमी की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 20-3-1975 को प्रारम्भ की थी किन्तु जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्पों की पूर्ति के सम्बन्ध में किए गए प्रयत्नों से सन्तुष्ट होकर श्री पथिक ने 22-3-1975 को 3 बजे हड़ताल समाप्त कर दी।

शासन द्वारा इस कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की गई। कण्ट्रोलर आफ स्टाम्पस, नासिक रोड पर स्टाम्पों की तत्काल पूर्ति के लिये निरन्तर जोर डाला जा रहा है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को भी इस सम्बन्ध में काफी तार/रेडियोग्राम भेजे। स्वयं वित्त मंत्री की ओर से भारत सरकार के वित्त मंत्री को रेडियोग्राम भेजे गये परन्तु विदेशों से आने वाले स्टाम्प पेपर की कमी के कारण नासिक प्रेस द्वारा मांग की पूर्ति नहीं की जा सकी। इस समस्या का हल करने को स्टाम्प तथा कोर्ट फीस अधिनियमों में संशोधन करके नई धारायें जोड़ी गई हैं जिनके अन्तर्गत इस प्रकार की कमी के समय देय स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस का नगद भुगतान किया जा सकता है। फलस्वरूप स्टाम्प की कमी की कोई खास समस्या नहीं रह गई है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

जीप फैक्ट्री लाइट, इलाहाबाद के फैक्ट्री कैन्टीन को फर्म द्वारा सब्सिडी

*1—श्री वीरेन्द्र सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या यह सत्य है कि जीप फैक्ट्री लाइट, इलाहाबाद के कर्मचारियों ने फैक्ट्री कैन्टीन की तीन रुपये की कपन-बुक को 6 रुपये में देने के विरोध में कैन्टीन हाल में बाई काट किया और क्या यह सही है कि कैन्टीन में कुछ दामों पर खाद्य पदार्थ बेचने के लिए एक भारी रकम सब्सीडाइज करके फर्म द्वारा अपने एकाउन्ट में दिखाई जा रही है? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और सरकार ने कारखाने के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

जी नहीं। कर्मचारियों द्वारा कैन्टीन का बहिष्कार नहीं किया गया। वास्तव में तीन रुपये मूल्य की कोई कूपन बुक नहीं है बल्कि प्रत्येक कूपन बुक का मूल्य 6 रुपये ही है। एक कूपन बुक में 30 कूपन होते हैं तथा प्रत्येक कूपन का मूल्य 20 पैसा होता है।

यह सही है कि फर्म द्वारा कैन्टीन को प्रतिमाह सब्सिडी दी जाती है जिसका लेखा फर्म तथा कैन्टीन की लेखा पुस्तकों में रखा जाता है। फर्म के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी सब्सिडी प्रतिमाह इन फर्मों को दी जाती है और किस फार्म में दी जाती है? मेरा मतलब है—कैश के रूप में दी जाती है या तनख्वाह के रूप में।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

माननीय, फरवरी, 74 से जनवरी, 75 तक उक्त कैंटीन को 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई थी। प्रतिमास दी जाने वाली धनराशि का जो ब्यौरा हुआ है जिससे विदित होता है कि प्रति मास 12 हजार रुपये से लेकर 22 हजार रुपये तक दिया गया। किसी महीने 12 हजार, किसी महीने 16 हजार और किसी महीने 22 हजार।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

यह जो सब्सिडी दी जाती है और जो सामान कैन्टीन पर बेचा जाता है वह बाजार भाव से कितने कम दाम पर बेचा जाता है?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय, कैंटीन का परपज ही यह है कि वह बाजार भाव से कम पर बेचें। इसलिये उसे सब्सिडी दी जाती है।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि कैन्टीन जीप वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी चलाती है या कम्पनी?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय, कैन्टीन तो वर्कर्स ही कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्तर्गत ही चलाते हैं।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सब्सिडी एलाउड है उसकी कोई लिमिट है या नहीं?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय, सब्सिडी का परपज ही यही होता है कि वह बाजार भाव से कम कीमत पर दे। रोटी—10 पैसा, दाल 10 पैसा, वेजीटेबुल—20 पैसा। जितना घाटा होता है उसको इम्प्लौयर पूरा करता है।

गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत बलिया जनपद में हरिजन बस्तियों की विद्युतीकरण योजना

*2—श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में गांधी शताब्दी साल के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों की विद्युतीकरण योजना का कार्य ठप्प हो गया है और उस मद का धन विद्युत् विभाग के अधिकारियों द्वारा समाप्त हो गया दिखा दिया गया है जबकि जनपद की सभी हरिजन बस्तियों में आज भी अंधेरा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी विद्युत् अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गांधी शताब्दी वर्ष, जिसकी अवधि 2 अक्तूबर, 1969 से 2 अक्तूबर, 1970 थी, के अन्तर्गत बलिया जनपद में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। अतएव प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री काशी नाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है कि सारे प्रदेश में गांधी शताब्दि में प्रत्येक जिले में हरिजन बस्ती भी इलैक्ट्रिफिकेशन के लिये रखी थी। इसी तरह से बलिया जिले में भी, क्योंकि मैं खुद वहां का रहने वाला हूं, वहां के लिये भी प्रोग्राम था, गांवों की लिस्ट मेरे पास है जिनको इसके लिये रखा गया था रसड़ा तहसील में पूर्वी नगरा ब्लाक में 20 गांव थे जिनमें कुछ यह हैं—नौरंगिया, कैथीखमतोपुर, हवसापुर, भेजऊपुर, नरोरा, बिहतापुर जो मेन लाईन से 4, 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहां पर लाईन खींची हुई है और सैकड़ों खम्भे वहां रखे हुए हैं। तो जब कोई योजना नहीं थी तो किस योजना के अन्तर्गत यह सारी कार्यवाही हुई है। अगर कोई योजना थी तो वह कहां-कहां के लिये थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो सम्मानित सदस्य ने अपने प्रश्न में गांधी शताब्दी का उल्लेख किया तो उसमें गांधी शताब्दी में कोई विशिष्ट कार्यक्रम की सूचना नहीं है और बलिया जनपद में भी कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं था। विद्युत विभाग ने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत या रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के अन्तर्गत, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत, गांवों में विद्युतीकरण की कार्यवाही की इसके अलावा जो व्यक्तिगत रूप से ट्यूबवेल लगाते हैं, या क्लस्टर स्कीम में रुपया लगाते हैं उसके अन्तर्गत भी गांवों में ट्यूब वेलों के विद्युतीकरण से गांवों में विद्युतीकरण हो जाता है। इस प्रकार जिन योजनाओं द्वारा बलिया में जो विद्युतीकरण हुआ है वह 1972-73 में 92 बस्तियों में, 1973 में 12 बस्तियों में और 74 में 21 बस्तियों में यानी कुल मिलाकर 125 बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ। जहां तक दूसरी बात उन्होंने कही उनको इस बात की ज्यादा जानकारी होगी कि कुछ गांवों में बिजली के खम्भे पड़े हैं या वहां लाईन पहुंची है या दूसरा सामान वहां पड़ा है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे पूरा विवरण मुझे दे दें जहां बिजली पहुंचनी सम्भव होगी वहां पर दी जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, यह जो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के अन्तर्गत स्कीम थी इसमें बहुत से गांवों में खम्भे पड़े हुए हैं। जिन बस्तियों का मैंने जिक्र किया जिसकी लिस्ट मेरे पास है इसमें कई हरिजनों के गांव हैं जहां पर 2 अक्तूबर को गांधी शताब्दी समारोह में उद्घाटन हुआ, जहां पर खम्भे भी पड़े हुए हैं, कोई अधिकारी जाकर मुआयना कर सकता है। बहुत सारी जगहों पर खम्भे रखे हुए हैं, लाईनें भी हैं। तो क्या उनको ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, लिस्ट दे दें जहां-जहां पर खम्भे पड़े हुए हैं या थोड़ा काम अधूरा रह गया है लाईनें दे देंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल बलिया का नहीं है बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश भर का है क्योंकि चुनाव के पहले बिजली के खम्भे हरिजन बस्तियों में गाड़ दिये गये। तो मान्यवर, मैं जानना चहता हूं कि जब यह कहते हैं कि बिजली की कमी है. . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह तो चुनाव के पहले नहीं, यह 1969 से पड़े हुए हैं। मान्यवर, इसको यह दूसरा रंग दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मेरे क्षेत्र में चुनाव से पहले खम्भे गाड़े गये थे ।

श्री अध्यक्ष—

इससे उसका कोई संबंध नहीं आप अपने जिले का अलग से प्रश्न करें । जो प्रश्नकर्त्ता हैं वह आपत्ति कर रहे हैं । आप अलग से क्यों नहीं प्रश्न करते हैं ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

जब खम्भे दिये गये कि हम विद्युतीकरण करने जा रहे हैं और हरिजन बस्तियों में बिजली दी जायेगी और बाद में दी नहीं गई, क्योंकि बिजली की कमी थी, तो क्यों इस प्रकार का अभिनय किया गया, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप अभिनय उसे मानते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय देहलबी जी पुराने समाजवादी हैं,वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिजली की कमी रहते हुए भी यह आवश्यक है कि बुनियादी ढांचा बनाया जाए और गांवों में बिजली के तार बिछाए जाएं और ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगाए जा[illegible] तथा जैसे–जैसे बिजली उपलब्ध हो, वहां दी जाए । क्योंकि यदि बिजली ज्यादा हो जा[illegible] और तार वगैरह ही न लगेंगे तो बिजली कब पहुंचेगी ।

मालवीयनगर लेबर कालोनी, लखनऊ से सैनिक बम बरामद होना

*3—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 मार्च, 1975 को अथवा उसके आस–पास किसी दिन लखनऊ स्थित मालवीय नगर कालोनी में कुछ सैनिक बम एक मिट्टी के ढेर से बरामद किये गये ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

घटना तथा कार्यवाही का विवरण संलग्न है

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 946 पर ।)

श्री बाबूलाल वर्मा—

जो घटना कार्यवाही की प्रति मुझे मिली है यह पढ़ी नहीं जा रही है, अतः एक बार पढ़कर सुना दें ।

(मंत्री जी द्वारा पूरा मूल प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया ।)

श्री बाबूलाल वर्मा—

रामेश्वर प्रसाद के घर में जो बम बरामद हुए, उसकी सूचना किस व्यक्ति ने दी और 6 तारीख को जो सूचना दी गई, उसकी 20 तारीख को जांच क्यों की गई अर्थात् यह विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 6 मार्च को श्री रणधीर सिंह, दरोगा थाना नाका हिंडोला, एक रिवाल्वरों की चोरी के सिलसिले में तफतीश में वहां गये थे तो वहां पर इस सम्बन्ध में एक मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि रामेश्वर प्रसाद के घर में राख के ढेर में पिस्तौल पड़े हैं । इस पर छानबीन करने पर उनको पिस्तौल तो नहीं बल्कि उसमें 11 बम मिले ।

श्री बाबूलाल वर्मा---

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश के अंदर सैनिक बम तथा अन्य सामान नगर-नगर में मिल रहे हैं, मालूम पड़ता है कि किसी सैनिक स्टोर से चुरा लिए गये हैं। प्रदेश भर में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उसकी पूरी जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां।

श्री राम अवार---

ये बम लखनऊ में मिले तथा कानपुर व वाराणसी तथा दूसरे भी बहुत से स्थानों में मिले हैं। इस संबंध में मुझे एक बड़े अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की देखरेख में "टासफोर्स ब्लास्ट" नामक एक संगठन कायम किया गया है, जो युवक कांग्रेस तथा ऐसे ही पार्टी के अन्य संगठनों को बम आदि सप्लाई करता है, जिससे जय-प्रकाश ऐसे आन्दोलनकारी लोगों पर हमला किया जा सके और इसीलिये जानबूझकर केसों को छिपाया जा रहा है, तो क्या यह सच है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह ऐसी कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा से) आप हर सवाल पर खड़े हो जाते हैं।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि रामेश्वर प्रसाद ने जो अहाता बनाया है, उसमें वह रह नहीं रहा है, उसका दरवाजा चारों तरफ से खुला हुआ है, कोई व्यक्ति उसमें आ जा सकता है। रामेश्वर प्रसाद को बंदी बनाया गया जिसने मुखबरी की थी, इसके मानी हैं कि जिस आदमी ने मुखबरी की उसकी देख-रेख में, उसकी जानकारी थी, उसको पता था कि इस अहाते के अन्दर बम रखे हुए हैं, रामेश्वर प्रसाद रह नहीं रहा, उसका दरवाजा खुला है, कोई आ जा सकता है, उसको तो बन्दी बना लिया, मुखबिर को क्यों छोड़ दिया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

माननीय सदस्य ने जो विश्लेषण किया है मैं जांच के हेतु भेज दूंगा।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि देश में प्रति दिन हिंसा की कार्यवाहियां बढ़ रही हैं और यह अक्सर सुनने में आता है कि सैनिक बम पकड़े जा रहे हैं क्या सरकार आर्मी के लोगों से मिल कर ऐसी बात तय करेगी कि सैनिक बम संभाल कर रखे जायं उनका हिसाब रखा जाय और चोरी इतनी आसानी से न हो सके, आर्मी से ला कर हिंसा की कार्यवाही करने का डर होता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)---

यह जो बम मिले हैं किसी एक्सपर्ट्स के पास भेजे गये हैं ताकि पता चल सके कि किस किस्म के बम हैं, क्या इसकी जानकारी हमको दे सकते हैं ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

आजाद युवक समिति, सकरान्हा, मानिकपुर, जनपद बांदा के दो सदस्यों की आमरण अनशन से कथित मृत्यु

*4—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सकरान्हा, मानिकपुर जिला बांदा में आजाद युवक समिति के दो सदस्य कुछ जनहित की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे, जिनकी मृत्यु 25 फरवरी, 75 से लेकर 2 मार्च, 75 के बीच में हो गयी ? यदि हां, तो मांगें क्या थीं और सरकार को उन्हें पूरा करने में क्या कठिनाई थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आजाद युवक समिति, बांदा के किसी सदस्य द्वारा किसी मांग को लेकर न तो कोई भूख हड़ताल ही की गई और न उक्त समिति के किसी सदस्य की मृत्यु ही 25 फरवरी, 1975 से 2 मार्च, 1975 के बीच हुई। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या माननीय मंत्री जी आजाद युवक समिति, बांदा के सदस्यों के संगठन और उनके नामों की जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आजाद युवक समिति के सम्बन्ध में तो कोई आपने विशिष्ट सूचना मांगी नहीं थी। इसलिये सूचना दे नहीं सकता।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जब आजाद युवक समिति के सदस्यों के नाम नहीं मालूम हैं तो कैसे कह सकते हैं कि किसी सदस्य ने भूख हड़ताल न की न कोई मरा है ? इसकी जानकारी है ही नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सम्मानित सदस्य ने पूछा है कि आजाद युवक समिति के दो सदस्य कुछ जनहित की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे, वही उनसे पूछा गया। आजाद युवक समिति के कितने सदस्य हैं देश में या बांदा में यह प्रश्न उनसे नहीं पूछा गया था।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मेरा प्रश्न ही यही था, क्या आजाद युवक समिति के दो सदस्य कुछ जनहित की मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर रहे थे, इस तरह का प्रश्न था। जब माननीय मंत्री जी को आजाद युवक समिति के किसी सदस्य या किसी संगठन की जानकारी नहीं है तो कैसे जवाब आ गया कि किसी युवक सदस्य की मृत्यु नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—

कोई आमरण अनशन नहीं किया।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

प्रश्न यह है कि कोई संगठन है या नहीं और उन सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या इसकी कोई छानबीन की गयी ? उनमें कोई मरा या किसी ने आमरण अनशन किया ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सकरान्हा, मानिकपुर जिला बांदा में आजाद युवक समिति के दो सदस्य कुछ जनहित की मांगों को ले कर आमरण अनशन कर रहे थे ? आजाद युवक समिति के सम्बन्ध में नहीं है, वह तो जो काम हुआ है, उसके सम्बन्ध में है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस तरह का आजाद युवक संघ वहां कायम हुआ जिसने जनहित की मांगों को लेकर अनशन किया या किसी दूसरे नाम से कुछ युवकों ने अनशन किया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आजाद युवक समिति बांदा में है उसने अनशन नहीं किया था। केवल तार से सूचना दी थी कि दो आदमियों की मृत्यु हो गई।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तार में किसके मरने की खबर थी और किसने तार दिया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उन्होंने यह तार भेजा था कि मानिकपुर में सकरान्हा क्षेत्र में दो व्यक्ति भूख से मर गये हैं।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, मेरे प्रश्न में ही यह है कि क्या सकरान्हा, मानिकपुर जिला बांदा में दो आदिमयों की मृत्यु की बात मंत्री जी की जानकारी में है तो क्या जो यह दो आदमी भूख से मरे हैं, यह इसी संगठन के हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, जो तार भेजा है उसमें यह है कि Two persons died due to hunger at Sakranha Manikpur इससे स्पष्ट नहीं होता है कि वे उस संगठन के सदस्य थे और भूख से मरे थे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मंत्री जी ने जो तार दो आदमियों के मरने का आया उसकी जांच किसी से कराई थी ? वह जांच किसने की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, जांच कराई गई। 24/25 फरवरी को मंगलिया उर्फ मंगल पुत्र राय जियावन कोल तथा श्रीमती हंसी बेवा कल्लू कोल की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। यह भीख मांगकर गुजारा करते थे मंगलिया का चित्रकूट से लौटने पर स्वास्थ्य ठीक नहीं था। परगनाधिकारी कर्वी ने लिखा है कि यह मृत्यु लम्बे अर्से से चली आ रही बीमारी के कारण हुई।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच प्रश्न करने के बाद कराई थी या तार मिलने पर कराई थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह जांच 27 फरवरी को ग्राम सभा के प्रधान ने तार भेजा था। फिर आजाद युवक समिति ने भेजा तो मजिस्ट्रेट दो बार 28 फरवरी और 4 मार्च को जांच करने गये।

सरैया सरदार नगर डिस्टिलरी, गोरखपुर के गन्दे पानी से महामारी का प्रकोप

*5—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुडेरा बाजार में स्थित सरैया सरदार नगर डिस्टिलरी का प्रयुक्त गंदा पानी आसपास के गांवों की ओर फैलते हुये फरेन व बायसी नाले में गिरता है जिसके कारण यहां का वायु दूषण व जल विषाक्त हो गया है जिसके फलस्वरूप इस समय महामारी का भीषण प्रकोप हो गया है ? यदि हां तो शासन इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं, जांच कराने पर सरैया डिस्टिलरी, सरदार नगर, जिला गोरखपुर से निकलने वाला गंदा पानी समीपवर्ती गांवों की ओर फैलते हुये फरेन्द व बायसी नाले में गिरता हुआ नहीं पाया गया। उपर्युक्त गंदे पानी के कारण इस समय किसी प्रकार की महामारी के प्रकोप की भी पुष्टि नहीं हुई।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी वासुदेवानन्द की खोज

*6—श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषीकेश (देहरादून) स्वर्गाश्रम के स्वामी वासुदेवानन्द गत लगभग 2 मास से लापता हैं? क्या यह सही है कि उनकी हत्या कर दी गई है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की? क्या सरकार इस रहस्यपूर्ण मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऋषिकेश (देहरादून) नहीं बल्कि जिला पौड़ी गढ़वाल स्थित लक्ष्मण झूला में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी वासुदेवानंद के लापता हो जाने अथवा उनकी हत्या कर दिये जाने के बारे में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी है। प्रश्न प्राप्त होने पर स्वामी वासुदेवानंद के बारे में जांच प्रारम्भ की गयी। अब तक की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी वासुदेवानंद दिनांक 9-8-74 को स्वयं अपनी इच्छा से कहीं चले गये हैं। जांच जारी है। वर्तमान जांच समाप्त हो जाने पर सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने के प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

यह ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट में डिस्प्यूट था और उसी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच कोई दरोगा कर रहा है या किसी उच्च अधिकारी द्वारा की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी जांच पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल कर रहे हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

उत्तर में बताया गया है कि वे अपनी इच्छा से कहीं चले गये हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि ट्रस्ट वालों का हाथ उनको मारने में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके घर वालों से भी पूछा गया कि वे घर पहुंचे हैं या नहीं और कहां चले गये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अब तक जो सूचना आई है उसके आधार पर स्वामी वासुदेवानन्द जी के पास अपनी निजी कार थी जो गंगा पार मुनी की रेती (टेहरी गढ़वाल) में उनके गैराज में रहती थी। जब स्वामी जी कभी बाहर जाते थे तो अपने निजी ड्राइवर राम लाल के साथ कार से आया जाया करते थे। 9 अगस्त, 1974 को स्वामी वासुदेवानन्द आश्रम से यह कह कर कि मैं जरूरी काम से हरिद्वार जा रहा हूं, गये थे और 11 बजे दिन तक वापस आने को कह गये थे। वह अपने साथ भक्त स्वरूप, ब्रह्मचारी चेला व लक्ष्मी, निजी नौकर व राम लाल ड्राइवर के साथ करीब 9 बजे दिन मुनी की रेती पहुंचे और फिर वहां से अपनी निजी कार में बैठकर हरिद्वार चले गये। भक्त स्वरूप जो उनके सेवक थे, वे भी उनके साथ गये। हरिद्वार में पंजाब नेशनल बैंक के सामने कार खड़ी कर दी। स्वामी जी, भक्त स्वरूप व लक्ष्मी के साथ सब्जी मंडी की तरफ चले गये, कुछ देर बाद लौट कर आये। सब लोग कार में बैठ कर कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने कार रुकवाई और यह कह कर कार से उतर गये कि मैं स्वामी धर्मानन्द परमार्थ आश्रम, हरिद्वार को टेलीफोन करके अभी वापस आता हूं, तुम लोग

बैठो। इसके बाद वे वापस नहीं आये करीब 1 बजे दिन तक राम लाल, लक्ष्मी व भक्त स्वरूप ने स्वामी जी को ढूंढा। जब कोई पता नहीं चला तो राम लाल कार लेकर बस स्टेशन हरिद्वार गया तो उसे वहां पता चला कि स्वामी जी एक प्राइवेट टैक्सी में जिसका ड्राइवर हरि था, मुजफ्फरनगर की तरफ चले गये थे। राम लाल ड्राइवर ने उनकी निजी कार से स्वामी जी का पीछा किया और मुजफ्फरनगर जाकर पता चला कि स्वामी जी उसी टैक्सी से मेरठ चले गये। फिर राम लाल दोनों साथियों के साथ मेरठ पहुंचा लेकिन वहां भी उनका पता नहीं चला।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

अब माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि पता चला है कि अपनी इच्छा से कहीं चले गये हैं। अब डिटेल्स से पता चला है कि वे लक्ष्मण झूले से हरिद्वार चले गये। मैंने प्रश्न किया था कि क्या उनके घर वालों से, सगे सम्बन्धियों से और रिश्तेदारों से भी पूछा गया कि उन्हें स्वामी जी का पता चला या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वामी जी के सगे सम्बधियों वगैरह से तो अभी नहीं पूछा गया है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। स्वामी इकरसानन्द के भजनानन्द व सुखदेवानन्द दो चेले थे। जुलाई, 1964 में स्वामी सुखदेवानन्द जी का भी स्वर्गवास हो गया था।

(व्यवधान)

मामले में जांच जारी है। इनके बारे में किसी ने रिपोर्ट भी नहीं लिखाई है। यह तो माननीय सदस्य ने कृपा पूर्वक प्रश्न किया तो जांच हुई। मेरा निवेदन है कि अगर आवश्यक हुआ तो सी0 आई0 डी0 से भी जांच करवा ली जायगी और माननीय सदस्य जिन-जिन से पुछवाना चाहेंगे, पुछवा लिया जायगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता है तो पुलिस का दरोगा लिखता है और जब खासतौर से जायदाद का झगड़ा हो तो क्या पुलिस वाले का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने आप रिपोर्ट लिखे ? वह यही लिखते कि लापता है। यह क्या पुलिस के दरोगा का कर्तव्य नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभी तो जांच हो ही रही है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

परमार्थ निकेतन जो संस्था है यह बहुत बड़ी संस्था है और इसमें बहुत बड़ी प्रापर्टी है और इस संस्था के जो ट्रस्टी हैं उनमें आपस में मनमुटाव चल रहा है। क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे पास सूचना आयी है कि कुछ आपस में विवाद है मन्डलेश्वर और दूसरों में। प्रापर्टी अधिक है, यह भी सही है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

प्राक्कलन समिति वहां पर गयी थी। हम लोग वहां पर गये थे और लक्ष्मण झूला के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वहां पर यह बात बड़े जोरों से चल रही थी वे सी0 आई0 ए0 की एजेन्टी करते हैं यह वहां पर आम शोहरत थी। कई तरह के आश्रम वहां पर काम कर रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आक्षेप वाले हिस्से को छोड़ कर उत्तर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

लिखकर दे दें माननीय सदस्य, तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

सुल्तानपुर की पुलिस द्वारा डाकू प्रताप नारायन सिंह की गिरफ्तारी

*7---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लगभग फरवरी, 1975 में सुल्तानपुर जिले के किसी संसद सदस्य के घर में कोई कुख्यात डाकू पकड़ा गया था जिसके कारण जनता में बहुत आतंक एवं असन्तोष है? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

दिनांक 26-1-1975 को श्रीमती सावित्री बाजपेई पत्नी श्री विद्याधर बाजपेई, संसद सदस्य, मोहल्ला खैराबाद, सुल्तानपुर के घर में नहीं, वरन् किराये पर उठाये हुए घर के आउट हाउस में बदमाशों के ठहरने व अवैध शस्त्र होने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस श्री विद्याधर बाजपेई व कुछ गवाहों को साथ लेकर उक्त श्रीमती सावित्री बाजपेई के मकान के आउट हाउस के एक कमरे से प्रताप नरायन सिंह जिसकी थाना कूडेभार में दर्ज दो डकैती के मुकदमों के संबन्ध में भी तलाश थी, को कुछ अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया था तथा उसके विरुद्ध असलहा ऐक्ट की धारा 25 के अन्तर्गत थाना कोतवाली, सुल्तानपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रताप नारायन सिंह डाकू की गिरफ्तारी से जनता में आतंक तथा असन्तोष होने के बजाय उनमें अधिक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।

असलहा ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे में विवेचना के उपरान्त अभियुक्त प्रताप नारायन सिंह के विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। थाना कूडेभार की दो डकैतियों में भी प्रताप नारायन सिंह का चालान किया जा चुका है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बदमाश इनके घर में कितने दिन से किरायेदार था और क्या उसके पास किराये की रसीद है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जो सूचना मिली उसके आधार पर 2-3 महीने से वहां रह रहा था।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

यह तथाकथित आउट हाउस कोई अलग मकान नहीं बल्कि उसी मकान का एक हिस्सा है और उसका तथा मुख्य मकान का निकास एक ही है। यह आउट हाउस तथाकथित है या नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

क्या यह सही है कि सावित्री बाजपेयी जिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की तरफ से ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नामिनेटेड सदस्या भी हैं इसी कारण उनके घर का एक हिस्सा आउट हाउस बना दिया गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह हो सकता है कि श्रीमती सावित्री बाजपेयी जिला कांग्रेस की अध्यक्ष हों, लेकिन इसी कारण इनके घर का एक हिस्सा आउट-हाउस बना दिया गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

यह आउट-हाउस किस काम में आता था?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह आउट-हाउस आवास के काम में आता था, किराये पर उठा हुआ था।

चौधरी चरण सिंह---

जिसके मकान पर वह पाया गया वह कौन किरायेदार था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह बताया गया कि श्री प्रताप नारायण सिंह वहां रहते थे और यही किरायेदार थे।

चौधरी चरण सिंह---

सन् 50 में भी श्री वासुदेव बाजपेयी के यहां डाकू पकड़ा गया था यह जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के एम0एल0ए0 थे और मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था। मैंने इन्क्वायरी करायी क्योंकि मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। इन्क्वायरी में बात सही पायी गयी। मामला पार्टी में पेश हुआ। कुछ लोग जिस तरह के हैं, हमारे देश में किसी को सजा देने का काम नहीं है। बड़ी कोशिश, सिफारिश से मुझसे जो लोग बड़ी पोजीशन में थे उन्होंने इनको छुड़वा दिया। खैर, वह बात पुरानी हो गयी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उस फैक्ट की रोशनी में क्या माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 के जरिये इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

माननीय नेता विरोधी दल उस समय की सूचना दे रहे हैं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं लेकिन वह कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि न्याय के आधार पर उस समय क्या किया गया। उसकी ज्यादा जानकारी आपको होगी। जहां तक सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द करने का प्रश्न है यह तो गिरफ्तारी हो चुकी है, आदमी सब जेल में हैं। किस प्रश्न की सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी करायी जाय ?

चौधरी चरण सिंह---

मेरे पास वह फाइल अब भी रखी है। वह मैं आपके पास भेज दूंगा। डाकू के खिलाफ कार्यवाही होगी क्योंकि गिरफ्तार हो गया इत्तफाक से, वह बावजूद पार्लियामेंट के मेम्बर के यहां ठहरने के। सवाल यह है कि पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के यहां अगर डाकू पाये जायेंगे तो ला एंड आर्डर की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा ? इसलिये अगर यह साबित होता है कि मकान उन्हीं का था, उन्हीं के पजेशन में था तो इन्क्वायरी का नतीजा यह होना चाहिये कि पार्टी का कोई ऐक्शन उस आदमी पर होना चाहिये और हारबरिंग में क्रिमिनल केस भी चल सकता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं नेता विरोधी दल की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनैतिक नेताओं को बहुत सावधान रहना चाहिये और इस प्रकार उनके घर पर अगर कोई डाकू पकड़ा जाय तो यह शर्मनाक बात हो जाती है लेकिन न्याय के आधार पर आप स्वीकार करेंगे कि सामान्यत: सभी तरह के लोग आते रहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी इसकी कोई सूचना नहीं रहती कि कौन, किस तरह के लोग आ जाते हैं। इस मसले पर भी हर केस को मेरिट पर देखना पड़ता है चाहे वह किसी भी दल का हो। इलैकमेल भी किया जा सकता है। इसलिये यह कठिन प्रश्न है। मैं आपसे फाइल ले लूंगा, फिर मुख्य मंत्री से बात कर के आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

चौधरी चरण सिंह---

आरोप प्रत्यारोप का सवाल कहां है ? मैं तो सिर्फ फैक्ट्स नैरेट कर रहा था कि सी0 आई0 डी0 के जरिये इस मामले की जांच करा ली जाय कि उनकी कनाइवैन्स थी या नहीं, हारबरिंग की डेफिनीशन में आता है या नहीं और फिर एक बार यह केस हो चुका। यह

दोबारा हो रहा है। तो आपको चाहिये बमुकाबिले और लोगों के जहां कांग्रेस या किसी भी पोलीटिकल आदमी के खिलाफ ऐसा आरोप हो तो ज्यादा सतर्कता गवर्नमेन्ट को बरतनी चाहिये। तो आपको क्या दिक्कत है सी0आई0डी0 के जरिये इन्क्वायरी कराने में?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मुझे कोई विशेष कठिनाई नहीं है केवल मैं समय चाहता था कि आपसे फाइल ले लूं।

चौधरी चरण सिंह--

यहां आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि एक मिनिस्टर की हैसियत से जवाब दे रहे हैं। लिहाजा यह कहना कि मुख्य मंत्री से मश्विरा कर लूं, यह ठीक नहीं है। सवाल यह है कि सी0 आई0डी0 से इन्क्वायरी कराने को आप तैयार हैं या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी -

मैंने बताया कि मैं सिद्धान्ततः सहमत हूं, मैं इस प्वाइन्ट पर कि इसको सी आई0 डी0 को भेजना चाहिये, न' भी नहीं कर सकता, लेकिन 'हां कहने से पहले मैं इस फाइल को अवश्य देखना चाहूंगा।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी सूचना संसद सदस्य ने ही पुलिस को दी थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी --

जी हां। उन्होंने सूचना दी थी, इसकी भी जांच करा लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरीगढ़वाल)--

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की जांच के लिये काफी तत्व प्रकाश में आये हैं। वह मकान रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत भी आता है, पर कोई एलाटमेंट आर्डर उसके नाम नहीं है। तो जो भी बातें यहां बतायी गयी हैं उनको देखते हुए इस मामले को सी0 आई0 डी0 को सौंपने में माननीय मंत्री जी को क्या कठिनाई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय नेता विरोधी दल ने तो पहले ही इस पर काफी बल दिया है, आपने मेरी कठिनाई और बढ़ा दी। इसमें मुझे कोई कठिनाई हीं है, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, किन्तु जो तथ्य माननीय नेता विरोधी दल के पास उपलब्ध हैं उनका अवश्य अध्ययन करना चाहता हूं, उसके आधार पर अवश्य निर्णय लिया जायेगा।

श्री मंगरू, ग्राम भरहेचौरा, जिला **देवरिया** की हत्या

*8--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) तथा श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के थाना भटनी, ग्राम भरहेचोरा के निवासी मगरू मियां पर दिनांक 15 मार्च, 1975 को कुछ व्यक्तियों ने हथियारों से लैस होकर हमला किया उनकी फसल लूट लिया और प्रतिरोध पर उन्हें जान से मार डाला, उनके छोटे बच्चे को पकड़ ले गये जिसका अब तक पता नहीं है, उनकी औरत एवं लड़का साजिद अस्पताल में अचेत पड़े हैं ? इस घटना से सम्पूर्ण क्षेत्र के मुसलमान, हरिजन एवं पिछड़ी जातियों में भय व आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है इसकी रोकथाम के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्री साजिद, निवासी ग्राम भरहेचोरा, जिला देवरिया ने थाना भटनी पर दिनांक 15-3-1975 को इस आशय की मौखिक सूचना दी कि उसके पिता श्री मगरू द्वारा बोई गई फसल को दिनांक 15-3-75 की सुबह को नामांकित 6 अभियुक्तों ने कटवा लिया है तथा वादी के पिता श्री मगरू द्वारा फसल का आधा गल्ला मांगे जाने पर उन अभियुक्तों ने लाठी, हाकी

तथा तार के कोड़े से मारकर मगरू की हत्या कर दी है तथा वादी, वादी के भाई तथा उसकी माता को भी मारा पीटा है। इस सूचना के आधार पर थाना पर भारतीय दंड विधान की धारा 147/323/302 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज करके मामले में विवेचना शुरू की गई।

नामांकित सभी अभियुक्त फरार हैं तथा उनके विरुद्ध धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा मफरूरी में उन सब अभियुक्तों का चालान अदालत भी किया जा चुका है।

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक मगरू के बच्चे को अभियुक्तों द्वारा पकड़ ले जाने की बात सही नहीं है। मृतक की पत्नी एवं एक पुत्र के बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़े होने की बात भी सही नहीं है। चोटें लगने के उपरान्त ये दोनों अस्पताल से प्रारम्भिक उपचार के बाद अपने घर चले गये थे।

इस घटना के फलस्वरूप, क्षेत्र में किसी प्रकार का आतंक अथवा भय नहीं है।

श्री हरिकेवल—

जो उत्तर दिया गया है उसमें काफी तथ्यों को छिपाया गया है। माननीय मंत्री जी किस सूचना के आधार पर यह कह रहे हैं कि मगरू मियां आधी फसल मांगने की गर्ज से गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई तथ्यों को छिपाने का मेरा इरादा नहीं है। जो भी तथ्य सामने आते हैं मैं उनका पूरा विश्लेषण करता हूं और उन्हें नम्रतापूर्वक सदन के सामने रखता हूं। जो सूचना है उसके अनुसार जिस भूमि पर फसल बोयी गयी थी उसका झगड़ा चल रहा था। आपस में रंजिश चल रही थी। स्थानीय पुलिस ने विवाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में शान्ति भंग होने की आशंका से 15 मार्च, 1974 को मामले को न्यायालय में प्रेषित कर दिया। न्यायालय ने उस जमीन को एक व्यक्ति के सिपुर्द कर दिया। उसने मगरू मियां को बटायी पर उसे दे दिया और मगरू मियां उस खेत पर जुतायी बुआयी करते रहे। इसके बाद न्यायालय का फैसला एक रुद्रदेव के पक्ष में हो गया। फैसले के बाद ये लोग उस पर कब्जा करने के लिये गये और फसल काटने लगे। मगरू मियां भी वहां पहुंचे और अपना आधा हिस्सा बटायी का मांगने लगे। मेरे पास यही तथ्य हैं। इसके विपरीत अगर माननीय सदस्य के पास कुछ और तथ्य हों तो वे कृपया मुझे दे दें।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 23 तारीख को इस गांव में गया था और मैंने मौके पर देखा कि झुग्गियों में छप्परों में हरिजन और मुसलमान जो वहां रहते हैं वह इस प्रकार से आतंकित हैं कि उन्होंने स्वयं बताया कि यहां पर पुलिस को जब सूचना दी गयी तब भी वह नहीं आयी। माननीय मंत्री जी को पता हो या न हो लेकिन जो दारोगा जी आये वह दूसरे गांव में बैठकर कुर्की करके चले गये, क्या यह सही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो कार्यवाही हुई वह यह है कि पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और साथ ही साथ प्रथम सूचना में जो रिपोर्ट में नामजद हुई है वह उनके लड़के साजिद ने ही की है। उन्होंने ही अभियुक्तों के नाम दिये हैं। इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इस से स्वयं संतुष्ट नहीं हुआ हूं और इसके आदेश दिये जा रहे हैं कि दूसरे विशेष पुलिस दस्ते से इसकी जांच करवाई जाये।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राजमन, ग्राम ककराखोर, जिला गोरखपुर की हत्या

*9—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 10 मार्च, 1975 को सायंकाल 6 बजे ग्राम सेवई बाजार, थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर में राजमन नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या की गई ? जिसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा उसी दिन सायंकाल साढ़े 7 बजे थाना बेलीपार में लिखित दी गई परन्तु पुलिस ने उस रिपोर्ट पर मुकदमा नहीं कायम किया जिसकी सूचना दिनांक 12 मार्च, 1975 को माननीय पुलिस मंत्री, उत्तर प्रदेश व आई0जी0, डी0 आई0 जी0 तथा एस0 पी0 गोरखपुर को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा व तार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती न दन बहुगुणा)—

राजमन, निवासी ग्राम ककराखोर की दिनांक 10-3-75 को सेवई बाजार से सेवई ग्राम को जानेवाले रास्ते पर गोली मार कर हत्या कर दिये जाने की सूचना थाना बेलीपार, गोरखपुर पर ग्राम सेवई के चौकीदार द्वारा उसी दिन रात्रि 9.30 बजे दी गई जिसके आधार पर तत्काल एक मुकदमा धारा 302 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अंकित किया गया और थानाध्यक्ष तुरन्त विवेचना के लिये घटनास्थल को रवाना हुए।

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक की पत्नी 10-3-75 को थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं गई थी। उसने 11-3-75 को घटनास्थल पर विवेचना के समय एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसे विवेचना में सम्मिलित कर लिया गया है।

मृतक की पत्नी द्वारा 12-3-75 को भेजा गया तार तथा उसका एक प्रार्थना पत्र, जिसमें उसके पति को अमुक व्यक्तियों द्वारा मार दिए जाने व थाने पर उसकी रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायतें थीं, प्राप्त हुए थे। इन शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी, सदर द्वारा मौके पर जाकर की गई। प्रार्थना पत्र में अपराधियों की नामजदगी संदिग्ध पाई गई।

बलिया के हरिजनों पर सवर्णों द्वारा किये गये अत्याचार के विरुद्ध अनशन

*10—श्री रघुनाथ (जिला बलिया), श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि बलिया जनपद के रसड़ा तहसील, ग्राम पासरा नदौली ताजपुर के हरिजनों ने रसड़ा तहसील कार्यालय के समक्ष उन पर सवर्णों द्वारा किये गये अत्याचार के विरुद्ध दिनांक 17 मार्च, 1975 से अनशन आरम्भ किया है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कौन सा कदम उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चन्दौसी पावर हाउस में मजदूरों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल

*11—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि चन्दौसी पावर हाउस जो भगवान इन्डस्ट्रीज को बेच दिया गया था वह दिसम्बर, 1974 से बन्द पड़ा है और मजदूरों के क्रमिक भूख हड़ताल के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार क्या इसे जल्द खुलवाने व कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिये तत्काल हस्तक्षेप करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

के० वी० झींझक सब स्टेशन, कानपुर को बिजली की सप्लाई

*1—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में झींझक विद्युत उप गृह को बिजली कहां से सप्लाई की जाती है? क्या यह सही है कि माह नवम्बर 1, 1974 में यहां 440 वोल्टेज के बजाय 300 वोल्टेज तक ही विद्युत शक्ति अब तक मिल रही है जिसके कारण मोटरें जल जाती हैं और उद्योग धंधों तथा ट्यूबवेलों से सिंचाई का कार्य बिलकुल ठप्प है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसके सुधार की व्यवस्था क्या की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

33/11 के0 वी0 झींझक सब-स्टेशन को पनकी सब-स्टेशन से 33 के0 वी0 कानपुर उरई लाइन के द्वारा सप्लाई दी जाती है।

उपरोक्त लाइन पर राचेन्डी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत लाइन के तारों की निरंतर चोरियों के कारण सप्लाई में व्यवधान प्रश्नगत अवधि में अधिक पड़ गया था और इस कारण झींझक तथा अन्य स्थानों पर विद्युत की पूर्ति इटावा से औरैया होकर आनेवाली 33 के0 वी0 लाइन से की गई थी। इस कारण विद्युत का दबाव कम अवश्य रहा किन्तु मोटरों के जलने की कोई भी शिकायत नहीं मिली। सिंचाई कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं रहा। विभव को बढ़ाने के लिये सभी उपस्थानों (सब स्टेशन) पर टैप चेन्ज कर दिये गये थे। पनकी से फिर लाइन ठीक कराकर 19 नवम्बर, 1974 को विद्युत् पूर्ववत मिल गई और विद्युत् विभव की समस्या भी दूर हो गई थी।

*2—श्री ऊदल—

[8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

[10 अप्रैल, 1975 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परिवहन विभाग में यात्री-कर का प्रतिशत

*1—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग ने कितने परसैंट यात्री कर लगाया है?

श्री राज मंगल पांडेय—

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत इस समय यात्री-कर, यात्री भाड़े का 15 प्रतिशत लगाया गया है।

*2—श्री ऊदल—

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 75 पर स्थानान्तरित।]

*3—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राम लखन—

[7वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

कानपुर के जूही क्षेत्र में नकली कत्था बनाने वाले गिरोह की गिरफ्तारी

*4—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 अक्टूबर, 1974 से 22 अक्टूबर, 1974 के बीच कानपुर नगर स्थित जूही थाना क्षेत्र में नकली कत्था बनाने वाला कोई गिरोह पकड़ा गया? यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कानपुर के थाना जूही क्षेत्र में नकली कत्था बनाने वाले गिरोह के सम्बन्ध में पुलिस को दिनांक 21-10-74 को सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा 420/272 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई। इस सम्बन्ध में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा एक व्यक्ति ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया। मुकदमें की विवेचना जारी है।

बिजली की दरों का पुनः निर्धारण

*5---श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या यह सही है कि शासन ने अक्तूबर, 1974 में बिजली की रेट्स बढ़ा दिये हैं। यदि हां, तो इसका आधार क्या है और इससे शासन को प्रतिवर्ष कितना लाभ होगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां, राज्य विद्युत परिषद ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिजली की दरों का पुनः निर्धारण निम्न प्रकार किया है :---

(1)	निजी एवं राजकीय नलकूप	1 नवम्बर, 74 से
(2)	लाइसेन्सधारी संस्थान	1 जनवरी, 75 से
(3)	अन्य उपभोक्ता	12 अक्टूबर, 74से

वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं कर्मचारियों के वेतन आदि में वृद्धि तथा दूसरे प्रदेशों से आयात की जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि के कारण राज्य विद्युत परिषद् के वार्षिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उपरोक्त कारणों से परिषद् के लिये बिजली की दरों में वृद्धि करना अवश्यक हो गया था।

दरों में बृद्धि के कारण परिषद को लगभग 30 करोड़ रु0 वार्षिक की अतिरिक्त आय होने की संम्भावना है।

वाराणसी में मूर्ति चोरों के गिरोह की कथित गिरफ्तारी

*6---श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में दिनांक 10-7-74 को मूर्तियों की चोरी का कोई गिरोह पकड़ा गया? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-7-74 को वाराणसी में मूर्ति चोरों का कोई गिरोह नहीं पकड़ा गया। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

शहर कोतवाली, बहराइच क्षेत्र में लड़कों तथा पुलिस के बीच कथित मारपीट

*7---श्री बाबू लाल वर्मा---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच की शहर कोतवाली में अप्रैल, 74 अथवा मई, 74 मास में लड़कों और पुलिस से हुयी मारपीट के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट श्री रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, छात्र द्वारा लिखायी गयी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार माह अप्रैल, 1974 अथवा मई, 1974 में न तो लड़कों और पुलिस में कोई मार पीट की घटना हुई और न श्री रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जो भूतपूर्व छात्र हैं, द्वारा ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट शहर कोतवाली, बहराइच में लिखाई गयी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*8—श्री भीम प्रकाश सिंह तथा श्री श्रीनारायण—
[प्रश्न से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

मेरठ रीजन के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने वाली कन्ट्रैक्ट कैरेज गाड़ियों का चालान

*9—श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया)—
क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि पिछले साल मेरठ रीजन के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने वाली कन्ट्रैक्ट कैरेज गाड़ियों का चालान उनके ही वेहिकिल के अभिलेखों से किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार से वेहिकिल के अभिलेखों के आधार पर ही, राज्य सड़क परिवहन निगम की गाड़ियों का ओवर लोडिंग का चालान करने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज नारायण पाण्डेय—
जी नहीं। पिछले साल 1974 में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

*10—श्री राम सुन्दर पांडेय—
[20-3-75 के तारांकित प्रश्न 3 पर उत्तरित।]

*11—श्री हरि केवल—
[पुनर्विचार पर निरस्त।]

वर्ष 1974-75 में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतें

*12—श्री हरि केवल—
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य मंत्रि परिषद् के किन-किन सदस्यों के विरुद्ध वर्ष 1974-75 में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें उन्हें प्राप्त हुयी हैं और उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—
अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1974-75 में मंत्रि परिषद् के निम्नांकित सदस्यों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे :—

(1) लघु उद्योग मंत्री
(2) शिक्षा मंत्री
(3) भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री
(4) वन मंत्री
(5) परिवहन मंत्री

कुछ पत्रों में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। बाकी में से कुछ या तो अस्पष्ट थे या उनमें अनियमितता तथा भ्रष्टाचार का कोई विशिष्ट आरोप नहीं था। अतः उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

*13—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—
[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

इलाहाबाद जनपद के नैनी थानान्तर्गत कृषि संस्थान में हुई डकैती

*14—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—
क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद में नैनी थाना के अन्तर्गत 21/22 नवम्बर, 1974 को कृषि संस्थान में क्या कोई डकैती की घटना घटी ? यदि हां, तो कुल कितने का माल लूटा गया तथा गिरफ्तार लोगों के नाम क्या-क्या हैं और वे कहां-कहां के निवासी हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 23-11-74 को थाना नैनी पर कृषि संस्थान, नैनी, जिला इलाहाबाद में एक नामांकित तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा 22, 23-11-74 की रात में उक्त संस्थान में डकैती डालने की सूचना प्राप्त हुई। लगभग 51350 रु0 का माल लूटा जाना ज्ञात हुआ। इस सूचना के आधार पर धारा 395 भा0 द0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के पश्चात् पांच अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई गयी जो न्यायालय में विचाराधीन है।

गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 947 पर।)

सड़क परिवहन निगम द्वारा इटावा से प्रारम्भ होने वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पुराने अप्रयुक्त टिकटों का प्रयोग

*15—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा इटावा से फर्रुखाबाद, इटावा से औरैया, इटावा से आगरा एवं प्रदेश के अन्य राष्ट्रीयकृत मार्गों पर दूसरे राष्ट्रीयकृत मार्गों के लिये छपे हुये, टिकटों पर मुहर लगा कर तथा केवल मुहर लगे हुये यात्री टिकट बेचे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक मार्ग के लिये यात्री टिकट छपवा कर इसके द्वारा बरती गयी अनियमितता को समाप्त करने के प्रश्न पर आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इटावा से फर्रुखाबाद, इटावा से औरैया, इटावा से आगरा के मार्ग पर वहां के छपे हुये टिकट बेचे जा रहे हैं लेकिन जब कभी छपे हुये टिकटों की उपलब्धि अपरिहार्य कठिनाई के कारण नहीं हो पाती तो यात्रियों की सुविधा हेतु अप्रयुक्त छपे हुये पुराने टिकटों पर, क्षेत्रीय प्रबन्धक के आदेश के पश्चात् मुहर लगाकर प्रयोग किया जाता है।

थाना हंडिया, जनपद इलाहाबाद के मुसलमानों के ताजिया ले जाने में स्थानीय जनता द्वारा अवरोध

*16—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के थाना हंडिया के ग्राम उधोपुर, आमेपुर व गिदकोट के मुसलमानों को 23-1-75 को ताजिया न उठने देने व ग्राम सैदाबाद के मुसलमानों के ताजिया रास्ते में ही रोक दिये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र जनवरी, 1975 में प्राप्त हुआ है? और क्या यह सही है कि रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में सैदाबाद के मुसलमानों ने सरकार व अधिकारियों को अनेकों प्रार्थना-पत्र पहले ही दिये थे किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी? यदि हां, तो सरकार ने उक्त गांवों के ताजियों को करबला तक जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का एक प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र दिनांक 24-1-75 प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व ग्राम सैदाबाद निवासी श्री मोहर्रम अली का पत्र दिनांक 7-1-75 भी प्राप्त हुआ था जिसमें ताजिया का रास्ता तय करा देने की प्रार्थना की गयी थी।

मुहर्रम के दसवें दिन मौके पर कठिनाई होने पर ग्रामवासियों की सहमति से जिला अधिकारियों ने ताजिया ले जाने के लिये रास्ता तय करा दिया था परन्तु ताजियादार उस रास्ते से ताजिया ले जाने के लिये तैयार नहीं हुये। ताजियादार जिस रास्ते से जाना चाहते थे उस रास्ते से जाने में कई एकड़ बोई हुई फसल बरबाद होती जिसके लिये काश्तकार तैयार नहीं थे। ताजियादारों ने स्वेच्छा से यह तय किया कि वह लोग ताजिये का फूल दफन करेंगे और इस निर्णय के अनुसार उन्होंने ताजिये का फूल करबला में दफन किया। अब कोई ताजिया दफन होने को शेष नहीं है।

दरियाबाद, बाराबंकी के इचौली फीडर नलकूप हेतु दिये गये कनेक्शन

*17—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दरियाबाद, जिला बाराबंकी के इचौली फीडर से नलकूप के लिये प्रथम किस तिथि को बिजली का कनेक्शन दिया गया और उसके बाद कितने अन्य लोगों को कनेक्शन दिये गये ? क्या सबसे नियमानुसार लाइन रेन्ट लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दरियाबाद, जिला बाराबंकी के इचौल फीडर से नलकूप के लिये प्रथम कनेक्शन श्री हरी प्रसाद भरोली को दिनांक 26 सितम्बर, 1964 को दिया गया। उसके पश्चात् 398 व्यक्तियों को कनेक्शन दिये गये।

केवल उन्हीं उपभोक्ताओं से लाइन रेन्ट लिया जा रहा है जिन्होंने फ्री लिमिट से अधिक लाइन का पूरा मूल्य जमा नहीं किया है।

इटावा में असलहों के लाइसेन्स में ढिलाई

*18—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या सरकार को जानकारी है कि फरवरी, 1974 में आम चुनाव के बाद जिला इटावा में खास कर भरथना निर्वाचन क्षेत्र में डाका, कत्ल, चोरी व अन्य अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुनी वृद्धि हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश देगी कि वे वहां की जनता को सहानुभूति पूर्वक असलहों के लाइसेन्स देने का आदेश देगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

आग्नेयास्त्र के लाइसेंस लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आर्म्स ऐक्ट, 1959 व आर्म्स रूल्स, 1962 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिये जाते हैं और इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आदेश देना उचित नहीं है।

हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन, रेणुकूट, मिर्जापुर के एक गिरफ्तार कर्मचारी की मृत्यु

*19—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 28 अक्टूबर, 1974 को हिन्दुस्तान अल्मूनियम कारपोरेशन रेणुकूट, मिर्जापुर के गिरफ्तार किये गये 5 श्रमिकों में से एक श्रमिक (शारदा प्रसाद शुक्ल) की मृत्यु जेल ले जाते समय रास्ते में हो गयी ? यदि हां, तो अच्छे स्वस्थ श्रमिक की मृत्यु का क्या कारण था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन, मिर्जापुर के एक गिरफ्तार कर्मचारी श्री शारदा प्रसाद शुक्ल की मृत्यु मुख्यालय ले जाते समय रास्ते में ही दिनांक 27/28-10-74 की रात में हो गयी थी। पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका। मृतक के शरीर पर कोई चोटें नहीं पाई गयीं। श्री शारदा प्रसाद शुक्ल की मृत्यु के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

ओबरा और हरदुआगंज परियोजनाओं में नियुक्त रसायनिज्ञों की संख्या में हरिजनों का कोटा

*20—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओबरा और हरदुआगंज परियोजनाओं में कितने रसायनिज्ञ इस समय कार्य कर रहे हैं ? इनमें हरिजन रसायनिज्ञ कितने हैं ? क्या रसायनिज्ञों को इन परियोजनाओं में रखने के लिये उपलब्ध रसायन शास्त्र के हरिजन स्नातकों को छोड़कर कृषि के स्नातकों को भी लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस समय ओबरा में 16 और हरदुआगंज में 17 रसायनिज्ञ काम कर रहे हैं। इनमें हरिजन एक भी नहीं है। रसायनिज्ञों की नियुक्ति संबंधी नियमावली, 1972 के प्रकाशन के पूर्व हरदुआगंज में एक तथा ओबरा में 4 कृषि रसायनिज्ञ स्नातकों की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्तियां हरिजन स्नातकों को छोड़कर नहीं की गई थीं।

प्रश्न नहीं होता।

लक्ष्मी टाकीज, सीतापुर के निकट स्थित सीतापुर यूनिटी क्लब को जुआ खिलाने की अनुमति

*21—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुर में लक्ष्मी टाकीज के निकट सीतापुर यूनिटी क्लब नाम से एक मकान पर साइनबोर्ड लगाकर इसके भीतर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जुआ खिलाया जाता है? यदि हां, तो क्या इस जुआ के अड्डे को सरकार की अनुमति है? यदि नहीं, तो इसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करेगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार सीतापुर नगर में लक्ष्मी टाकीज के निकट एक मकान की दूसरी मंजिल पर यूनिटी क्लब, सीतापुर का साइनबोर्ड लगा है किन्तु यह सत्य नहीं है कि इस क्लब में सार्वजनिक रूप से अथवा बड़े पैमाने पर जुआ खिलाया जाता है।

उक्त क्लब सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन निबन्धित है। इधर कुछ दिनों से क्लब बन्द है।

थाना अतरौली, अलीगढ़ के कुछ गुन्डों द्वारा पुलिस पर आक्रमण

*22—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 14-6-74 को मुहल्ला चौधरी रयान, अतरौली थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ में कुछ गुंडों ने एक पुलिस दीवान को बंद करके जान से मारने का प्रयास किया और स्थानीय थाने के दो एस0 डी0 आई0 तथा कुछ अन्य पुलिस कान्सटेबिल पर प्राण घातक आक्रमण किया? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है तथा उपरोक्त घटना में किस-किस का हाथ पाया गया और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14-6-74 को थाना अतरौली, अलीगढ़ के दो सब इंसपेक्टर, दो हेड कांस्टेबिल तथा 5 कांसटेबिल एक मुकदमें के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने मोहल्ला ब्रहमपुरी चौधरियान, अतरौली गये थे। वहां पर जब उन्होंने एक अभियुक्त को पकड़ा तो उसी मोहल्ले के लगभग 20-22 व्यक्ति आ गये और पुलिस पार्टी पर आक्रमण कर अभियुक्त को छुड़ा लिया तथा एक हेड कांस्टेबिल को कमरे में बन्द कर दिया और पुलिस पार्टी पर ईंट पत्थर मारे जिससे दो सब-इन्सपेक्टर, एक हेड कांस्टेबिल, एक कांस्टेबिल को चोटें आईं। पुलिस के दबाव पर अभियुक्तों ने उक्त हेड कांस्टेबिल को छोड़ा। उक्त घटना के संबंध में थाना अतरौली पर धारा 147/332/348/224/225/336 भा0 द0 वि0 का मुकदमा उसी दिन कायम किया गया। विवेचना के बाद सभी 23 अभियुक्तों का चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

सचिवालय के गृह विभाग में टंककों के बकाया वेतन का भुगतान

*23—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय के गृह विभाग के कितने टंकक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति सितम्बर, 74 माह में हुयी और अभी तक उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया? उनको इसका भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ऐसे सभी टंकाकों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त पुलिस सब-इन्सपेक्टर, श्री चेतराम को उनकी पेन्शन व अन्य उपलब्धियों का भुगतान

*24—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर (श्री चेत राम) जो कि 1967में जिला बांदा में थे असाध्य रोग से बीमार रहे, ने अपने पेन्शन एवं फंड आदि के भुगतान के लिये दिनांक 11-11-69 तथा दिनांक 12-1-72 तक तथा दिनांक 16-8-72 तथा दिनांक 19-4-74 तथा दिनांक 22-11-73 एवं 25-1-74 को बराबर प्रार्थना-पत्र देते रहे? लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण

*25—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय के मुख्य सचिव शाखा में ऐसे कितने राजपत्रित अनुभाग अधिकारी 1 फरवरी, 1975 के हैं जिनको एक ही विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुये 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं? उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ऐसे अनुभाग अधिकारियों की संख्या 5 है। वर्तमान नीति के अनुसार अनुभाग अधिकारी, जिनको एक ही शाखा में राजपत्रित पद पर कार्य करते हुये 5 वर्ष से अधिक हो गया है, दूसरी शाखाओं में धीरे-धीरे स्थानान्तरित किये जा रहे हैं।

*26—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 29 पर स्थानान्तरित।]

जनपद बांदा की बांदा-बबेरू, बांदा-कमासिन व बांदा-औगार्स आदि सड़कों का राष्ट्रीयकरण

*27—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार बतायेगी कि बांदा जिले की बांदा-बबेरु, बांदा कमासिन व बांदा-औगार्स आदि सड़कों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है? यदि हां, तो अब तक राज्य सड़क परिवहन की गाड़ियां इन पर क्यों नहीं चलायी जा रही हैं? यदि नहीं, तो इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किये जाने में अवरोध क्या है?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं।

इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किए जाने हेतु मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 68-सी के अन्तर्गत योजना प्रकाशित की जा चुकी है किन्तु उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण हियरिंग अथारिटी द्वारा अभी इस मामले में अन्तिम आदेश पारित नहीं किए गये हैं।

महानगर, लखनऊ के क्वार्टर्स को हायर परचेज पद्धति पर किरायेदारों के पक्ष में निर्धारण का प्रश्न

*28—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महानगर, लखनऊ स्थित सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले किरायेदार कर्मचारियों को हायर परचेज बेसिस पर उन मकानों को देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक सम्भावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी नहीं।

ऐसे किसी निर्णय से शासन के लिये राज्य कर्मचारियों की आवास की व्यवस्था और जटिल हो जायेगी।

*29—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[13-3-75 के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 पर उत्तरित।]

सचिवालय टंकण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के नवयुवकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का भविष्य

*30—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सत्य है कि सचिवालय में अनुसूचित जाति के शिक्षित नवयुवकों के प्रशिक्षण के लिये 2 अक्टूबर, 1973 से एक टंकण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है ? यदि हां, तो कितने अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थी इस केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी पा चुके हैं और क्या यह सत्य है कि यह केन्द्र 28-2-75 से बंद किया जा रहा है, यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

72 अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणोपरान्त सचिवालय में नौकरी पा चुके हैं। सचिवालय टंकण प्रशिक्षण केन्द्र को 28 फरवरी 1975 के बाद चलाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन अवश्य था किन्तु अब इस केन्द्र को वर्ष 1975-76 में भी चलाने का निर्णय ले लिया गया है।

*31—श्री सरदार कुलतार सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

पुलिस चौकी कैम्प, सहारनपुर के अहाते में डाकुओं द्वारा एक व्यक्ति की हत्या

*32—सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पुलिस चौकी कैम्प थाना सदर बाजार, सहारनपुर के अहाते में डाकुओं ने 25 नवम्बर, 1974 को एक व्यक्ति को गोली मार कर हत्या कर दी और पुलिस के सामने भाग निकले ? यदि हां तो पुलिस ने इन फरार डाकुओं को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25 नवम्बर, 1974 को लगभग 4 बजे प्रातः श्री सरदार सिंह की सूचना पर पुलिस चौकी कैम्प सहारनपुर के दो कांस्टेबिल 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस चौकी पर लाये। पुलिस के साथ उक्त सरदारसिंह तथा दो और लोग भी थे। जब उक्त संदिग्ध व्यक्तियों से तलाशी देने को कहा गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने तमंचे से सरदार सिंह पर फायर कर दिया जिससे सरदार सिंह आहत हुआ और अस्पताल पहुंचने पर मरा हुआ पाया गया। तीनों संदिग्ध व्यक्ति भाग गये। इनमें से एक शाहिद हुसैन को भागते हुए

पकड़ लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार, सहारनपुर पर धारा 307/302 भा0 द0 वि0 तथा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग कायम हुआ। जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। अभियुक्त शाहिद हुसैन के विरुद्ध विवेचना के उपरान्त धारा 307/302/109 भा0 द0 वि0 तथा धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। शेष दो फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये उनके विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

अचलनगर, इटिया थोक, गोन्डा काड की रिपोर्ट

*33—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अचलनगर, थाना इटिया थोक, जिला गोंडा कांड के सम्बन्ध में भू0पू0 डी0आई0जी0 श्री आर्य की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट क्या है, सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

विषय न्यायालय के विचाराधीन है।

नरदा निवासी श्री बृज किशोर तिवारी, थाना परसपुर, गोन्डा पर दर्ज मुकदमा एवं तत्सम्बन्धी बाद में गिरफ्तारियां

*34—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-8-74 को नरदा निवासी श्री बृज किशोर तिवारी पुत्र हरपाल ने थाना परसपुर, जिला गोंडा में अपराध संख्या निल के अन्तर्गत धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा दर्ज कराया? यदि हां, तो इस मुकदमें में कितने व्यक्तियों को नामजद किया गया और इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 24-8-74 को श्री बृज किशोर तिवारी, निवासी ग्राम नरदा, थाना परसपुर, जिला गोंडा द्वारा थाना कोतवाली पर एक रिपोर्ट लिखाई गई जिसके आधार पर थाना परसपुर पर धारा 398 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया।

वादी ने अपनी रिपोर्ट में किसी अभियुक्त को नामजद नहीं किया था।

थानाध्यक्ष, परसपुर द्वारा की गई विवेचना से 10 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से 4 गिरफ्तार करके जेल भेजे गए तथा 2 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। 3 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा शेष एक अभियुक्त के विरुद्ध भी धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है।

डकैती का एक कालीन पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है।

विवेचना के फलस्वरूप 3 अभियुक्त शिनाख्त न हो पाने के कारण धारा 169 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत छोड़े गए और 2 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। विवेचना जारी है।

आगरा क्षेत्र के राजकीय मार्गों पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारी एवं निजी बसों का चलाया जाना

*35—श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

क्या शासन को ज्ञात है कि गत कई वर्षों से मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की बसें तथा निजी प्राइवेट बसें, आगरा क्षेत्र के राजकीय मार्गों पर चलायी जा रही है? यदि हां, तो क्यों तथा इस प्रकार शासन का कितना नुकसान हो रहा है?

श्री राज मंगल पांडेय—

मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारी तथा प्राइवेट बसें नियमानुसार जारी किये गये अनुज्ञापत्रों पर आगरा क्षेत्र में राजकीय मार्गों पर चल रही हैं किन्तु यदि अनियमित रूप से बसें चलती हुई पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अतः उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के उप-चकबन्दी (न्याय) के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच

*36—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के उप–चकबंदी (न्याय) के विरुद्ध अगस्त, 74 में कोई उच्चस्तरीय जांच जनता द्वारा लगाये गये आरोपों के आधार पर करायी गयी थी? यदि हां, तो इस जांच में क्या-क्या आरोप सिद्ध पाये गये तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। मामला शासन के विचारधीन है।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फुलपुर (प्रथम), आजमगढ़ के स्थानान्तरण का विवरण

*37—श्री रामबचन (जिला आजमगढ़) तथा श्री कालीचरण यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एस0 ओ0 सी0, फूलपुर जिला आजमगढ़, का पिछले एक साल (गत अप्रैल से दिसम्बर तक) में कितनी बार स्थानान्तरण हुआ और कितनी बार रद्द किया गया ? स्थानान्तरण के क्या कारण थे और उनके रद्द करने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फूलपुर (प्रथम), जिला आजमगढ़ के स्थानान्तरण के आदेश गत वर्ष (अप्रैल, से दिसम्बर तक) में दो बार हुये। ये आदेश इनके विरुद्ध प्राप्त कुछ शिकायतों के कारण किये गये थे, किन्तु जांच कराने पर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार फैलाने के आरोप तथ्यहीन पाये गये। पहली बार इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया था और दूसरी बार स्थगित किया गया है।

*38—श्री शारदा भक्त सिंह—

[20–2–75 के प्रश्न संख्या 17 पर उत्तरित।]

लखीमपुर खीरी के लिये 132 के० वी० लाइन के निर्माण-कार्य की प्रगति

*39—श्री छेदालाल चौधरी (जिला लखीमपुर–खीरी) तथा श्री तेज नरायन त्रिवेदी (जिला लखीमपुर–खीरी)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 132 के0 वी0 लाइन का निर्माण खीरी जनपद के लिये स्वीकृत हुआ था और जिसका कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था, अब बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

खीरी जनपद की विद्युत मांग की पूर्ति के लिये 132 के0 वी0 सिंगिल सर्किट, सीतापुर से खीरी लाइन की तकनीकी स्वीकृति चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा दी गई थी और इस लाइन का निर्माणकार्य चतुर्थ योजना के दौरान ही चालू कर दिया गया था इस लाइन का निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया है, किन्तु स्टील तथा धन की कमी के कारण कार्य की प्रगति में व्यवधान उपस्थित हो गया था। इस व्यवधान को दूर करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि इस कार्य की प्रगति शीघ्र ही पुनः तेज हो जायेगी।

ग्राम लक्ष्मनपुर मटेही, नानपारा, बहराइच के निकट गोहत्या

*40—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच थाना नानपारा, के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मनपुर के निकट एक गोहत्या कांड दिनांक 26-1-75 को हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 26-1-75 को वादी श्री काशी नाथ सिंह, निवासी लक्ष्मनपुर मटेही, थाना नानपारा, जिला बहराइच ने थाना नानपारा पर आकर यह लिखित सूचना दी कि ग्राम लक्ष्मनपुर मटेही के निकट दोहरा नाला के पास खरोह में एक खुर व पूंछ कटी पड़ी है जिसे वादी ने स्वयं देखा है। इस सूचना के अधार पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 5/8 गोवध ऐक्ट थाने पर पंजीकृत किया गया।

विवेचना से तीन अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से दो दिनांक 30-1-75 को बन्दी बनाकर जैल भेजे गये तथा तीसरे अभियुक्त ने दिनांक 4-2-75 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया तथा उसी दिन जेल भेजा गया। विवेचना जारी है।

*41—श्री अठई राम तथा श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

[10 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के अन्तर्गत थाना नाका हिंडोला, लखनऊ में दर्ज रिपोर्ट

*42—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-4-74 को लखनऊ नगर के अन्तर्गत थाना नाका हिंडोला में धारा 452/342/332/323 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट लिखायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, दिनांक 11-4-74 को थाना नाका हिंडोला पर धारा 452/342/332/323 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक रिपोर्ट लिखायी गई। विवेचना से धारा 452/332/342 भारतीय दंड विधान का अपराध होना नहीं पाया गया और मामला केवल सड़क पर साधारण मारपीट का पाया गया जो धारा 323 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत आता था और अहस्तक्षेपनीय था। अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई।

सुमेर गद्दी ग्राम चमरहिया मजराखरखा, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई के घर डकैती तथा उसकी हत्या

*43—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के अन्तर्गत थाना कासिमपुर के ग्राम चमरहा मजरा खरका में मार्च 1974 से मई, 74 के बीच सुमेरगद्दी के यहां डकैती पड़ी और जिसने उसको जान से मार दिया गया और उसके लड़के को मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में दाखिल किया गया ? उसमें कितने मुलजिमान की नामजद रिपोर्ट हुयी और कितनों का चालान हुआ और कितने मुलजिमों की जमानत हुयी तथा क्या सुमेर गद्दी मृतक ने अपने जान माल के खतरे की कोई दरख्वास्त स्थानीय अधिकारियों को दी थी ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जिला हरदोई के थाना कासिमपुर के अन्तर्गत ग्राम चमरहा मजरा खरका नहीं बल्कि ग्राम चमरहिया मजराखरका के सुमेरगद्दी के यहां दिनांक 23/24 अप्रैल, 1974 की रात्रि में

कुछ सशस्त्र डकैतों द्वारा घर में घुसकर लूटपाट किये जाने और घर वालों को मारे पीटे जाने के फलस्वरुप सुमेर गद्दी की घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने एवं अन्य के आहत होने की लिखित सूचना जिसमें तीन अभियुक्तों को नामांकित किया गया था दिनांक 24-4-74 को प्रातः थाना कासिमपुर पर प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा 396 भारतीय दंड विधान का एक मुकदमा कायम किया गया।

सुमेर गद्दी का घायल पुत्र नूर मोहम्मद दिनांक 24-4-74 को अस्पताल में दाखिल हुआ था जहां वह 1-5-74 तक भरती रहा।

उपरोक्त मुकदमें की विवेचना से तीनों नामांकित अभियुक्तों के अतिरिक्त 6 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये। 7 अभियुक्तों का चालान अदालत किया जा चुका है जिसमें से 5 अभियुक्त न्यायालय से जमानत पर हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार सुमेर गद्दी ने अपनी जान माल को खतरा होने की कोई दरख्वास्त स्थानीय अधिकारियों को नहीं दी थी।

*44--श्री अनवार जमील--

[11वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित।]

आई० ए० एस०, पी० सी०एस० इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति

*45--श्री अनवार जमील (जिला फर्रूखाबाद)--

*45--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में कुछ आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 तथा इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को स्क्रूटनी करने के पश्चात उनको सेवाओं से रिटायर कर दिया गया है? ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है तथा उन्हें रिटायर करने में क्या सिद्धान्त रक्खा गया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। आई0 ए0 एस0 के 2, पी0 सी0 एस0 के 5 तथा इंजीनियरिंग सेवा के 9 अधिकारियों को स्क्रूटनी के पश्चात सेवा निवृत्त किया गया है। समस्त अधिकारियों को जनहित में सेवा निवृत्त किया गया है।

फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में दीवानी न्यायालयों के भवनों के सम्बन्ध में बार संघ का ज्ञापन

*46--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद की फतेहगढ़ स्थित न्यायालयों में स्थान एवं इमारतों के नितान्त अभाव के विषय में बार एशोसियेशन फतेहगढ़ एवं अन्य लोगों से ज्ञापन प्राप्त हुये हैं? यदि हां तो इस विषय में वास्तविक स्थिति क्या है तथा इसमें सुधार के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राजमंगल पांडेय--

फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ स्थित दीवानी न्यायालय भवनों की कमी और जीर्ण दशा तथा नये न्यायालय कक्ष बनाये जाने के बारे में फर्रुखाबाद बार संघ का प्रस्ताव तथा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय तथा जिला जज को, वस्तुस्थिति को देखते हुए, अपनी संस्तुति शासन को भेजने के लिये लिखा जा चुका है।

थाना अलापुर, बदायूं द्वारा जारी किये गये फर्जी वारन्ट

*47--श्री दलसिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के थाना अलापुर में दिनांक 13-8-74 को कोई मामला अपराध संख्या 196 भारतीय दंड विधान की धारा 466/

468/469/318, 1 7/322 के अधीन पंजीकृत हुआ जिसमें कि एक पुलिस सब इन्सपेक्टर सहित कुछ लोगों पर यह अभियोग है कि उन्होंने फर्जी वारंट बना कर तामील कर दिया ? यदि हां, तो मुलाजिमानों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार एक फर्जी वारेन्ट बना कर तामील किए जाने के सम्बन्ध में श्री उदय वीर सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष अलापुर, बदायूं कांस्टेबिल महेन्द्र सिंह तथा उमर, उसमान व वलीउद्दीन निवासी अलीपुर के विरुद्ध बदायूं जिले के थाना अलापुर में दिनांक 13-8-74 को अपराध संख्या 196 अन्तर्गत धारा 343/466/468/469/323/218 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ। विवेचना के मध्य नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

मुहम्मद उसमान, निवासी अलीपुर, बरेली की गिरफ्तारी

*48—श्री दल सिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 6-10-74 को बरेली कुतुब खाने पर मुहम्मद उसमान नाम का व्यक्ति निवासी अलीपुर मय नाजायज इंग्लिश रिवाल्वर के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। यदि हां, तो उसके विरुद्ध इस समय तक क्या कार्यवाही हुयी ? क्या इस व्यक्ति के नाम बन्दूक व पिस्तौल का लाइसेंस है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 2330 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना कोतवाली बरेली में कायम हुआ तथा विवेचना के पश्चात दिनांक 12-10-74 को अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। इस व्यक्ति के पास बन्दूक या पिस्तौल का कोई लाइसेंस नहीं है।

थाना सैदपुर, गाजीपुर श्रीमती प्रेमा देवी की हत्या

*49—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 सितम्बर, 1974 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन गाजीपुर जिले के थाना सैदपुर में कोई इस आशय की रिपोर्ट श्री राम जी पाठक द्वारा लिखायी गयी कि श्रीमती प्रेमा देवी की हत्या उसके ससुर तथा परिवार के कुछ लोगों ने मिल कर कर दी ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या लिखायी गयी तथा उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री राम जी पाठक, निवासी ग्राम विशुनपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर में दिनांक 27-9-74 को इस आशय की सूचना थाना सैदपुर पर दी कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि उनकी पुत्री श्रीमती प्रेमा देवी की हत्या उसके ससुराल वालों ने दिनांक 26-9-74 की प्रातः 8 बजे कर दी तथा उसके शव को जला डाला। इस सूचना पर एक अभियोग दरियाफ्त हुक्म धारा 302/201 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया जो जांच के बाद अपराध संख्या 123 पर अंकित किया गया। एक अभियुक्त पुलिस द्वारा बंदी बना कर जेल भेजा गया तथा शेष तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

*50—श्री कल्याण सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह—

[26-12-74 को तारांकित प्रश्न संख्या 17 पर उत्तरित।]

श्रीमती खातून, थाना जैदपुर, बाराबंकी के साथ बलात्कार

*51—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा व थाना जैदपुर जिला बाराबंकी निवासी श्री मुराद अली की लड़की खातून ने 3 अक्तूबर, 1974 को पुलिस कप्तान बाराबंकी को उसके साथ बलात्कार करने व कुछ व्यक्तियों द्वारा भगाने का प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसकी सी0 ओ0 द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त लड़की को पुनः दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 को जबरन कुछ लोग उठा ले गये जिसकी रिपोर्ट उसी दिन थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी में लिखायी गयी ? यदि हां, तो अपराधियों के नाम क्या हैं और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री मुराद अली; निवासी कस्बा व थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी की पुत्री श्रीमती खातून का प्रार्थना पत्र दिनांकित 3-10-74 पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्राप्त हुआ था। इसमें प्रार्थिनी को लगभग डेढ़ मास पूर्व एक व्यक्ति द्वारा फुसलाकर भगाए जाने तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी उसके साथ बलात्कार किए जाने की शिकायत की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच सी0 ओ0 द्वारा कराई गई और प्रार्थना पत्र में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जैदपुर में धारा 363/376 भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

श्री मुराद अली ने दिनांक 21-12-74 को थाना जैदपुर में 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी की लड़की खातून को उस दिन 2 बजे जबरन उठा ले जाने की लिखित सूचना दी जिसके आधार पर धारा 147/452/363/366 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद नामजद अभियुक्त निसार, शकील, लल्लन, विनोद व राम देव के विरुद्ध दिनांक 10-3-75 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। शेष नामजद अभियुक्त नवल सोनार की हत्या हो गई।

ग्राम मुनीपुर को जिला प्रतापगढ़ के थाना पट्टी से थाना लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर में स्थानान्तरण

*52—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मुनीपुर, न्याय पंचायत कसईपुर, विकास क्षेत्र प्रतापपुर, कमेचा, जिला सुल्तानपुर के प्रधान श्री राम सुन्दर के प्रार्थना पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1970; 8 अगस्त, 1970; 23 नवम्बर, 1973; 26 अगस्त, 1974 तथा 31 जनवरी, 1975 के इस आशय के प्राप्त हुये हैं कि उपरोक्त ग्राम सभा जो कि जिला प्रतापगढ़ के पट्टी थाना के अन्तर्गत है, उसे सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ थाना के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया जाय ? यदि हां, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुयी तथा उक्त स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री रामसुन्दर, प्रधान, ग्राम सभा मुनीपुर के केवल दिनांक 23 नवम्बर, 1973 तथा 26 अगस्त, 1974 के प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को प्राप्त हुये हैं, जिनमें उपरोक्त ग्राम मुनीपुर को जिला प्रतापगढ़ के थाना पट्टी से थाना लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई है। चूंकि उक्त सुझाव में उपरोक्त ग्राम के फौजदारी अधिकार क्षेत्र को भी प्रतापगढ़ जिले से सुल्तानपुर जिले में स्थानान्तरित करने का प्रश्न भी निहित है, अतः इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय से परामर्श किया जा रहा है। उनका अभिमत प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

थाना शिवराजपुर, कानपुर की सरकारी भूमि पर मन्दिर का निर्माण

*53—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि माह जनवरी, 1973 से 10 मई, 1974 के मध्य में थानाध्यक्ष शिवराजपुर, जिला कानपुर के द्वारा एक ट्रस्ट की स्थापना करके थाना शिवराजपुर की सरकारी भूमि पर एक मन्दिर का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कब कराया गया और सरकारी भूमि पर मन्दिर निर्माण कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुमति कब प्राप्त की गयी ? उक्त समय के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के इन्चार्ज पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने इस बात पर ध्यान देकर जानकारी प्राप्त की थी कि प्रश्नगत मन्दिर क्यों और कैसे बन रहा है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कथित अवधि में थानाध्यक्ष शिवराजपुर, जिला कानपुर द्वारा न तो किसी ट्रस्ट की स्थापना की गई और न थाना शिवराजपुर की सरकारी भूमि पर किसी मंदिर का निर्माण कराया गया। अतः प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मनोरमा, लाल बंगला, थाना छावनी, जिला कानपुर का कथित अपहरण एवं हत्या

*54—श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 28 जनवरी, 1975 को लाल बंगला, थाना छावनी, जिला कानपुर निवासी वायु सेना के सार्जेन्ट श्री दयानन्द की बीस वर्षीय पत्नी श्रीमती मनोरमा का अपहरण बदमाशों द्वारा करके बलात्कार करने के पश्चात् उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी और उनका शव 3 फरवरी, 1975 को एच0 ए0 एल0 कालोनी के पीछे पाया गया ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही करके इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले कितने अपराधियों को पकड़ा गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वायु सेना के सार्जेन्ट श्री दयानन्द की पत्नी श्रीमती मनोरमा के दिनांक 28-1-75 की प्रातः 10.30 बजे से लापता हो जाने के बारे में उसी दिन जिला कानपुर के थाना छावनी पर सूचना प्राप्त होने पर उनको खोजने का प्रयास किया गया। दिनांक 3-2-75 को श्रीमती मनोरमा का शव एच0 ए0 एल0 कालोनी के निकट पाया गया। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण पानी में डूबने के कारण दम घुटना पाया गया। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गयी और बलात्कार के भी कोई लक्षण नहीं पाये गये। इस घटना के सम्बन्ध में धारा 302/201 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा विवेचनाधीन है। अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है।

कानपुर जिलान्तर्गत पतारा से कठारा रेलवे स्टेशन के मध्य ट्रेन में डकैती

*55—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या सरकार को सूचना है कि दिनांक 9 या 10 फरवरी, 1975 को कानपुर जिला अन्तर्गत पतारा से कठारा रेलवे स्टेशन के मध्य में बांदा एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में सशस्त्र डाकुओं ने डकैती की घटना घटित करके लगभग 55 हजार रुपये लूट लेने के साथ कई यात्रियों को मार कर बुरी तरह घायल कर दिया था ? यदि हां, तो अब तक कितने अपराधी पकड़े गये हैं और कितने रुपये बरामद किये गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 10-2-75 की रात में श्री मंगल राम बतवानी निवासी कानपुर ने इस आशय की सूचना पुलिस में दी कि उसी दिन शाम को जब वह गाड़ी नं0 109 डाउन के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में कुछ अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे तो पतारा रेलवे स्टेशन पर 7-8 आदमी उस डिब्बे में चढ़ गये। जब गाड़ी की गति तेज हुई तो उन आदमियों ने तमंचा, छड़ तथा

चाकू से मारने की धमकी देकर रु0 56,412 मूल्य का सामान व नगद लूट लिया तथा वादी व एक अन्य यात्री को चोट पहुंचा कर घायल कर दिया और कठारा रोड स्टेशन के पहले गाड़ी की गति धीमी होने पर कूद कर भाग गये । इस सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गयी । घटना के सम्बन्ध में पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लूट का कोई सामान बरामद नहीं हो सका है ।

श्री सुन्दर सिंह, ग्राम कैथा, जिला कानपुर के घर डकैती तथा उनकी हत्या

*56—श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 8/9 फरवरी, 1975 की रात्रि में थाना सचेंडी जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम कैथा में सशस्त्र खाकी वर्दीधारी डाकुओं ने श्री सुरजन सिंह के मकान पर भीषण डकैती डाल कर हजारों की सम्पत्ति को लूटने के साथ मार कर सुरजन सिंह की हत्या भी कर दी है? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 9-2-75 को श्री नवाब सिंह पुत्र श्री सुंदर सिंह, निवासी ग्राम कैथा, थाना सचेंडी, जिला कानपुर ने थाना सचेंडी पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 8/9 फरवरी, 1975 को, (न कि 8/9 फरवरी, 1973) उनके पिता श्री सुन्दर सिंह (न कि सुरजन सिंह) के अकबरपुरवा मजरा कैथा स्थित घर पर डकैती डाली गयी, घर का सामान लूट लिया गया और उनके माता पिता, भाइयों तथा पड़ोसियों को मारपीट किया गया।

चोटों के कारण श्री सुन्दर सिंह की मृत्यु हो गयी ।

इस सूचना पर उसी दिन धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना हो रही है ।

जांच से लगभग 2,000 रु0 के जेवर व नगदी लूटा जाना पाया गया ।

विवेचना से 19 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से 8 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गये । शेष 11 अभियुक्त फरार हैं और उनके विरुद्ध धारा 82/83 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट न्यायालय में दी गयी है ।

श्री जगदीश सिंह, ग्राम सिद्धपुर, मजरा सीड़ी, कानपुर के घर डकैती

*57—श्री ख्याली राम शास्त्री—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 13/14 फरवरी, 1975 रात्रि में थाना सचेंडी जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम सिद्धपुर मजरा ग्राम सीड़ी में सशस्त्र डाकुओं ने श्री हजारी के मकान पर भीषण डकैती डाल कर हजारों की सम्पत्ति लूटी और कई व्यक्तियों को मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 14 फरवरी, 1975 को श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री हजारी सिंह, निवासी, ग्राम सिद्धपुर मजरा सीड़ी थाना सचेंडी जिला कानपुर द्वारा थाना सचेंडी पर सूचना दी गयी कि दिनांक 13/14 फरवरी, 1975 की रात्रि में 6-10 बदमाशों ने उनके घर में लूट पाट की तथा उनके भाई को चोट पहुंचाई ।

इस सूचना पर दिनांक 14-2-1975 को धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना हो रही है ।

वादी के भाई श्री कनचन को डाक्टरी परीक्षण से तीन साधारण चोटें आना तथा डाकुओं द्वारा लगभग 2,500 रु 0 के जेवर व नगदी लूटा जाना पाया गया ।

जांच से 7 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित भी किया गया था। इनमें से 5 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। शेष 2 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82, 83 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी है।

जनपद बाराबंकी के असन्द्रा थानान्तर्गत श्री हनोमान निवासी हजरतपुर की पुलिस के हिरासत में मृत्यु

*58—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा, श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना असन्द्रा, जिला बाराबंकी की पुलिस दिनांक 20 जनवरी, 1975 को श्री हनोमान, निवासी हजरतपुर, पंचम राजाराम निवासी मुरलीगंज को पकड़ कर ले आयी थी और बुरी तरह से तीनों व्यक्तियों को पीटा जिससे थाने में ही श्री हनोमान की मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पुलिस रेकार्ड के अनुसार दिनांक 19-1-75 की रात को जब थाना असन्द्रा, जिला बाराबंकी के दो सिपाही रात्रि गश्त करके सरकारी कार्य हेतु अपने क्षेत्र में जा रहे थे तो उन्होंने सूर्योदय से पूर्व मदारपुर के उत्तर में पहुंचने पर 6 संदिग्ध व्यक्तियों को एक जगह बैठे पाया तथा उनके टोकने पर उक्त व्यक्तियों में से एक ने फायर कर दिया। कान्सटेबिलों ने आस-पास से आये लोगों की सहायता से तीन बदमाशों को जिनमें हनोमान निवासी हाजीपुर भी शामिल था घेर कर व मारपीट कर पकड़ लिया। पकड़े गये बदमाशों के पास से उसी रात ग्राम रेवती पुरवा, जिला बाराबंकी में पड़ी डकैती का कुछ सामान बरामद हुआ। शेष तीन बदमाश भाग गये। मारपीट में गिरफ्तार किये गये तीन बदमाशों को तथा दोनों पुलिस कान्सटेबिलों व तीन ग्रामीणों को चोटें आई थी। थाने पर पहुंचने के बाद हनोमान की मृत्यु हो गई।

इस घटना के सम्बन्ध में कान्सटेबिल की रिपोर्ट के आधार पर थाना असन्द्रा पर एक मुकदमा, धारा 147/148/307/323/332, भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया तथा तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अलग-अलग धारा 25, असलहा ऐक्ट के मुकदमें भी कायम हुये। हनोमान के साथ गिरफ्तार किये गये दोनों अभियुक्तों का धारा 25, असलाहा ऐक्ट में चालान किया जा चुका है। धारा 147/148/307/323/332, भारतीय दंड विधान में विवेचना हो रही है।

हनोमान की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच हो रही है।

श्री शिव पूजन बारी, ग्राम बसन्तपुर, जनपद देवरिया के घर डकैती

*59—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र में 7 फरवरी, 1975 को रात्रि में एक मध्यम वर्गीय बरई परिवार के यहां गृह स्वामी की पत्नी एवं पुत्री को गम्भीर रूप से आहत कर दस्यु दल ने सर्वस्व अपहरण कर लिया? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री शिवपूजन पुत्र श्री महादेव बारी, निवासी ग्राम बसंतपुर, जिला देवरिया ने थाना-गौरी बाजार पर 8-2-75 को इस आशय की लिखित सूचना दी कि 9/10 अज्ञात डकैतों ने दिनांक 7/8-2-75 की रात में उनके घर में डकैती डालकर सामान लूटा व उनकी पत्नी व पुत्री को चाकू व लाठी से मारा। प्राप्त सूचना के अनुसार लूटे गये माल की अनुमानित कीमत 1,530 रुपया है और वादी की पत्नी तथा पुत्री को केवल साधारण चोटें आई।

श्री शिव पूजन की लिखित सूचना के आधार पर थाने पर धारा 395/397 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से 8 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से चार को बंदी बना कर जेल भेजा गया। शेष 4 के विरुद्ध धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई। गिरफ्तार किये गये डकैतों से एक देशी पिस्तौल, 2 कारतूस एवं डकैती का रु0 181/- का माल बरामद किया गया है, एक अभियुक्त के पिता के पास से भी डकैती का कुछ सामान बरामद किया गया जिसे धारा 412 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत बंदी बनाकर जेल भेजा गया।

*60—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 76 पर स्थानान्तरित।]

श्री मैकू, ग्राम मेहनीपूर, कानपुर के घर लूट

*61—श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 6 फरवरी, 1975 को थाना नरवल, जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम महेरानपुरवा निवासी एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी को सशस्त्र बदमाशों ने गम्भीर रूप से मारने के साथ उसकी दो हजार रुपये की सम्पत्ति लूट ली? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 6-2-75 को नहीं बल्कि दिनांक 5-2-75 को ग्राम मेहनीपुर निवासी श्री मैकू ने इस आशय की सूचना थाना नरवल पर दी कि दिनांक 4/5-2-75 की रात में चार बदमाशों ने उनके घर के अन्दर घुस कर उन्हें मारा पीटा और लगभग दो हजार का सामान लूट ले गये। इस सूचना के आधार पर थाना नरवल पर एक मुकदमा धारा 394 भारतीय दंड विधान का कायम किया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

विवेचना से प्रकाश में आये चार अभियुक्तों को पुलिस ने दिनांक 11-3-75 को गिरफ्तार किया तथा जेल भेजा।

श्री मोहम्मद बक्स, थाना ककवन, जिला कानपुर के साथ राहजनी

*62—श्री शिवपाल सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 6 फरवरी, 1975 को थाना ककवन, जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम ककवन, निवासी श्री मोहम्मद बक्स को सशस्त्र बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट लिया था? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 5-2-75 को ग्राम ककवव, जिला कानपुर, निवासी मोहम्मद बक्स ने थाना कवावन पर यह सचना दी कि दिनांक 4-2-75 की शाम को जब वह बाजार से वापस आ रहा था तो रास्ते में तीन अज्ञात व्यक्तियों ने डरा धमका कर उससे रुपया तथा कुछ कपड़ा छीन लिया। इस सूचना के आधार पर थाना ककवन पर एक मुकदमा धारा 392 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। इसकी विवेचना हो रही है।

ग्राम तेजापुर, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर के श्री छिटान व अन्य के घर डकैती

*63—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 17 फरवरी, 1975 को थाना घाटमपुर जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम निजुआपुर में एक दर्जन नकाब पोश डाकुओं ने भीषण डकैती की घटना करके लगभग बीस हजार रुपये की सम्पत्ति लूटने के साथ आठ ग्रामीणों को मार कर गम्भीर रूप से आहत कर दिया है? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-2-75 को ग्राम तेजापुर जिला कानपुर निवासी श्री छिटाने थाना घाटमपुर पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 16/17-2-75 की रात में 10-11 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके यहां तथा उसी ग्राम के पांच अन्य व्यक्तियों के घरों में लूट पाट की और लगभग 13,890 रु0 कीमत का जेवर कपड़ा तथा नगद रुपया लूट ले गये। उसी में यह सूचना दी गयी थी कि लोगों ने रोशनी में बदमाशों को देखा व पहचाना। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कायम किया गया। जिसकी विवेचना हो रही है।

विवेचना से प्रकाश में आये दस अभियुक्तों में से चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा जेल भेजा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अंगनू, ग्राम दहेली, थाना छावनी, जिला कानपुर की डाकुओं द्वारा लूट

*64—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 6 फरवरी, 1975 को थाना छावनी, जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम दहेली के निकट चार व्यक्तियों को हजारों रुपये की सम्पत्ति सशस्त्र डाकुओं ने लूट कर उन्हें गम्भीर रूप से मारा-पीटा भी था? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 5-2-1975 को श्री अंगनू ग्राम दहेली, थाना छावनी, जिला कानपुर ने थाना छावनी पर रात्रि 10-55 बजे लिखित सूचना दी कि उसी दिन रात्रि 8 बजे, जब वह दो अन्य व्यक्तियों के साथ सब्जी बेचकर अपने गांव वापस जा रहा था, रास्ते में चार सशस्त्र बदमाशों ने उससे 32 रु0 तथा उसके एक साथी से 29 रु0 छीन लिए, दूसरे साथी के ऊपर फायर किया तथा उन लोगों को लाठी से चोटें पहुंचाईं। उक्त सूचना पर धारा 394 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया।

वादी अंगनू तथा उसके साथी मोती लाल को साधारण चोटें और जयराम को छर्रे की चोटें आना पाया गया।

विवेचना से चार अभियुक्त प्रकाश में आये जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। विवेचना पूरी करके आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है।

श्री गंगा सहाय, ग्राम लालपुर-शिवराजपुर, थाना, शिवली जिला कानपुर का कथित अपहरण

*65—श्री प्रेमदत्त—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 6 फरवरी, 1975 को थाना शिवली, जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम लालपुर शिवराजपुर, निवासी श्री गंगा सहाय का अपहरण बदमाशों द्वारा कर लिया गया है? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कायव ही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-2-75 को थाना कोतवाली कानपुर पर एक रिपोर्ट अंकित कराई गयी जिसके अनुसार श्री गंगा सहाय का अपहरण उनके अपने पुत्र तथा पौत्र द्वारा दो सशस्त्र व्यक्तियों के साथ दिनांक 5-2-1975 को किया गया। कागजात दिनांक 7-2-75 को थाना शिवली पर प्राप्त हुए और एक सब इन्सपेक्टर द्वारा जांच कराई गयी।

जांच से श्री गंगा सहाय का अपहरण करना नहीं पाया गया और पता चला कि दिनांक 5-2-1975 को श्री गंगा सहाय अपनी मर्जी से अपने नाती शिव किशोर के साथ इलाज के लिये कानपुर आये व अपने लड़के रामेश्वर के पास जूही में रहे।

यह मुकदमा निराधार पाया गया। अतः इसमें दिनांक 22-3-1975 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी (प्रेषित की) गयी।

जिला परिषद्, कानपुर के कैन्टीन के नौकर श्री श्रीराम की हत्या

*66--श्री नजु राम (जिला जौनपुर)--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 8/9 फरवरी, 1975 की रात्रि में कानपुर नगर के थाना कोतवाली के अन्तर्गत स्थित जिला परिषद् के कैन्टीन के नौकर श्री राम जी की नृशंस हत्या कथित व्यक्तियों द्वारा कर दी गयी थी। यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक 9-2-75 को थाना कोतवाली, कानपुर पर जिला परिषद् कैन्टीन के एक कर्मचारी श्री श्रीराम को कैन्टीन के मालिक तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा मारे पीटे जाने और राम की मृत्यु हो जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर एक मुकदमा धारा 302 भारतीय दण्ड विधान का कायम किया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

उक्त घटना से सम्बन्धित एक अभियुक्त ने न्यायलय में आत्मसमर्पण किया। दूसरे फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये धारा 82/83 जा.ता फौजदारी की कार्यवाही की गयी है।

ग्राम छपेड़ा, चौकी रावतपुर, कानपुर के निकट लड़की का शव बरामद होना

*67--श्री नजुराम--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर के नगर के थाना कल्यानपुर के अन्तर्गत ग्राम छपेटा के किसी दस वर्षीय बालिका का शव दिनांक 9 फरवरी, 1975 को पुलिस को मिला है जिसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक 8-2-75 को थाना कल्यानपुर, जिला कानपुर पर चौकी रावतपुर थाना कल्यानपुर के एक कन्सटेबिल ने छपेड़ा गांव के पास बम्बी में एक 9-10 साल की लड़की की लाश पाये जाने की सूचना दी थी। इस सूचना पर थाना कल्यानपुर के एक सब इन्सपेक्टर घटना स्थल पर गये और शव का पंचायतनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिये भेजा। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका है और न ही बलात्कार किये जाने की तस्दीक हुई। विवेचना जारी है।

*68--श्री प्यारे लाल वर्मा--

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 73 पर स्थनान्तरित।]

विधायक निवासों में राजकीय कर्मचारियों का निवास

*69--श्री चन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री राजेन्द्र प्रसाद दंतेरिया, (जिला आगरा), श्री बेचन राम (जिला वाराणसी), श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि शासनादेश का उल्लंघन करते हुए विधायक निवासों अ, ब, स, रायल होटल तथा पुराना विधायक निवास के अधिकांश कमरों में राजकीय

कर्मचारी स्थायी रूप से निवास करते हैं ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? भविष्य में सरकार इसकी रोक थाम के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

विधायक निवासों के कक्षों का आवंटन विधायकों को उनकी सदस्यता की पूर्ण अवधि के लिये किया जाता है। माननीय विधायकों के साथ उनके अतिथि आदि भी रहते हैं जिनमें छान-बीन करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ राज्य कर्मचारी भी हैं। अपने अतिथियों को रखने का उत्तरदायित्व स्वयं माननीय विधायकों का होता है। एक बार कक्ष माननीय विधायक को आवंटित कर देने पर विभाग तब तक कोई कार्यवाही नहीं करता जब तक माननीय विधायक स्वयम् न कहें। किसी माननीय विधायक ने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की है। इसकी रोक थाम माननीय विधायकों के ही सहयोग से सम्भव है।

*70---श्री दयाराम भास्कर---

[7वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

*71---श्री रघुनाथ---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 18 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 पर स्थानान्तरित।]

श्री अलीजहीर, ग्राम मदनपुर, जनपद कानपुर के घर डकैती

*72---श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया) तथा श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 8/9 फरवरी, 1975 की रात्रि में थाना नरवल, जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम मदनपुर में श्री अलीजहीर के मकान पर सशस्त्र डाकुओं ने भीषण डकैती डाल कर हजारों की सम्पत्ति को लूटने के साथ कई व्यक्तियों को मारकर घायल कर दिया था ? यदि हां, तो अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

दिनांक 8/9-2-75 की रात में नहीं बल्कि दिनांक 5/6-2-75 की रात में ग्राम मदनपुर, जिला कानपुर के निवासी श्री अली जहीर के यहां डकैती पड़ने, सामान लूटे जाने तथा कुछ व्यक्तियों को मारे पीटे जाने की सूचना दिनांक 6-2-75 को थाना नरवल, जिला कानपुर पर प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 394 भा0दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना नरवल पर कायम किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये चार अभियुक्तों को पुलिस ने दिनांक 11-3-75 को गिरफ्तार किया और दूसरे दिन जेल भेजा। विवेचना प्रगति में है।

श्रीमती दया देवी, ग्राम अरहरिया, जनपद कानपुर, की हत्या

*73---श्री कैलाश सिंह तथा श्री राम रति बिन्द---

क्या सरकार को ज्ञात है कि 5 फरवरी, 1975 को थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम अरहरियापुर निवासी श्री जे0एन0 सचान की धर्मपत्नी श्रीमती दया देवी की हत्या कथित आततायी व्यक्तियों द्वारा कर दी गयी थी ? यदि हां, तो पुलिस के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

दिनांक 4-2-75 को श्री महाबीर निवासी अरहरियामऊ, कानपुर ने थाना भोगनीपुर पर इस आशय की सूचना दी कि 3/4-2-75 की रात में उनके पुत्र जगदीश नरायन की पत्नी फांसी लगाकर मर गयी है। इस सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर गयी तथा शव का पंचायतनामा कराया व उसे पोस्टमार्टम के लिये भेजा। पोस्टमार्टम से मृत्य लटकने के कारण घुटन के फलस्वरूप होना ज्ञात हुआ।

उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्र के आदेशनुसार एक मुकदमा धारा 302 भा0 दं0 वि0 का कायम किया गया है जिसकी विवेचना हो रही है।

ग्राम कुलुआ टांडा, तहसील बहेड़ी, बरेली, के ग्राम प्रधान, श्री नन्हू की हत्या

*74—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले की बहेड़ी तहसील के अन्तर्गत ग्राम कुलुआ टांडा के प्रधान जो जाटव (हरिजन) जाति के थे, की हत्या 25 जनवरी, 1975 की रात्रि को एक षड्यंत्र के द्वारा कर दी गयी जिसके सम्बन्ध में कोई ज्ञापन फरवरी, 1975 में मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26-1-75 को श्री नन्हू राम जाटव, प्रधान, ग्राम कुलुआ टांडा की पत्नी ने प्रातः 9.30 बजे थाना बहेड़ी जिला बरेली पर अपने पति के अपहरण के संबंध में रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर धारा 364 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा अंकित किया गया। श्री नन्हू राम का शव दिनांक 26-1-75 को ग्राम सीकरी के पास ईख के खेत में पड़ा पाया गया। अतः दिनांक 26-1-75 को ही मुकदमा धारा 302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित हुआ। विवेचना से 13 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा रहा है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित ज्ञापन प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

ट्यूबवेल को कनेक्शन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समाप्ति का आदेश

*75—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने ऐसा कोई आदेश अभी हाल में दिया जिसमें ट्यूबवेल और देहातों में लगने वाले कनेक्शन को हरिजन आबादी में बिजली लगने वाली स्कीमों को रद्द कर के उस विभाग को ही खत्म कर दिया गया है, जो देहातों को विद्युतीकरण के लिये बना था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

श्री बच्चन लाल दोहरे, भूमि संरक्षण अधिकारी, फर्रुखाबाद पर प्राणघातक हमला

*76—श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 दिसम्बर, 1974 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बच्चनलाल दोहरे, भूमि संरक्षण अधिकारी, फर्रुखाबाद पर प्राण घातक हमला किया गया ? यदि हां, तो क्या इन तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 18-12-74 को श्री बच्चन लाल दोहरे, भूमि संरक्षण अधिकारी, फर्रुखबाद ने थाना शमशाबाद पर सूचना दी कि उसी दिन दो नामांकित व्यक्तियों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ उन्हें व एक अन्य कर्मचारी को मारा पीटा तथा सामान आदि ले लिया। इस सूचना के आधार पर थाना शमशाबाद पर एक मुकदमा धारा 395/397/332 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया जिसमें विवेचना के पश्चात् उपरोक्त धाराओं तथा धारा 325 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई गयी।

श्री रामनौमी, ग्राम ओढ़रा सलेमपुर, आजमगढ़ की पुलिस की हिरासत में मृत्यु

*77—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत थाना रोनापार में ग्राम ओढ़रा सलेमपुर के निवासी रामनौमी हरिजन को उसी गांव के कुछ जन विरोधी व्यक्तियों ने 5 नवम्बर, 1974 को हरिजन आबादी के मसले में गम्भीर रूप से पीटा, उनकी मड़ई जलायी तथा एक झूठे मुकदमे में फंसाया ? हालत चिन्ताजनक होने के बावजूद भी पुलिस ने श्री रामनौमी का कोई उपचार नहीं किया और फलस्वरूप उनकी जान पुलिस की हिरासत में ही चली गयी ? क्या इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र मंत्री जी को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रश्नकर्ता महोदय का एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई। जांच से विदित हुआ कि दिनांक 5-11-74 को प्रातः 8.45 पर श्री दुखंती हरिजन, निवासी ग्राम ओढ़रा सलेमपुर अपने ही ग्राम के रामनौमी हरिजन को पकड़कर थाना रोनापार पर ले गये और इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि रामनौमी ने अन्य लोगों के साथ जाकर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और उन्होंने ग्राम वालों की मदद से मारपीट कर रामनौमी को पकड़ लिया तथा अन्य भाग गये। इस सूचना पर धारा 436 भारतीय दंड विधान का मुकदमा कायम किया गया और रामनौमी को हवालात में बन्द कर दिया गया। इस मुकदमें में विवेचना हो रही है।

दिनांक 6-11-74 को जेल वारंट बनने के बाद रामनौमी की हालत एकाएक खराब हो गई और पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई।

दिनांक 5-11-74 को रामनौमी के पुत्र उदय भान ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि सुबह दुखंती आदि 12 व्यक्तियों ने उस पर तथा रामनौमी पर आक्रमण किया और रामनौमी को टांग ले गये हैं। इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर धारा 147/323 भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया जो रामनौमी की मृत्यु के बाद धारा 147/392/323 भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया। विवेचना के उपरान्त सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

मृतक रामनौमी के पुत्र ने अपने प्रार्थना पत्र मे अपनी झोपड़ी जलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

मृतक रामनौमी की पुलिस हिरासत में मृत्यु की मैजिस्टीरियल जांच कराई गई। जांच कर्ता मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि थाने के किसी कर्मचारी ने रामनौमी के साथ कोई दुर्व्यवहार अथवा उपेक्षा नहीं की और उसको उपलब्ध चिकित्सीय सहायता भी प्रदान की गई थी।

श्री किशनलाल का सब-इन्स्पेक्टर, थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*78—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री किसन लाल हरिजन, पुत्र श्री जयराम, अमीनाबाद रोड, सराय फाटक, लखनऊ का दिनांक 4 फरवरी, 1975 का पत्र थाना नाका हिंडोला, लखनऊ के सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध मिला, जिसमें प्रार्थी के हाथ जलाने एवं अन्य अमानवीय कार्य करने का दोष लगाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री किशन लाल का प्रश्न में उल्लिखित आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें की गई शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी, लखनऊ से कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

*79—श्री नन्द राम —

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 53 पर स्थानान्तरित।]

*80—श्री सुक्खन सिंह—

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 50 पर स्थानान्तरित।)

अतारांकित प्रश्न

अध्यक्ष, पुलिस कर्मचारी परिषद्, देवरिया द्वारा पी० ए० सी० संघर्ष में बन्दी सिपाहियों के संबंध में गृह सचिव को पत्र

1—श्री हरिकेवल—

क्या मुख्य-मंत्री बतायेंगे कि पुलिस कर्मचारी परिषद, देवरिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ने दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को इस आशय का एक पत्र मुख्य मंत्री एवं गृह सचिव को लिखा है कि पुलिस पी0 ए0 सी0 संघर्ष में बन्दी सिपाहियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमें को जेल में न कर खुले कोर्ट में किया जाय तथा अन्य गम्भीर शिकायतों को भी लिखा है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

थाना कप्तानगंज, देवरिया में चोरी के मामले

2—श्री श्रीनारायण—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के थाना कप्तानगंज में अक्तूबर, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक चोरी की कितनी नामजद रिपोर्ट प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाहियां की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

देवरिया जिले के कप्तानगंज थाने पर 1 अक्टूबर, 1974 से 31 दिसम्बर 1974 तक की अवधि में चोरी (नकबजनी सम्मिलित) की 13 नामजद रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से दो रिपोर्टों में उल्लिखित मामलों की विवेचना नहीं की गई। शेष 11 रिपोर्टों से संबंधित मामलों में विवेचना की गई जिसके फलस्वरूप 6 मामलों में चालान किए गए व 5 में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

श्री सीताराम शुगर मिल, बैतालपुर, देवरिया के भूतपूर्व श्रमिक, श्री भगवान लाल के घर पर मिल प्रबन्धक द्वारा हमला

*3—श्री हरिकेवल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के थाना गौरी बाजार के अन्तर्गत 10 नवम्बर, 1974 को लाठी, बल्लम से लैस हो चीनी मिल बैतालपुर के प्रबन्धकों ने एक भूतपूर्व श्रमिक के घर का ताला तोड़कर कीमती सामान उठा ले गये? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 10-11-74 को श्री सीताराम शुगर मिल, बैतालपुर, देवरिया, के भूतपूर्व श्रमिक, श्री भगवान लाल के घर पर मिल के प्रबन्धक द्वारा सशस्त्र गण्डों आदि सहित हमला करके जेवर आदि लूट लिये जाने तथा मारपीट किये जाने की लिखित सूचना थाना गौरी बाजार, देवरिया पर प्राप्त हुई।

उक्त सूचना के आधार पर धारा 395/397/354 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। विवेचना से डकैती का आरोप सही नहीं पाया गया। अतः विवेचना के बाद मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

1970 में बर्खास्त अथवा निलम्बित राजपत्रित अधिकारी

4—श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन राजपत्रित अधिकारियों को 17 फरवरी, 1970 से 2 अक्टूबर, 1970 तक की अवधि में सेवामुक्त, बर्खास्त या निलम्बित किया गया और इनमें किन-किन को पुनः बहाल किया गया व कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अभी तक जो सूचना एकत्र हो सकी है उसके अनुसार वांछित सूचना †संलग्नक 'क' में दी गई है। अभी 50 अनुभागों से सूचना प्राप्त होनी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों के गावों का विद्युतीकरण

5—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चौथी योजना के पूर्ण होने तक आठों पर्वतीय जनपदों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और कितने गांव पांचवीं योजना के लिये, जिलेवार संख्या भी देने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौथी योजना के पूर्ण होने तक (31 मार्च, 1974 तक) आठों पर्वतीय जनपदों में 1271 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था और पांचवी योजना अवधि में 1900 ग्रामों का विद्युतीकरण का प्रस्तावित लक्ष्य अनन्तिम है, जिनकी जिलेवार संख्या निम्नवत् है:—

जनपद	चौथी योजना के पूर्ण होने तक	पांचवी योजना में प्रस्तावित
1—देहरादून	161	120
2—नैनीताल	497	310
3—अल्मोड़ा	214	260
4—पिथौरागढ़	60	250
5—उत्तरकाशी	25	175
6—चमोली	112	235
7—पौड़ी गढ़वाल	132	370
8—टेहरी गढ़वाल	70	180
योग ..	1271	1900

†छापी नहीं गई।

गोरखपुर में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय धन के दुरुपयोग एवं चोरी के सम्बन्ध में दर्ज कराये गये मामले

6—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि जनपद गोरखपुर के हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी व कर्मचारियों की ओर से सन् 1971 से अब तक कुल कितने पुलिस केस विभागीय धन के दुरुपयोग एवं चोरी के सन्दर्भ में दर्ज कराये गये? इनमे से कितनों की चार्जशीट अदालत को भेजी गयी तथा किन-किन के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट की विवेचना जारी है तथा इस विलम्ब के कौन-कौन कारण हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

वर्ष 1971 से अब तक विभागीय धन के दुरुपयोग एवं चोरी से सम्बन्धित दस मामले पुलिस को भेजे गये, जिनमें से केवल तीन मामले पुलिस थानों में दर्ज हुये । शेष सात मामलों के सम्बन्ध में जांच करने पर पाया गया कि उनके विषय में सम्बन्धित थानों में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। जो तीन मामले पुलिस में दर्ज हुये उनमें से दो मामलों में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाई जा चुकी है तथा एक मामला अभी विवेचनाधीन है। यह मामला श्री एस0 बी0 शर्मा, प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक, एम0 आर0 डी0 जनता इन्टर कालेज फरेन्दा आनन्दनगर द्वारा किये गये रु0 29,500 के गबन के सम्बन्ध में है, जो थाना फरेन्दा में अपराध संख्या 81 धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कायम किया गया। इसकी रिपोर्ट 18 मार्च, 1972 को की गई थी।

शासन ने उन सभी मामलों में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच के आदेश दे दिये थे जिनके विषय में पुलिस के सामने तफतीश चल रही थी या जिन थानों में मुकदमें नहीं दर्ज किये गये थे। इसके अतिरिक्त सी0 आई 0 डी0 की जांच के दौरान अन्य अनियमितताएं पाने पर भी मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दे दिये गये हैं। चूंकि पुलिस से जांच का काम वापस लेकर सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है, अतः जांच में देर हुई है।

7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित।]

कानपुर जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज डकैती तथा कत्ल के मामले

8—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थानों में जनवरी, 1974 से अगस्त, 1974 तक अलग-अलग कितनी डकैतियां पड़ीं और कितने कत्ल हुये ? क्या यह सही है कि कानपुर जिले में अपराधों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कानपुर जिले के विभिन्न थानों पर जनवरी, 1974 से अगस्त, 1974 तक दर्ज डकैती तथा हत्या के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

कानपुर जनपद में अपराधों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में किये गये सामान्य उपायों के अतिरिक्त वांछित डकैतों की सूची तैयार करके प्रत्येक थाने को भेजी गयी तथा उनकी गिरफ्तारी के लिये विशेष प्रयास किया गया। जहां पर अपराधों में वृद्धि हुई वहां पर सघन गश्त के लिये विशेष पुलिस तैनात की गयी। क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक भ्रमण करें। ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को शस्त्र लाइसेन्स देने हेतु उदारतापूर्वक संस्तुति की जाती है। 169 जाप्ता फौजदारी में छोड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी निगरानी की जाती है और ऐक्टिव लिस्ट पर लाये जाते हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 948 पर।)

ग्राम मामूरीपुर, थाना डेरापुर, कानपुर निवासी लाला रामपाल की मृत्यु

9—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थाना डेरापुर के अन्तर्गत ग्राम इंजुवारामपुर में माह सितम्बर, 1974 में किसी व्यक्ति की लाश पेड़ पर लटकती हुयी मिली है, यदि हां, तो उसकी मृत्यु का कारण क्या था तथा पंचनामा में उसके बदन पर कौन-कौन चोटें थीं ? मृत्यु के कारण मिल गये और पोस्ट मार्टम में कौन-कौन सी चोटें मृत्यु का कारण पायी गयीं ? क्या यह भी सही है कि पंचनामा और पोस्ट मार्टम में चोटों का अन्तर है ? यदि हां, तो इसमें दोष किसका है तथा स्थानीय पुलिस ने उक्त लाश के सम्बन्ध में क्या पता लगाया और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 11-9-74 को थाना डेरापुर, कानपुर पर इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मामूरीपुर के हार में जामुन के पेड़ की डाल पर एक व्यक्ति लटका हुआ मृत हालत में पाया गया। इस सूचना पर थाने से एक सब-इन्सपेक्टर तथा अन्य कर्मचारी घटनास्थल पर गये तथा मृत व्यक्ति का पंचायतनामा कराया व शव को पोस्ट मार्टम के लिये भेजा। पंचायतनामें से जाहिरा कोई चोट नजर नहीं आई और न ही पोस्टमार्टम से कोई चोट पाई गयी। जांच से उक्त मामला आत्म हत्या का पाया गया। अतः जांच अंतिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त की गयी।

जांच से यह विदित हुआ कि मृतक, लाला राम पाल गढ़वा थाना मंगलपुर, कानपुर का निवासी था।

अन्य प्रश्न नहीं उठता।

10—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[13-3-75 को तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर उत्तरित।]

सेवायोजन कार्यालयों में अंकित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या एवं उन्हें बेकारी भत्ता

11—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 तक शिक्षित और अशिक्षित बेकार व बेरोजगार व्यक्तियों की सेवा योजना कर्मचारियों के पंजीकरण के अनुसार अलग-अलग संख्या क्या है तथा उन्हें रोजगार देने की क्या-क्या योजनायें हैं ? क्या बेकारी भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण के अनुसार 31-12-74 को शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 3,99,653 थी। ऐसा कोई सांख्यकीय परिलेख नहीं रखा जाता है जिससे अशिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े अलग से निकाले जा सकें।

2—सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों को रोजगार देने की कोई योजना नहीं है। परन्तु वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय सहायता के द्वारा 'हाफ-ए-मिलियन जॉब्स' कार्यक्रम चलाया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार 16,629 व्यक्तियों को वर्ष 1974-75 तक रोजगार (स्वतः रोजगार को सम्मिलित कर) में लगाया गया। 1974-75 में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित "इम्प्लायमेन्ट प्रोमोशन प्रोग्राम" के अन्तर्गत प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को स्वतः रोजगार में लगाने के लिये 340 लाख रु0 का परिव्यय स्वीकृत हुआ था। अतः उपरोक्त लागत की 20 स्वतः रोजगार एवं एक प्रशिक्षण योजना बनाकर गत वर्ष कार्यान्वित की गयी थी। स्वतः रोजगार योजनाओं में 16,718 तथा प्रशिक्षण योजना में 48 व्यक्तियों को वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिलों में रोजगार में लगाने का लक्ष्य था।

परन्तु 340 लाख रु0 के स्वीकृत परिव्यय के समक्ष 125 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता विलम्ब से प्राप्त होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति में वांछित प्रगति नहीं हो सकी।

3--बेरोजगारों को बेकारी भत्ता मुख्यत: आर्थिक कठिनाइयों के कारण देना सम्भव नहीं है।

12--श्री हरिकेवल--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

स्कूटर आबंटन में स्टेट डिस्क्रीशनरी कोटे का विवरण

13--श्री जफर आजमी तथा श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट डिस्क्रीशनरी कोटा से राज्य सरकार किन लोगों को स्कूटर एलाट कर सकती है और इस सिलसिले में कितनी और कौन-कौन कैटेगरी सरकार ने बनाई है? तथा इन विभिन्न कैटेगरीज के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1974 से 31 जनवरी, 1975 तक समस्त उत्तर प्रदेश में कितने स्कूटर एलाट किये गये हैं और देवरिया जिले में इसी अवधि में कितने स्कूटर एलाट किये गये हैं?

श्री राज मंगल पांडेय--

राज्य के डिस्क्रिशनरी कोटे से आवेदकों के राजनैतिक आर्थिक व सामाजिक स्तर को देख कर तथा आवश्यकताओं को आंक कर सरकार सभी लोगों को स्कूटर आवंटित करती है। प्रश्नगत अवधि में पूरे प्रदेश में 1620 स्कूटर आवंटित किए गए। इसी अवधि में देवरिया जिले में 138 स्कूटर आवंटित किए गए।

गोरखपुर-चौरीचौरा मार्ग पर ट्रक दुर्घटना

14--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 22 नवम्बर, 1974 को जनपद गोरखपुर से लगभग बीस किलोमीटर दूर चौरीचौरा जाने वाली कोई ट्रक खड्ड में गिर गयी? यदि हां, तो कितने लोग मरे तथा कितने आहत हुये?

श्री राज मंगल पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अगस्त से नवम्बर, 1974 के मध्य इलाहाबाद जिले में हुई डकैती एवं कत्ल की घटनाएं

15--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, 1974 से 15 नवम्बर, 1974 के मध्य जनपद इलाहाबाद में कुल कितने कत्ल तथा डकैती की घटनायें घटित हुयी? यह अपराध किन-किन थानों के अन्तर्गत हुये तथा क्षतिग्रस्त लोग कौन-कौन थे?

श्री राज मंगल पांडेय--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 946-953 पर।)

परिवहन विभाग द्वारा कतिपय मार्गों का राष्ट्रीयकरण

16--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में कितने किलोमीटर मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और प्रस्तावित मार्ग कौन-कौन से हैं?

श्री राज मंगल पांडेय---

इस समय 1698 किलोमीटर मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मार्गों के नाम निम्नलिखित हैं :---

1---अलीगढ़---खैर---टप्पल
2---लखनऊ---हरदोई---शाहजहांपुर
3---मुरादाबाद---काशीपुर---रामनगर
4---बांदा---बबेरू
5---एटा---फर्रुखाबाद
6---मेरठ---बुलन्दशहर
7---अलीगढ़---अनूपशहर वाया दिबई
8---शाहजहांपुर---निगोही---बीसलपुर
9---पीलीभीत---बीसलपुर---बिलसन्डा
10---सीतापुर---हरदोई
11---उन्नाव---हरदोई
12---सहारनपुर---दिल्ली
13---नगीना---धामपुर---कालागढ़
14---बिजनौर---नजीबाबाद वाया कीरतपुर
15---बरेली---बदायूं---कासगंज
16---इटावा---मैनपुरी वाया कड़हल
17---वाराणसी---सैदपुर
18---कैराना---दिल्ली---शामली
19---बदायूं---बिलसी---सहासवां
20---गढ़मुक्तेश्वर---बुलन्दशहर
21---हापुड़---किठोर

17---श्री अंगने लाल---

[11वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

पुलिस चौकी रज्जाक मुरादाबाद, के लिये भवन निर्माण

18---श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला मुरादाबाद में थाना अमरोहा में पुलिस चौकी रज्जाक जो कई वर्षों से टूटी पड़ी है उसके निर्माण का कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

पुलिस थानों एवं चौकियों के पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत पुलिस चौकी रज्जाक को समाप्त कर दिया जायेगा। अतः इस चौकी की नई इमारत बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में गरीबी केन्यूनतम स्तर के नीचे का प्रतिशत

19---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितनी प्रतिशत जनता गरीबी की लाइन के नीचे स्तर पर जी रही है तथा कितने रुपये प्रति माह व्यय योग्य आय को गरीबी का स्तर माना गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वर्ष 1960--61 के भावों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम मासिक उपभोग व्यय 20 रु0 माना गया है। उक्त माप दण्ड के अनुसार प्रदेश की 61 प्रतिशत जनसंख्या प्रति व्यक्ति उपभोग के न्यूनतम स्तर के नीचे थी जिसमें 63 प्रतिशत ग्रामीण जनता तथा 45 प्रतिशत नगर के निवासी थे।

वाराणसी में अधिकारियों द्वारा सरकारी गाड़ियों का घरेलू कार्यों में उपयोग

20---श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी नगर में 26 से 30 सितम्बर, 1974 के बीच विभिन्न थानों में सरकारी गाड़ियों का अधिकारियों द्वारा पारिवारिक प्रयोग की रिपोर्ट लिखायी गयी थी और गाड़ियों को थाने में सुपुर्द कर दिया गया था? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 से 30 सितम्बर, 1974 के बीच वाराणसी नगर में केवल थाना दशाश्वमेघ पर दिनांक 26--9--74 को तीन सरकारी गाड़ियों के सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित आशय की दो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। तीनों सरकारी गाड़ियां संबंधित अधिकारियों अथवा गाड़ी के ड्राइवर की सुपुर्दगी में दी गयीं। इस बारे में समुचित कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है।

भाटपार रानी, देवरिया में पुलिस एवं प्रदर्शनकारी छात्रों में संघर्ष एवं गिरफ्तारी

21---श्री श्रीनारायण---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 3--10--74 को देवरिया जिले में भाटपार रानी में कितने प्रदर्शनकारी छात्र गिरफ्तार किये गए तथा उन पर कौन-कौन सी धारायें लागू की गईं और उनकी जेल से रिहाई कब और किस शर्त पर की गई? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 3--10--74 को भाटपार रानी में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किसके आदेश से कितनी राउंड गोलियां चलीं और उसमें किसको-किसको चोटें लगीं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

दिनांक 3--10--74 को भाटपार रानी, जिला देवरिया में हुई घटना के सम्बन्ध में 11 छात्रों को धारा 147/427/332 भा0 दं0वि0, 120/127/128 रेलवे ऐक्ट तथा 37 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। सभी गिरफ्तार छात्र 17--12--74 तक इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिये गये कि जब कभी न्यायालय आदेश दे, वे वहां उपस्थित होंगे। गोली चलाने का आदेश परगना मजिस्ट्रेट सलेमपुर ने दिया था। 20 राउण्ड गोलियां चलाई गईं जिसके फलस्वरूप एक छात्र श्री रवीन्द्र, पुत्र हर दयाल को साधारण चोट लगी।

मुन्डेरा बाजार, गोरखपुर में उप विद्युत्-गृह की स्थापना

22---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार के स्थान राजधानी, अड्डा मोतीराम, बरही आदि में उप विद्युत् गृह स्थापना हेतु मार्च, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक कितने प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं और उन पर शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां, शासन को प्रश्नकर्ता महोदय के 18 जुलाई, 1974 के 2 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिन्हें राज्य विद्युत परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

राजधानी, जिला गोरखपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत् उपगृह के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है और उस पर निर्णय लिये जाने की ओर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अड्डा मोतीराम एवं बरही में भी एक विद्युत उपगृह पांचवीं पंच वर्षीय योजना काल में बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। सर्वेक्षण के उपरान्त यदि प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की अंकतालिकाओं में सचिव की मोहर

23—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के दूसरे गुरुवार, दिनांक 2 जनवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 28, नत्थी (ख) द्वारा पूछे गये प्रश्न के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांच किन-किन बातों की हो रही है तथा कौन-कौन तथ्य प्रकाश में आये हैं एवं कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि अंकतालिकाओं पर कुल सचिव के नाम की मुहर लगाने की प्रथा 1971 की परीक्षा तक थी। 1972 की परीक्षा से अंकतालिकायें कुल सचिव या उपकुलसचिव (परीक्षा) या सहायक कुल सचिव (परीक्षा), अथवा प्राचार्य के हस्ताक्षर से दी जा रही हैं। माननीय सदस्य ने जो कुलसचिव की मुहर लगी सादी अंक तालिका शासन को भेजी थी, उसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति से जांच करने का अनुरोध किया गया था। कुलपति ने सूचित किया है कि मामले में जांच की जा रही है।

देवरिया जनपद के कसया व भाटपार रानी क्षेत्रों में छात्रों पर गोली कांड में गिरफ्तारियां व जांच

24—श्री हरिकेवल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में कसया तथा भाटपार रानी में छात्रों पर 3 व 4 अक्तूबर; 1974 की गोली कांड में कितने छात्र गिरफ्तार किये गये तथा कितने छात्रों पर वारन्ट हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 3-10-74 को भाटपार रानी जिला देवरिया में हुई घटना के सम्बन्ध में 11 छात्र गिरफ्तार किये गये तथा किसी भी अन्य छात्र के विरुद्ध वारंट नहीं है। दिनांक 4-10-74 को कसया में हुई घटना के सम्बन्ध में 3 छात्र गिरफ्तार किये गये तथा 13 छात्रों के विरुद्ध वारंट हैं।

25—श्री हरिकेवल—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि हाल ही में हुए कसया गोली कांड की जांच के लिये राज्य सरकार ने जो जांच आयोग नियुक्त किया है उसकी जांच की प्रगति क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कसिया गोलीकांड की जांच में दिनांक 10-2-75 को पत्रकारों द्वारा आयोग को लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किये गये तथा 11-2-75 को आयोग द्वारा जांच विधि प्रक्रिया निर्धारित की गई। प्रथम पक्ष के साक्ष्य 3-3-75 से 5-3-75 तक लिये गये हैं।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के बंगले की कृषि योग्य भूमि की उपज का विवरण

26—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद के बंगले में कितनी एकड़ भूमि है और सन् 1972, 1973, 74 तथा 75 में इस जमीन पर कितने मूल्य का गेहूं, चना, धान आदि फसल इस बीच में पैदा की गई और इन फसलों द्वारा की गई आमदनी का कुल कितना रुपया कहां जमा किया गया ? 1972 से 1975 तक का अलग-अलग विवरण बतलाने की कृपा की जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के बंगले में लगभग एक एकड़ भूमि कृषि योग्य है। वर्ष 1972–73 में लगभग 8 क्विन्टल गेहूं पैदा हुआ जो जिलाधिकारी द्वारा निजी उपयोग में लाया गया। अन्य फसले नगण्य मात्रा में हुयी थीं या केवल इतनी थी जो व्यक्तिगत उपयोग के लिये भी पर्याप्त नहीं थीं। वर्ष 1973–74 में 1/2 एकड़ के क्षेत्रफल में गेहूं बोया गया था। गेहूं अल्प मात्रा में पैदा हुआ था। इसके अलावा 4 मन धान पैदा हुआ था। यह सब जिलाधिकारी द्वारा निजी उपयोग में लाया गया। वर्ष 1974–75 की रबी की फसल अभी तैयार नहीं है। खरीफ की फसल में प्राय: 6 मन धान, 10 किलो उरद एवं 5 किलो मूंग पैदा हुआ था जो जिलाधिकारी द्वारा निजी उपयोग में लायी गयी।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. 954—964 पर।)

उरई नगर में स्थानीय पुलिस द्वारा श्री विष्णु दत्त शर्मा के साथ किये गये कथित अमानुषिक व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नं0 6। दिनांक 20–3–75 को उरई नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के साथ किये गये कथित अमानुषिक दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

वित्तमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दिनांक 20–3–75 को श्री दुर्गा चरन निवासी मोहल्ला रामनगर, उरई ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें शिकायत की गई थी कि शिवानन्द बुन्देला नामक व्यक्ति प्रार्थी के खेत नं0 923 की पकी फसल को जबरन काटना चाहता है और सख्त झगड़ा होने का अन्देशा है। इस प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्राधिकारी, (प्रथम) ने थाना कोतवाली के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष कोतवाली के आदेशानुसार उप निरीक्षक, श्री नन्द लाल सिंह, कान्सटेबिल लक्ष्मी नारायण तथा कान्सटेबिल श्रीपाल सिंह को साथ ले कर बहवाले रपट नं0 26 रोजनामचा आम समय 11–45 बजे दिनांक 20–3–75 मौके के लिये रवाना हुए।

मौके से वापस होने पर उप निरीक्षक श्री नन्द लाल सिंह, द्वारा उसी दिन 15.40 बजे थाना कोतवाली पर दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार श्री विष्णु दत्त शर्मा 10-12 मजदूरों सहित खेत कटवा रहे थे और कटी हुई फसल को पास में स्थित अपने कमरे के बरामदे में रखवा रहे थे। उपनिरीक्षक श्री नन्द लाल सिंह द्वारा नाम पता पूछने पर श्री विष्णु दत्त शर्मा ने श्री दुर्गा चरन तथा पुलिस को गालियां दी। उपनिरीक्षक ने श्री दुर्गा चरन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वे कोतवाल साहब के आदेश से जांच के लिये आए हैं। इस पर श्री विष्णु दत्त् शर्मा ने गाली देते हुए प्रार्थना-पत्र छीन कर फाड़ दिया और उप निरीक्षक से लिपट गए तथा उनका रिवाल्वर छीन लिया। सूचना मिलने पर चौकी डिप्टीगंज से 3–4 सिपाही आ गये और श्री विष्णु दत्त शर्मा से रिवाल्वर प्राप्त करने में 2–4 डंडे की चोटें पहुंचाई और रिवाल्वर कब्जे में ले लिया। परन्तु रिवाल्वर का एक कारतूस गायब पाया गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उप निरीक्षक श्री नन्द लाल सिंह, श्री विष्णु दत्त शर्मा को साथ ले कर थाना कोतवाली पर वापस आये थे और उनकी रिपोर्ट पर धारा 332/353/394 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया ।

उसी दिन अर्थात् दिनांक 20-3-75 को थाना कोतवाली पर श्री विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लक्ष्मी व्यायामशाला के खेत नं0 922/1 में कटाई लगी हुई थी। लगभग 12 बजे दिन श्री विष्णु दत्त शर्मा को उनके नौकर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्री दुर्गा चरन को साथ ले कर उप निरीक्षक श्री नन्द लाल सिंह तथा 8 कान्सटेबिल खेत पर आये हैं। श्री विष्णु दत्त शर्मा के पहुंचने पर उप निरीक्षक श्री नन्द लाल सिंह ने उनके नौकरों को रोका और श्री विष्णु दत्त शर्मा को गाली दी। तदोपरान्त उक्त उप निरीक्षक तथा सिपाहियों ने श्री विष्णु दत्त शर्मा को लाठियों, डंडों व जूतों से मारा। श्री विष्णु दत्त शर्मा की रिपोर्ट पर धारा 147/323/504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा उप निरीक्षक श्री नन्द लाल सिंह तथा 8 सिपाहियों के विरुद्ध कायम किया गया।

श्री विष्णु दत्त शर्मा की उक्त रिपोर्ट में उनको सार्वजनिक रूप से जूतों से पीटते हुए तथा नगर की सड़कों से घुमाते हुए थाने पर लाने का कोई उल्लेख नहीं है। गिरफ्तारी के बाद श्री विष्णु दत्त शर्मा को रिक्शे पर बिठा कर थाना कोतवाली लाया गया था।

सूचना प्राप्त होने पर कोतवाली में जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी प्रथम भी पहुंच गए थे। श्री विष्णु दत्त शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया गया तथा उनको डाक्टरी परीक्षण के लिये सदर अस्पताल भेजा गया।

डाक्टरी परीक्षा से श्री विष्णु दत्त शर्मा को 18 चोटें आना पाया गया। सभी चोटें साधारण हैं। कान्सटेबिल श्री पाल सिंह को भी डाक्टरी परीक्षण से 4 साधारण चोटें आना पाया गया।

उक्त दोनों मुकदमों की विवेचना थानाध्यक्ष कोतवाली द्वारा तुरन्त आरम्भ की गई। उसी दिन रात्रि में क्षेत्राधिकारी, तृतीय, के वापस आने पर दोनों अभियोगों की विवेचना उन्हें सौंप दी गई। शासन के द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार इन दोनों मुकदमों की विवेचना अब अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

उप निरीक्षक श्री नन्द लाल सिंह तथा कान्सटेबिल लक्ष्मी नारायण और कान्सटेबिल श्री पाल सिंह जो थाना कोतवाली से उप निरीक्षक के साथ गए थे एवं चार अन्य कान्सटेबिलों के जो विवेचना के प्रकाश में आए, दिनांक 23-4-75 को पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया था। इन सभी कर्मचारियों ने दिनांक 24-3-75 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा ये न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गये। इस घटना के संबंध में श्री नन्द लाल सिंह सब-इन्सपेक्टर तथा 6 पुलिस कान्सटेबिलों को निलम्बित कर दिया गया है।

इस घटना के बारे में जिला अधिवक्ता संघ जालौन द्वारा दिनांक 21-3-1975 को प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें श्री विष्णु दत्त शर्मा के साथ किये गये कथित अभद्र व्यवहार तथा मारपीट के प्रति पुलिस प्रशासन की भर्त्सना की गई थी। इस घटना की जांच आयुक्त, झांसी मण्डल द्वारा कराने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

मान्यवर, इस वक्तव्य में एक स्थान पर श्री नन्दलाल सिंह, उप निरीक्षक लिखा है और दूसरे स्थान पर श्री नन्दलाल सिंह, सब इंसपेक्टर लिखा है, तो क्या ये दो व्यक्ति हैं उसी नाम के या अलग-अलग व्यक्ति हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सब इंसपेक्टर का हिन्दी अनुवाद है "उप निरीक्षक"।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, श्री विष्णुदत्त शर्मा वहां के एक एडवोकेट हैं और हमारे भारतीय लोक दल के नेता हैं, तो मैं चाहता हूं कि प्रश्न करने के पूर्व 18 चोटों के सम्बन्ध में इन्जरी रिपोर्ट क्या है, उसे माननीय मंत्री जी बतला देने की कृपा करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन्जरी रिपोर्ट में लिखा है—काज्ड बाई हार्ड ब्लंट वीपन्स ड्युरिंग दि स्कफिल।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्री विष्णु दत्त शर्मा ने जो शिकायत की और उसकी जो रिपोर्ट दर्ज करायी वह केवल 323, 504 और 506 धारा में दर्ज है जब कि चोटों से सम्बन्धित धारा 323 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 18 चोटें जो हैं और काज्ड बाई ब्लंट विपन्स हैं, तो क्या कारण है कि धारा 323 को 325 और 326 में अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया है जबकि श्री विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध 394 की रिपोर्ट लिखी गयी है, उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नयी धारा लिखने के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उस पर कानूनी विचार कर लिया जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

20 मार्च की यह घटना है और इस तरह से तीन सप्ताह हो गये, तो अब तक इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? इसमें किसका लैप्स है ? मेरा आरोप है कि स्थानीय पुलिस अधीक्षक, इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि श्री विष्णु दत्त शर्मा एक सम्भ्रान्त परिवार के व्यक्ति हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। और इसलिये जनमत को देखते हुये, जनता की मांग को देखते हुए जो सुझाव समय-समय पर दिये गये, उन पर शासन ने उचित निर्णय लिया। सी0 आई0 डी0 की बात की गयी तो सी0 आई0 डी0 को दी गयी और कमिश्नर की बात कही गयी तो कमिश्नर जांच कर रहे हैं, इसके बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्पष्टीकरण में लिखा है कि उनको 2–4 चोटें आयीं। इसके बाद डाक्टर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 18 चोटें आयीं। तो जैसा पहले कहा गया है कि 2–4 चोटें आयीं, तो यह जो 15–16 और चोटें हैं क्या श्री विष्णु दत्त शर्मा जी ने खुद अपने मार लीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं समझा नहीं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

आप ने जो यह स्पष्टीकरण दिया है इसमें हैं कि रिवाल्वर के लिये उनको 2–4 चोटें आयीं। लेकिन आगे कहा गया है, डाक्टर की जो रिपोर्ट हैं, उसमें है कि श्री शर्मा के 18 चोटें आयीं। तो जो बाकी चोटें आयीं तो क्या उनको शर्मा जी ने खुद मार लिया था या फिर यह किस तरह लगीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, विद्वान सदस्य कृपा करके सहानुभूति पूर्वक इसको पढ़ेंगे तो देखेंगें कि पहले जो 2–4 डंडे की चोट की बात कही गयी है वह श्री नन्द लाल सिंह ने जो रिपोर्ट लिखायी उसके अनुसार है। इसके बाद एक रिपोर्ट श्री विष्णु दत्त शर्मा जी ने भी लिखायी है। तो इस तरह से दोनों रिपोर्टों का जिक्र है। पहले पैराग्राफ 2 में जो जिक्र है वह नन्दलाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार है। पैराग्राफ 4 में जो कहा गया है वह श्री शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार है। आखिर में जो लिखा है वह वास्तविक तथ्य हैं। 18 चोटें डाक्टरी परीक्षा में बतायी गयीं।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं 2–3 बातों को मंत्री जी से जानना चाहता हूं। श्री दुर्गा चरन, जिन्होंने रिपोर्ट लिखायी यह कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं या साधारण आदमी हैं। इन्होंने रिपोर्ट लिखायी कि कोई बुंदेला है जो इनके खेत को काट रहे हैं। तो बजाय बुंदेला तक पहुंचने के पुलिस और जगह पहुंच गयी। और इसके बाद पुलिस ने विष्णु दत्त शर्मा पर इतना बड़ा आघात पहुंचाया। और भी बहुत सी बातें हैं जो मंत्री जी जानते होंगे। उनको बाजार में निकाला गया, उनकी इन्सल्ट की गयी, घुमाया गया। तो यह सब बातें तो पता होंगी। यह सब किये जाने के बावजूद उनको केवल सस्पेंड कर दिया तो क्यों जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं बैठायी गयी जबकि इतना इम्पार्टेंट केस हुआ है। आपने जांच कमिश्नर को दे दिया ताकि सरकारी तरह से मामले की जांच हो ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, दुर्गा चरन जिन्होंने यह शिकायत लिखायी वह कलेक्टरी में कोई पेशकार हैं या लिपिक हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

पेशकार हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो उन्होंने रिपोर्ट लिखायी। जो इस संबंध में शिवानन्द बुन्देला हैं वह लक्ष्मी व्यायामशाला में काम करते हैं। इस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वह सत्य हैं या असत्य हैं इनको मैं कह नहीं सकता। हुआ यह कि शिवानंद बुंदेला के खिलाफ शिकायत की गयी कि यह खेत काटना चाहते थे। शर्मा जी से नाम पूछने पर यह हुआ। इसमें यकीन की बात नहीं हो सकती है कि वह नाम जानते थे या नहीं। उन्होंने पूछा कि बुन्देला कहां है। नाम पूछने पर यह हुआ। जहां तक कमिश्नर के द्वारा जांच का सवाल है जो सूचना मेरे पास है उसके आधार पर माननीय श्री चतुर्भुज शर्मा जी ने एक पत्र 29 मार्च को मुख्य मंत्री को लिखा और उसी में उन्होंने इस प्रकार की जांच की मांग की थी। आयुक्त के जरिये, उसी आधार पर जांच मंजूर हुयी है और कमिश्नर की जांच मंजूर हुयी है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट सब-इन्सपेक्टर ने लिखायी उसमें अपने और 2 कान्स-टेबिलों का नाम लिखाया है। विवेचना से साबित हुआ कि 7 आदमी गये थे और सब-इन्स-पेक्टर लिखाता है 3, तो एक तो वह सरासर झूठ बोलता है। दूसरी बात एक्स मिनिस्टर का लड़का जिसने प्रेक्टिस की है और पब्लिक वर्कर है उसके साथ यह बर्ताव है कि दिन दहाड़े यह बात होती है। झूठा चार्ज लगाया जाता है कि उसने रिवाल्वर छीन लिया। तो 7 पुलिस वालों से रिवाल्वर छीन ले यह भी झूठ बात है। इसलिये पुलिस का सारे सूबे में यह एटी-ट्यूड है। इसी प्रकार एक आदमी को खुली गोली से मार दिया गया और उसकी विडो की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। उसके चौकीदार को बुलाकर पहले रिपोर्ट लिखा ली जाती है, लेकिन विडो रिपोर्ट रात को लिखाने आयी तो नहीं लिखी गयी। यह पुलिस का अन्याय हो रहा है। इसलिये मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस के इस एटीट्यूड के क्या कारण हैं ? उस पर क्या विचार करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जहांतक इस केस से संबंधित माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न किया, यह ठीक है कि वर्तमान रिपोर्ट में उप निरीक्षक, नन्द लाल सिंह ने कान्स्टेबिलों की संख्या कम दर्ज की। विवेचना से मालूम हुआ कि और कान्स्टेबिल उसमें थे। इसलिये उन पर कार्यवाही की गयी और निलम्बित किया गया।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि इससे इनके कान खड़े होते हैं कि नहीं। सब-इन्सपेक्टर शहर के अन्दर एक रेस्पेक्टेबिल आदमी के साथ अन्याय करता है तो उसकी हिम्मत यह क्यों हुई? इसी प्रकार दूसरे केस में जबरदस्त लोगों से मिलकर उस आदमी को शूट करवा दिया गया और उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिये पुलिस का जो यह रवैय्या हो रहा है उस पर आपको चिन्ता हो रही है कि नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने जब इन वाक्यों का उच्चारण किया, तो मुझे 1960-61 की बात याद आ रही थी, जब यह विचार पुलिस कमीशन के मेम्बरों को सम्बोधित करते हुये व्यक्त किये थे। चौधरी साहब जब गृह मंत्री थे तो इन बातों की जांच करने के लिये पुलिस के रवैय्ये की, पुलिस की कठिनाई की और उनकी सेवा शर्तों की जानने के लिये कमीशन बैठाया था। मुझे भी एक सदस्य उसमें होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें प्रश्न हुआ था कि अजित प्रसाद का कमीशन आगे चलाया जाय कि नहीं। तो गृह मंत्री ने कार्यालय में आकर कहा था कि चूंकि यही बातें पुलिस की चिन्ता का विषय है इसलिये अजित प्रसाद कमीशन चलना चाहिये। इस प्रश्न पर जो पुलिस की गल्तियां होती हैं, पुलिस का व्यवहार क्यों ऐसा है, उस पर समय-समय पर विचार होता रहता है। उस कमीशन ने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों है और सुझाव दिया। दूसरा पुलिस कमीशन गंगेश्वर प्रसाद का बैठा जिसने इस पर विचार किया। यह प्रश्न ऐसा है जो इस समय स्थिति है उससे संबंधित नहीं है। इससे सम्बन्ध नहीं है। यह सामान्य विषय है। हमारे देश और प्रदेश का ही प्रश्न नहीं है, सारे संसार का प्रश्न है। जो माननीय नेता विरोधी दल की चिन्ता है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। जो पुलिस कमीशन ने समय-समय पर रिपोर्ट दी है जिसको आपने बनाया उसकी रिपोर्ट को हम लागू करने की चेष्टा करते रहे हैं। सवाल यह जरूर है कि पुलिस की ट्रेनिंग क्या हो? पुलिस कांस्टेबिल तथा सब-इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग क्या हो? यह सवाल मिले जुले हैं और नेता विरोधी दल के सहयोग से इनका हल निकाल सकेगा।

चौधरी चरण सिंह---

माननीय मंत्री ने हवाला दिया दो कमीशनों का। एक तो तब बैठा था जब 61 में मैं होम मिनिस्टर था। 61 के कमीशन की रिपोर्ट को मैंने दो महीने में इम्पलीमेन्ट करा दी थी बजाय 10 साल के। 70 वाले की रिपोर्ट मेरे सामने आई नहीं। 70 के कमीशन ने यह रिपोर्ट दी कि पोलिटिकल लोगों का इंटरफियरेंस है। इसमें कानून की खराबी नहीं है। खराबी जो है वह सब सरकार के अन्दर है। मसलन मैं कई दफा कह चुका हूं जब तक सरकार निष्पक्ष नहीं रहेगी तब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल सकता। कांग्रेस के एम0 एल0 एज0 ने एक ईमानदार एस0पी0 के खिलाफ शिकायत की और उसका ट्रान्सफर हो गया। अब इसमें कोई कमीशन क्या करेगा? कानून में आप इसके लिये क्या तरमीम करेंगे? इसे तो होम मिनिस्टर तथा चीफ मिनिस्टर स्वयं ही देखेंगे कि वे निष्पक्ष रहें यानी जो आदमी गलती करता है उसे सजा जरूर दी जाय और चाहे किसी की भी सिफारिश आये आप निष्पक्ष रहें। यह एस0पी0 का मामला एज मंगल पांडेय के जिले का ही था। उनसे अनेक बार मैंने कहा फिर भी उस आदमी का ट्रान्सफर हो गया। मैंने उस एस0पी0 को देखा नहीं, उसकी शक्ल को नहीं जानता मेरा कोई सम्बन्धी नहीं। उस बेचारे के साथ अन्याय किया गया और दूसरा एस0पी0 वहां जायगा तो क्या वह ईमानदारी के साथ काम कर सकेगा। यह

[चौधरी चरण सिंह]

कानून के अन्दर कहां आयेगा। यह मेरे और आपके कैरेक्टर की बात है। इस बात को आप तय करें कि सिफारिश पर काम नहीं करेंगे और इस बात का लिहाज नहीं करेंगे कि कांग्रेस मैन इंटरेस्टेड है या नहीं है किसी में, तो प्रशासन ठीक हो जायगा।

सुजाता कांड को ही ले लीजिये। सन् 67 में मैंने उस अधिकारी को जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, सस्पेंड किया था। मैं हटा और वह बहाल हो गया और अब यह कांड हो गया और उसमें यह तय नहीं हो पा रहा है कि उसकी छुट्टी देंगे। अमेरिका वह जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े अफसर इन्वाल्व हैं। क्या कोई ट्रान्सफर हुए, क्या कोई एक्शन हुआ। चीफ मिनिस्टर मिले। अखबार में छप गया कि तहकीकात हो रही है लेकिन एक्शन कोई नहीं। बस यह है कि हम किसी तरह से पावर में रहे। मैं अपने मित्र को मश्विरा देना चाहता कि सही काम करोगे तो हमेशा पावर में रहोगे, गलत काम के जरिये पावर में रहना चाहोगे तो थोड़े अर्से में वह चली जायगी। सुजाता कांड मौजूद है। इसी को देख लो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी उस पर विचार कर रहे हैं ये जो धारायें इसमें लगी हुई हैं, जब डाक्टरी मुआइना हो गया तो दफा 325 अथवा 360 में अभी तक कोई तरमीम नहीं हुई है। कायदे कानून के मुताबिक जब डाक्टरी मुआइना हो जाता है तो मकदमा एस0 पी0 या एस0 एस0 पी0 के यहां जाता है और एस0 एस0 पी0 का कर्तव्य होता है कि तुरन्त उस मुकदमे की जांच के मुताबिक तरमीम कर दी जाय जैसी चोटें हैं और जिनका डाक्टरी मुआइना हो चुका है। 325 से ज्यादा चोटें आई हैं तो उस आदमी के मुकदमें की तरमीम क्यों नहीं की गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, दो जांच हो रही हैं एक सी0 आई0 डी0 कर रही है और दूसरी कमिश्नर के द्वारा हो रही है। जो भी दफायें इसमें जोड़नी होंगी वह कर ली जायेंगी।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें लिखा है कि विष्णु दत्त शर्मा जो खेत कटवा रहे थे तो उसकी सूचना मिलने पर उप निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह दो कांस्टेबिलों श्री लक्ष्मीनारायण तथा श्री श्रीपाल सिंह मौके पर गये। इसमें यह भी लिखा है कि विष्णुदत्त शर्मा ने वह प्रार्थना पत्र फाड़ दिया और रिवाल्वर छीन ली। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन लोगों की मौजूदगी में कैसे रिवाल्वर छीन ली गई क्या इतने कमजोर आपके कांस्टेबुल थे? फिर जब ऐसा हो गया डिप्टीगंज थाने में इसकी क्यों सूचना नहीं दी गई। यह थाना वहां से कितनी दूरी पर है और वहां से थाने में आने तक कितना समय लगा? जब सूचना लेकर सिपाही थाने में आये तो ये विष्णु दत्त शर्मा तथा दरोगा जो थे, वह कहां पर थे, क्या वह भाग गये थे या वहीं पर मौजूद थे?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन, जहां तक सरकारी कार्यवाही का प्रश्न है उसके अनुसार तो ये निलम्बित कर दिये गये हैं। प्राथमिक आधार पर संतुष्टि न होनेकी वजह से ही उनको निलम्बित किया गया। दो कांस्टेबिल नन्दलाल सिंह के साथ गये थे और चार कांस्टेबिल बाद में गये थे। रिवाल्वर उन्होंने बाद में ली। यह सूचना है।

श्री राम मूर्ति---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के उच्छृंखल पुलिस आफिसर के प्रति सहानुभूति न रखते हुये जब प्राइमा फैसी केस बन गया तो उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, खाली निलम्बित ही क्यों किया?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, गिरफ्तार हो गये थे, बेल पर छूटे हैं।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह एक पेशकार का मामला था और खेत का मामला था। इन्सपेक्टर को वहां जाने का आदेश किसने दिया? दूसरे जब वे वहां गये तो जिसके खिलाफ रिपोर्ट थी वह आदमी मौजूद नहीं था तो क्यों झगड़ा किया गया? तीसरा यह कि झांसी रेंज के डी0 आई0 जी0 ने जांच के बाद क्या रिपोर्ट दी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, दुर्गाचरण, जो उरई कलेक्टोरेट में एक लिपिक हैं उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने यह शिकायत की कि शिवानन्द बुन्देला नामक व्यक्ति पकी फसल को जबरन काटना चाहता है। इस शिकायत पर क्षेत्राधिकारी ने तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये.....

श्री मधुकर दिघे—

झगड़ा जमीन का था, स्कूल का था या खेत का था? कैसे उन्होंने आदेश दे दिया? वैसे तो रोज ही झगड़े होते हैं। जब गरीब आदमी का खत काट लेते हैं तो कोई नहीं जाता और जब बड़े आदमी का खेत कटता है तो आप पुलिस भेज देते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस बात की भी जांच हो जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि दो खेतों के नम्बर दिये हैं—एक 923 और दूसरा 922/1 तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह 922/1 नम्बर का खेत भी उसी दिन कट रहा था? झगड़ा इस बात का है कि 923 की कटाई हो रही थी या 922/1 की। गवर्नमेंट की गलत दखलअन्दाजी का यह नतीजा है तो वह किस खेत की फसल कट रही थी?

(व्यवधान)

श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष जी, यह बात सही है चाहे वह एक्स—मिनिस्टर का लड़का हो, जो भी हों जो जुर्म करें, जो गलती करे चाहे वह किसी का लड़का हो, आई0 जी0 का लड़का हो या प्रधान मंत्री का चाहे किसी का लड़का हो उसको सजा मिलनी चाहिये। चाहे चौधरी साहब का लड़का हो या बहुगुणा जी का लड़का हो। आई0 जी0 का हो या डी0 आई0 जी0 का हो उसको सजा मिलनी चाहिये।

चौधरी चरण सिंह—

जो माननीय मित्र ने बात कही है यह सही है। प्रतिपक्ष भी वही चाहता है कि सारों के साथ एक सा बर्ताव हो... (व्यवधान) मैंने जो एक्स—मिनिस्टर का लड़का कहा वह इस संदर्भ में कहा कि जो सोसायटी में इतना ऊंचा स्थान रखता है, लाईयर हो तो जब उसके साथ यह व्यवहार होगा तो गरीब आदमी का क्या हाल होगा। मैंने सिर्फ यह कहा। रहा बर्ताव की बात तो यहां तो मंत्रियों की बहुओं के साथ पुलिस चलती है। (व्यवधान) क्योंकि परसनल मामला है। पुलिस की लाइन लग जाती है। हम यहां रहेंगे, हमारा घर मेरठ या बनारस होगा तो वहां भी गार्ड रहेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो यह जो विवाद ग्रस्त भूमि जो है उसका क्षेत्रफल 2.48 एकड़ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसको पढ़ने से पता चलता है.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सुन लें। एक पक्ष तो कहता है पहले 923 में कटाई हो रही थी और 923 की फसल का 922/1 की फसल बतलाकर प्रतिपक्ष काट रहा था और दूसरा कहता है कि 922/1 में कटाई हो रही थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि 923 और 922/1 की कटाई उसी दिन की जा रही थी या किस की कटाई की जा रही थी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यही विवाद है। विष्णुदत्त तो कहते हैं कि 922/1 में कटाई हो रही थी। दूसरे कहते हैं 923 में कटाई हो रही थी। .... (व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ..... (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधान सभा रक्षक हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह सवाल यहां पर नहीं उठायेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, दो साल हो गये। पहले भी यह सवाल आया था।

श्री अध्यक्ष—

यहां उठायेंगे तो आपके खिलाफ जायेगा।

श्री सत्यपाल मलिक—

इसका कोई कायदा है। यह सदन का मामला है।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन के जरिये नहीं उठाया जायेगा। हम अपने सवाल को शासक दल को समर्पित नहीं करेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक—

पहले भी यह सवाल उठा था।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

ठीक है शासक दल को नहीं देना चाहिये। लेकिन आप तो मानेंगे कि आप भी इस माननीय सदन के एक अंग हैं और मैं क्या कहूं। गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहता। मैंने मलिक जी से कहा था कि पहले स्पीकर साहब से मिल लें।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आज के लिये 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक माननीय कृष्णा राय, माननीय गिरिजा शंकर पाठक तथा माननीय रामरति विन्द ने देवरिया में अग्निकाण्ड के बारे में जो सवाल उठाया है, यह अग्निकाण्ड पर जब वक्तव्य होगा, उनमें उनका नाम जोड़ दिया जाएगा और जिस दिन वक्तव्य इस पर होगा उन्हें उस दिन देवरिया के बारे में जवाब मिल जाएगा।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, 3 लाख का नुकसान हुआ है और ....

श्री अध्यक्ष—

जब वक्तव्य दिया जाता है तो आप यह सब नहीं कहते हैं, यह मैं देख रहा हूं। एक दूसरा नियम 56 में माननीय मोतीलाल देहलवी और सत्यपाल मलिक ने उठाया है माननीय मुख्य मंत्री द्वारा तथा कथित सरकारी धन की हानि व फिजूलखर्ची के बारे में. . . . .

श्री सत्यपाल मलिक—

यह जनता के धन की बड़ी बर्बादी है, घोर दुरुपयोग है। मुख्यमंत्री द्वारा एक नया हवाई जहाज खरीदा गया और वह बेकार हो गया। वह प्रश्न उठाया गया। हालत यहां तक है कि जहां कार या ट्रेन द्वारा आसानी से जाया जा सकता है, वहां भी हवाई जहाज पर जाया जाता है। डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन के सार्टीफिकेट के बिना कोई अपना जहाज या हेलीकाप्टर मन चाहे स्थान पर उतार नहीं सकता है। इतनी जुर्रत प्रधान मंत्री की भी नहीं है कि वह बिना उसके चलें। क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। किन्तु यहां के मुख्य मंत्री अपने घर के बराबर, अपने बंगले के सामने उसको उतारते हैं। यह एक गम्भीर सवाल है, कितना खर्च एक घंटे की हेलीकाप्टर उड़ान पर आता है यह देखने की बात है। इस गरीब प्रदेश में जहां अस्पताल में दवा नहीं मिलती है, जहां कम-कम खाकर लोग मर रहे हैं, जहां पुलिया तक बनाने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है, वहां इतना फिजूल खर्च करना जनता के साथ घोर अन्याय है, यह जनता का शोषण है। मामूली स्थान पर पहुंचने के लिये, सिर्फ नक्शेबाजी और मामूली आदमी को आतंकित करने के लिये कि हम हाकिम हैं, हमारी इतनी बड़ी ताकत है, हेलीकाप्टर और जहाज पर यात्रा कर जनता की गाढ़ी कमाई के धन का दुरुपयोग करना एक बड़ी गम्भीर बात है, इसलिये इस पर बहस अवश्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी का सामान्य बजट आएगा, उस समय आपको चर्चा करने के लिये समय मिलेगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह बड़ा आवश्यक है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

जब मैं मलिक जी को सुन रहा हूं, तो आपके बोलने की क्या जरूरत है, आपने क्यों कहा। यह कोई बात पूरी तरह से सुनते नहीं है मुश्किल इस बात की है। चौधरी साहब आप इसको देखें।

चौधरी चरण सिंह—

इस बार बोल लेने दीजिए।

श्री मोतीलाल दहलवी—

मैं तो एक बात कह रहा हूं। इस सरकार ने कई बार यह कहा कि यह प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मान्यवर,. . . . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हेलीकाप्टर से जनता आतंकित होती है तो चरण सिंह जी की पार्टी को भी आतंकित करने वाला कोई काम नहीं करना चाहिये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

यही देश को खोखला कर रहे हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। सरकार अपने को आर्थिक संकट में बताती है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में आप फर्क देखिये। मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम की जो हमने आपको नकल दी है उसको आप देखें। 6 अप्रल को माननीय मुख्य मंत्री को हेलीकाप्टर के जरिए से घाटमपुर पहुंचना था। यह स्थान कानपुर से केवल 26 मील की दूरी पर है, एक घंटे में वहां कार पहुंच जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी कानपुर शहर में रहे। लेकिन वह घाटमपुर में नहीं गये। वहां पर इनके हेलीकाप्टर

[श्री मोती लाल देहलवी]

के उतारने पर तमाम खर्च किया गया। लाखों रुपया धमकाकर, प्रलोभन देकर चन्दे के रूप में वसूल किया गया, किन्तु वह सारे का सारा धन कांग्रेसी लोगों ने हजम कर लिया। माननीय मुख्य मंत्री फिर भी नहीं गये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गिरिजा शंकर ..... (व्यवधान) (माननीय गिरिजा शंकर पाठक, श्री रामरति बिन्द एवं श्री मधकुर दिघे की सूचना पर) मैं पहले कह चुका हूं कि एक सदस्य दो पर करेगा तो मैं एक नहीं करूंगा। यह नहीं हो सकता है कि दो, तीन, चार आप दें।

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने लखनऊ नगर महापालिका के अधिकारियों द्वारा असेसमेंट में पक्षपात, अनियमितता, अविवेकपूर्ण ढंग से करना यह आरोप किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय दे रहा हूं। मेरे निर्णय के बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। मैं माननीय ओम प्रकाश जी का देख रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने परसों नियम 56 का दिया था। कल वही नियम 56 में दिया, उनको स्वीकार कर लिया।

श्री अध्यक्ष—

56 नहीं स्वीकार है। कहां 56 स्वीकार है? आप बैठें। इस तरह से बिना समझे, आप बैठें, आप बैठ जायं पहले। आज स्वीकार 56 का नहीं किया। जिन माननीय सदस्यों का वक्तव्य के लिये पहले स्वीकार किया है उसमें नाम जोड़ दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने नियम 56 में परसों दिया था।

श्री अध्यक्ष—

उसमे दूसरा था।

आपने दिया कहां?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप मेरी बात सुनते नहीं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं सुनता।

आपका, यह नहीं। आप हर सवाल पर, हर जगह, आप हर वक्त खड़े रहते हैं और दूसरों का नुकसान होता है। मैं इस सदन को एक दो आदमियों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। आप समझ लें। यह मैं नहीं कर सकता। आपने समझ लिया है सस्ता उपाय है। सस्ते उपाय से नहीं करना चाहिये। मैंने पुस्तकालय में अध्ययन की अच्छी व्यवस्था की है। जो माननीय सदस्य अध्ययन करना चाहते हों वहां अच्छी तरह से अध्ययन करें।

मैं कह रहा था, पुस्तकालय में बहुत अच्छी व्यवस्था है, पठन-पाठन की। वहां आप पढ़ें और पढ़ कर सवाल बुद्धि के अनुसार उठाएं, तो अच्छा होगा। यहां हर बार खड़े होना उचित नहीं है।

श्री रणजीतसिंह "जूदेव" (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल हमारा भी है।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में नोटिस शासक दल नहीं देता है। सामान्य जानकारी है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार वह नहीं दे सकते? कोई सदस्य दे सकता है प्रस्ताव। उधर के सदस्य दें तो क्या बुराई है?

श्री अध्यक्ष--

लेकिन दिया नहीं है। दूसरे, शासक दल की तरफ से कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं होता है। यह उनको मैं कहता हूं। अधिकार तो है ही।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

शासक दल के बेचारे कभी मेम्बर उठाया करें तो डिसकरेज मत किया करें।

श्री अध्यक्ष--

भाई उनका है नहीं। माननीय राममूर्ति जी, वह तो अभी नये हैं झांसी के माननीय सदस्य माननीय रणजीत सिंह। उनको नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव"--

अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा था कि आप सदन में सब से ज्यादा समय श्री मालवीय जी को देते हैं। मुझे बुरा लग गया, मुझे भी दिया करें। मालवीय जी में क्या खास बात है?

श्री अध्यक्ष--

अगर मालवीय जी से आपको ईर्ष्या है, मालवीय जी के कारण जलन है, तो वह उपादान आप (व्यवधान).....

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे मैं आपसे आपकी एक शिकायत करना चाहता हूं। मैं अर्ज करना चाहता था, अगरचे मौका निकल गया लेकिन फिर भी गैर मुताल्लिक नहीं है। आप ही हमारी आदत बिगाड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

कैसे?

चौधरी चरण सिंह--

यहां कोई बात कही आपने फौरन उसका जवाब दिया। आपका जो डिसीशन हो जाय वह तो फाइनल होना चाहिये। आप किसी से बहस में न पड़िये। आपके आर्डर्स फाइनल होने चाहिये चाहे गलत भी हों। जहां तक प्वाइन्ट आफ आर्डर की बात है, जब आप बोल रहे हों तो कोई नहीं उठा सकता है।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव"--

यह कमरे में कह सकते हैं। यहां सीख नहीं दे सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह--

मैं यह कह रहा था कि जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकता है। एक दिन आप फार्मली क्लास ले लीजिये और यह बातें इनको बताइये।

श्री अध्यक्ष--

कुछ लोग तो यह आरोप लगाते हैं कि आप अध्यापक की तरह व्यवहार करते हैं। तो मैं अगर क्लास लूं तो मेरा बहुत समय बेकार जायेगा, लेकिन मैं उसकी तिलक हाल में व्यवस्था करा सकता हूं और माननीय नेता विरोधी दल, नेता सदन और अन्य नेता तथा जो अनुभव सिद्ध विधायक हैं उनकी सेवाओं को मैं आपके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिये इस्तेमाल करने में चूकूंगा नहीं।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव"—
लेकिन जो ट्रेनिंग चाहते हैं उनका क्या होगा ?

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—
हम जसे 4–6 लड़के हैं जिन्हें पढ़ाना है, बकिया तो सब पढ़े पढ़ाये हैं।

श्री अध्यक्ष—
माननीय शिव कुमार पांडेय ने आज ही समझदारी की बात कही है। (हंसी)

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—
जो छोटे मकान वाले हैं उनका दुगुना तिगुना असेस्मेन्ट किया जा रहा है यह सारे लोग जो आफीसर्स के यहां अप्रोच नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर मनमाने ढंग से लगाया जा रहा है। जिन लोगों की अधिक टैक्स देने की स्थिति है उन पर नहीं लगाया जा रहा है। और आज इसी चीज को लेकर आन्दोलन भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—
श्री हरिकेवल का अल्पसूचित प्रश्न का विषय है। परीक्षाओं के सम्बन्ध में अभी और आयेंगे तब सूचना मिलेगी।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—
50 करोड़ रुपये की होली जलायी जा रही है। 10 लाख रुपये से पुलिस का कैम्प लग रहा है। इसके बारे में मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष—
अल्प सूचित प्रश्न करें अथवा नियम 51 में दें।

वित्तीय वर्ष 1975–76 के आय व्ययक पर मतदान, माननीय श्रम मंत्री जी।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—
जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। करीब 300 अवांछनीय तत्व घुस गये और हमला हुआ . . . . . .

(श्री हरिकेवल बोलते ही रहे)

1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन, अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन तथा अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री राज मंगल पांण्डेय)—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,59,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,62,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,93,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84--सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,08,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि पहले हमारा जो ट्रान्सपोर्ट विभाग था वह 2 भागों में विभक्त हो गया है। एक तो राज्य सड़क परिवहन निगम और एक राज्य परिवहन विभाग। 1947 में इस विभाग की स्थापना हुई थी। उसके बाद जन सेवा सुलभ करने और सही सेवा करने का प्रश्न था। तभी से हम निरन्तर प्रगति के रास्ते पर बढ़ते चले आ रहे हैं। इस समय 4,900 बसें हमारे फ्लीट में हैं। इनके अतिरिक्त ट्रकें और टैक्सीज भी हैं। हमने अपने श्रमिकों को जिन्होंने ने कनीयति से कार्य किया है वर्ष 1973-74 में 9 1/2 प्रतिशत बोनस भी दिया है जो इस तरह के कार्य करने वाली किसी भी अन्डरटेकिंग में नहीं मिला है। इन सारे सीमित साधनों के बावजूद जबकि हमारा 30 करोड़ का कार्पोरेशन था इसमें भी 3 करोड़ रुपया जो हमें गवर्नमेंट आफ इन्डिया से मिलने वाला था वह 1 करोड़ 8 लाख रुपया ही होसका। यदि वे हमारी तत्काल सहायता कर सके तो हम अपनी सेवा जनहित में करने लायक हो जायेंगे। हमने अपनी आर्थिक कमी को पूरा करने के लिये ऋण की भी व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में 2 करोड़ रुपया हमें सेन्ट्रल बैंक से मिला है और अन्य जगहों से भी मिलने की कुछ आशा है। अगर हमें 8 या साढ़े आठ करोड़ रुपया शैड्यूल्ड बैंक्स से मिल जाता तो हम अपनी फ्लीट की पुरानी बसों के स्थान पर जनता के हित में नई बसों का प्रबन्ध करते और जहां पर हमारी बस सेवा सुलभ नहीं है, उनको भी जोड़ सकेंगे लेकिन इस साल नहीं हो सकेगा। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे सारे अधिकारी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस ऋण की व्यवस्था हो सके। अगर हो गई तो हमें कामयाबी मिलेगी।

आज चूंकि हमारा भाड़ा बसों का सबसे कम है, इसलिये हमें 3 करोड़ 82 लाख रुपया घाटे के रूप में और करीब एक करोड़ रूपया एक्स ग्रैशिया पेमेंट के रूप में जो अगले साल करना होगा। लेकिन इसी सीजन में हमें 4 3/4 करोड़ रुपया खर्च करना होगा जिसको हमने घाटे के रूप में महसूस किया है। दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी कीमत 500-400 परसेंट बढ़ गयी है। इससे भी परिवहन निगम को घाटा उठाना पड़ रहा है। हमारी जो रीजन वाइज फीगर हैं, उनको भी मैं बताता हूं। फरवरी 1974 तक आगरा रीजन में जो हमारी इनकम 371.71 लाख थी वह फरवरी, 1975 तक 421.07 लाख रुपया हो गयी। इस तरह से 49.36 लाख का लाभ हुआ। इलाहाबाद रीजन में 276.75 लाख रुपया फरवरी 1974 तक आमदनी थी जो फरवरी 1975 तक 366.05 अर्थात् 89.30 लाख रुपये ज्यादा कमाया। इसी प्रकार इसी पीरियड में अलीगढ़ में 62.72 लाख रुपये ज्यादा कमाया और बरेली में 36.90 अधिक कमाया। देहरादून में 61.79 लाख, गढ़वाल में 5.46 लाख

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

गोरखपुर में 89.40 लाख, कानपुर में 44.36 लाख, कुमायूं में 10.73 लाख, लखनऊ में 54.66 लाख, मेरठ में 77.14 लाख, टनकपुर में 5.73 लाख और वाराणसी में 36.44 लाख ज्यादा इस करेस्पांडिंग ईयर में इन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से परिवहन निगम को मिला। हमारा कास्ट आफ आपरेशन इतना बढ़ गया कि आमदनी इतनी अधिक होने पर भी जहां इलाहाबाद में फरवरी, 1974 तक 276.75 लाख रुपये की आमदनी हुई वहां उसी करेस्पांडिंग ईयर में खर्चा 271.24 लाख हुआ था जबकि फरवरी, 75 तक 398.75 लाख रुपये का खर्चा हुआ। अलीगढ़ में 215.59 लाख के मुकाबले में 311.25 लाख का खर्चा हुआ करेस्पांडिंग ईयर फरवरी, 75 तक हुआ। बरेली में 242.55 के मुकाबले 302.09 लाख का खर्चा हुआ। देहरादून में 209.11 लाख के मुकाबले 288.47 लाख का खर्चा फरवरी, 75 तक हुआ।

इस प्रकार सभी रीजन्स में आपरेशनल कास्ट बढ़ जाने के कारण जहां फरवरी, 74 तक 2756.04 लाख का खर्चा हुआ वहां करेस्पांडिंग ईयर फरवरी, 75 तक 3761.07 लाख का खर्चा हुआ। इस तरीके से करीब 10 करोड़ 5 लाख रुपये का घाटा हो गया। इसमें से 6 करोड़ 23 लाख 99 हजार ज्यादा कमाये। इस तरीके से 3 करोड़ 82 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी और 1 करोड़ के करीब एक्स-ग्रेशिया के पेमेंट की बात है। फिर भी इस प्रदेशीय सरकार ने नेकनीयती से जनता की सेवा की और इतना कम बस फेयर लेकर एक अलग ही इतिहास कायम किया है। वैसे तो टैक्सी और प्राइवेट आपरेटर्स का बड़ा भारी दबाव हमेशा रहा है किराये की बढ़ोत्तरी में और हम इस सम्बन्ध में कुछ विचार कर भी रहे हैं लेकिन हम अभी तक निश्चय नहीं कर सके हैं अगर अब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हमें इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना होगा। हमने जहां-जहां हो सका, चाहे कैन्टीन की व्यवस्था हो, चाहे आरामगृह की व्यवस्था हो बड़े-बड़े नगरों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं।

बिजली की कमी को देखते हुये तहसील हेडक्वार्टर्स पर जहां वर्कशाप्स हैं डीजल इंजन की व्यवस्था की ताकि निरन्तर बिजली की सप्लाई हो सके। अब तक जैसी मुझे सूचना है 25 डीजल इंजन लगा दिये गये हैं और बाकी की खरीदारी की बातचीत चल रही है।

इस विभाग में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये हमने बहुत बड़ी कार्यवाही की है। करीब तीन वर्ष के अन्दर 70 हजार कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। 17 सौ तो निकाले गये हैं और कई हजार के खिलाफ डिपार्टमेन्टल कार्यवाही या क्रिमिनल केसेज के रूप में एक्शन लिया जा रहा है। पहले जहां इन सेवाओं में अनुशासन हीनता थी उसे रोकने के लिये हमने कदम उठाये हैं। हमने उनके प्रतिनिधियों से बात की है और उनको इस बात का आभास कराया है कि जनहित में कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वह अपने ईमान और व्यवहार को ठीक रखें और मुझे यह कहने में खुशी है कि आज हम इसमें काफी हद तक कामयाब हुये हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और आपके सहयोग से हम उसे भी कर लेंगे।

जहां तक इन्फोर्समेन्ट साइड का सवाल है, आप देखेंगे कि जहां आपरेशनल साइड में करीब 5 करोड़ की हानि हुई इन्फोर्समेंट साइड में 8 करोड़ का मुनाफा हुआ। इससे यह साफ जाहिर है कि हमारे वह कर्मचारी जिनके बारे में अमूमन शिकायतें आया करती थीं, यह चीज सही है कि हमने उन शिकायतों को काफी मिटाया है लेकिन समय-समय पर शिकायतें आती रहती हैं चाहे भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हों, चाहे प्राइवेट आपरेटर्स के नेशनलाइजेशन से सम्बन्धित हों, चाहे आर0टी0ओ0 के परमिट देने के सम्बन्ध में हों, लेकिन आज पहले के मुकाबले में काफी सख्ती से काम लिया है। उसी की बदौलत हमारी आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी भी हुई।

इस सदन में समय समय पर भ्रष्टाचार की चर्चा होती रही है। उसको मिटाने के लिये भी हम प्रयत्नशील हैं। हमने लोगों ने एक स्कीम भी इसके लिये बनायी है। हम यह सोच रहे हैं कि आपरेटर्स को पैसा जमा करने के लिये आर0टी0ओ0 आफिस में न जाना पड़े और वे मनीआर्डर द्वारा भी अपनी फीस जमा करा सकें। इसके लिये हम ऐसी पद्धति आप सब के सहयोग से बना रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार की गुन्जायश नहीं रह पायेगी। अभी तक आर0टी0ओ0 यह सोचते थे कि हमको तो यहां रहना है, चाहे हम भ्रष्ट भी हों, हमारा कहीं दूसरे विभाग में ट्रान्सफर तो होगा नहीं, इससे भी भ्रष्टाचार पनपता था। हमने अब यह किया है कि सीनियर आर0टी0ओज0 को हम पी0सी0एस0 ग्रेड में ले रहे हैं और इस प्रकार उनका दूसरे विभागों में ट्रान्सफर भी हो सकेगा। 13 आर0टी0ओ0 को हमने पी0सी0एस0 ग्रेड में भेजा है। इसके अलावा अभी बहुत कुछ करना शेष है, वह हम कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य हमारी कठिनाइयों को समझें, इन अनुदानों को पास करें। जो भी कमियां हैं उनको हम दूर करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपये कर दी जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप 64 नम्बर के अनुदान की कटौती को रखना भूल गये। 59 के बाद 84 वाले अनुदान की कटौती को आप पढ़ गये। अनुदान 64 पर कटौती रखना भूल गये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने 64 वाला भी कह दिया और इन सम्पूर्ण अनुदानों की मांगों को घटाकर एक-एक रुपया कर दिया जाय।

मान्यवर, यह परिवहन विभाग देश की तरक्की के लिये सबसे आश्यक चीज है। अगर हमको देश और प्रदेश की तरक्की करना है तो परिवहन व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा और इसको जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना पड़ेगा। इसके लिये सन् 1945 से प्रयास किये गये और सन् 1947 में दोबारा इसकी दो शाखायें स्थापित करने की विस्तार से योजनायें बनायी गयीं। बराबर यह विभाग चलता है। और इसके चलते हुये 20—22 वर्ष में कोई भी सुधार नहीं हुआ जिससे जनता की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी होतीं इसका नतीजा हुआ कि सन् 1972 में परिवहन विभाग की सड़ी गली व्यवस्था को महसूस करके सरकार ने परिवहन निगम बनाकर उसमें पैबन्द लगाने की कोशिश की। तब से यह निगम बराबर बसों की व्यवस्था कर रहा है लेकिन इन तीन वर्षों के समय में भी परिवहन व्यवस्था में आज तक सुधार नहीं हो पाया। और, आप देखेंगे कि बसों के मामले में हमारे पास आज तक हमारे प्रदेश में 47 सौ बसें हैं जिनमें से 13 सौ गाड़ियां वर्कशाप में खड़ी हुई हैं और रोड पर नहीं जाती हैं, अर्थात्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]
एक तिहाई बसें आप नहीं चला पाते हैं। आप उनको ठीक नहीं कराते, किसी में चार आने का वाशर लगना है, और किसी में दो रुपये का पार्ट नहीं है और महीनों ऐसी बसें खड़ी रहती हैं। तो एक तिहाई बसें चलने की हालत में नहीं है। नतीजा यह है कि इस प्रदेश की जनता को आवागमन की परेशानी हो रही है।

साथ ही साथ, जो व्यवस्था बस संचालन के बारे में है उसमें निगम में लगी हुई धनराशि करीब 30 करोड़ रुपये है। यह निगम बराबर घाटे पर चलता जा रहा है। यह आश्चर्यजनक बात है कि जिस निगम में 30 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हो वह घाटे पर चल रहा हो और उसमें कोई आमदनी न हो रही हो। पांडेय ने जी अभी बताया था कि 5 करोड़ रुपया तो इसमें घाटे का है, 10 करोड़ रुपये का इसके ऊपर कर्ज का ब्याज लदा हुआ है और सवा पांच करोड़ के करीब ट्रांसपोर्ट का यात्रीकर के रूप में बकाया है। इस तरह से निगम एक लम्बे बोझ से लदा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद रीजन में 1973–74 में 4,06,151 रुपये का घाटा था, गढ़वाल रीजन में 5,86,111 रुपये का, कानपुर रीजन में 3,85,649 रुपये का, कुमायूं डिवीजन में 24,78,032 रुपये का और लखनऊ रीजन में 8.03,037 रुपये का और टनकपुर रीजन में 31 लाख रुपये के करीब का घाटा था और उनके हेडक्वार्टर पर करीब 62 लाख रुपये का घाटा था। इस तरीके से इनको 1 करोड़ 71 लाख 26 हजार एक सौ 26 रुपये की हानि हुई और इनको जो लाभ हुआ है वह इस वर्ष केवल 19 लाख रुपये का है। तो जिस विभाग में मान्यवर 30 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हो और 19 लाख रुपये का लाभ हो और जहां पर इनके पास 47 सौ बसों का बेड़ा हो अगर फी बस के ऊपर हिसाब लगाये कि उससे कितनी आमदनी करते हैं तो मालूम होता है 1973–74 में एक बस से इनको 404 रुपये 4 आने की आमदनी हुई। इस तरह से इनका परिवहन विभाग जो है, आज वह बराबर घाटे मे चलता जा रहा है। इस परिवहन विभाग में तमाम और भी खराबियां हैं, तमाम और कमियां हैं जिनके कारण यह विभाग आगे नहीं बढ़ पाता। इनसे ज्यादा गाड़ियां निजी मोटर मालिकों के पास हैं। इनके पास 4700 गाड़ियां हैं जबकि उनके पास करीब 7000 गाड़ियां हैं। परिवहन विभाग की 4700 गाड़ियां जिन रूट्स पर चलती हैं उनकी दूरी करीब 20 हजार किलो मीटर है और प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियां जिन रूट्स पर चलती हैं उनकी दूरी करीब 10 हजार किलो मीटर है। आज ऐसी स्थिति इस परिवहन विभाग के अन्तर्गत है कि इसमें बिना सुधार किये हुए, इसको बिना ठीक किये हुए काम चल नहीं सकता है।

माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी बतलाया है। उन्होंने कहा कि 17 हजार कर्मचारियों पर मामले चले और 1700 लोगों को इन्होंने निकाला है। 17 हजार लोगों पर मामले चलाना ही–भ्रष्टाचार का नमूना सामने आता है। आज इसमें काफी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है, व्यापक रूप से चोरियां हो रही हैं, व्यापक रूप में परिवहन विभाग के अन्तर्गत घपले बाजी है, लाखों-लाखों रुपये का घोटाला इसमें चल रहा है। पूरी की पूरी बस बिना टिकट के चलायी जाती है जिसकी वजह से निगम को तमाम घाटा पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते है कि इस परिवहन निगम की व्यवस्था को आमूल तरीके से बदला जाय। पिछले बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह संकेत किया था कि इस परिवहन निगम के अन्तर्गत–निगम का केन्द्रीयकरण सुनिश्चित तथा उसके आन्तरिक कार्य प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पुनर्गठित करना भी प्रस्तावित है। पिछले बजट भाषण में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था और अबकी बार भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस ओर संकेत किया है कि इसके बारे में यह इरादा है कि आवश्यक रूप से पुनर्गठित करके उपरोक्त निगम की कार्य पद्धति में सुधार किया जाय। तो यह सरकार और माननीय मंत्री जी भी यह मानते हैं कि इस निगम में गड़बड़ी है तथा इस निगम की कार्य प्रणाली व उसके संचालन में दोष है।

जब दोष है तो इसके दोष को सुधारने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है, यह सन्देह जनक बात है। इसमें दोष है, पिछले वर्ष इस सदन में कहा गया था और इस वर्ष भी इस सदन में कहा गया है। तो इस दोष को सुधारने के लिये कौन से लोग आवेंगे ? यह सही है कि परिवहन की व्यवस्था हमारे प्रदेश में आज से नहीं, पिछले बीस वर्ष से गड़बड़ चली आ रही है और उस गड़बड़ी की जिम्मेदारी सभी सरकारों के ऊपर है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे संविद की सरकार रही हो, इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

प्रदेश की 9—10 करोड़ जनता के लिये परिवहन सबसे आवश्यक चीज है। आज हो रहा है कि हजारों लाखों लोग सड़कों पर बिस्तर बांधे पड़े हैं और बराबर पड़े रहते हैं लेकिन बसों की कोई सुविधा नहीं है। सरकार के पास बसें हैं। उसने सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर लिया और सड़कों को अपने कब्जे में कर लिया है। 20 हजार किलो मीटर सड़क घेरे हैं, लेकिन बसेज नहीं है। जो हैं भी वह टूटी फूटी हैं। कोई भी बस ऐसी नहीं है जिसका एक एक पुरजा हिलता न हो। इसके अलावा जो डनलप की गद्दियां पहले होती थीं उनको निकाल कर लकड़ी की सीटें लगा दी गयी हैं। यह हालत है। मील दो मील बस चल कर खड़ी हो जाती है। मुसाफिर को कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात का सरकार सर्वेक्षण करा ले और यह देखे कि कितनी सड़कें हैं और उनमें कितनी गाड़ियां प्रतिदिन जनता के आवागमन के लिये, सुविधा के जरूरी है। इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाय। सर्वे कराने के बाद बसेज की व्यवस्था करें। अगर आपके पास बसेज नहीं है तो दूसरे जो निजी लोग हैं उनको उन रूटों पर बसेज चलाने की अनुमति दें। इस तरह से सड़कों को घेर रखने से कोई फायदा नहीं है। सरकार की दिन म केवल एक बस सड़क पर चलती है, तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये आप सर्वे कराइये और यह देखिये कि कितनी बसों की आवश्यकता है। जनता को कितनी बसों की आवश्यकता है उसका इंतजाम करिये चाहे निगम के जरिये करिये या फिर जो लोग हैं जो अपनी बसेज चलाना चाहते ह उनको इन रूटों पर बस चलाने की अनुमति दें।

कुछ रूटों पर सरकार की और प्राइवेट, दोनों तरह की बसेज चलती हैं। करीब 12 हजार मार्ग हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं इसमें से 180 मार्ग पर दोहरी बस व्यवस्था है, दोनों तरह की बस चलती हैं। तो मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर निगम की कार्य क्षमता आप बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था करें कि एक होड़ पैदा कर दें, प्राइवेट और सरकारी बसों के बीच में। इसके बाद यह देखें कि इस दौड़ में कौन आगे निकलता है, किसकी बस ज्यादा आमदनी लाती है। आपके जो रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर हैं यह सड़क पर बस खड़ी करके मजे करते हैं, इनको आमदनी की चिंता नहीं है। मुसाफिर की चिंता नहीं है। अगर उसके साथ साथ कोई दूसरी गाड़ी लगा दें और आमदनी का हिसाब लें तो निश्चित रूप से कार्यक्षमता बढ़ेगी, कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। आज जो सड़क पर अपनी बसें ले जाना चाहते हैं, उनको ले जाने दें, तो इस तरफ ध्यान दें इसकी निहायत आवश्यकता है।

पिछले सन् 72 में यह हुआ कि बसों को परमिट देने का सिस्टम जो है उसको उदार बनाया जायगा। इसे उदार बनाने की दृष्टि से यह कर दिया गया कि हर आदमी को बसेज के परमिट दे दिये जांय। हमें प्रसन्नता है कि आज इस सदन में माननीय मंत्री जी ने इस बारे में पुनः घोषणा की कि वह बसों के परमिट देने में उदारता का परिचय देंगे। लेकिन इसके साथ साथ, परमिट देने के साथ साथ रूटों के बारे में जो आपका एकाधिपत्य है उस पर भी विचार करें।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

(कुछ सदस्यों के आपस में बात करने पर।)

क्या ऐसा नहीं कहा ?

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 72 में जब यह यहां लाया गया और इसको लाने के बाद बजट भाषण में यह कहा गया तो आज मंत्री महोदय इससे मुंह क्यों चुराते हैं। क्यों नहीं बसों के परमिट देने में, जो आदमी अपनी गाड़ी चलाना चाहता है ? उसको परमिट दे दिया जाय। उसको सड़क बता दी जाय चाहे जिस सड़क पर चलाइये। क्यों ऐसा नहीं करते हैं ? कारण यह है कि अगर ऐसा किया जायगा तो जो निगम के लोग हैं उनको खाने को नहीं मिलेगा, पैसा ऐंठने को नहीं मिलेगा।

(इस समय 1 बजकर 19 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

जब आपका मन आयेगा तब मीटिंग होगी और परमिट मिलेगा। इसी बीच लाखों रुपयों का घोटाला किया जाता है। तो अगर आप इस घोटाले को बंद करना चाहते हैं, अगर आपकी हिम्मत है तो क्यों नहीं करते। जिनके पास मोटर गाड़ियां हैं, जिन्होंने 2 लाख रुपये की बस खरीद ली है उनको आप परमिट क्यों नहीं देते हैं। अगर आपका इरादा है कि जनता को सस्ते सवारी के साधन मिले तो आप परमिट दीजिये। आपकी गाड़ियों का किराया प्राइवेट गाड़ियों से ज्यादा है। आपकी गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियों से गंदी और टूटी फूटी रहती हैं। समय पर चलती नहीं हैं। तो आप न तो स्वयं कुछ करना चाहते हैं और न जनता के लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनको करने देना चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि परमिट के सिस्टम के बारे में उदारता से परमिट दिये जाय और जिनके पास बसें हैं उन्हें सड़कों पर बस चलाने की व्यवस्था की जाय।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उदारता के माने नहीं समझा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, 1972 में कहा गया था कि जो गाड़ी लेगा उसको परमिट दे दिया जायेगा, और इस पर जब प्राइवेट मोटर मालिकों ने उच्च न्यायालय में अपीलें दायर की और शायद उनके मुकदमा खत्म हो गये हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है ? मैं समझता कि आर0टी0 ए0 कमेटी इसके भ्रष्टाचार का कारण है। यदि नहीं है तो फिर आप करें, आज ही सदन में घोषणा करें। एक तरफ बेकारी को मिटाने की बात करेंगे और जनता को सुविधा देने का नारा लगायेंगे और दूसरी तरफ टूटी-फूटी बसों में इस प्रदेश की जनता को परेशान करने का प्रयास करेंगे। इसलिये दोनों काम साथ नहीं चल सकते हैं। आर0टी0 ए0 कमेटी में परमिट देने के बारे में भ्रष्टाचार है। रीजनों में मीटिंग होती है लाखों रुपये चलते हैं। इलाहाबाद के कमिश्नर जो रिटायर होने वाले हैं वह रिटायर होने तक कानपुर रीजन में लाखों रुपये लेकर 40 मोटरों को परमिट दे दिया और जब मंत्री स्तर तक मामला आया तो उसमें कुछ रुकावट आयी और किसी को अब परमिट नहीं दिया जा रहा है। लोगों को तंग किया जा रहा है। यदि आप नहीं करना चाहते हैं और आपके पास पैसा है तो जितनी बसों की जरूरत है वह निगम के जरिये दिलवायें और गाड़ियां खरीदें यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जनता की सुविधा के लिये जो लोग करना चाहते हैं उनको आप करने दें।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, जितनी भी नई बसें प्राइवेट आपरेटरों के पास हैं, तो वह किराया तय कर लें और निर्देशन हम करेंगे। इस बात के लिये विभाग तैयार है। जिनके पास नई बसें हैं वह हमारी टिकट विन्डो पर दे दें, ड्राइवर कन्डक्टर हमारा होगा। इतना रुपया हम उनको देंगे इस पर उनकी सेवा लेने के लिये हम तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

मंत्री जी आप अपने तरीके से निवेदन करेंगे या बीच–बीच में यह शंका समाधान होता रहेगा। इससे भाषण का क्रम टूटेगा। जो भी माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं वह आप सुनें और बाद में जवाब दें।

श्री राजमंगल पांडेय––

मान्यवर, यह पूछा था कि क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे। उस पर कहा।

श्री उपाध्यक्ष––

तो घोषणा तो शाम को करेंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

मान्यवर, मंत्री जी प्राइवेट बसों को अपने सुपरवीजन में लेना चाहते हैं और उनका संचालन वह अपने निगम के द्वारा कराना चाहते हैं। जिस निगम का संचालन 3 वर्ष से देखा जा रहा है और उसमें 4700 बसों में से 1300 बसें खड़ी हैं। यदि उन बसों की भी दुर्गति कराना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट गाड़ियों के मालिकों की जितनी आमदनी हो रही है उतनी आमदनी के ठेके पर आप लेंगे, तो मैं समझता हूं कि वह अवश्य दे देंगे। और गाड़ियों के मरम्मत और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से मिलेगा। नहीं तो मैं यह कहना चाहता कि आप अपनी इन बसों को निगम से लेकर यूनियनों के संगठनों को दे दीजिये और आपसे ज्यादा वह आमदनी करके दिखायेंगे।

आपकी बसें टूटती चली जा रही हैं, बसों से घाटा होता है आपके निगम को लेकिन प्राइवेट मोटर मालिक जिसके पास एक गाड़ी है वह साल भर में दूसरी गाड़ी खरीद लेता है। उसकी गाड़ियां बहुत अच्छे ढंग से चलती हैं। हमारा तो केवल यह मतलब है कि प्रदेश में जो 9 करोड़ लोग हैं, जो घंटों बस को रात में इन्तजार करते करते थक जाते हैं आपको उनकी आवश्यकतानुसार बसों का प्रबन्ध करना चाहिये। आप कैसे करेंगे इस पर आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। आप इसमें देरी न करें क्योंकि इस तरह से होते-होते 22 वर्ष रोडवेज को हो गये लेकिन कोई सुधार उसमें नहीं हुआ। बस स्टेशन पर आपके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है।

34 हजार आपके कर्मचारी हैं उनकी भरती में मनमानी होती है। हरिजनों का कोटा अभी 10 प्रतिशत तक ही पहुंचा है और संविधान में जो प्राविधान है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। इस 10 प्रतिशत को बढ़ाकर आप तब तक के लिये 40 प्रतिशत कर दीजिये। जब तक कि हरिजनों का निश्चित कोटा पूरा न हो गया। ऐसा करने पर ही हम समझेंगे कि रोडवेज की व्यवस्था को आप समाजवादी ढंग से चलाना चाहते हैं। जब आप हरिजनों का कोटा ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे माना जाय कि आप इसमें कोई सुधार करेंगे ?

मुसाफिरों की बैठने की जगह की व्यवस्था तक नहीं है। कानपुर में कलक्टरगंज बस स्टेशन है। सदन में कई बार सवाल उठा, मंत्रियों ने जवाब दिया कि जल्दी से बस स्टेशन बना दिया जायगा लेकिन बस स्टेशन वहां नहीं बना। सैकड़ों गाड़ियां काफिले के रूप में खड़ी रहती हैं और ड्राइवर, कंडक्टर जो 200 मील गाड़ियां चला कर रात में वहां पहुंचते हैं वे बसों की छत पर चादर डालकर सोते हैं। उनके लिये सोने व बैठने का स्थान नहीं है। यही कारण है कि रोडवेज की बसों में ऐक्सीडेन्ट की

[चौधरी राम पाल सिंह यादव]

संख्या बढ़ रही है इससे लाखों रुपये का नुकसान विभाग को गाड़ियों के खराब होने से जनता के घायल होने तथा मरने से हो रहा है।

चुन्नीगंज के डिपो में मैं देखता हूं कि जितनी बसें हैं उतने ही इन्तजाम करने वाले अफसर हैं। वहां आधे दर्जन सहायक स्टेशन इन्चार्ज हैं जब कि 40 परसेंट ही बसें चल पाती हैं और उनसे ज्यादा बसों को प्राइवेट बस वाले परेड के मैदान से चलाते हैं। इस तरह से आप कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं। कहीं बस स्टेशन नहीं है तो कहीं जनता के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। आपके इस विभाग का काम चौपट हो गया है। पता नहीं मंत्री जी इसके लिये क्यों उदासीन हैं, क्यों इसके लिये प्रयास नहीं करते हैं। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये और आज ही आपको यह घोषणा करना चाहिये कि कानपुर का जो स्टेशन है, कलेक्टरगंज का जो स्टेशन है जहां सारे प्रदेश की गाड़ियां रात को आकर खड़ी होती हैं, जहां सारे प्रदेश के कोने कोने से गाड़ियां आकर खड़ी होती हैं उनके कन्डक्टर्स के बैठने तक के लिये कोई स्थान नहीं है। इसके लिये शीघ्रातिशीघ्र आप इन्तजाम करें।

आपके आर0टी0ओ0 के जितने आफिसेज हैं उनके लिये कोई इमारत नहीं है। कानपुर में भी इसके लिये कई साल से इमारत बन रही है लेकिन अभी तक नहीं बनी है। पूरे आपके ये दफ्तर बूचड़खाने बने हुये हैं। भला आदमी कोई उनमें जाने की हिम्मत नहीं करता है। दस्ते के दस्ते लगे हुये हैं, बैठने वाले कर्मचारी का कोई पता नहीं है। करोड़ों रुपये की आमदनी आपको इस विभाग द्वारा होती है लेकिन इसके अन्दर काम करने वाले लोगों की सुविधा का आप कोई इन्तजाम नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, सन् 64-65 में करीब-करीब 7 करोड़ रुपया आपको यात्रीकर के रूप में और माल कर के रूप में मिलता था जो कि आज 27 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन विभाग की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक तरफ तो वे लोग जो आपको पैसा वसूल करके देते हैं उनके बैठने का इन्तजाम नहीं है इसके साथ ही प्रदेश में करीब 44,382 कारें हैं, 92,962 मोटर साइकिलें हैं, 9,257 बसें हैं, 5,365 टैक्सियां हैं, 24 हजार के करीब ट्रकें हैं, 30 हजार के करीब टैक्टर्स हैं उनके पंजीकरण, रख रखाव, व्यवस्था और सारे पैसे को वसूल करने की जिम्मेदारी इस विभाग की है लेकिन बैठने के लिये इन लोगों के पास कोई स्थान नहीं है। सारे प्रदेश में लूट मची हुई है। जो आपकी आर0टी0ए0 की कमेटियां बनी हुई हैं उसमें सारे के सारे सरकारी लोग बैठे हुये हैं। जब वे काम अच्छा नहीं करते हैं तो उनको हटाकर गैर सरकारी लोगों को लें और जनप्रतिनिधियों की सेवाओं को लें जिससे लाखों रुपये मनमाने तरीके से इधर-उधर होते हैं वह बच जाय। या तो आप उनके ऊपर कठोर नियंत्रण लगायें जिससे वे लूट न कर सकें।

सन्डलपुर क्षेत्र में पिछली बार जब बाई इलेक्शन हुआ था जब कि बलरामसिंह जी इस विभाग के मंत्री थे, वे वहां पर गये तो उन्होंने वहां पर यह कहा था कि वहां बस जायेगी। लेकिन भाषण हो गया इलेक्शन हो गया। जनता में खुशी हो गई कि यहां बस आ गई। उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। उसके फौरन बाद बस चलना बन्द हो गयी। किन्तु अबकी बार जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और हमारे चौधरी रणजीत सिंह समाजवादी दल के जीतकर आ गये। तो इस तरह की धोखाधड़ी से आप बस चलाते हैं। यह ठीक नहीं है। खाना आपके पास है नहीं और निमन्त्रण आप देते हैं। [* * *] ऐसे काम चलने वाला नहीं है।

मैं आपको निगम और सरकार के बीच का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक गांव का आदमी था। वह गंगा जी में स्नान करने के लिये गया। वहां उसे एक पंडित जी मिले। वहां पर उनके पास चंदन तो था नहीं उन्होंने बालू उठाकर जजमान के मस्तक पर लगाते हुये कहा यह गंगा जी की बालू चन्दन समान मान। जजमान ने कहा कि पंडित जी यह चन्दन तो है नहीं, बालू है। उसके बाद जजमान ने भी नीचे से एक मेंढकी उठाई।

नोट :—[* * *] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार (पत्रावली सं० 22/65 के पृष्ठ 94) निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर) काशीनाथ जी आप बोलने दें माननीय सदस्य को, व्यवधान न पैदा करें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

तो मैं कह रहा था जजमान ने सड़क से एक मैढकी उठाई और पाण्डे से कहा कि इसे गऊ समान मान । मंत्री जी और निगम भी इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर बालू लगा रहे हैं और मेढकी को पकड़ा रहे हैं। यह दोनों एक दूसरे को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मान्यवर, प्रदेश की सरकार पर भी निगम का करोड़ों रुपया अंशदान का बाकी पड़ा हुआ है। यह निगम को दे नहीं रहे हैं। यहां से बजट पास करा कर निगम को न देकर उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे हैं क्योंकि आप जो धन देंगे तो उसका 50 परसेन्ट केन्द्र से उसको मिलेगा। जो केन्द्र से पैसा मिलना चाहिये था वह मंत्री जी ने बताया कि 3 करोड़ मिलना था लेकिन एक करोड़ मिला है। दो करोड़ अभी उसका नहीं मिला है।

मान्यवर, सारे निगम के मामले सरकार के विचाराधीन हैं। एक तो जो कार्यशालाओं या अन्य स्तरों पर स्पेयर पार्ट्स की चोरी रोकने के लिये योजना थी जो कि निगम के विचाराधीन है। उसके लिये बड़े आफिसर तो नियुक्त कर दिये गये और उस आफिसर ने योजना बना कर दे दी है कि इस प्रकार चोरी रोकी जा सकती है तो वह भी सरकार के विचाराधीन है। अगर चोरी रोकने की योजनाएं भी विचाराधीन रहेगी तो निश्चित रूप से चोरियां बढ़ेंगी। फिर निगम के जोन्स बनाने की बात भी शासन के विचाराधीन है। परिवहन निगम जो क्षेत्रों में बटा हुआ है उसको पुनर्गठन करने का मामले भी शासन के विचाराधीन है।

पांचवां प्रश्न जो विचाराधीन है वह लेखा जोखा रखने की प्रणाली जो अनकरीब है उसमें सुधार करने की बात है। एक साल का भी इनके पास मुश्किल से लेखा जोखा होगा। जिसको एक निश्चित रूप देने की बात है वह भी विचाराधीन है। तो आज ऐसी स्थिति है सारे मामले परिवहन निगम के यह फंसा कर रखे हुये हैं। सरकार और निगम के बीच में प्रदेश की जनता को यातायात की सुविधायें खतम हो रही हैं। तो मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह थोड़ी तेजी से काम करें। ऐसे काम चलने वाला नहीं है जिस तरह से काम इस समय चल रहा है विभाग बहुत बदनाम है। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इसे गति प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है आप इस बदनामी को मिटायें और विभाग को गति दें और ऐसा इन्तजाम करें कि आपके पास काम करने वाले जो आफिसर हैं वह एक सौ से ज्यादा गाड़ियां रखे हुए हैं। जो उनके बीबी बच्चों को घुमाने के काम में आती हैं। बीबियों को सिनेमा दिखाने और सब्जी खरीदने के काम में आती हैं कि आप यह सारी गाड़ियों को वापस लें। इस समय आपके पास केवल 50 टैक्सियां हैं इसलिए इन गाडियों को भी आप टैक्सियों के रूप में चलायें। इन आफिसरों से कहें कि वह बसों में सफर करें। जब यह बसों में जायेंगे तो वह ठीक समय से भी चलेगी और उस दिन कम से कम चोरी होगी। जब यह गाड़ियों में जाते हैं तो एक आध जगह कहीं पर गाड़ियों को खट से रोक कर देखते हैं और फिर घर चले आते हैं।

यहां पर जो मंत्री है वह भी अपना 10 परसेन्ट टूर जो है रोडवेज की बसों पर करें। अगर वह ऐसा करेंगे तो जनता को परेशानियों को देखेंगे और उसका समाधान करने के बारे में सोचेंगे और फिर उनमें भी यह भय होगा कि रोडवेज कर्मचारियों को कल हमारा कोई अफसर इस बस पर चलने वाला है, कब कोई मंत्री बस पर चला जाएगा। इससे बराबर सतर्क और सावधान रहेंगे। इसलिये आप इन्तजाम करें, मंत्री जी अपनी यात्रा का 10 परसेन्ट बसों पर यात्रा करके एक नमूना पेश करें तथा अफसरों के पास जो फालतू फंड में अय्याशी करने

[चौधरी राम पाल सिंह यादव]

के लिये करीब 100 बसों का काफिला है, इनको वापस ले करके आप उन्हें टैक्सियों में बदल दें। तभी इसमें कुछ सुधार हो सकता है। इसमें आपको कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसके लिये आपको कुछ खतरे उठाने पड़ेंगे, अफसरों की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ेगी। जो आपने सोचा था कि नियम बनाने से काम चल जाएगा, वह तो बिल-कुल फटे कपड़े में पैबन्द लगाने के समान था। उससे काम चला नहीं। मैं अभी यह नहीं कहूंगा कि इस नियम को आप तोड़ दें। लेकिन यदि यही रफ्तार इसकी रही तो आपको यह भी अवश्य सोचना पड़ेगा। आप इसमें अपनी शक्ति लगाकर इसे गति प्रदान करें, अथवा इस नियम के बारे में सोचें कि कैसे बेहतर परिवहन सेवा प्रदेश की 9 या 10 करोड़ जनता को आप दे सकते हैं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए रामपाल सिंह जी ने जो बातें कहीं, ये उनकी पार्टी की रीति-नीति के विरुद्ध हैं। उन्होंने अपने भाषण में इस तरह की बातें कहीं, जिनसे मुझे लगा—

श्री उपाध्यक्ष—

विभाग के बारे में आप सूचना देंगे या रामपाल जी के बारे में ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो उन्होंने हमारी पार्टी की आलोचना की है, मैं उनकी पार्टी की भी आलोचना कर सकता हूं। मैं सोचता था कि उनका जिस दल से सम्बन्ध है, उसको देखते हुये रामपाल सिंह जैसा सदस्य प्राइवेट बसों की वकालत नहीं कर सकता.....

श्री उपाध्यक्ष—

उनका तात्पर्य तो केवल यह है कि जनता सरकार की व्यवस्था से अगर संकट में फंसी हुई है और सरकार उसका कोई बन्दोबस्त न कर सकें, तो उनको मौका दें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

आप लोग अव्यवस्था न पैदा करें। मैं यह कतई पसन्द नहीं करूंगा कि आप बिना स्वीकृति के खड़े होकर भाषण करें या बात करें। आप पहले मुझसे स्वीकृति लें, फिर बात कहें। इस तरह से खड़े होकर सब लोग बात करेंगे, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। जब आपको मौका आएगा तब आप अपनी बात कहिएगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, अपने जिले में बसों के सम्बन्ध में मैंने जो चित्र देखा है, वह आपके जरिये इस सदन में रखना चाहता हूं। हमारे जिले में आधे रूट पर सरकारी बसें चल रही हैं और आधे रूट्स पर प्राइवेट बसें चल रही हैं। हम नित्य देखते हैं और जनता का अनुभव यह बताता है कि सरकारी बसों की सेवाएं कहीं बेहतर हैं अपेक्षाकृत प्राइवेट बस की सेवाओं के। प्राइवेट बसों में जहां 50-60 आदमियों के बैठने की जगह है, 100-100, 150-150 यात्री ठास दिये जाते हैं। इसलिये क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जहां पर प्राइवेट बसें चल रही हैं, वहां सरकारी बसें चलाई जाएं। सरकार के पास या निगम के पास साधनों की कमी है, इसलिये न चलाई जाएं, यह दूसरी बात है।

जबसे निगम बना है, इधर 3-4 साल में इस विभाग में निश्चित रूप से तरक्की हुई है और आम जनता इसे समझती है। आम जनता के साथ निगम कर्मचारियों के व्यवहार में भी सुधार हुआ है। गाड़ियों की हालत में भी पहले से तरक्की हुई है। पहले ठेलठाल कर बसें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुश्किल से गाड़ियां चलती थीं।लेकिन अब हालत ठीक है। अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये माननीय सदस्य ने घाटे की बात कही तो प्राइवेट बस वालों से सरकारी बस का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट बस वाले अपने ड्राइवर को 100 रुपये माहवार तथा कंडक्टर को इससे भी कम तनख्वाह देते हैं। लेकिन हमारे यहां ड्राइवर का वेतन 400 रुपये माहवार है। इसके अलावा हमारे यहां नियम बने हुये हैं उनके अनुसार चलना पड़ता है। तनख्वाह के अलावा परिवहन के कर्मचारियों को बोनस भी दिया जाता है और इनाम वगैरा भी दिये जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को अपने मुलाजिमान का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक बात यह कही गई कि जो ड्राइवर तथा कंडक्टर 300/400 मील का सफर करके आते हैं उनके ठहरने के लिये कोई प्रबंध नहीं है। यह बड़ी गलत चीज है, उनके ठहरने के लिये उचित स्थान होना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं।

अभी कुछ दिन हुये प्राइवेट बस ओनर्स और औपरेटर्स की एक कांफ्रेंस हुई थी। उस कांफ्रेन्स में बस आपरेटर्स की तरफ से मांग रखी गई थी कि बसों के नये परमिट न दिये जायं। मैं कहना चाहता हूं कि अब बस आपरेटर्स का एकाधिकार खत्म किया जाना चाहिये। लोगों को को नये परमिट दिये जायं उन रूट्स पर जहां सरकार अपनी बसेज नहीं चला सकती है। जनता के आवागमन की सुविधा का ख्याल रखना सरकार का परम कर्त्तव्य है। लेकिन परमिट उसी आदमी को दिया जाये जो बस खरीद सकता हो या जो बस खरीद लाया हो उसको बस का परमिट दिया जाये।

स्टेट कैरिज के परमिट्स उदारतापूर्वक दिये जाने चाहिये। ओपरेटर्स हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गये लेकिन उनकी रिट खारिज कर दी गई। अब आपके सामने सवाल बिलकुल साफ है कि जिन रूट्स पर सरकार अपनी गाड़ियां नहीं चला सकती है उन पर सरकार उदारतापूर्वक परमिट दे। ऐसा भी हो सकता है कि लोग गाड़ी खरीद कर सरकार को दे दें। आपका इन्तजाम रहे और गाड़ी उनकी रहे। यह एक कांट्रेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत होगी और लोग अपनी गाड़ी देने के लिये तैयार नहीं होंगे। बेहतर यही है कि परमिट सिस्टम चालू किया जाय। जहां आप गाड़ी नहीं चला सकते वहां आप परमिट दें। जिन सड़कों पर ज्यादा मुनाफा है। मैं अपने जनपद की बात कहता हूं। हमारे यहां बलिया-बेरिया रोड है। उस सड़क से बहुत मुनाफा होता है। वह सब से अच्छी सड़क है। हर 15 मिनट पर वहां से प्राइवेट बस चलती है। जिसकी बस उस रोड पर चलती है पहले वह केवल एक बस मालिक था जो आज 15/20 बसों का मालिक है। उस रोड पर 10/15 गवर्नमेंट रोडवेज की बस चली भी थी परन्तु पता नहीं फिर न जाने किस के दबाव से या किस कारण से वह चलना बन्द हो गई। मैं चाहता हूं कि ऐसी सड़क जो ज्यादा रेवेन्यू देती हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। उन सड़कों को सरकार को ले लेना चाहिये।

इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का जहां तक संबंध है अभी तक उनके सर्विस रूल्स तक नहीं बने हैं। इसलिये ड्राइवर और कन्डक्टर तथा नीचे के कर्मचारियों को बड़ा तंग किया जाता है। हमारे यहां एक ऐसा ड्राइवर था वह जिस गाड़ी को चलाता था उसको और कोई नहीं चला सकता था। उसको वहां से इसलिये हटा दिया गया कि वह इनाम न पा जाये। बड़े-बड़े अधिकारी अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छा काम नहीं करने देते हैं।

आपके विभाग में जो टी0 आई0 का स्टाफ है जो चेकिंग का काम करता है वह घूस लेता है। इसलिये टी0 आई0 के मुहकमे को बदल कर मैजिस्टीरियल जांच बिठा

[श्री काशी नाथ मिश्र]

दें तो अच्छा होगा। अगर कोई ड्राइवर या कन्डक्टर एक या दो बार बगैर टिकट ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको तत्काल सेवा से हटा देना चाहिये। जहां तक आपने बात कही हरिजन और नान-हरिजन की, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ट्रान्सपोर्ट विभाग का बहुत सा काम ऐसा है जो टेकनिकल है उसमें कैसे हरिजनों के लिये कोटा फिक्स हो सकता है अगर वह टेकनिकल है तो वह रखा जा सकता है लेकिन अगर वह टेकनिकल नहीं है तो यह कैसे संभव है। कन्डक्टर और बुकिंग क्लर्क के लिये तो लागू हो सकता है। मान लीजिए कि सर्जन का काम है तो उसमें कैसे 18 परसेंट का नियम लागू होगा? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा चुस्ती लाने की कृपा करें।

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग के बजट का विरोध करना चाहता हूं। राज्य परिवहन निगम की जो बसें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। ड्राइवर और कन्डक्टर रकम किस तरह से खाते हैं यह माननीय मंत्री जी सब जानते हैं। वह इसमें सुधारने की कोशिश करें। जितना सुधार हो सकता है सुधारें। अब मैं ट्रान्सपोर्ट ट्रिब्युनल के बारे में कहना चाहता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र के कुछ कहने पर।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय काशी नाथ मिश्र जी, भाषण सुनाने के बाद सुनने की भी आदत डालें।

श्री मुहम्मद रफी खां---

इसका बजट जो है वह करीब डेढ़ लाख रुपये का है। एक ट्रान्सपोर्ट ट्रिब्युनल है उसके अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार भार्गव। इनको स्पेशल एलाउन्स 200 रु0 का दिया जाता है। इनका रैन्क डिस्ट्रिक्ट जज से कम है उसको भी स्पेशल एलाउन्स नहीं दिया जाता है इन्होंने अपने बंगले पर एक बावर्ची और एक चौकीदार रखा है जिसकी तनख्वाह सरकार दे रही है। आफिस की जो बिल्डिंग है कारपोरेशन वह रिकार्ड में 300 रु0 प्रति मास के हिसाब से है लेकिन सरकार से 1600 रु0 किराया लिया जाता है उस भवन के मालिक को 1,000 रु0 दिया जाता है। 600 रु0 ये अपने पास रख लेते हैं। माननीय मंत्री जी इसको भी देखें। ये घर पर टेलीफोन रखने के इनटाइटिल्ड नहीं हैं। लेकिन इनके पास टेलीफोन है जिसका नम्बर 24055 है। लोकल और ट्रक काल का 1200 रु0 बिल होता है। उप सचिव के मकान पर भी सरकार ने टेलीफोन नहीं रखा है फिर भी इनके यहां टेलीफोन है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतनी सुविधायें दिया जाना मुनासिब नहीं है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस मुहकमें में जाति पांति का बहुत भेद भाव किया जाता है। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इस ओर तत्काल ध्यान दें। इस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। चन्द्र प्रकाश चपरासी के स्थान पर अशोक कुमार त्रिपाठी राम स्वरूप श्रीवास्तव के स्थान पर देवेन्द्र कुमार शर्मा, कैलाश नाथ रस्तोगी के स्थान पर वीरेन्द्र कुमार मिश्र और कुछ और जातियों के लोगों को हटाकर धर्म दत्त पान्डे, दिनेश चन्द्र पाठक और बिहारी लाल पान्डे को रखा गया है। ये सभी लोग ब्राह्मण हैं। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और यह अन्धेर खतम करें। परसों कैसरबाग में ट्रान्सपोर्ट्स की एक कान्फ्रेन्स हुई थी। उसमें मैं भी शरीक हुआ था और माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे।

मैं कहना चाहता हूं कि इतना काबिल चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश में नहीं आ सकता है फिर भी उन्होंने वहां पर जो तकरीर पेश की उससे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने

कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि ट्रान्सपोर्ट्स को तसल्ली होती। लिहाजा अगर आप उन रूट्स पर जहां आपकी बसेज आपरेट होती हैं, प्राइवेट बसेज को भी इजाजत दे दें तो आपकी सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट हो जायगा और आपकी इन्कम, टैक्सेज वगैरह भी बढ़ जायेंगे। और प्राइवेट बसों के आपरेटर भी तबाह होने से बच जायेंगे। जनता को सफर में सुविधा होगी दूसरा नुक्सान गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को एक्साइज न मिलने के कारण हो रहा है क्योंकि ट्रकों, बसों का सेल नहीं हो पा रहा है। पहले सेल इतनी थी कि मर्सीडीज गाड़ियों पर 10–12 हजार रुपये का ब्लैक था लेकिन अब कोई लेने वाला नहीं है और भारत सरकार को कम रकम मिल रही है। अगर आप प्राइवेट बसेज को एलाऊ सरकारी रूटों पर करेंगे तो परिवहन निगम की बस सेवाओं में भी कम्पटीशन की वजह से सुधार होगा।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि बहुत से पाइलेट, जिन्होंने लखनऊ फ्लइंग क्लब में ट्रेनिंग की है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बिहार के पास ऐसे कई पाइलेट हैं लेकिन हमारे प्रदेश में केवल एक पाइलेट है जबकि जहाज कई हैं जिनमें उनको लगाया जा सके। मैं चाहूंगा कि इनकी सर्विसेज के बारे में भी ख्याल रखा जाय?

कुमारी रमा पंत (जिला अल्मोड़ा)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री राज मंगल पांडेय जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करने की आकांक्षी हूं।

यह तो स्पष्ट है कि जो हमारे राज्य परिवहन निगम द्वारा गाड़ियां चलाई जा रही हैं, यात्रियों के लिये वे बड़ी ही सुविधाजनक हैं। रात्रि में उनमें सुरक्षा के लिये भी प्रबन्ध किया गया है। यही कारण है कि हम व्यवस्था को बढ़ाने की मांग जनता की ओर से बराबर आती जा रही है। इस सिलसिले में मेरी माननीय पांडेय जी से एक शिकायत है और उसे मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं। पिछले वर्ष के बजट पर बोलते समय मैंने अल्मोड़ा जनपद को केन्द्र मान कर उसकी समस्याओं की ओर इशारा किया था और यह भी प्रार्थना की थी कि जो तात्कालिक आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन आज तक भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमन्, जिस पर तात्कालिक सुधार की मांग थी, वह अल्मोड़ा से देश की राजधानी दिल्ली तक बस सेवा की थी। सिर्फ यही एक बस सेवा है जो वहां से जाती है। अल्मोड़ा से मेरठ, लखनऊ और हरिद्वार देहरादून आदि के लिये कोई भी बस सेवा नहीं है। और जो दिल्ली को बस जाती है, वह भी सीधे न जाकर हल्द्वानी रुकती है जहां पर यात्रियों को दूसरी बस बदलनी पड़ती है। कभी कभी तो वहां पर 4–4 और 5–5 घंटे तक रुकना पड़ता है और उसका नतीजा यह होता है कि यात्री दिल्ली और अल्मोड़ा अर्ध रात्रि में पहुंचते हैं। मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र से आती हूं पर्यटन के विकास को देखते हुए और जनता की आवश्यकता को देखते हुये मेरी प्रार्थना है कि इस बस सेवा को ठीक से चलाया जाय।

इसके अलावा हमारे यहां से बरेली, मुरादाबाद आदि स्थानों के लिए बस की सेवायें थीं, लेकिन वे भी समाप्त कर दी गई हैं। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि पर्वतीय आवश्यकता और विकास को ध्यान में रखते हुए इन बस सेवाओं को फिर से चालू कराने की कृपा करें।

छात्रों के सम्बन्ध में भी मेरा यह निवेदन है कि अल्मोड़ा के लिये अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और टिहरी, पौड़ी-गढ़वाल के लिये कोटद्वारा और ऋषिकेष है। इन स्टेशनों के बाद हमारे छात्रों को बसों द्वारा लम्बी-लम्बी यात्रा करनी पड़ती है लेकिन उन्हें इन बसों द्वारा यात्रा करने पर कोई कन्सेशन नहीं दिया जाता, कोई सुविधा नहीं मिलती है। उनकी

[कुमारी रमा पंत]

आवश्यकताओं को देखते हुए जिस प्रकार से रेल में उन्हें कन्सेशन मिलता है, मेरी प्रार्थना है कि बसों में भी उन्हें कन्सेशन दिया जाय। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि इस पर विचार करें और सम्भव हो तो जल्दी से जल्दी लागू करें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मोटर आपरेटर्स का जो सम्मेलन हुआ था उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला था। जो हमारे यहां के कुमायूं और गढ़वाल में जी0 एम0 ओ0 यू0, टी0जी0एम0ओ0यू0, और के एम0ओ0यू0 की निजी मिनी बस सेवाएं हैं उनके प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला। उनका कहना है कि जो सुलभ मार्ग हैं राजकीय परिवहन की बस वहीं चलती हैं और दुर्गम रास्तों पर हमारी बसें चलाई जाती हैं। माननीय रामपालसिंह ने अपने भाषण में कहा है कि और प्रदेशों में हुआ भी है कि उसी मार्ग पर राजकीय परिवहन की बसें चलायी जाती हैं और निजी बस भी चलायी जाती हैं। मुझे ज्ञात नहीं था कि यहां भी परीक्षण हुआ है। मैं कहना चाहती थी कि परीक्षण के तौर पर यहां भी लागू कर लिया जाय, पता चल जायगा कि हमारी योजना सफल हो सकती है या नहीं, लाभकारी हो सकती है या नहीं। लेकिन रामपाल सिंह जी के भाषण से ज्ञात हुआ है कि कुछ स्थानों पर परीक्षण चला है। मैं प्रार्थना करूंगी कि वह देख लें, इन दोनों बसों को साथ साथ चलाएं। इससे निजी बस सेवा वालों की आशंका दूर हो जायगी, जो उनके मन में भावना है कि हमारे साथ समान स्तर पर व्यवहार नहीं होता है। उनकी यह गलतफहमी भी दूर हो जायगी। इस तरह से मार्गों पर बराबर दोनों बसें चलायी जाय तो जो राजकीय परिवहन में जो ढीलेपन की शिकायत है, और जो यह शिकायत है कि उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिये, वह समाप्त हो जायगा, और यह अधिक लाभकर सिद्ध हो सकता है।

हमारे जो कर्मचारी हैं इनके सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहती हूं। हमारी बस सेवाओं के जो कंडक्टर्स हाई स्कूल परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाये हैं। वे 10, 12, 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। उनको यात्री गाड़ियों में काम कराया जाता है और माल गाड़ियों की तरह से वेतन दिया जाता है। उनकी योग्यता, एफीशियेन्सी और अनुभव को देखकर उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाय। उन कर्मचारियों को प्रोमोशन की सुविधा भी मिलनी चाहिये। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस परिवहन बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं बजट का पूर्ण समर्थन करती हूं और कटौती का घोर विरोध करती हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, दो तीन सवाल परिवहन के अन्दर हैं। इन्हीं बातों पर कटौती के प्रस्ताव पर माननीय रामपाल जी ने कहा है। माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा कि बलिया में प्राइवेट बसों में बहुत भीड़ होती है। मैं बलिया का रहने वाला हूं। वहां सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ी है। न प्राइवेट बसों में सवारियां जा पाती हैं न सरकारी बसों में। मैं आजमगढ़ से आता हूं। प्रतिदिन आजमगढ़ से लखनऊ आने वाले छूट जाते हैं। इस लिए बसों की संख्या बढ़ायी जाय।

सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सरकारी सड़कों पर प्राइवेट बसें चलने लगें। अगर निगम की बसें चलेंगी, तो सरकारी कोष में पैसा जायगा। उससे उत्तर प्रदेश की तरक्की में योगदान होगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि सारे के सारे, परमिट फ्री कर दिये जाय। अगर परमिट फ्री कर दिया जाय तो सारे कैपिटलिस्ट जो काले धन का रुपया रखे हुए हैं। वह बसें खरीद लेंगे और सारी सड़कों पर कब्जा कर लेंगे। इस लिये परमिट में उदारता बरतनी हो तो सरकार बरते लेकिन उन्हीं को परमिट न दें जिनमें परमिट खरीदने की क्षमता हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज रोडवेज विभाग उत्तर प्रदेश में रेल से भी इम्पार्टेन्ट विभाग है। लेकिन जो व्यवस्था निगम की तरफ से होनी चाहिये वह नहीं हुई। जो नियम प्राइवेट बसों के लिये बनाये गये हैं इंश्योरेन्स के, रजिस्ट्रेशन के, पैसेन्जर टैक्स के, फिटनेस सर्टिफिकेट के वही नियम निगम की बसों के लिये भी लागू होने चाहिये। होता क्या है? गाड़ी की जब चेकिंग होती है तो केवल कंडक्टर की चेकिंग होती है कि कितने टिकट हैं और कितने बगैर टिकट हैं। यह नहीं देखा जाता कि नियम के अन्दर जो सर्टिफिकेट होने चाहिये वह हैं या नहीं। इससे दिक्कत यह होती है कि गाड़ी वर्कशाप से चल कर रास्ते में बिगड़ जाती है। यह देखा नहीं जाता कि फिटनेस सर्टिफिकेट भी है या नहीं।

जहां तक आर0 टी0 ओ0 विभाग की बात है, उसको 18 करोड़ की जगह पर 33 करोड़ का प्राफिट है लेकिन कहीं भी उसका अपना आफिस नहीं है, सब जगह दफ्तर किराये का है हालांकि मुनाफा दूना हो गया है। हम चाहेंगे कि इनके अपने अलग दफ्तर हों।

कुछ अनियमिततायें भी बरती गयी हैं इसके अन्दर। सरकार ने एक निगम बना दिया है इसलिये एक इंडिपेंडेंट बाडी हो गयी। तो जैसे प्राइवेट बसों से पैसेन्जर टैक्स आप प्रति माह जमा करा लेते हैं वैसे ही निगम की बसों से भी यात्री कर सरकार को मिलना चाहिये। यह बड़ी इम्पार्टेन्ट बात है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसे देखें।

इसके अतिरिक्त इनका एक केन्द्रीय स्टोर है कानपुर में। वहां करोड़ों रुपये की खरीद-फरोख्त होती है। जहां तक मुझे मालूम है यह दफ्तर अब लखनऊ में स्थापित कर दिया गया है। मुझ से कुछ अधिकारियों ने बताया कि इससे वहां के दफ्तर का कंट्रोल छूट गया और अभी तक बैलेन्स शीट उस केन्द्रीय स्टोर की नहीं आ पायी है जबकि नियम यह है कि अक्तूबर या 31 मार्च तक हर साल किसी भी केन्द्रीय स्टोर की बैलेन्स शीट आ जानी चाहिये। इसके अलावा फिजिकल वेरीफिकेशन भी नहीं होता है। जबतक यह नहीं होगा लाखों रुपये का घाटा होगा।

जहां तक किराया बढ़ाने की बात है, मंत्री जी कहते हैं कि हम सोच रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि आप बसें बढ़ाइये। किराया तो प्राइवेट बसों के मुकाबले में आज भी आपका ज्यादा है। इसलिये आप किराया बढ़ाने की बात न करें। आपने निगम बनाया है इसलिये कि प्रदेश की जनता को सुविधा मिले। किराया बढ़ा कर ऐसा न करें कि जब लड़की की शादी हो तो दूसरे के घर डकैती डालें। (लाल बत्ती होने पर) हमारे साथी ने दो मिनट कम लिया था इसलिये वह 2 मिनट हमें दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

आपके साथी नहीं हैं वह, वह संगठन कांग्रेस के हैं।

श्री राम अधार––

अच्छा ठीक है। खर्चे के मुताबिक मेहनत न करें, खेत में काम न करेंऔर जब खर्चे की जरूरत पड़े तो डकैती डाल दें। तो आप डकैती न डालें, किराया बढ़ाने की बात न करें बल्कि आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटायें। हमारे आजमगढ़ जिले में गाड़ियां बिगड़ी पड़ी रहती हैं। अच्छे टायर बेच दिये जाते हैं। तो भ्रष्टाचार, चोरी बन्द करें और अपने खर्चे को पूरा करें। किराया बढ़ाने की बात न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामपाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बालकृष्ण सनवाल(जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, परिवहन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान की मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान यह सूचित किया कि परिवहन विभाग में जो कमियां हैं, विशेषतौर पर जो भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं उनको दूर करने की दिशा में कुछ कदम उठाये गये हैं।

मुख्य तौर पर परिवहन के दो हिस्से हैं—एक तो परिवहन व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना, दूसरा है सरकार या निगम द्वारा परिवहन की सुविधायें जनता को उपलब्ध कराना। परिवहन पर नियन्त्रण का जहां तक संबंध है उसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिये जो उपाये किये जा रहे हैं वे सराहनीय हैं। आर0टी0ओ0 वगैरह को भी पी0सी0एस0 ग्रेड देने का तथा पी0सी0एस0 में से उनकी भर्ती करने का जो निर्णय लिया है सरकार ने, उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जब किसी अधिकारी को कोई प्रमोशन आदि नहीं मिलता तो वह अपने सम्मान आदि को बढ़ाने के लिये धन कमाने के लिये प्रयत्न करता है। जो यह कदम उठाया गया है उससे इस तरह के भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। मोटर मालिकों व चालकों को अपना पैसा जमा कराने में भी बड़ी असुविधा होती थी और उनको कुछ अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ जाता था। इसके लिये भी जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिये भी मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि परिवहन अधिकारियों की जो आर0टी0ओ0 वगैरह की मीटिंग होती हैं उनमें जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये ताकि वे जनता की कठिनाइयों को उसमें रख सकें।

मंत्री जी ने बताया कि परिवहन निगम में घाटा है क्योंकि पिछले दो तीन सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया है, जब कि अन्य चीजों के दाम कई गुना बढ़ गये हैं। किराया न बढ़ाने वाला कदम एक अच्छा कदम था, उसके लिये भी मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में संकेत दिया कि वे इस दिशा में कुछ सोच रहे हैं। कि किराया बढ़ाया जाय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पहले आप प्रशासनिक ढांचे पर होने वाले व्यय को कम करने की दिशा में विचार करें। अधिकारियों की बड़ी लम्बी चौड़ी फौज है जो देखरेख का काम करती है। इनसे कोई आमदनी नहीं बढ़ती है। प्रत्येक अधिकारी के पास एक गाड़ी भी आपने दे रखी है। इसकी जगह सब को अलग अलग गाड़ी न देकर, पूल करके, केवल कुछ अधिकारियों के बीच एक गाड़ी दी जाय तो उससे काफी बचत खर्च में की जा सकती है। उन गाड़ियों को किराये पर चलाने से आपकी आय भी बढ़ सकती है। इसके अलावा और तरीकों से भी आय बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिये नैनीताल से दिल्ली के बीच एक लग्जरी बस चलती है। वह दिन में आराम करने के लिये नैनीताल से काठगोदाम खाली आती है और फिर काठगोदाम से नैनीताल खाली ही जाती है। इससे 240 रुपये रोज किराये की हानि आपको होती है। यदि इसमें सवारी लेकर यह बस आया जाया करे तो इससे 240 रुपये रोज की आमदनी बढ़ सकती है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां करीब 5 हजार गाड़ियों का फ्लीट है और काम करने वालों की बहुत बड़ी फौज है। उन सब पर नियन्त्रण एक ही जगह से होता है। इसको यदि आप 5 हिस्सों में बांट दें और प्रत्येक इकाई को पूर्णरूप से अधिकार नियन्त्रण आदि के दे दिये जायें और कोआर्डिनेशन के ढंग का एक केन्द्र बना दिया जाय, तो इससे काफी सुधार हो सकता है। जो इन पांच रीजनों में काम में समन्वय कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक रीजन में जो मुख्य अधिकारी हैं उनको हानि के लिये उत्तरदायी बना दिया जाय कि तुम्हारे रीजन में हानि नहीं होनी चाहिये बल्कि लाभ होना चाहिये। जब व्यक्तिगत बस ओनर्स हर पांच साल बाद एक नयी बस लाकर खड़ी कर देते हैं मुनाफे से, तो फिर समझ में नहीं आता कि जहां हमारी मोनोपली है वहां हम अच्छा मुनाफा न कर सकें। कटौती के प्रस्तावक महोदय ने कहा कि 404 रुपया प्रतिवर्ष प्रति बस के हिसाब से मुनाफा होता है। माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे तो सोशलिस्ट हैं। प्रत्येक कार्य मुनाफा कमाने के लिये ही नहीं हुआ करते, जनसेवा के लिये भी होते हैं।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में हर जगह दुर्व्यवस्था देखने को मिलती है, यह सही बात है कि जैसी सेवा लोगों की होनी चाहिये वह नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि रामनगर से रानीखेत और दिल्ली तक बसें बढ़ाकर जनता को सुविधा पहुंचाई जाय क्योंकि लोगों को मुरादाबाद से बस लेना पड़ता है जिसमें उनको असुविधा होती है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेशन हैं उन पर शौचालयों और यात्रियों के लिये विश्रामगृह का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये। यात्रियों को जितनी सुविधायें उपलब्ध करा सकें, उसके लिये बीच-बीच में व्यवस्था करते रहना चाहिये।

एक निवेदन और है कि पुरानी सड़कें जो परिवहन विभाग ने ली हुई हैं उनमें जब तक परिवहन की अच्छी व्यवस्था न हो जाये तब तक नई सड़क न ली जावें क्योंकि उनमें अभी तक अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जो नई सड़कें हैं उनमें जो ज्यादा भरोसे के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको वहां के लिये परमिट्स दिये जावें लेकिन उन पर यह प्रतिबन्ध भी लागू किया जावे कि आप यात्रियों की सुविधा के लिये अपने यहां पर शौचालय रखें और विश्राम-गृह की व्यवस्था करेंगे।

इसके साथ ही मैं रोडवेज कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन्स के बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक उनकी सर्विस कन्डीशन्स निश्चित नहीं हो सकी हैं कि वे रोडवेज के कर्मचारी हैं या निगम के कर्मचारी हैं। यह बात बहुत शीघ्र निश्चित हो जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो अनुदानों की मांगे रखी हैं उनका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। बसों के बारे में माननीय रामपाल सिंह जी ने जो बातें कही हैं। वह बहुत अच्छी हैं कि बसें जो चल रही हैं वह जनता की सेवा करने योग्य नहीं हैं, वह जनता को अपनी मंजिल तक पहुंचा भी देंगी इसमें संदेह होता है। बीच में ही खराब हो जायंगी यह कहना मुश्किल है। यह तो परिवहन निगम की बसों की हालत है।

इस समय मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान फ्लाइंग क्लब की ओर दिलाना चाहूंगा। फ्लाइंग क्लब एक संस्था है जिसने कुछ पाइलट्स को ट्रेनिंग दी है और इनके पास अपने भी जहाज थे और हमारे जहाज भी सात हैं जो हमारी सरकार ने फ्लाइंग क्लब को दे रखे हैं। सारे सातों जहाजों के लिये केवल एक पाइलट है। पिछले वर्ष इसी विधान सभा में एक सवाल उठा था कि अमेरिका से सरकारी जहाज लाने के लिये वह भेजा गया तो लगभग 5 हजार डालर उस पर खर्च किये गये जबकि उसकी डेलीवरी बम्बई में लेनी थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तीरथ राम कोहली]

इतना ही नहीं, उसको साथ-साथ लाने में लगभग 3 हजार डालर एक्सचेंज पर हमारी सरकार का खर्चा हुआ। इस प्रकार फिजूलखर्ची उस पाइलट के द्वारा इस सरकार की ओर से की जा रही है। सात जहाज हमारे पास हैं बिल्कुल बेकार हैं सब एक पाइलट है जब कि इस प्रदेश के अन्दर 15, 16 लाइसेंस्ड पाइलट्स हैं जो बिल्कुल बेकार बैठे हुये हैं और ट्रेनिंग ले कर बेकार घूम रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो जहाज हैं उनको अधिक से अधिक जनता के प्रयोग के लिये लाया जाय और इलाहाबाद से वाराणसी, इलाहाबाद से कानपुर, और इलाहाबाद से लखनऊ आदि रूटों पर अपने जहाजों को चलाकर और ज्यादा आमदनी कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं यह भी कहूंगा कि 73—74 में फ्लाइंग क्लब को 6 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था लेकिन इस वक्त उसके लिये 10 लाख रुपया रखा गया है। इन 4 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी का क्या कारण है, इसका कोई जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर सुधार हो। जब कहीं दवा छिड़कना होता है, या जब सरकार को खेती के लिये कोई कार्य करना पड़ता है तो दूसरी प्राइवेट कम्पनियों से काम लिया जाता है। अपने जहाजों से काम क्यों नहीं लिया जाता, जब कि फ्लाइंग क्लब के पास 7 जहाज हैं और एक हेलिकाप्टर है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस फिजूलखर्ची की ओर ध्यान दे।

एक मुहकमा इनफोर्समेंट का है जो आर0टी0ओ0 के अधीन है जो तमाम ट्रक्स और बसें चलाया करते हैं। उसके अन्दर बहुत बड़ा घपला है। इनफोर्समेंट आफिसर कब निकले, कहां गये, कब लौटे, कितने चालान किये, इसका कोई हिसाब-किताब उस आफिस के अन्दर मौजूद नहीं है। जब मन में आया चले गये, जब मन में आया आये, लौटे, इसलिये मैं चाहता हूं कि इनफोर्समेंट आफिसर का एक रोजनामचा होना चाहिये, उसके आफिस के अन्दर रेकार्ड होना चाहिये कि इतने बजे आफिस में आये, इतने बजे चले गये, इतने बजे चालान किया, इतने बजे लौट कर आये और साथ ही साथ जब चालान करने निकलते हों तो उनका नेम प्लेट भी होना चाहिये और डिजिगनेशन होना चाहिये ताकि जिनका चालान किया जाय उनको जानकारी तो हो जाय कि चालान करने वाला कौन अधिकारी है।

इसके साथ ही साथ मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं जिनका कि इनफोर्समेंट आफिसर ने चालान किया है। आप जरा इसका मुलाहिजा कीजिये जो इन्होंने अपना कार्यकलाप दिया है उसके पेज 29 पर है। इसमें बड़ा घपला है। इनके अधिकारियों ने कितना भ्रम में डाला है। 67—68 में 27 हजार मुकदमे कायम हुए और फैसले हुए 33 हजार जब कि होना चाहिये 27 हजार। इनके अधिकारियों ने इस तरह के तमाम गलत आंकड़े देकर हमलोगों को भ्रम में डाला है। ये आंकड़े 61—62 से लेकर 31 दिसम्बर, 74 तक के हैं। कुल 5 लाख 73 हजार मुकदमे अदालत में मौजूद हैं और फैसले हुए 4 लाख 8 हजार। पता नहीं एक लाख मुकदमे कहां चले गये। पिछले 14 वर्ष में पता नहीं उसकी फाइलें कहां गयीं। यह हालत है भ्रष्टाचार की आर0 टी0 ओ0 के यहां। वे मैजिस्ट्रेट हैं, चालान करते हैं और फैसला करते हैं।

इसके अलावा एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रक व गाड़ियां ले जाने के लिये जो परमिट ईश्यू होते हैं उसमें भी बहुत बड़ी रिश्वत चलती है। मनमाने ढंग से परमिट दिया जाता है। दो तीन आदमियों की कमेटी बनी है कि वे जिसको चाहें परमिट दें। उसके लिये भी कुछ नियम बने हुए हैं लेकिन उसकी ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसके बाद मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की बस सर्विस के बारे में कुछ कहूंगा। हमारे इलाहाबाद के अन्दर सिटी बस सर्विस बड़ी निकम्मी है। वहां की बसों में लोगों को जबरन भरा जाता है और जब तक बस में रश नहीं होगा, बस जायेगी नहीं। इसलिये

मेरा निवेदन है कि इलाहाबाद में जो सिटी बस सर्विस चल रही है उसमें सुधार किया जाय। जहां तक नये रूट्स की बात है, मेरा कहना है कि करेलाबाग से चौक होते हुए कचहरी तक और कचहरी से चौक होते हुए मनोरी-भावारीआदि तक बस सर्विस बढ़ायी जाय। इसमें रिश्वत बहुत चलती है। मेरा सुझाव है कि जो भी लोकल परचेज हो उसके लिये टेन्डर इन्वाइट किया जाय और उसी रेट पर वर्ष भर सप्लायर से सामान लिया जाय। समय-समय पर जो उस रेट में संशोधन करते रहते हैं वह न हो। जब टेंडर आयेगा और उसी रेट से सामान लेंगे तो उससे भ्रष्टाचार कम होगा।

इतना ही नहीं, एक चीज और है। अभी परसों नरसों ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें फ्री परमिट के लिये कुछ लोगों ने मांग की है। इससे बहुत बड़ा घपला होगा। आप उनको फ्री बस दे दीजिये, फ्री परमिट दे दीजिये। जो फ्री रहते हैं। अब उनसे कम्पटीशन कराइये, इससे एक तरफ तो आपकी आमदनी बढ़ेगी दूसरी तरफ जनता को भी सुविधा होगी। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि फ्री बस और फ्री-परमिट कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, परिवहन मंत्री ने जो यह अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, सूबे के अन्दर परिवहन को सुव्यवस्थित बनने के लिये सरकार को कुछ तरीके अपनाने चाहिये। परिवहन एक देन है, एक ऐसा आविष्कार है, चाहे वह रेल हो चाहे मोटर हो, चाहे जहाज हो, हर एक साधन ने हमारी जिंदगी को एक नया रूप दिया है। हमको प्रगति के लिये, हमारे विकास के लिये, हमको आगे बढ़ने के लिये परिवहन ने मौका दिया है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में मोटर यातायात के लिये एक बड़ा भारी क्षेत्र पड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जो यह हमारे तीर्थ स्थान हैं। यहां प्रतिवर्ष मैदान से काफी संख्या में लोग जाते हैं और वहां बद्रीनाथ केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री में लाभ उठाते है, केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं वहां गंगा का पानी ऐसा है जहां स्नान करने से लोगों के कोढ़, खुजली आदि अनेकों रोग दूर होते हैं। तो यह जो स्थान हैं, यहां पहुंचना परिवहन की वहज से संभव हुआ है।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय एक आयोग बनायें। एक नियंत्रण आयोग बनाये जो व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाय और जो कमियां हैं उनके लिये, उनके सुधार के लिये नये-नये सुझाव प्रस्तुत करे। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करें। मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि इस नियंत्रण आयोग में हमारे जनता के प्रतिनिधि हों, टेक्नोक्रेट रहें। विभाग के अधिकारी रहें, कर्मचारियों का भी इसमें शेयर हो। मेरा विश्वास है इससे बहुत सहायता मिलेगी। जैसे शिक्षा को अच्छा बनाने के लिये शिक्षकों और विद्यार्थियों का योगदान लाभदायक हो सकता है उसी प्रकार से परिवहन निगम के अन्तर्गत इस आयोग में परिवहन के कर्मचारियों का योगदान, उनके अमूल्य सुझाओं का लाभ हमारे अधिकारियों को लेना चाहिये।

हमारे जो कन्डक्टर हैं, ड्राइवर हैं, कुली हैं और जो काम करने वाले हैं, उनके सुझावों का लाभ हमें उठाना चाहिए। दृष्टिकोण इनका क्या है, इसकी जानकारी से हम लाभ उठा सकते हैं। अब पीछे का समय, जब जैसा चाहे, अधिकारी कोई काम सुधार लेंगे और अनुशासन रखने के लिए कोई शक्ति का प्रयोग करेंगे, अब ऐसी बात नहीं है यह विश्वास न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

करें। हम जो लोग काम करते हैं उनका सहयोग इस आयोग में लेना चाहिए। जो लोग वर्षों से सेवा में लगे हुये हैं, उन्होंने अपनी सेवा के दौरान जो अनुभव प्राप्त किये हैं, उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। मोटरों में, बसों में सुधार के लिए, उनकी मशीनों में सुधार के लिये, उनको सुन्दर बनाने के लिए इन लोगों का ज्ञान और अनुभव लेना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन लोगों का सेमीनार लगाए और इनके सुझावों से उचित लाभ उठाये।

मेरा सुझाव एक और है। एक सचल दल का निर्माण होना चाहिये। इसमें टेक्निकल जानकारी के लोगों को होना चाहिए। जैसे मान लें कि एक बस वर्कशाप आती है, आपरेटस लगाने के लिए। वर्कशाप में उसकी मरम्मत की जाती है और आपरेटस लगाया जाता है। तो जब वर्कशाप से बस निकले और अगले स्टाप पर रुके। जैसे मुरादाबाद से चले और देहरादून में रुके तो इस दल के द्वारा इस बस की चेकिंग की जाय कि आपरेटस लगाया गया है या नहीं। दल के लोग भागते जायं और गाड़ियां चेक करें तो मैं समझता हूं कि पुराने पुर्जे जो लगाए जाते हैं और नए वाउचर दिए जाते हैं तो उसमें कमी होगी। पुर्जे नए लगाए जायेंगे। इससे काफी लाभ होगा। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी मेरे इस सुझाव की ओर ध्यान दें, यह मेरा निवेदन है।

मान्यवर, आपने सभी जिलों से और दिल्ली के पर्वतीय जिलों जैसे गोपेश्वर, चमोली और नैनीताल आदि में गाड़ी लगायी है। लेकिन मैंने कई बार निवेदन किया कि एक गाड़ी टिहरी से उत्तरकाशी होते हुए दिल्ली लगायें जिससे हमको और आपको भी लाभ होगा।

मान्यवर, एक और निवेदन है कि जैसा पूर्व वक्ता श्री रमाकान्त पन्त ने कहा कि छोटे-छोटे कर्मचारी जो हैं जैसे कन्डक्टर जो हाई स्कूल पास हैं वह 10-15 साल में आपकी गाड़ी में अच्छी सेवा दे सकेंगे बजाए नये लड़के के। हाई स्कूल फेल और हाई स्कूल पास लड़के में कोई विशेष अन्तर नहीं आएगा। इसलिए जो हाई स्कूल फेल भी हैं यदि उनकी चरित्र पंजिका में अच्छी इन्ट्री है, गुड वर्कर्स और रेवार्डेड एन्ड बैड वर्कर्स और पनिश्ड, तो उनको रेवार्ड देना चाहिए। लेकिन जिन्होंने 15 साल सेवा पैसेन्जर गाड़ी में किया है उनको भी आप लोअर ग्रेड देते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को प्रोमोट करें जिससे वे अच्छा काम करें। इसके साथ मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह परिवहन विभाग ऐसा है जिस पर देश की तरक्की का दारोमदार है। लेकिन जैसे हर विभाग में दो तरह की चीजें होती हैं वैसे ही इसमें भी दो तरह की व्यवस्था रखी गयी है। मान्यवर, आप देखेंगे कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अपने कब्जे में रखी हैं और निगम द्वारा बसें चलवा रहे हैं। जो बस लांग रूट पर चल रही हैं उनमें यात्रियों को सहूलियतें बहुत मिली हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लांग रूट की गाड़ियों में जरूरत का जो सामान होता है वह मन्त्री जी या निगम के लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। उनके पास कम से कम कुछ औजार रहें, अलग से टायर रखने चाहिये ताकि यदि कहीं पर गाड़ी में गड़बड़ी हो जाय तो उसे उसी स्थान पर ठीक कर सकें और निश्चित स्थान पर पहुंच सकें। लेकिन आप देखें कि 50 किलोमीटर की दूरी का सफर है तो भी 2-3 गाड़ियां रुकी हुई मिलेंगी। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों की तरफ ले जाना चाहता हूं। वह तराई का एरिया है और एक तरफ नैपाल का बार्डर है। यहां के मुसाफिर जाते हैं, दूसरे देश के मुसाफिर जाते हैं इसलिए महत्व है। लेकिन मान्यवर, नवतनवां में 12 बजे के बाद 5 बजे तक मुसाफिर खड़े रहते हैं और कोई गाड़ी नहीं होती है। यदि कोई गाड़ी आती भी है तो वह बिना रुके भाग जाती है। इसलिए वहां मिनी बसों और टैक्सियों का इस विभाग पर इतना जोर हो गया है कि वह जानबूझ कर गल्तियां करते हैं। इस सम्बन्ध में मन्त्री

जी को लिख कर शिकायत भी की गयी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई ताकि कर्मचारी और अधिकारी उससे सचेत हों। मान्यवर, पहले स्टेशन इन्चार्ज नीचे के कमरे में बैठा रहता था लेकिन अब उसको सबके सर पर बिठा दिया गया है इसलिये नीचे कोई इन्चार्ज नहीं मिलते हैं जिससे कि शिकायत की जा सके। जिन कर्मचारियों को 100-150 किलोमीटर चलना है उनके लिये स्टेशन पर बैठने के लिए कोई कोठरी और चारपाई नहीं है। अधिकारी लोग ऊपर के कमरों में विचरते रहते हैं।

मान्यवर, जैसे यात्री कर तथा टैक्स जो प्राइवेट वालों से वसूल किये जाते वैसे ही निगम से यह कर लिए जाने चाहियें क्योंकि उनके पास कोई हिसाब नहीं है और कहां वसूल करके खा गए। कुछ निकायों में देते थे जो कि टोल टैक्स के नाम पर था। अब न्यायालय ने बन्द कर दिया। लेकिन यह सरकार यात्रियों पर उसको लादे हुए है जो कि निकायों के नाम पर लिया जाता है। यह नहीं लिया जाना चाहिए।

मान्यवर, नफा तो पाण्डेय जी ने दिखाया है लेकिन मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यह नफा वक्ती है। खर्च नहीं किए जाते हैं। इसलिए जब यह खर्च लगेगा तब निगम की कमर टूट जाएगी। सामान गायब हो रहे हैं, अच्छे टायर आते हैं उनको बदल कर रद्दी टायर लगा दिए जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि एक टेस्ट यह है कि प्रति किलोमीटर प्राइवेट वालों से क्या मिलता है और निगम से क्या आमदनी होती है ? यह जोड़ लें तो उनको पता चल जाएगा ? मुझे खुशी हुई कि मोटर यूनियन में मुख्य मन्त्री जी बोले और कहा कि पार्टी लेवल से अलग होकर यह सब चीजें हैं, सब की राय लेना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा कि जैसा निगम बनाया है उसमें जितने प्राइवेट आपरेटर्स हैं उनकी गाड़ियों को पूंजी मानकर यह शरीक कर लें। उनके हाथों में इन्तजाम देकर देखें कि कितनी नफा होती है और मुसाफिर को कितनी आराम होती है। हाल यह है कि 3-4 मील से ज्यादा नहीं मुसाफिर को खड़ा होना चाहिए लेकिन गोरखपुर से विधायक खड़ा होकर आता है। शिकायत हुई तो कन्डक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल हमको और आपको होना चाहिये, कन्डक्टर को नहीं होना चाहिए क्योंकि जब जगह नहीं है तो वह कहां से बैठाए। लेकिन मन्त्री जी ने यह कृपा की है कि एक सीट पर लिखवा दिया गया है कि वह विधायक की सीट है। एक सीट कन्डक्टर की भी हम लोग ले लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटर आपरेटर्स के जो झगड़े चल रहे हैं वह नहीं होने चाहिये वह भी आपकी पूंजी है। कम से कम 125 किलोमीटर रोज उनको चलने की इजाजत दें। और इस तरह से कोई गाड़ी खड़ी न रहे ताकि वह पूंजी बरबाद न हो जाय।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं परिवहन मन्त्री के अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में जो परिवहन का विशाल जाल फैला हुआ है, विशाल कार्य हुआ है उसके संचालन म पिछले वर्षों में जो आशातीत सफलता मिली है उसके लिये हमारे माननीय मन्त्री जी तथा उनका विभाग प्रशंसा के पात्र हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात कही जाती है जितना बड़ा काम होगा उसमें कुछ न कुछ कमियां रह ही जायेंगी और उन छोटे-छोटे कामों के निराकरण के लिए सुझाव देना चाहिए, केवल छिद्रान्वेषण से काम नहीं चलेगा। पिछले तीन सालों में इस राज्य की कार्यक्षमता ने आमदनी को दुगुना बढ़ा दिया है और पहले जो यह विभाग घाटे में चल रहा था मुद्रा स्फीति के कारण इस बढ़ोत्तरी ने उसे पूरा करने में बड़ा सहयोग दिया है। मैं अनुरोध करूंगा मन्त्री जी से अगर वह इस मामले में कुछ और कड़ाई करेंगे तो परिवहन विभाग की आमदनी और बढ़ेगी। यात्री कर का 5 करोड़ की रेवेन्यू का जहां तक सम्बन्ध है जो रोडवेज के पास है वह हमारी है, रोडवेज की नहीं है। यात्रियों से वह रुपया वसूल किया गया है और रोडवेज

[श्री निर्भय नारायण सिंह]

उसे अपने पास रखे हुए हैं। यह स्थिति चिन्ताजनक है। जो अन्य टैक्सेज हैं उनको ठीक से वसूल करके भी हम अपनी आमदनी आगे बढ़ा सकते हैं। सुझाव के रूप में मैं यह कहूंगा कि जहां तक यात्री कर का सवाल है, यह परिवहन विभाग के आमदनी का मुख्य स्रोत है। मेरा सुझाव यह है कि जो यात्री-कर इन्सपेक्टर का पद है इस को सरकार शीघ्र तोड़ दे क्योंकि आधी आमदनी उसकी जेब में चली जाती है। आपके यहां प्राविजन है कि यात्री-कर लम्पसम बसों से ले सकते हैं तो चलने वाली बसों का औसत निकाल कर जो क्वार्टर्ली टैक्स आप उन पर वसूल करते हैं उसके साथ यात्री-कर भी वसूल कर लें वर्ना हमारी इससे आमदनी आधी रह जाती है।

गुजिश्ता साल में परिवहन विभाग ने विशेष कर परिवहन निगम ने रेल की हड़ताल के समय प्रदेश की जनता की जो सेवा की यात्रियों को तथा माल की ढोने में उसके लिये मैं रोडवेज को धन्यवाद देता हूं कि संकट की घड़ी में कार्यकुशलता के साथ उसने अपनी सेवायें अक्षुण रखने में मदद की। जो एजिटेशन बीच में हुआ था टैक्स की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में यह सही है कि टैक्स का बढ़ाना अथवा टैक्स का देना दोनों चीजें अच्छी नहीं समझी जा रही हैं। टैक्स देने में परेशानी होती है लेकिन जिस रेश्यों से वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, माल की ढुलाई के चार्जेज बढ़े हैं उसके मुकाबले जिस रेश्यों से टैक्स बढ़ा है उसे गैर मुनासिब नहीं कहा जा सकता।

इसके साथ में यात्री-कर के बारे में पुनः कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार के सामने यह विचाराधीन विषय है कि ज्वायंट चेक-पोस्ट्स बनाई जायें। प्रदेश के हर अंचल में आर० एफ० सी० सेल्स टैक्स के चेक पोस्ट बने हुए हैं उसके साथ ही आप अपना सेल्स टैक्स ज्वाइन्ट कर लें तो उससे आमदनी बढ़ेगी। बिना टैक्स देने वाले और ओवर लोड वाले भी आसानी से पकड़े जायेंगे। बैठे-बैठे वहां पर चेकिंग हो जाएगी कि जो 5 टन आपका निर्धारित भार है। वह सही है परन्तु वहीं आपरेटर 15 टन का टोल टैक्स देता है और 5 टन का ओवर लोडिंग करता है। इस प्रकार काम खर्च पर ज्यादा काम हो सकता है और साथ ही आमदनी भी बढ़ सकती है।

बसों को परमिट देने की यहां पर बात कही गई है। कांट्रेक्ट कैरिज को परमिट देने की सरकार की नीति यह है कि अभी तक एक भी कांट्रेक्ट कैरिज का परमिट नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, उसे ढोने के लिए, अनिवार्य वस्तुओं के लाने ले जाने के लिये बहुत ही आवश्यक है कि कांट्रेक्ट कैरिज को परमिट दिया जाय। अभी माननीय सदस्य इलाहाबाद ने बताया कि अन्तर्राज्यीय परमिट देने में धांधली हुई है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चलने वाली एक भी यात्री बस को परमिट नहीं दिया गया। जब परमिट दिया ही नहीं गया तो गड़बड़ी का सवाल कहां पैदा होता है? मान्यवर, आपके मार्फत से मैं सदन को बताना चाहता कि वेस्टर्न जोन के परमिट के नाम से दो सौ परमिट यू० पी० को एलाट हुए थे। उनमें से एक पर भी कोई एतराज नहीं हुआ अपील नहीं हुई और आज भी करीब 40 परमिट शेष हैं। . . (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें।

दूसरी बात यह है कि यहां पर स्कूटर का जो एलाटमेन्ट हो रहा है उसके बारे में मैं पाण्डेय जी को और विभाग को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वे इस सम्बन्ध में उसी व्यवस्था को कायम रखें, जैसे वे चला रहे हैं। दो साल के अन्दर जितने स्कूटर हमको मिले हैं उतने इस सदन को, जनता को पिछले 6 सालों में नहीं मिले थे। वही व्यवस्था अक्षुण रहनी चाहिये।

दो बातें परिवहन के सम्बन्ध में कह दूं अन्यथा मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मान्यवर, परिवहन निगम में इतने कुशल मन्त्री और अधिकारी होते हुए भी इसमें घाटा हो

रहा है और इफीसिएन्सी की कमी हो ही रही है। देखने की बात यह है कि कमी कहां पर है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि मन्त्री जी यह समय-समय पर बतायें कि कौन-कौन से पोलिटिकल लोग कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स की सिफारश करते हैं। चाहे वे ग्राम्य स्तर के हों या विधायक हों, इस मामले में कड़ाई से कार्यवाही की जाय। इस विभाग में भी लूट होना शुरू हो गई है। अब तक तो कोआपरेटिव और विद्युत विभाग ही सफेद हाथी के रूप में थे लेकिन अब यह परिवहन निगम तीसरा सफेद हाथी उसमें जुड़ गया है जो कि प्रदेश को बरबाद कर रहा है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दोनों ओर से चर्चा हुई और उसमें विशेष बात भ्रष्टाचार की उठाई गई कि इस विभाग में अधिक से अधिक भ्रष्टाचार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार नीचे से ही प्रारम्भ नहीं होता है बल्कि सदैव ऊपर से आता है। ऊपर जो हमारे अधिकारी और मन्त्री बैठे हुए हैं।....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्ति बनायें रखें। शोर हो रहा है।

श्री वीर सिंह सेंगर—

मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। अभी तक जो परम्परा रही है, जो नियम रहा है उसके अनुसार एस0टी0ए0 में विरोध पक्ष का एक एम0एल0ए0 अवश्य रहा है लेकिन माननीय पांडेय जी ने जो कमेटी बनायी है। उसमें विरोध पक्ष का कोई एम0एल0ए0 नहीं रखा। एस0टी0ए0 में यह परम्परा रही है कि अभी तक उसमें विरोध पक्ष के भी मेम्बर रहते थे लेकिन अब नहीं रखा है। उसमें बजाय एम0एल0ए0 रखने के एक साधारण आदमी को सदस्य बना दिया है। एस0टी0ए0 में एक वकील को मेम्बर बना दिया है। एक एम0एल0ए0 हैं वह गैरहाजिर रहते हैं। यहां पर जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको उसकी सदारत करनी थी लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया कि कि हम इस थर्डक्लास कमेटी में नहीं बैठेंगे।

तो जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, यह राजनीतिक हैं, यह नीचे से नहीं होता है यह ऊपर से होता है। डिमोक्रेसी में विपक्ष को भी सम्मान देना होता है लेकिन अगर आप इस तरह से उपेक्षा करते जायेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कहां तक प्रजातन्त्र कामयाब रहेगा। इसी तरह से परिवहन में एक डायरेक्टर को नोमिनेट कर दिया है। वहां पर एक तरह से तमाशा हो रहा है। आर0टी0ओ0 के यहां फाइलों के अम्बार लगे रहते हैं जिसके कारण जनता को रुपया देना पड़ता है तब उसका काम होता है। आर0टी0ओ0 कहता है कि हमको भी बटवारा देना पड़ता है। इन्कम टैक्स देना पड़ता है। मैं एक उदाहरण आर0टी0ओ0, देहरादून मि0 टंडन का देता हूं। विजिलेन्स ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है कि वह नौकरी पर नहीं रखे जाने चाहिए लेकिन उनकी फाइल मन्त्री जी के यहां रखी पड़ी है उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह दबी रहेगी।

एस0टी0ए0 के सेक्रेटरी जो हैं। वह एक सीनियर आदमी होना चाहिए। मि0 टण्डन होना नहीं चाहते थे। लेकिन उसमें एक जूनियर को सेक्रेटरी बना दिया गया।

जहां तक भर्ती का सवाल है उसका भी कोई नियम नहीं है। देहरादून में एक एपाइन्टमेन्ट कर दिया है कोई मिस आई है। उनके लिए ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने एप्रूवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीर सिंह सेंगर]

नहीं दिया और मना कर दिया कोई मिस सिन्हा हैं। तो वह पोस्ट वैसे किसी हरिजन को जानी चाहिये थी और फिर वह चुनाव के आधार पर होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ। तो इस तरह से एपाइन्टमेंन्ट हो रहे हैं। तो इस दशा में कैसे काम चलेगा? एक कोई प्रभावशाली व्यक्ति मि0 के0 बी0 शुक्ला हैं उनकी मदद से उनकी वाइफ को एक परमिट सहारनपुर-मुजफ्फरनगर का दिया गया।

आर0टी0ए0 की जहां तक बात है। वह एक सिंगल मैन कमेटी हो गई है। मोटर विहिकल्स ऐक्ट की धारा 44 के अनुसार उसमें नान-आफिशियल का होना आवश्यक है लेकिन इसकी उपेक्षा हो रही है। अगर कोई नान-आफिशियल मेम्बर होता है तो वहां पर जो गड़बड़ी होती है वह बात शासन तक पहुंच सकती है लेकिन अब आर0टी0ओ0 जैसा चाहते हैं वह करते हैं डिप्टी कमिश्नर को फुर्सत होती नहीं है। तो मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें एक दो आदमी नान-आफीसियल जरूर होना चाहिये चाहे आप अपनी ही पार्टी के उसमें रखें।

मैं रोडवेज की बात भी कहे बगैर अपनी बात को पूरी नहीं समझूंगा। रोडवेज की जहां गाड़ियां चलती हैं वहां घाटा होता है लेकिन जहां पर पैसेंजर इतने ज्यादा हैं कि वह ट्रक्स में जाते हैं जी0टी0 रोड में आप देखें ट्रक पर लोग जाते हैं। इसी तरह बारातों के लिए भी आप परमिट दें तो उससे लोगों को सुविधा मिलेगी और आपको टैक्स मिलेगा। ऐक्ट में पावर दी है कि डिप्टी कमिश्नर टेम्परेरी परमिट इश्यू कर सकता है लेकिन आपने एक चिट्ठी भेज कर यह मना कर दिया है उसका नतीजा यह होता है कि लोगों को परेशानियां होती हैं अगर यह होता तो काफी सुविधा होती।

आपकी यह जो पुस्तिका छपी है उसमें तमाम जानकारियां नहीं दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब अगले वर्ष की पुस्तिका छपे तो उसमें लिखा होना चाहिये कि प्राइवेट गाड़ियां कितनी किलोमीटर पर चलती हैं। और रोजवेज की गाड़ियां कितने किलोमीटर पर चलती हैं। हमारी सूचना के अनुसार 22 हजार किलोमीटर पर रोडवेज की बस और 10,000 पर प्राइवेट बस चलती हैं। फिर प्राइवेट बसों से कितना रोड टैक्स आता है और सरकारी बसों से कितना आता है, जबकि 4700 सरकारी और 7000 प्राइवेट गाड़ियां हैं। उन्हें पैसेन्जर टैक्स के बारे में भी स्पष्ट बताना चाहिए कि सरकारी बसों से कितना पैसेन्जर टैक्स आता है और प्राइवेट गाड़ियों से कितना आता है।

इसके अलावा यह प्राइवेट टैक्स कितना-कितना लगता है। साथ ही गुड्स टैक्स व अन्य विभिन्न टैक्सों जैसे टिकट बयान हल्फी आदि से रोडवेज से कितना मिलता है और प्राइवेट से कितना मिलता है, उसको भी उल्लेख पुस्तिका में होना चाहिए। तभी हमें असलियत मालूम हो सकती है और सरकार की कलई खुल सकेगी। वसूली के लिए भी आपको अच्छे उपाय करने चाहिए। जो कारपोरेशन पर पहले का सवा दो करोड़ के करीब बाकी था पैसेन्जर टैक्स का, उसमें इस साल कितनी वृद्धि हुई है और वह अब तक वसूला क्यों नहीं जा सका है, यह भी मैं जानना चाहूंगा। इसको सरकार को देखना चाहिए। मेरा एक निवेदन यह भी है कि एम0 एल0 एज0 के कोटा-परमिट की जो बात है, उसमें उन्हें अलग कर दें और पार्टीस्ट्रेन्थ के हिसाब के आप उन्हें दे दिया करें। मेरे पास फीगर्स हैं कि लखनऊ में 921 दिए गए हैं, इलाहाबाद में, जो मुख्य मन्त्री का जिला है, 115 दिए हैं और परिवहन मन्त्री ने अपने जिले देवरिया में 99 और जालौन में केवल एक दिया है। इसी तरह से मैनपुरी में 2, एटा में 2, हमीरपुर में 3, मुजफ्फरनगर में 3, शाहजहांपुर में 3 और बिजनौर में दो दिए हैं। तो इस तरह से आप देखें कि यह आबंटन ठीक कैसे हो सनता है। देवरिया जिले में जिन 99 लोगों को दिए गए हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है, यह प्रायः साधारण लोग हैं, आपके एलेक्शन में काम करने वाले लोग हैं। यह ठीक नहीं है इसके लिए आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें, आपने ही विश्वासपात्र लोगों की बना दें, जिससे उनका उचित बंटवारा हो सके।

प्राइवेट गाड़ियों के बारे में और उनके आपरेटर्स के बारे में मुझे यह शिकायत है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। एस0 टी0 ए0 के अनुसार उन्हें 125 किलो-

मीटर प्रति दिन चलना चाहिए, लेकिन वह आपकी वजह से नहीं हो पाता है, उसकी आप व्यवस्था करें, जिससे वे एकोनामिक रूप से चल सकें। सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद भी फ्री-परमिट आज तक किसी को नहीं दिए जा रहे हैं, वह दीजिए। मुझे मालूम हुआ है कि आपने अपने नीचे के लोगों को इन्स्ट्रक्शन्स दे दिए हैं कि किसी न किसी तरह का अड़ंगा लगाकर उन्हें न मिलने दो। जो परमिट दिए जाते हैं, धुमाफिराकर रास्ते के दिए जाते हैं। आप उन्हें शार्टेस्ट रूट के दें, जिससे महंगाई के समय में डीजल तथा टूट-फूट की क्षति कम हो।

इसके अलावा आप स्टैण्डिग फुल रूट पर एलाउ करें। मिनी बसेज के परमिट आफ री-न्यू कहें। सुना है आप इस डर से इसे नहीं कर रहे हैं कि इससे रोडवेज पर बुरा असर पड़ेगा। सो तो ऐसे भी है, आपकी बसों में क्षमता ही नहीं है; लोग ट्रकों आदि पर आज सवारियां ट्रकों पर ढो रहे हैं। आल इन्डिया मार्ग पर 2 हजार की सिक्योरिटी लेकर एप्लीकेशन मांगी गई। हजारों एप्लीकेशन्स आईं; करोड़ों रुपया सरकार के पास जमा हुआ। किन्तु आप उसमें आगे कुछ नहीं कर रहे हैं और उनका रुपया भी वापस नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें परमिट दीजिए, नहीं देना है तो उसका पए वापस कर दीजिए।

विभाग में भ्रष्टाचार बाबू लोगों के जरिए ज्यादा है। इसलिए समय-समय पर केवल पी0 सी0 एस0 अफसरों का तबादला करने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाबू लोग नए अफसरों को भी भ्रष्टाचार का रास्ता समझा देते हैं। इसलिए आप इनकी पोस्ट भी ट्रान्सफरेबुल बनाये और बाबुओं का ट्रान्सफर एक डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट में करने की भी शुरुआत करें। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर पर मोटर वेहिकिल्स डिपार्टमेन्ट खोलिए। जैसा कि पंजाब में हर तहसील में है, जिससे छोटे-छोटे काम वहीं हो जाया करें।

पैसेन्जर टैक्स चेकिंग में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। आपने इस बारे में कह दिया है कि लमसम होगा तो रिकार्ड देखने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वह 5-6 महीने बाद मंगवाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। अतः उसको पीरियड के भीतर ही करें। चालान का कोटा तय करना भी बहुत अनुचित है। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रभान आजाद (जिला बांदा)—

मान्यवर, आप के माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब से मन्त्री जी ने इस विभाग को संभाला है, उस समय से ऊपर से ले कर नीचे तक अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गये हैं। मान्यवर, सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज लखनऊ में कैसरबाग डिपो में और उत्तर प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है समस्त डिपो में लगभग दो हजार गाड़ियां ऐसी बेकार खड़ी हैं जिनसे वहां के स्टेशन अध्यक्ष और फोरमैन मिल कर क्रैंक, तार और छोटे-छोटे पुरर्जे मामूली पैसों में बेच दिया है। यदि उन बसों को नीलाम कर दिया जाता, तो लाखों रुपए की आमदनी हो जाती? यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है।

मान्यवर, बसों का ठीक ढंग से रख-रखाव होता तो जो दो मील चलने के बाद रोडवेज की बसें फेल हो जाती हैं वह न होता। होता यह है कि मुसाफिरों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और घंटों जब तक दूसरा साधन मिल जाय तब तक इन्तजार करना पड़ता है। मान्यवर, परिवहन विभाग के उच्चाधिकारी रिश्वत लेने में ही सबसे बड़ा गौरव समझते हैं। आज ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 100 रुपए, बस की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान आजाद]

फिटिंग के लिए 300 रुपए चाहे वह बस ठीक हो या न हो लेकिन स्वस्थता का प्रमाण-पत्र बिना रिश्वत लिए किसी को नहीं मिल सकता है। मेरी जानकारी है कि सारे प्रदेश में राजकीय बसों के स्टेशन के अहाते के अन्दर प्राइवेट बसों के द्वारा यात्री उठाए जाते हैं। जो प्रति वर्ष लगभग करोड़ों रुपए का घाटा होता है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई ऐसी कार्यवाही करेगी कि जो प्राइवेट बसें हैं, जो टिकट-घर के आस-पास जा कर लगाते रहते हैं उन पर रुकावट हो जाय।

उत्तर प्रदेश में बुदेलखन्ड और बुदेलखंड के अन्दर बांदा, जनपद बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। वहां पर रोडवेज की स्थिति बहुत भयंकर है। अभी एक साल हुआ लगभग, वहां आर0टी0 ओ0 की पोस्टिंग की गयी है। लेकिन उन्होंने बिना परमिट के अन्धाधुन्ध मोटरों की छूट दे दी है। वहां बांदा रोडवेज के सामने लगभग 25 प्राइवेट गाड़ियां खड़ी रहती हैं। चिल्ला, पैलानी, झांसी और कानपुर के रूट पर वह चलती हैं। अलीगंज चौराहे पर कर्तल, करेनी, सतना, कालिंजर जाने वाली 20-25 प्राइवेट गाड़ियां खड़ी रहती हैं। वहां के आर0टी0ओ0 महोदय हर मोटर से डेढ़ सौ रुपए महीने ले कर बिना परमिट के गाड़ियां चलवा रहे हैं। वहां की पुलिस की सांठगांठ है।

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा, प्राइवेट बसों को परमिट दिये जायेंगे, वहां हजारों रुपए रिश्वत लेते हैं तब जा कर कहीं परमिट मिलता है। यह मान्यवर, उदारता की बात है। मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जहां राजकीय बस चल रही हैं वहां प्राइवेट बसेज को नहीं चलने देना चाहिए और न परमिट दिए जाने चाहिए। प्राइवेट बसेज जो बिना परमिट के चलाई जा रही हैं उनके लिए आदेश होने चाहिए और परमिट जारी किए जायगे।

एक बात और कहना चाहता हूं बांदा से अम्लौर 20 किलोमीटर है। 6 महीने पहले वहां राजकीय बसेज चल रहीं था। उनको बन्द कर दिया गया है। 14 मार्च, 1975 को एक आदेश डिप्टी जनरल मैनेजर को दिया गया था लेकिन आज तक बसेज नहीं चलाई जा रही हैं। मन्त्री जी के आदेश होने पर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। क्या मन्त्री जी से उम्मीद की जाए कि उनके आदेश के पालन न होने से क्या वे इस्तीफा देंगे ?

*श्री सोहन लाल लाठ (जिला रामपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि नोट करेंगे। पहला यह है कि सरकारी बसेज 10-20 रुपए के पुर्जे न मिलने के कारण 2-4 रोज तक बिना मरम्मत के खड़ी रहती है। लेकिन कोई भी प्राइवेट आदमी अपनी गाड़ी इस तरह से खड़ी नहीं रख सकता। दूसरा सुझाव यह है कि सरकार के वर्कशाप निष्क्रिय रहते हैं उनमें सही काम नहीं होता है। बसेज जो चलती है उनका पहले से चेकिंग नहीं होता है लिहाजा रास्ते में रुक आती है और बड़ी मुश्किल से चलती हैं जिससे पैसेन्जर्स परेशान होते हैं। यह चीज ऐसी है कि इसके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई बस खराब होगी तो पैसेन्जर्स भागेंगे।

दूसरी बात यह है कि बसेज का समय बड़ा खराब है। कभी-कभी तो एक-एक घंटे के अन्दर चार-चार बसेज छूटती हैं और कभी एक भी नहीं चलती है। बसें अक्सर कैंसिल कर दी जाती हैं। जब डिपो से बस चलती है तो कैंसिल होने के बाद तुरन्त दूसरी बस का इन्तजाम होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है सरकारी बसेज की इज्जत गिर रही है, सरकार की इज्जत गिर रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगली बात यह है कि बरेली और रामपुर के दरम्यान मिलक एक तहसील है। वहां पर सब बसेज रुकनी चाहिए सरकारी आदेश के अनुसार, शाहजहांपुर, मुरादाबाद तथा बरेली इन तीनों जगह की गाड़ियों को यहां पर रुकना चाहिए। लेकिन कन्डक्टर और ड्राइवर नहीं रोकते हैं और आगे सीधे बसेज को ले जाते हैं। सरकारी आदेश की अवहेलना होती है और पैसेन्जर परेशान होते हैं। प्राइवेट बस और ट्रक वाले ले जाते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

रामपुर एक शहर है, जिला है लेकिन वहां पर गवर्नमेंट रोडवेज की कोई डिपो नहीं है। रामपुर डिपो होना चाहिए। मुरादाबाद और बरेली की सारी बसें वहां होकर गुजरती हैं। अगर कोई बस खराब हो जाती है तो यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि रामपुर में एक डिपो बनाना बहुत जरूरी है। मिलक एक तहसील का हेडक्वार्टर है वहां पर बस स्टेशन नहीं है। बसों को वहां पर रुकना आवश्यक है।

*श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग के पूरे रोग को बताने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

केवल 5 मिनट हैं। भूमिका लम्बी न बांधें।

श्री मधुकर दिघे—

अगर यह नहीं बताऊंगा तो मालूम ही नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि परिवहन विभाग के दो हिस्से हैं। एक परिवहन आयुक्त और दूसरा परिवहन निगम। परिवहन आयुक्त का जो हिस्सा है उसमें टैक्स आदि की वसूली होती है। उसकी जो स्थिति है उसको स्वयं देखकर यह निश्चित करना चाहिए कि उसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है और जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसमें कोई सुधार नहीं आ सकता है। परिवहन विभाग के हाथ में इस तरह के मजबूत करने चाहिये ताकि जो नाजायज तरीके के काम होते हैं उनको रोका जाए। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जिन बसों को चलाया जाता है तथा अन्य प्रकार के जो वाहन चलते हैं उनकी चेकिंग की व्यवस्था की जाए।

मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। केवल इतना ही कहना चाहता हूं आप थोड़ा मोह और लालच छोड़ें। अगर देश को बनाना है और प्रदेश को बनाना है तो मोह को छोड़िए। यह देश बड़ा है। इस देश की तरफ थोड़ा ख्याल रखिए। मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं और मैं समझता हूं कि पांडे जी इसको समझते ही होंगे। परिवहन निगम में घाटा है और अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो परिवहन मन्त्री को जरूर डिसमिस कर देता। मैं जानना चाहता हूं कि आज हजारों बसें आउट आफ रोड क्यों हैं? क्यों नहीं आप एक कमीशन बैठाते हैं। इतने ज्यादा अफसरान क्यों हैं, ज्यादा खर्चा क्यों है? आप कमीशन बैठाइए। कितना खर्चा है, कितना रिपेयर का खर्चा है। मैं सोशलिस्ट और खासकर कम्युनिस्टों से कहना चाहता हूं कि समाजवाद को सबसे अधिक नुकसान कर रही है तो यह कांग्रेस पार्टी कर रही है जो समाजवाद का नाम लेती है और समाजवाद की पीठ में छुरा भोंकती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

दिघे जी ने हमको सिखाया समाजवाद। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि इधर से छोड़ कर वहां चले गए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे—

मैं इनको पंगु मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पता नहीं कि आप पंगु हैं या वे । आप बहस न कीजिए, अपनी बात जो कहना चाहते हैं, उसे कहें ।

श्री मधुकर दिघे—

जो कायदे और तरीके से बसें चलती हैं, उनके मुकाबले में हमारी बसों की व्यवस्था अच्छी है, यह साबित आप नहीं कर सकते हैं । आपके ऊपर पूंजीपति हावी होंगे, पैसा देकर हावी नहीं होंगे वे जनता द्वारा हावी होंगे और आप हम को खा जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात समाप्त करें । आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए, समय के लिए मजबूरी है ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, आज इनकी वर्कशाप्स में 2 कारणों से रिपेयर्स का काम नहीं हो रहा है । एक कारण तो यह है कि परिवहन विभाग की जितनी बसेज थीं आज उनसे कई गुनी हो गई हैं लेकिन वर्कशाप्स में उतने ही आदमी काम कर रहे हैं जितने पहले थे । दूसरी चीज अच्छा माल मोटर गाड़ियों में नहीं लग पाता है । नया माल तो बाजार में चला जाता है और रिपेयर के नाम पर रद्दी माल, घटिया माल लग कर उन गाड़ियों में चला आता है तो घाटा होना अवश्यम्भावी है । कानपुर स्टेशन पर 50 लाख रुपए का माल पड़ा रहता है, वह खराब भी होता है और उस पर डैमरेज भी पड़ता है और रोज बाजार से जाकर खरीदा जाता है क्योंकि खरीदने वालों को उस पर खूब पैसा मिलता है । हिन्दुस्तान में ऐसे लालची और गलत रास्ता अख्तियार करने वालों की कमी नहीं है । प्रदेश को बचाने के लिए मेरी राय मान लें कि माननीय सदस्यों ने जिन-जिन बातों का जिक्र किया है, उनको मान लें अन्यथा इस्तीफा दे दें ।

मान्यवर, आखिरी बात मैं एस0टी0ए0 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसमें आपने किसी भी विरोधी दल के माननीय सदस्य को नहीं रखा है क्योंकि जब-जब आपने उसमें किसी को रखा है तो उसको खरीद लिया और उधर ले गए । मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि हम को केवल आप चैकिंग का अधिकार दे दीजिए, फिर देखिए कि हम किस-किस की पोल खोल देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जब भी मुझे बोलना पड़ता है तो केवल परिवहन और श्रम के विषय पर ही मौका मिलता है । और उसके लिए आप केवल 2-3 मिनट का ही समय देते हैं । इसके लिए तो आप मुझे कम से कम 2-3 घंटे का समय दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आपको ही कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहिए था ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं इनको रास्ता बता दूंगा ताकि ये परिवहन विभाग को ठीक कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रस्ताव के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गेहूं की लेवी की वसूली के सिलसिले में 2 1/2 घंटे की चर्चा है। इसके अतिरिक्त नियम 51 के अन्तर्गत एक वक्तव्य भी होना है जिसमें लगभग आधा घंटा लग जायगा। ऐसी अवस्था में इस तरह का सुझाव आया है कि अनुदानों के सम्बन्ध में जो विवाद चल रहा है, वह 4 बजे तक ही समाप्त कर दिया जाय और उसके बाद नियम 51 और लेवी के सिलसिले में आपकी चर्चा हो। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस सुझाव से सहमत होंगे ?

एक सदस्य––

मान्यवर, आप इस पर कल 3-4 घंटे चर्चा करवा दें;

श्री उपाध्यक्ष––

इस पर विचार विमर्श हो गया है कि इस पर 4 बजे चर्चा समाप्त कर दी जाय और फिर शेष कार्य-क्रम लिया जाय ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)––

मान्यवर, इसके लिए मैं नेता विरोधी दल से पूछ कर ही बता सकता हूं। तब तक आप किसी और माननीय सदस्य को बुलवा लें,

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय भगौती प्रसाद, 2-3 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री भगौती प्रसाद (जिला फैजाबाद)–

मैं नहीं बोलूंगा इसलिए कि कल जो 2 मिनट शराब पर मुझे मिलता वह डीजल में मैंने डाल दिए।

श्री उपाध्यक्ष––

जो परिस्थिति है उसको मैंने पेश किया। 4 बजे तक इस पर विवाद समाप्त होना है। माननीय मन्त्री जी को 35-40 मिनट बोलना है और यादव जी को 15 मिनट के करीब बोलना है। इस परिस्थिति में समय नहीं रह गया है कि अन्य सदस्यों को बुला सकूं। आप भी 2-3 मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री भगौती प्रसाद (जिला फैजाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दो-एक सदस्यों ने विपक्ष के राम अधार राय जी ने भी कहा था कि मन्त्री जी बहुत मजबूत हैं, अगर कोई दूसरा कमजोर मन्त्री आ जाय तो सारे विभाग को और भ्रष्ट कर देगा। मैं भ्रष्टाचार पर जाऊं या मन्त्री महोदय के पक्षपात पर जाऊं। आप देखेंगे कि मन्त्री महोदय ने प्रदेश के कोने–कोने से राजधानी के लिए बसें चलायी हैं। सब से मूल विषय यह है कि मैंने पूछा भी था मन्त्री महोदय ने देवरिया, गोरखपुर, बस्ती से राजधानी के लिए रात को करीब 11 गाड़ियां चलायीं। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ से सुल्तानपुर रोड से 7 गाड़ियां चलायीं। आपने आजमगढ़ से, बिल्थरा से लखनऊ तक के लिए एक गाड़ी चलायी। इसको कहने में मैं झिझक नहीं करूंगा कि 22 ज्ञापन मैंने आपको दिए। यहां तक कि अपने क्षेत्र में जलालपुर कस्बा है जो सारे प्रदेश के बुनकरों का लघु उद्योग केन्द्र है। वहां से एक भी गाड़ी आपने कानपुर और बनारस के लिये नहीं दी। यह पक्षपात है चूंकि मैं विरोध पक्ष का हूं और आप मजबूत हैं। लेकिन मजबूत की मिसाल यह नहीं है कि आप किसी की बात न सुनें। मजबूत की मिसाल यह नहीं है कि सदन में जो अपने को कमजोर समझता है, जो आपका तलुवा नहीं चाटता है उसको आप स्कूटर न दें और जो पउवा

[श्री भगवती प्रसाद]

है उसको स्कूटर दें। आप मजबूत हैं जब विरोधी दल की भी बात सुनें। लेकिन आप तो तानाशाह हैं।

25 तारीख को जलालपुर में शिया सुन्नियों में इतना टेन्शन था कि कितने ही कत्ल हो जाते। मैं वहां का विधायक हूं। मैं 25 तारीख को वारावफात के सिलसिले में जलालपुर जा रहा था। वहां मुझे दोनों पक्षों ने और कलेक्टर ने बुलाया था। यहां से टांडा मेल बस जाती है। मैं 11 बजे के बाद बैठा और जब मैं पहुंचा भिटरिया के आगे, लांग रूट की बस ह जो कानपुर से टांडा जाती है, तो तीन घंटे भिटरिया के आगे बस फेल रही और मैं साढ़े 12 बजे जब पहुंचा तब सौ सुन्नी और सौ शिया जेल में बन्द हो चुके थे। यह आपकी बसों की करामात है।

मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त, सत्ता पक्ष के श्री निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि सारा दोष बस कन्डक्टर और ड्राइवर का है। इनके वेतन-मान को देखा जाय। जो कन्डक्टर और ड्राइवर फैजाबाद से कानपुर को चलते हैं रात में उनको कितनी मर्तबा चाय चाहिए? आप कितनी सुविधा देते हैं उनको। लेकिन सारा दोष जो गैरेज में चपरासी हैं; जो चौकीदार हैं उन पर आता है। उसको आप निकालते हैं। आप हरिजनों के कोटा को देखें। हमारे यादव जी ने कटौती के प्रस्ताव में कहा है। मैं आपके कमरे में गया था। कानपुर के या कहां के सदस्य मौजूद थे। मैंने एक भी बात सदन में या बाहर झूठ नहीं कहा पूरे जीवन में एक भी ऐसे कन्डक्टर को नहीं निकाला गया है जो बड़े घराने का है, जो ऊंची कास्ट का हो। हमारे जिले का एक हरिजन भुसई राम जो कन्डक्टर था, उसने चूंकि आपके अधिकारियों को पैसा नहीं दिया, इसलिए उसे निकाल दिया और आज वह बस स्टेशन पर भीख मांग कर अपने बच्चों का पेट भर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)—

हमारे जिले के जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं उनकी सिफारिश पर एक ड्राइवर को काम पर वापस ले लिया। लेकिन जिनका पउवा नहीं है जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको वापस नहीं लिया गया। निकाले गए उन आदमियों में 50 प्रतिशत निर्दोष हैं। जो पेशाबखाने बस स्टेशनों पर बने हैं उनमें एक बूंद पानी तक नहीं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त, आप कृपया बैठें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, बजाय एक घंटे के आप पौन घंटा पहले इस बजट पर विवाद खत्म करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो हो गया। (व्यवधान)।

अब समय कहां है।

एक सदस्य —

हमको अपने कुछ सुझाव देने हैं ...

(कई सदस्यों द्वारा समय मांगने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। मेरी मजबूरी है।

एक सदस्य—

हमारा तो नाम भी गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

नाम तो 10 आए थे, पर बोले हैं 4 ही।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

हमारी तरफ से सबसे कम बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

भारतीय लोक दल से 4, जनसंघ से 2, दूसरे दलों से एक-एक बोले हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

हम लोग किसान हैं, हमको तो अपने सुझाव रखने का समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा हो माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव लिख कर माननीय मन्त्री जी के पास भेज दें।

एक सदस्य—

हम लोग लिख कर भेजेंगे तो मन्त्री जी उस पर विचार करेंगे, यह आश्वासन मन्त्री जी से मिजवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी, आपसे माननीय सदस्य यह आश्वासन चाहते हैं कि जो सुझाव आपको लिख कर भेजें, उसे आप उनका भाषण मान कर कार्यवाही करें।

एक सदस्य—

5 मिनट हमें कृपया दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी 3 घंटे और आपको बोलना है, कई कार्य-क्रम अभी शेष हैं?

*चौधरी रामपाल सिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कटौती के प्रस्ताव का जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है, मैं उनका आभारी हूं। साथ ही जिन माननीय सदस्यों ने इसके बहस में हिस्सा लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, उनका भी मैं आभारी हूं। मान्यवर, इस चर्चा के दौरान यह बिलकुल साबित हो गया कि रोडवेज विभाग और परिवहन निगम के अन्तर्गत काफी बड़ी खराबियां हैं और इनमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस बात को सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है और इसके अलावा मन्त्री जी ने भी कहा है। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विभाग के अन्दर जो गड़बड़ियां हैं उसके एकाध नमूने; उसकी एकाध बात मैं कहे देता हूं। एक तो श्री रामानुजम, उप प्रबन्धक, स्टोर ऐन्ड परचेजेज का मामला है, जिन्होंने साढ़े 6 लाख रुपए का घपला किया। इसकी विजिलेंस द्वारा जांच हुई, सम्भव है कि विजिलेंस की जांच रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी के पास तक आयी होगी। अगर न आयी हो तो मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस मामले को देखेंगे क्योंकि इसमें लाखों रुपए का घोटाला है और इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती हो वह करें। एक दूसरा मामला गोरखपुर के अशोका मोबाइल्स के प्रोप्राइटर श्री गोर्बद्धन दास का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी राम पाल सिंह यादव]

वे रोडवेज को कई सामान तिरपाल, पुर्जे आदि सप्लाई करते हैं और उस जगह पर बस सर्विसेज करने का उन्होंने अपना एक अड्डा सा बना रखा है। रोडवेज बसों का अपना वर्कशाप होते हुए भी उनका काम उन्हीं के यहां होता है जिसके कारण लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें श्री जे० सी० गुप्ता और श्री गोर्बद्धन दास दोनों की मिली हुई साजिश है। अभी थोड़े दिन पहले श्री गोबर्द्धन दास जो बहुत मामूली आदमी थे, आज रोडवेज विभाग की बदौलत करोड़पति आदमी हो गए हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे इसकी जांच करा लें, इसकी छानबीन करें और ऐसे तत्वों को रोडवेज विभाग से निकाल फेंकें।

कानपुर में चुन्नीगंज स्टेशन पर एक श्री माथुर ए० जी० एम० थे जिनकी बड़ी शिकायत थी। उस शिकायत के आधार पर ही उनका ट्रांसफर चुन्नीगंज से कर दिया गया। पता नहीं कौन सा कारण हुआ कि पिछले वर्ष उनको फिर कानपुर सिटी में ए० जी० एम० के स्थान पर भेज दिया गया। उनके कारण सिटी बस सर्विसेज में कितना भ्रष्टाचार है कि मैं क्या कहूं। वहां पूरी की पूरी गाड़ी बिना टिकट के चलती है। कन्डक्टर और ड्राइवरों द्वारा उनके पास सामान और पैसा जाता है। आप इसकी जांच करावें इसकी खोज की जाय कि वे कौन से कारण हैं कि जब उनके भ्रष्टाचार और उनकी अकर्मण्यता के कारण ही उनको वहां से हटा दिया गया था तो फिर क्यों उनको सिटी बस में भेज कर वहां बैठा दिया गया है ?

कानपुर में रोडवेज की बसें कम हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है। शहर में 15 लाख लोग हैं। पर बसों की संख्या थोड़ी सी है। दर्जनों आदमी खिड़कियों पर लटक कर चलते हैं।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

इसी तरह से लखनऊ और कानपुर में बसों की कमी है। पूरी बसों की व्यवस्था न होने के कारण जब चाहे आप देखें, बहुत से लोग खिड़कियों पर लटक कर चलते हैं। इसलिए मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें। सारी मुसीबत सिटी बसों में खड़ी हो गयी है इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, कुछ और सुझाव मैं देना चाहता हूं जिनके बारे में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। 2-4 सुझाव और देना चाहता हूं। यह राज्य परिवहन निगम स्वायत्त संस्था है इसको सभी लोग मानते हैं। स्वायत्त संस्था होने के कारण इसका जो अध्यक्ष होना चाहिये वह गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए मन्त्री जी इन्तजाम करें और कोई गैर-सरकारी व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो। संचालक मन्डल जो हो उसमें 1 तिहाई मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मजदूरों को इसमें शामिल किया जाय जिससे उनका भी उचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था और संचालन मिल सके।

भर्ती का जो मामला है उसमें बहुत गड़बड़ी होती है। मनमाने आधार पर भर्ती होती है ? तो प्रान्तीय स्तर पर भर्ती के लिए एक बोर्ड बनाया जाय जैसे रेलवे में भर्ती होती है उस हिसाब से भर्ती की व्यवस्था की जाय। कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दिया जाय। उनको नोटिस देकर चाहे वह 15 साल के कर्मचारी हैं, उनको नोटिस देकर निकाल दिया जाता है। जब किसी को दोषी पाया जाय तो उसको नोटिस न देकर उसको सस्पेंड किया जाय। उसके खिलाफ जांच की कार्यवाही की जाय। आज मनमाने तरीके से चाहें जितना पुराना कर्मचारी होता है उसको नोटिस दे दिया जाता है वह मुनासिब नहीं है। इसमें सुधार किया जाय।

जो परमिट कमेटी है, मैंने पहले भी कहा था कि इस पर नियन्त्रण किया जाय, बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें भी जैसा माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, जनता के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाय जिससे जो अधिकारियों में भ्रष्टाचार है वह समाप्त हो जाय और उसमें ईमानदारी से काम हो।

विभाग में सीधी भर्ती से केवल परिचालक और चालकों की भर्ती होनी चाहिए। बाकी पदों पर पदोन्नति के आधार पर भर्ती की जाय। पदोन्नति यहां नहीं होती इसलिए कर्मचारियों में गतिशीलता नहीं है। इसलिए ड्राइवर और कन्डक्टर की भर्ती सीधी हो और बाकी सारे लोगों की पदोन्नति करके आगे बढ़ाया जाय। चालक और परिचालक विभाग की रीढ़ हैं। उनको तनख्वाह की सुविधा कम है। ऐसा होना चाहिए कि जो चालक और अपरिचालक हैं उनको कम से कम 4 सौ रुपए से कम न मिले। महंगाई और भत्ते भी मिलें। कम तनख्वाह आप देते हैं इसीलिए पूरी की पूरी बस बिना टिकट चलाते हैं और उसी पैसे से यह अपना खर्च निकालते हैं। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो ये जो समस्यायें हैं इनका समाधान करना पड़ेगा। मान्यवर, इसी तरह कई चीजें हैं। इसमें भ्रष्टाचार इतनी तेजी से है कि विभाग के लोग इसको रोक नहीं पाते। ए0टी0 आई0 जो जांच करते हैं वह स्वयं बस में बैठकर बिना टिकट गाड़ियां चलवाते हैं इसलिए ए0टी0आई0 को समाप्त करके उनकी जगह पर कोई सेल बनायी जाय कोई ऐसी चीज बनायी जाय जो जगह-जगह पर चेकिंग कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर सके।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि अगर वह किसी पर अपना कोई आदेश कर दें तो विभाग में ऐसी व्यवस्था करें कि उस आदेश का सुचारु रूप से पालन हो। सूचना मिली है, कोई एक है बांदा अमलोर तक सड़क है। 20 किलो मीटर का रूट है। पहले उस पर बस चलती रही और अब बन्द कर दी गई है। मन्त्री जी ने आदेश दिया है। आदेश पहुंच गया है लेकिन बस नहीं चल रही है। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी कलम की शक्ति को सुरक्षित रखें। ऐसा न हो कि मन्त्री जी लिखकर भेजें और जी0एम0 तथा ए0जी0एम0 और अन्य अधिकारी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दें। बस चलाना जरूरी है क्योंकि उस इलाके में बस नहीं है।

मान्यवर, हाटा से शिशुवा बाजार को गोरखपुर में सड़क है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय और यहां पर रोडवेज की बस चलायी जाय। मान्यवर, यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर माननीय सदस्य के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार बसें चलायी जायं और उसका इन्तजाम सरकार, निगम और मन्त्री जी करें। जिससे विधायकों को शिकायत न मिले कि उनके क्षेत्र में बसें नहीं हैं। उनके क्षेत्र की जनता परेशान न हो। इसलिए मन्त्री जी को इसका इन्तजाम करना चाहिए।

मान्यवर, विभाग में 36 हजार कर्मचारी हैं। एक-दो वर्ष वाले 2600, दो-तीन वर्ष वाले 30 हजार और 3 वर्ष से ऊपर वाले 5 हजार के लगभग कर्मचारी हैं। यह सब अस्थायी कर्मचारी कहे जाते हैं। इसलिए 3 वर्ष के ऊपर जो कर्मचारी हैं उनको निश्चित रूप से स्थायी कर देना चाहिए जिससे सीधे नोटिस द्वारा उनको न निकाला जा सके। पहले उनको मुअत्तल किया जाय और फिर मुकदमा चले तब उनको निकालने पर विचार करें। इसलिए इसको मन्त्री जी देखें।

मान्यवर, भ्रष्टाचार का सेल जैसा मैंने कहा वह निश्चित रूप से बनाया जाय। इन अधिकारियों के बश की बात नहीं है कि वह भ्रष्टाचार मिटा सकें। वह तो विभाग को मिटाने पर लगे हुए हैं। वह एक सफेद हाथी है जो सारी सम्पत्ति को खा रहे हैं और इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए सरकार इससे बरी नहीं हो सकती कि निगम बना दिया है। निगम बनाने का कोई मतलब नहीं निकला। दो-तीन करोड़ का कर्जा मिला है और बाकी बही पूंजी है जो कि घटती चली जा रही है और निगम दिवालिया होता जा रहा है। इसलिए उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इस पर विचार होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से निगम की

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

स्थापना हुई थी वह पूरी हुई कि नहीं। यदि नहीं तो कारणों की खोज की जाय और उनमें सुधार किया जाय। तभी परिवहन विभाग से जनता को सुख मिलेगा।

मान्यवर, एक साथी ने प्रश्न उठाया था और कहा था कि हमारी सोशिलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद का गलत अर्थ समझते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सोशिलिस्ट पार्टी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी है? देश में समाजवाद मानती है। लेकिन जिस साथी ने हमारी वर्षों समाजवाद को माना वह एक ऐसी पार्टी में चले गये जहां समाजवाद का नाम लेने पर पाबन्दी है। यदि कांग्रेस नहीं लाती है तो कम से कम नाम तो लेती है। मेरी राय है कि उस व्यक्ति और उस दल जो समाजवाद का नाम लेता है। उसके हम शुक्रगुवार रहेंगे और दकियानूसी लोगों को जो समाजवाद के नाम पर इस देश को प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी की ओर ले जाना चाहते हैं मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, समाजवाद अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन आश्चर्य है कि समाजवाद स्थान बदल लेने के कारण पता नहीं कहां चला गया। वह समाजवाद के पेट में छुरा भोंक रहे हैं और जो समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं उनको बदनाम करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ उनका आभारी हूं जिन्होंने परिवहन निगम के सुधार के बारे में सुझाव दिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह विभाग को समाजवादी ढंग पर आगे चलाने का प्रयास करेंगे।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं मान्यवर, दो प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं कर सकते हैं।

आपको यह मालूम होना चाहिए कि अब अन्तिम वक्ता विरोधी दल की तरफ से जवाब दे चुका है तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि नियम क्या है?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय रामपाल सिंह यादव जी का मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए जो स्वीकार करने योग्य हैं। यह सही है कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, जनता की सुख सुविधा के लिए और बसें चलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट बसें जो चलती हैं वे बेहतर हालत में हैं, हमारी बसें खराब हैं, हमें सारा इन्तजाम प्राइवेट आपरेटर्स को दे देना चाहिए।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा जैसे भी हो प्रदेश की जनता को जितनी भी बसेज की आवश्यकता है उसके लिए सरकार प्रबन्ध करे।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मुझे खुशी है उन्होंने इतना महसूस किया कि प्राइवेट आपरेटर्स के मुकाबले में हमारी बसेज ज्यादा विश्वसनीय हैं। जब हम इस बात को मानते हैं तो प्रश्न उठता है कि हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं जब उनमें ही हम जितनी बसों की आवश्यकता है उनको नहीं दे पा रहे हैं तो क्या हम और रूट्स को लें अथवा उन्हीं का सही रूप से संचालन करें जिनको हम पहले से लिए हुए हैं। जैसे बहुत सी जगहों पर बस स्टापेज नहीं हैं वहां पर हम बस स्टापेज बनायें। प्राइवेट आपरेटर्स की बड़ी तारीफ की गयी। एक बड़ी बिडम्बना है। देखना आपको यह होगा कि प्राइवेट आपरेटर्स किन सूरतों में काम करते हैं? उनके लिए कोई नियम नहीं है। चेकिंग भले ही हो जाय कोई नतीजा हासिल नहीं होता। हमारे एक आर0 टी0 ओ0 को 10 जिले मिले हुए हैं। एक बड़ी गाड़ी उनको दी गयी है। चेकिंग के लिये जब

वह निकलें तो फौरन खबर फैल गयी कि बब्बर आया है, भाग जाओ। दो गाड़ी उसने चेक की और बाकी भाग गए। आप सचल दल की बात करते हैं लेकिन उसके लिए साधन नहीं हैं और गाड़ियों की बात आप करते हैं उसके लिए भी साधन हमारे पास नहीं हैं। हमारी मजबूरी देखिए। घाटे पर भले ही विभाग चले लेकिन 8.3 प्रतिशत बोनस निश्चत रूप से देना होगा जो लगभग 60, 62 लाख की रकम हो जाती है। क्या यह बोनस का प्राविजन प्राइवेट आपरेटर्स के यहां है? फिर हम कैन्टीन की, बाथरूम की, इमारत की व्यवस्था करते हैं, रिटायरिंग रूम्स की व्यवस्था करते हैं। यह भी देखते हैं कि कहीं पैरलल सर्विस है रेल की तो उसका भाड़ा हमसे कम तो नहीं है। दूसरी तरफ प्राइवेट आपरेटर कन्डक्टर और ड्राइवर से कहता है कि जितना कमाकर ले आओगे तो तुमको 5 परसेंट ज्यादा देंगे। उसकी आमदनी सुरक्षित है जब कि हमारी आमदनी भी सुरक्षित नहीं है। उनके यहां ओवरलोडिंग होती है जब कि हमारे यहां उतनी ओवरलोडिंग नहीं हो सकती और उसके लिये हमारे यहां कन्डक्टर्स अथवा ड्राइवर्स को कोई इंसेंटिव भी नहीं है जैसा कि प्राइवेट आपरेटर्स के यहां दिया जाता है। फिर आप कहते हैं कि 400 रुपए कन्डक्टर का वेतन होना चाहिये। योग्यता है हाई स्कूल, पहले वह भी नहीं थी। हाई स्कूल पास कन्डक्टर का जितना वेतन हमारे यहां है उतना वेतन हाई स्कूल पास व्यक्ति के लिए किसी और सर्विस में नहीं है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मेहनत भी तो है?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

ठीक है। दो चीजें नहीं हो सकती। समाजवाद के नाम पर वेतन भी बढ़ाया जाय, सुख सुविधा भी बढ़ाई जाय, हर चार मील पर बस स्टाप भी खोला जाय।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

समाजवाद के नाम पर डेढ़ हजार जिनकी तनख्वाह है उसे घटा दो और नीचे वालों को बढ़ा दो? (व्यवधान)।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

एक तरफ तो एस0 आर0 टी0 सी0 में घाटे की बात कही जाती है और दूसरी ओर उनको सुख-सुविधा देने की बात कही जाती है। मान्यवर, पिछला सारा रिकार्ड उठाकर देख लिया जाय हमने बड़े-बड़े शहरों में रात्रि निवास के लिए उनको सुख-सुविधायें प्रदान की हैं। यह सही बात है कि शौचालय आदि जिस तरह से साफ होने चाहिए थे उतने साफ सुथरे नहीं हैं। शहरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा देहातों में आने वाले लोगों को रहन-सहन और तौर-तरीका अच्छा और साफ-सुथरा नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

पिछले वर्ष 20 करोड़ किलोमीटर आपकी बसें चलीं। 3 रुपये 78 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 78 करोड़ रुपए होता है। आज सवेरे आपने कहा कि 10 करोड़ रुपये से ऊपर की आमदनी कम हो गई। तो क्या यह आमदनी बसों के कम चलने से हुई या भ्रष्टाचार के कारण हुई?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, जब मैंने यह बताया था तो शायद माननीय बाबू लाल जी नहीं थे। मैंने बताया था कि आमदनी कम नहीं हुई है। अलग-अलग रीजन्स के हिसाब से आगरा में फरवरी, 1974 तक 371.71 लाख थी वह 421.07 लाख हुई, इलाहाबाद में 276.75

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

लाख थी, वह बढ़कर 366.5 लाख हुई। जब कि बसें उतनी ही थीं और वे ही ड्राइवर कन्डक्टर्स थे। हमने लगभग 6 करोड़ 24 लाख रुपए ज्यादा कमाया। ट्रेफिक भी बढ़ा है। लेकिन कास्ट ऑफ आपरेशन जिनसे हम इन सेवाओं को संचालित करते हैं उनके सम्बन्ध में 10.5 करोड़ का घाटा हुआ है। इस प्रकार 10.5 करोड़ में से 6.24 करोड़ जो हमारी आमदनी हुई उसे निकालने पर 3.81 करोड़ का ही घाटा रह जाता है। इस प्रकार बड़े शहरों में जहां हम अपनी सेवायें देते हैं....

श्री बाबू लाल वर्मा---

मेरे पास 1 हजार अभ्यर्थियों की सूची है। कन्डक्टरों की जनवरी, 1974 में जो परीक्षा ली गई थी उसमें 78 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्यर आफ मालती पांडे करके अपना नाम दिया हुआ था। इन सभी में लिखा है क्यर आफ मालती पांडेय, 11 अशोक मार्ग लखनऊ। एक हजार व्यक्तियों की सूची में एक भी व्यक्ति नहीं रखा गया और उन व्यक्तियों को रखा गया जो क्यर आफ मालती पांडेय के थे।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

अगर मननीय बाबूलाल जी वर्मा अपने किसी केन्डीटेड को केयर आफ मालती पांडेय के भेज दें तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? दूसरी बात यह है अगर एक भी व्यक्ति, बिना चुनाव के मेरे जमाने में, बिना इम्तहान के, बिना इम्प्लायमेंट इक्सचेंज से नाम मांगे रख लिया गया हो और वे इस बात को साबित कर दें तो मैं सदन में घोषणा करता हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं..... (व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा---

मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूं। आपने कई बार सदन में इस्तीफा देने की बात कही है। लेकिन जब तक आपके हाथ में मन्त्रि-पद की तलवार है तब तक कोई अपनी गर्दन आपके सामने देने के लिए तैयार नहीं होगा। आप इस्तीफा दे दें तब मैं भ्रष्टाचार की बात साबित कर दूंगा। यदि मैं साबित न कर पाया तो यहां की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा फिर आप मन्त्री बन ही जायेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मन्त्री जी कहते हैं कि बहुत से लोग मालती पांडेय या राज मंगल पांडेय केयर आफ लिखते हैं तो जब आप जानते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को क्यों निर्देश नहीं देते हैं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

कुछ ऐसे लोग हैं (व्यवधान) पचासों लोग नाम दे देते हैं जब मुझे पता चला तो मैंने कहा है जब तक मुझसे पूछा न जाय तब तक न किया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

आपने कहा कि प्राइवेट आपरेटर जो हैं वह अपने कर्मचारियों को हिस्सा देते हैं तो आप भी अपने कर्मचारियों को क्यों नही भागीदार बनाते हैं कि जो जितना पैसा ज्यादा आयेगा उसमें वह भागीदार होगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय---

शायद मेरे लायक दोस्त को मालूम नहीं है कि 3 वर्षों से जो प्रोवीजन शुरू किया है उसमें करीब 90 लाख रुपया बोनस के रूप में दिया गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैं तो कहता हूं कि आप भागीदार बनायें।

श्री राज मंगल पाण्डेय––

मुझे दुख है कि ऐसे विद्वान साथी को मालूम नहीं है कि बोनस ऐक्ट में यह हो गया है कि चाहे कम्पनियां या पब्लिक अन्डर टेकिंग हैं वह अगर घाटे पर भी होगी तो भी 8.33 परसेंट बोनस देना पड़ेगा।

श्री बाबू लाल वर्मा––

मेरा चैलेंज स्वीकार किया या नहीं ?

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)––

मालती पांडेय के नाम पर ऊदल भाई ने कहा और भी मालती पांडेय हो सकती हैं। तो क्या यू0 सी0 शर्मा की वाईफ भी उनकी जगह पर काम कर रही हैं। उनके यहां भी रोज दरबार लगा रहता है। हजारों की सौदेबाजी होती है। तो क्या वही मालती पांडेय तो नहीं हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय––

मैं जानता हूं कि जैसा मेरे मित्र कुछ अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। मैं उनको जानता हूं आपके कुछ कहने पर मुझे दुख होता है जब आप इस तरह की बात कहते हैं।

एक सदस्य––

मैं आपके पास लिस्ट भेज दे रहा हूं आप इसकी जांच करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष––

जो सदन में न हो बार-बार उनका नाम लेना उचित नहीं है यह मर्यादा का उल्लंघन है (व्यवधान)। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ पारस्परिक मर्यादायें भी होती हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय––

इस विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कार्यक्षमता का नतीजा आज यह है कि दो तीन वर्षों में यह विभाग तरक्की कर गया है। हमारे मुकाबाले में हरियाणा और पंजाब की रोडवेज की गाड़ी चल रही हैं उनमें भी घाटा है। हम जिस रूप में बस चलाते हैं उसमें केवल मुनाफा कमाना नहीं है यह कामर्सियल ट्रान्जेक्सन नहीं है। आप कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर में देखे वहां पर 15 पैसे में एक कोने से दूसरे कोने तक चला रहे हैं। तो मान्यवर, कितना बड़ा घाटा होता है इसमें। कानपुर में बसों की बात कहता हूं कि वहां पर कितना खर्च हो रहा है उसके मुकाबले प्राईवेट आपरेटर कहां इतनी सुविधा देते हैं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक––

आप कहते हैं कि यू0 सी0 शर्मा के जमाने में सबसे ज्यादा नफा हुआ .....

श्री राज मंगल पाण्डेय––

आप तो एक ही व्यक्ति के पीछे नाक पकड़ कर पड़े हुए हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा।

श्री गिरिजा शंकर पाठक––

जब आप ऐसी बातें कहते हैं और उसमें सफाई देते हैं तो फिर विश्वास हट जाता है।

श्री राजमंगल पाण्डेय––

जिस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता हूं (व्यवधान) आप चाहते हैं कि मैं आपके कहने पर एक व्यक्ति को जेल भेज दूं। मैंने कहा आप मेरे पास भेज दें तो मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपको अगर कोई चीज दिखानी थी तो सारी सामग्री आपने जो कटोती प्रस्ताव रखने वाले सदस्य थे उनके पास दे देनी चाहिए थी। यह चीज विरोधी पक्ष की तरफ से एग्री की हुई है। यह चुनौती अब आप मतदान के समय दे रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम कि वह चीज क्या है तो इस तरह से प्रश्न उठाना गलत है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, जहां तक कानपुर की बात है यह सही बात है कि वहां पर बसें कुछ कम हैं। तथा उसके कुछ कारण हैं। तो मैं रामपाल जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर दो इन्स्टालमेंट करके 25 नई बसें दी गईं। हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है फिर भी हम दे रहे हैं। देवरिया को चलने वाली बसों की बात मुझे याद है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। उसमें जो प्राफिट कमाया है वह गोरखपुर रीजन में वह हाईयेस्ट है। जो कि हाईयेस्ट प्राफिट है पूरे उत्तर प्रदेश में। चूंकि वहां की बसें इन्टर डिस्ट्रिक्ट चलती हैं, पेईंग कैपिसिटी है, इसलिए यह है, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

90 लाख का प्राफिट वहां पर है। वहां के लिये आप यह नहीं कह सकते कि देवरिया में बसें ज्यादा क्यों चलती हैं। जहां हमें मुनाफा होगा, सवारियां मिलेंगी, वहां ये चलेंगी। घाटा पूरा करने के लिये हमें ऐसे स्थानों को विशेष रूप से देखना पड़ेगा जो दलीय भावना से ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। जब किसी के हित में कुछ किया जाए तो कहना ठीक नहीं है। कानपुर शहर में इतनी बसें चलती हैं, उनको कामर्शियल लाईन पर कर दें तो क्या वह ठीक होगा? जहां पर 50 हजार छात्र और पचासों हजार मजदूर 15 पैसे के टिकट पर नित्य एक कोने से दूसरे कोने तक कानपुर में यात्रा करते हों। कामर्शियल लाइन की बात होती तो कोई भी सरकार लखनऊ या कानपुर में बसें न चलाती। यदि ऐसी बात है तो हमें यह न कहा जाए कि सरकार की सेवा करना हमारा काम है और गरीबों की हमें सेवा करनी है। जब सरकार की बसों की बात होगी, तो प्राईवेट से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। प्राईवेट आपरेटर हमारे कम्पेरीजन में कभी नहीं आ सकेगा। जब रेलवे की स्ट्राईक हुई और उस समय हमारी बसों ने यात्रियों की जो आदर्श सेवा की और सवारियों को रुकने नहीं दिया वह कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए मध्य प्रदेश और बिहार वालों ने हम पर चार्ज लगाया कि हमारे कारण रेलवे की हड़ताल विफल हुई है, 24 घंटे घोर परिश्रम से काम करके उत्तर प्रदेश की बसों ने हड़ताल को फेल कर दिया है। एक तरफ मध्य प्रदेश और बिहार के लोग हमें बदनाम करें और जहां 18 से 24 और 24 से 32 करोड़ जा रहा है, वहां ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो आप अधिकारियों का हौसला बढ़ाइये। वहां हो सकता है कुछ बेईमान भी हों, लेकिन जब आप सब को कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि ईमानदार व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन हो जाता है। मैं इन सब चीजों से निश्चित कहूंगा कि सुधार नहीं हो पाता है। मैं यह कहूंगा और सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं, स्पष्टीकरण चाहता हूं—

(व्यवधान) (माननीय सदस्य बोलने का प्रयास करते रहे, मंत्री जी ने बैठना स्वीकार नहीं किया और अध्यक्ष माननीय सदस्य को मना करते रहे)

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पान्डेय—

आपके माध्यम से जो कुछ भी सम्भव होगा, वह यह सरकार सेवा करेगी। दिघे जी ने जो कुछ कहा, वह यदि मिनिस्टर होते, यद्यपि बदकिस्मती से हुए नहीं हैं और आशा भी नहीं है (व्यवधान) . . . . किसी को निकालने और रखने का सवाल नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जब आपके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इतनी अच्छी आमदनी है तो उसका मूल कारण तो यह है कि जैसे जानवर ठूंसे जाते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश की बसों में आदमी ठूंसे जाते हैं। जैसा कि तामिलनाडु, आन्ध्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं भी नहीं है। दूसरे ये जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स हैं, इनके आराम करने की कोई सुविधा नहीं है। तीसरे जब आपका सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर में स्थित है तो यह हर नारायण आटोमोबायल कौन सी बला है, जिससे सांठ-गांठ करके परिवहन के अधिकारी प्रति वर्ष लाखों रुपया कमा रहे हैं ? क्या श्रीमन्, आप इसकी जांच करा देंगे ?

श्री बाबू लाल वर्मा––

जो मैंने बात कही, वह बड़ी गम्भीर है, फिर मैं उसके लिये मंत्री जी को चुनौती देता हूं।

श्री अध्यक्ष––

अनुदान संख्या 12–प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12––मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,59,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

अनुदान संख्या 13––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 13––अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,62,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

अनुदान संख्या 59––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59––सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,93,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या 64—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 84 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,08,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में माननीय कृष्णा राय, माननीय गिरिजाशंकर पाठक, माननीय रामरति बिन्द, माननीय काशीनाथ मेहरोत्रा, और माननीय डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल की सूचनाएं; अग्नि कांड से सम्बन्धित हैं। यह नाम आपके जोड़ दिये जायेंगे, अग्नि कांड पर जो बयान होगा। उसमें सम्मिलित कर दिये जायेंगे आपके सवाल।

माननीय तेजसिंह—थानाध्यक्ष; रामकोला, जिला देवरिया द्वारा मुनीम पुत्र देवराज निवासी ग्राम अड़हराबाजू एवं हरिजनों के साथ अपमानजनक व्यवहार किये जाने से हरिजनों में व्याप्त क्षोभ। कहना यह है कि हरिजन की पान की दूकान थी। उस पान के दूकानदार से जो पान थानेदार को दिया गया तो थानेदार ने जाति पूछ कर पान उगल दिया और पीटा।

मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इलाहाबाद में एक लाख रुपये की डकैती पड़ गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जौनपुर वाले को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, चीनी मिल मालिकों के ऊपर गन्ना किसानों का काफी धन बकाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि माननीय मालवीय की सूचना के ऊपर शासन की ओर से बयान आ जाय। शेष अस्वीकार किये गये।

(व्यवधान)

बलिया जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सांठ गांठ से हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब बलिया जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सांठ-गांठ से हरिजनों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में सर्वश्री ओम प्रकाश, काशीनाथ मिश्र, रफीउल्लाह, हुकुम सिंह, रघुनाथ राम, निसार अहमद अंसारी, बनवारी राम यादव, महावीर प्रसाद तथा कैलाश सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात की पूछ ताछ की कि क्या बलिया जनपद के अन्तर्गत उभांव थाने की पुलिस उक्त क्षेत्र के असामाजिक तत्वों से साठगांठ करके हरिजनों को परेशान कर रही है। इस संबंध में तथ्य इस प्रकार उभरे हैं।

ग्राम परसरा नदौली ताजपुर में जो थाना उभांव के अन्तर्गत पड़ता है, चकबन्दी के दौरान हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिये अलग अलग भूमि छोड़ी गयी थी। पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिये छोड़ी गयी भूमि का आवंटन दिसम्बर, 1973 में ग्राम प्रधान द्वारा 8 व्यक्तियों के हक में किया गया था और उन्होंने आवंटित भूमि पर कब्जा भी कर लिया। इस आवंटन का विरोध हरिजनों द्वारा किया जा रहा है।

जहां तक हरिजनों की खड़ी फसलें लूटे जाने के आरोप का संबंध है, उक्त ग्राम के श्री राम लाल हरिजन ने 25-2-75 तथा 10-3-75 को कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध अपने खेत का गन्ना कटवा लेने और मटर की फसल को कटवा कर जबरदस्ती ले आने की दो सूचनायें थाना उभांव में दर्ज कराई थीं। इन सूचनाओं के आधार पर धारा 382 भा0 दं0 वि0 के दो मुकदमे कायम करके विवेचना आरंभ की गयी। दिनांक 3-3-75 को श्री राम बचन हरिजन ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध उसके नीम का पेड़ कटाकर ले जाने और औरतों द्वारा मना करने पर उन्हें मारे पीटे जाने की रिपोर्ट थाना उभांव पर दी थी। इन तीनों मुकदमों के एक अभियुक्त श्री रामनाथ प्रधान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है।

सामान्य रूप से यह कहना भी सही नहीं है कि हरिजनों को असामाजिक तत्व बराबर मारपीट रहे हैं। फरवरी 1975 में श्री राजपति हरिजन तथा उसकी पत्नी ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 323 भा0 दं0 वि0 आदि अहस्तक्षेपीय दफाओं की दो रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनकी विवेचना के लिए न्यायालय से अनुमति नहीं मिल सकी किन्तु श्री रामनाथ प्रधान जो श्री राजपति की रिपोर्ट में नामांकित अभियुक्तों में से एक था तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा एक-तरफा धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

यह कहने का कोई आधार नहीं प्रतीत होता कि थाने में लगातार रिपोर्ट दर्ज कराने और उच्च पुलिस अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है अथवा मुल्जिमान हरिजनों को धमकाते हैं।

उपरोक्त भूमि संबंधी विवाद को लेकर दिनांक 17-3-75 से ग्राम परसरा के हरिजनों ने तथा 23-3-75 को सहानुभूति में सियर क्षेत्र के हरिजनों ने क्रमिक अनशन आरम्भ किया था जो परगनाधिकारी, रसड़ा के आश्वासन पर क्रमशः 23-3-75 तथा 24-3-75 को समाप्त हो गया। विवादग्रस्त भूमि के बारे में दिनांक 28-2-75 को परगनाधिकारी रसड़ा के न्यायालय में धारा 145 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी और न्यायालय के आदेशों से जमीन की कुर्की दिनांक 10-3-75 को की गयी। जांच से प्रधान

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

द्वारा किया हुआ आवंटन नियम--विरुद्ध पाया गया, अतः आवंटन प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर मकानों का बनाना रोक दिया गया है और प्रधान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हरिजन आबादी के पास बने हुए एक नलकूप के बारे में भी संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

यह सत्य नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि पर अवैधानिक कब्जा रोकने के लिये उभांव पुलिस को तहसीलदार ने कोई आदेश भेजा था।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त क्षेत्र के समस्त हरिजनों में क्षोभ व्याप्त है अथवा स्थिति विस्फोटक हो गयी है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जी के वक्तव्य से मालूम होता है कि वहां के हरिजनों में और जो जुल्म वाले हैं उनमें तनाव है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि भूमि का आवंटन ग्राम प्रधान ने गलत व्यक्तियों को कर दिया उस भूमि को हरिजनों को दिलवाया जाये, दूसरा यह कहा गया कि जो रिपोर्ट लिखाई गयी वह 323 में लिखायी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का एक सरकुलर है कि अगर हरिजन की रिपोर्ट 323 में भी लिखी जाती है तो उस पर तफतीश होनी चाहिये। तो जिस अधिकारी ने सरकार के इन आदेशों का पालन नहीं किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जहां तक भूमि के आवंटन का सम्बन्ध है जो ग्राम प्रधान ने गलत आवंटित किया, यह सवाल राजस्व विभाग से सम्बन्धित है और माननीय सदस्य की भावना उन तक पहुंचा दी जावेगी। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और न्यायालय ने विवेचना का आदेश नहीं दिया।

श्री काशी नाथ मिश्र---

न्यायालय द्वारा आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपने सरकुलर निकाला है वह हरिजन के साथ वर्क करेगा। वह इस तरह से होगा जैसा कि नान-बेलेबिल हो। एक ही सवाल नहीं है। सारे उत्तर प्रदेश में जितने हरिजन के मुकदमें दर्ज कराये जाते हैं उन पर कोई तफतीश नहीं होती है। उनके 4 झापड़ मार दिए जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जैसा मैंने कहा कि श्रीमती काविल पत्नी रामपति की रिपोर्ट पर रामनाथ प्रधान, हीरा, जवाहर का चालान 107/117 में किया गया।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की आखिरी लाइन को पढ़ना चाहता हूं कि यह कहना सही नहीं है कि उक्त क्षेत्र में समस्त हरिजनों में क्षोभ व्याप्त है अथवा स्थिति विस्फोटक हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की थाने में बहुत सी रिपोर्टें दर्ज हुईं। मेरे पास एक कागज है। 12-3-75 को रामपति हरिजन को पीटा गया उसकी रिपोर्ट लिखायी गयी, 17-2-75 को श्रीमती काविल पत्नी राजपति हरिजन की रिपोर्ट लिखायी गयी, इसी तरह से 8-8 और 9-9 हरिजनों की रिपोर्टें लिखायी गयी हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो क्या आप उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने उन पर कार्यवाही नहीं की ? एक दूसरा इन्सटान्स सामने आया है जो बिन्दरा रोड कस्बा का है। वहां पर एक थानेदार की मौजूदगी में एक निलम्बित बी0डी0ओ0 ने भूमि पर कब्जा कर लिया तो मैं जानना चाहता हूं कि उस थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई। अगर हुई है तो उसके जांच परिणाम को बतायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने पहले ही कह दिया है कि श्रीमती काविल स्त्री राजपति ने जो सूचना दी कि हीरा जवाहर खोद रहे थे, इस सम्बन्ध में मैं पहले ही अपने वक्तव्य में बता चुका हूं। 25 फरवरी, 1975 को राम लाल हरिजन निवासी ग्राम पडसरा ने जब दूसरी सूचना दर्ज करायी कि उसका गन्ने का खेत कटवा लिया तो रामनाथ प्रधान को गिरफ्तार कर के जेल भेजा गया। आलम व परमेश्वर ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। निसार व हारून रशीद भागे हुए हैं जिनके विरुद्ध धारा 82-82 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है। विवेचना हो रही है। तीसरे, 3 मार्च, 1975 को राम बचन हरिजन ने यह सूचना दी कि उसका नीम का पेड़ काट लिया तो रामनाथ को फिर गिरफ्तार किया गया और धारा 147, 323 और 379 की कार्यवाही हुई। फिर रामलाल हरिजन ने जब यह सूचना दी कि उसकी मटर की फसल काट रहे हैं जबर्दस्ती, उसके सम्बन्ध में भी यह कार्यवाही हुई कि रामनाथ प्रधान को गिरफ्तार किया गया। तो सब पर अलग-अलग कार्यवाही हुई। बिल्थरा रोड की सूचना माननीय सदस्य ने दी है। वह कृपा करके मेरे पास भेज दें तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

यह सूचना भेजने की जरूरत नहीं है। उस क्षेत्र के विधायक हैं रफीउल्ला साहब, उन्होंने 2-3-75 को मुख्य मंत्री को पत्र भेजा था जो उनको मिल गया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रफीउल्ला खुद खड़े हुये थे।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

खड़े हुये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस पत्रावली में इसका संदर्भ नजर नहीं आता। अलग से मैं सूचना दे दूंगा।

श्री रफी उल्ला (जिला बलिया)--

मंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है लेकिन वहां हरिजनों पर गांवागांव में अत्याचार हो रहा है। 3-4 चिट्ठियां मुख्य मंत्री और जिलाधिकारियों को दी हैं और लोगों से दस्तखत उन पर करवाये हैं। आफिसर इन्चार्ज के पास कई चिट्ठियां लिखीं। पुलिस अधीक्षक, बलिया को लिखीं। इसके बाद एक पत्र मुख्य मंत्री को लिखा, कि बार-बार लिखने से कुछ नहीं हो रहा है, आप आज्ञा दें कि हम वहां जन आन्दोलन करें। ताकि गरीबों की रक्षा हो सके। आप किसी अधिकारी को मुकर्रर करें जो इसकी जांच करे। अगर बात गलत हो तो हमारे खिलाफ कार्यवाही की जाय और अगर सच हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। एक साल से पिसाई हो रही है। टाउन एरिया और हरिजनों की जमीन पर बल्लम, लाठी ले कर मकान बनवा रहे हैं। आप कहते हैं कि कुछ है ही नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

रफी उल्ला साहब ने जितने भी पत्र दिये हैं मैं निकलवा कर उनकी जांच करवा लूंगा। वैसे वह अपने पत्रों की प्रतिलिपि फिर दे दें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

कम से कम आप इतना आश्वासन तो दे दें कि उस थानेदार के खिलाफ जो यह सब कर रहा है कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

थानेदार के विरुद्ध अगर आरोप प्रमाणित हो जायेंगे तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा है कि न्यायालय की अनुमति नहीं मिल सकी किन्तु श्री रामनाथ प्रधान जो श्री राजपति की रिपोर्ट में नामांकित अभियुक्तों में से एक था तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा एकतरफा धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। तो 107/117 की धारा ऐसी है, अगर आप न समझ सकें तो राज मंगल जी से पूछ लें, कि दूसरी पार्टी भी अगर अदालत में दरख्वास्त दें तो उसके ऊपर भी 107/117 की कार्यवाही मैजिस्ट्रेट के द्वारा तुरन्त आदेश मिलने पर शुरू हो जायगी। अगर मंत्री जी को जानकारी न हो तो राज मंगल जी से पूछ कर जवाब दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो इस सम्बन्ध में विवरण है वह बता चुका हू, बाकी माननीय राज मंगल जी से पूछ लूंगा।

श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

मेरे जिले में और विशेषकर हमारे विधान सभा क्षेत्र में, बलिया जनपद का शासन जिलाधिकारी, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, डी0 एस0 पी0 के हाथ में है। वहां गवर्नमेन्ट ने जो गरीबों के लिये नीति बनायी है उनको सहूलियत देने के लिये, मेरा दावा है कि उसमें अधिकांश 90, 99 और 100 प्रतिशत बातों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वहां की सरकार की मैशिनरी बड़े बड़े लोगों के पक्ष में है और उनका साथ दे रही है।

उदाहरण के लिये मैं एक दो बात रखता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जदुहर सिंह, हरिजन परसिया, पुलिस स्टेशन हल्वी है। . . . . . (व्यवधान). . .उसके मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद उसने 3 बिस्वा जमीन गांव सभा से नकद पैसा देकर ली और अपना मकान या झोपड़ी बनवाई। वहां के लोगों ने जो प्रभावशाली थे, उन पर कब्जा कर लिया और उसको वहां से खदेड़ कर निकाल दिया। फिर मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गई, मैं भी डी0 एस0 पी0 के पास गया, उनसे कई बार मिला। उन्होंने केवल यही कार्यवाही की कि दफा 145 में जब्त कर लिया। इसका मतलब यह है कि वह इस जमीन के लिये लगातार मुकदमा लड़ता रहे और परेशान हो जाय। यही नहीं लोगों ने उसको पहले मारा और इसकी रिपोर्ट जब वह थाने में लिखाने गया, रिपोर्ट तो लिखी गई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां के जो प्रभावशाली लोग हैं, सामन्तवादी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उन लोगों ने इसके घर में घुस कर इस पर हमला किया, और इसके बच्चों को मारा। इस पर मैंने सभी जगह रिपोर्ट की, मैंने इसकी भी सूचना प्रान्तीय स्तर तक के अधिकारियों को दी लेकिन कुछ नहीं हुआ।

एक सदस्य—

ऐसी सरकार को इन्हें छोड़ देना चाहिये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जो सूचना मिली थी वह उभांव थाने के सम्बन्ध में थी। बलिया में और बहुत थाने हैं, जरूर कुछ हुआ होगा. उसके बारे में माननीय सदस्य मुझे सूचना दे दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय यादव द्वारा जो शिकायत की गई है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि क्या यहां से कोई उच्च अधिकारी भेजकर इन घटनाओं की जांच कराने की कृपा करेंगे जिससे वहां के गरीब लोगों को राहत मिल सके ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो माननीय रफी उल्लाह खां ने सूचना दी है मैं उस पर अवश्य जांच कराऊंगा और जो दूसरे थान के बारे में है, उसके सम्बन्ध में भी।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि उभांव थाने के अन्तर्गत हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर लखनऊ स्थिति सी0 आई0 डी0 के उच्च अधिकारी, जो उसी इलाके से आते हैं, का हाथ है और जो बलिया के एस0 पी0 पर दबाव डाल कर दरोगा को कहते हैं कि तुम कुछ भी करते रहो हम कोई कार्यवाई नहीं करने देंगे । यह घटना जो वहां पर 29 मार्च को हुई, उसमें उसका हाथ है ?

श्री नारायण् दत्त तिवारी—

ऐसी कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने जो कार्यवाही की उसे बता दिया गया।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जमीन हरिजन को मिलनी चाहिये, थी क्या उसको वहां पर कब्जा दिलाने की सरकार कार्यवाही करेगी और उस थानेदार के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक जमीन के कब्जे का प्रश्न है उसके लिये राजस्व विभाग से कहा जायेगा। थानेदार के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो बात कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं एक विशेष कार्याधिकारी को भेज दूंगा और उसकी जो रिपोर्ट होगी उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि जहां हरिजनों का उत्पीड़न होगा वहां उस जिले के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जायेगा । तो क्या आपने आज तक ऐसे मामलों में किसी का कोई जवाब तलब किया ?

श्री नारायणदत्त, तिवारी—

जी हां, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बलिया से पूछा जायेगा कि वे क्यों नहीं गये अभी तक ।

105 रुपये प्रति कुन्तल भाव पर काश्तकारों से जबरन गेहूं की लेवी की वसूली के सम्बन्ध में नियम 53 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

साढ़े 4 बजे हैं, 7 बजे तक इस पर चर्चा होगी ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

काफी लोग मान्यवर, इस पर अपने विचार रखना चाहेंगे क्योंकि यह बड़ा ही गम्भीर मसला है, मेरी प्रार्थना है सभी को थोड़ा थोड़ा समय आप देने की कृपा करें, मैं भी कुछ समय कम ही लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, 5–5 मिनट का समय ठीक रहेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जिस दल की जो नीति थी वह समाचार–पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है । कुछ थोड़ा सा और कहना चाहता हूं। लेवी के संबंध में हमारे दल की नीति बहुत स्पष्ट है और हमारा दल लेवी के सिद्धान्त का विरोध करता है । पहली बार जब नेताओं की मीटिंग हुई थी, हमारे दल के उप नेता वहां गये और उन्होंने भी मूलतः लेवी का विरोध किया। हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

विरोध के कुछ कारण हैं। सरकार को खुले बाजार से प्रतिस्पर्धा के रूप में गेहूं खरीदना चाहिये। लेवी नीति किसान विरोधी है। यह अव्यवहारिक है और किसान का शोषण करने वाली है। जो तरीके इसके लिये अपनाये गये हैं वे भी दोषपूर्ण हैं। आज किसान उससे छटपटा रहा है।

वसूली की मात्रा तय करने के जो नियम बनाये गये हैं वे भी गलत और दोषपूर्ण हैं। अगर किसी की 25 बीघा जमीन है और उसने 5 बीघा में गेहूं बोया है, तो आप उसकी 25 बीघा की होल्डिंग मानकर उसी हिसाब से उससे गेहूं वसूल करेंगे। यह कितना दोषपूर्ण है? जितना हमने बोया है अगर उसी हिसाब से लिया जाता तब भी कहा जा सकता था कि काम चलाऊ है। जो तरीका अपनाया गया है उससे भ्रष्टाचार भी फैल रहा है। क्षेत्रफल तय करने का तरीका गलत है खेत कट गये हैं, पता नहीं कितने में गेहूं बोया गया है, घरों में बैठे-बैठे पटवारी खसरा तैयार करता है। किसी का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है किसी का बढ़ा दिया जाता है। यह पता नहीं चलेगा कि कितने में उसने गेहूं बोया।

तीसरी बात मान्यवर जैसे मान लें कि इन्होंने सवा तीन एकड़ तक माफ किया है अब सवा तीन एकड़ से एक धुर भी ज्यादा हुआ तो उसको नहीं छोड़ेंगे। उसके पास चाहे 20 व्यक्ति उसके परिवार में हों और चाहे सवा तीन एकड़ वाले के परिवार में 2 व्यक्ति हों लेकिन एक धुर ज्यादा होने पर वसूली होगी। वह क्या खायेगा? वह इनको दे देगा और ज्यादा दाम पर फिर बाजार से खरीदेगा। इन्होंने मूल्य के सम्बन्ध में दोहरी नीति अपनायी है। ये तो 105 रुपये पर उससे खरीदेंगे और वह डेढ़ सौ, दो सौ और न जाने कितने पर खरीदेगा, यह भी इनकी बहुत बड़ी ज्यादती है, अन्याय है।

चौथी बात यह है कि जो इन्होंने ऐवरेज जिले का लिया है वह भी गलत है। मान लीजिये मेरे पास 6 एकड़ है और ऊदल जी के पास 6 एकड़ से ज्यादा है लेकिन उनके पास साधन नहीं है कि वे अपने खेतों को पानी दे सकें, खाद दे सकें जब कि मेरे पास साधन हैं कि खाद और पानी दे सकूं इसलिये मैंने ज्यादा पैदा किया और उन्होंने कम पैदा किया लेकिन उनसे भी ज्यादा अवश्य वसूल किया जायगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि इनकी यह नीति दोषपूर्ण, जिले का औसत निकालने का तरीका दोषपूर्ण और गलत है और इसी के कारण आज इस कदर जोरों से भ्रष्टाचार और घूसखोरी फैली हुई है जिसको मैं इस समय कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास समय कम है लेकिन प्राइस के बारे में कहना चाहता हूं।

यद्यपि लेवी के विरोध के हमारे अनेक कारण हैं किन्तु वह सब कारण पूरे नहीं होंगे इसलिये हमने लेवी का विरोध यह कह कर किया है कि हम मूलतः इसके विरोध में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन कारणों से हम मूलतः इसके विरोधी हैं उन कारणों में से एक कारण यह प्राइस का मामला भी है। मैं जानना चाहता हूं कि 105 रुपये वाली बात आपने कैसे मान ली। मैं वह भी जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने कहा कि 105 रुपये प्राइस फिक्स की जाय, फिर हमारी सरकार ने कैसे उसको मान लिया देश भर के सभी मुख्य मंत्रियों ने कहा कि इससे किसानों को राहत नहीं मिलेगी और इसको न किया जाय। इन्होंने भी सिफारिश की लेकिन फिर मान लिया, यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इन्होंने क्या-क्या अन्याय नहीं किये? इन्होंने विकास कर बढ़ाया, सवा 6 एकड़ से अधिक के किसानों से मालगुजारी ली, 89 प्रतिशत बिजली की कीमत बढ़ा दी। इन्होंने खाद की कीमत बढ़ा दी, हर चीज की कीमत बढ़ा दी।

इनका एक आर्गनाइजेशन है फूड कारपोरेशन, वह किसानों को बीज 4 रुपये प्रति किलो पर बोने के लिये देता है और अब जब वह पैदा करेंगे तो वही सीड जो सीड कारपोरेशन का है, उससे लिया जायगा 105 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से। उनके इस्तेमाल की सारी की सारी चीजों की कीमत बढ़ गयी। 71-72, 72-73 और 73-74 में जितनी कीमतों में वृद्धि हुई थी सन् 74-75 में उससे 50 परसेंट और आगे बढ़ गयी। आपने क्या उनके

इस्तेमाल के लिये सीमेण्ट सस्ता किया ? क्या लोहा सस्ता किया ?, अनाज सस्ता किया ? तेल सस्ता किया ? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है । तो फिर कहां का न्याय है कि आप जिनके बल पर यहां पर कुर्सियों पर बैठे हुये हैं उनसे आप कैसे इस दोहरी नीति को बरत रहे हैं ।

जब सन् 73–74 में आपने 76 पैसे प्रति क्विन्तल कीमत रखी थी तब यूरिया की कीमत 42 रुपये प्रति 50 किलो ग्राम थी और पोटाश की कीमत 33 रूपये प्रति क्विन्टल थी । आज वह दूनी से ज्यादा बढ़ गयी है। 109 रुपया प्रति 50 किलोग्राम यूरिया की कीमत है और पोटाश की 63 रुपये प्रति क्विन्टल। जब दूने दाम बढ़ गये और उसके उपयोग की सारी चीजों की कीमत बढ़ गयी तो माननीय मंत्री जी आपने क्या सोचा और कसे आपने 105 रुपये का दाम मान लिया जिसे आपको किसी सूरत में नहीं मानना चाहिये था। यू0 पी0 जो सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है उसमें यह बात तो हो ही नहीं सकती । मध्य प्रदेश की यह स्थिति नहीं है। वहां भी छूट दी गयी है लेकिन मैं फिर दोहराता कि इस सरकार ने कौन सी चीज की है ।

मान्यवर, जैसी न्याय की वृत्ति इनकी दूसरी जगह, इन्डस्ट्रिलिस्ट्स की ओर, वैसे तो मौका नहीं है जब मौका आयेगा तो वह सब कहूंगा लेकिन आपने उन को आगे चलकर जो बिजली दी है तो उसकी कीमत की बढ़ोत्तरी 71–72, 72–73, और 73–74 के मुकाबले में 40 फीसदी की है और यहां ऐग्रीकल्चरिस्ट की 89 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई। यह बेईमानी की गवर्नमट और धोकेबाजी की गवर्नमट है यह किसानों को बिजली नहीं देती । देते नहीं पूरी बिजली, फफ् करके बिजली चली जाती है, बिजली के लिये वे रोते ह, फिर भी आप उनसे जबरिया 150 रुपया दाम पूरी बिजली का ले लेते हैं । लेकिन जब उनकी चीजों की कीमत फिक्स करने की बात होती है तो 105 रुपये क्विन्टल फिक्स कर देते ह । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मैं बार बार कहूंगा कि आप की किसान विरोधी नीति सदैव रही है और इसी कारण अभी तक हमारे देहात का उत्थान नहीं हुआ, ग्रामीण अंचलों का उत्थान नहीं हुआ और न कभी हो सकेगा। यह आपकी कोई नीति नहीं है, जब तक वे गरीब रहेंगे आपका काम बनता रहेगा। आपकी कुर्सी बनी रहेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने विकास कर लगाया है और आपने कहीं स्टेटमेंट दिया है कहीं घोषणा की है कि फिर से जमीनों का सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि सब पर फिर से मालगुजारी बढ़ा सकें। यद्यपि कहते यही कि सब को छोटे बड़े को बराबर रखना चाहते हैं लेकिन इससे छोटों को राहत नहीं होगी बल्कि एक माने में छोटों पर मालगुजारी और बढ़ जायगी ।

अभी आपने कहा कि शहरों में 25 लाख राशनकार्ड हैं। एक माननीय सदस्य के सवाल के जबाब में यह बात आयी और आपने केवल शहरी इलाके के लोगों के लिये चिन्ता व्यक्त की । देहाती इलाकों की हालत क्या है आपने अपने दिमाग में कभी यह सोचा कि बहुत बड़ी संख्या लैंडलेस लेबरर्स की है और जो करीब 72 प्रतिशत हैं, उनको यह सबसे ज्यादा हिट कर रही है ? इन 70–72 फीसदी लोगों के बेटे बेटियों का इस वक्त विवाह है, जिसकी व्यवस्था के लिये तथा कपड़े आदि का साल भर का इन्तजाम करने के लिये वे इस समय अपनी फसल को सस्ते दाम पर बेच देगें और जब समय आयेगा तो खरीद-खरीद कर 105 के बजाय, 150, 200 या 300 रुपये क्विन्टल के भाव पर खायेंगे कौन कह सकता है कि आगे क्या भाव होगा मैं कहता हूं कि आप गरीबों का खयाल रखिये और उनको सब-सिड इज्डरेट पर क्यों नहीं गल्ला देते हैं जैसा कि दुनिया के तमाम देशों में होता है ? वहां किसानों में लोग कोई भेद नहीं करते । लेकिन यहां देहात के गरीबों के बारे में कोई खयाल नहीं किया गया है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि ग्राम पंचायतों में क्या सस्ते गल्ले की दूकानें खोलवायी जायेगी ? तो उन्होंने इसके लिये कोई आश्वासन नहीं दिया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

देहात वालों के लिये वे दूकान नहीं खोलेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ आती है बराबर बाढ़ आती है। उस क्षेत्र में किसी ने रबी की फसल बो दी और उस साल बाढ़ नहीं आयी तब भी मान्यवर उस क्षेत्र का खयाल करके ये लेवी लगा देंगे। इस मान में गरीबों का भी इन्होंने कोई खयाल नहीं किया है। कीमत फिक्स करने के सम्बन्ध में भी अनेक माननीय सदस्यों ने उत्पादन में कितना खर्च लगता है, वर्क आउट किया है। हमारे चौधरी साहब भी इसका डिटेल देंगे कि कितनी कीमत पड़ती है।

मान्यवर, जब मैं पब्लिक एकाउन्ट कमेटी का चेयरमैन था तो मैं एक फार्म देखने गया था। मुझे उस फार्म का नाम नहीं याद आ रहा है। वहां मालूम हुआ कि एक मन गल्ला तैयार करने में 85 रुपये खर्च आता है। गवर्नमेंट को चाहिये था कि अपने फार्मों से ही रिपोर्ट मगा लेती, जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे हिसाब मंगा लेती, लेकिन ऐसा न करके गवर्नमेंट ने किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है जो कि बिलकुल गूंगे हैं। कुछ लोगों ने इसके लिये प्रयास किया और इसके लिये फरियाद भी की लेकिन दरअसल यह बड़ा अन्याय है जो लेवी वसूली जा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। जब कोई सवाल किया जाता है तो उनका जवाब कुछ न कुछ बड़ी आसानी से दे देते हैं। मैं कहता हूं कि इस विधान सभा में आधा से ज्यादा गड़बड़ी का कारण यह है कि जनहित का खयाल करके वे जवाब नहीं देते हैं बल्कि इसलिये जवाब देते हैं कि सवाल किया गया है इसलिये उसका कुछ जवाब हो जाय।

एक दिन मैंने पूछा था कि आपने गोदामों की क्या व्यवस्था की है। हमारे सामने अनेकों बार ऐसे मामले आये हैं कि एक गोदाम में कई सौ टन या मन गल्ला सड़ गया। आज भी वहां सड़ा आटा दिया जाता है। इसका क्या कारण है? कहां व्यवस्था है कि कीड़े निकाले जायेंगे? कहां व्यवस्था है कि गोदाम बनेंगे। कहां आपने गोदाम बनवा लिये। गोदाम की कुछ शर्त होती हैं उसके अनुसार गोदाम बनाये जाते हैं। आप गरीब का खून चूस करके लूट करके कहां रखेंगे। कहां पर आपने पक्के गोदाम की व्यवस्था की है। कहीं पर पक्के गोदाम की व्यवस्था नहीं है।

105 रुपये पर खरीदेंगे और कहा है कि 28 रुपया हैंडलिंग चार्जेज होंगे। पांच सात रुपया सड़न में चला जायगा। यह कीमत आप इसी में जोड़ देंगे और बाद में आप कहेंगे कि हम घाटे पर देरहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर सरकार इस तरह से धोखा करती है तो हजार बार लानत है सरकार पर।

बितरण व्यवस्था, वितरणकी स्थिति पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे माननीय सदस्य रोज ही ऐसे प्रश्न करते हैं। इनकी वितरण व्यवस्था जो है वह बिल्कुल दोषपूर्ण है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर ईमानदारी से जांच की तो शायद ही 2 परसेंट ऐसे सप्लाई अफसर बचें जो डिसमिसल न डिजर्व करते हों। कहीं कोई उचित व्यवस्था नहीं है। वितरण कैसे हो रहा है इसकी चिंता नहीं है। वितरण व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी है। मैं कहता हूंकि क्रुअल फिक्शेसन आफ प्राइस। जो इन्होंने फिक्शेसन किया है यह बिल्कुल गलत है। किसी पहलू से यह लेवी का सिद्धान्त ठीक नहीं निकलता है इसलिये मेरे दलकी तरफ से लेवी का विरोध किया जाता है। एक बात और कह दूं, अप्रैल जा रहा है, इसके बाद आगे न जाने कितने रायट्स होंगे। अगर आपके अधिकारी जबर्दस्ती करेंगे, जोर करेंगे। लोग कहते हैं कि आपका दिल कैसा है, सरकार क्या चीज है। हम यह मानते हैं। जैसा ऊदल जी ने कहा कि आप में से आधे से ज्यादा कुलक्स हैं। मैं तो यहां बैठा हूं, लेकिन मेरा दिल क्या कहता है आप की जानकारी में शायद यह बात नहीं आयेगी। आप जो गरीब है उसका खून चूस रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इसका फल अच्छा नहीं निकलेगा। इसको सपोर्ट न किया जाय, लेवी को। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अपना विचार समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब, पहले मंत्री जी सूचना देगीं। सदस्य संक्षेप में वक्तव्य देंगे। तब संबंधित मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। उसके बाद आगे.....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

उनका तो बयान आ ही चुका है।

एक सदस्य--

मान्यवर, हमारे साथी भी बोलना चाहते हैं। इनको भी मौका मिलना चाहिये।

(हंसी)

(डाक्टर राजेन्द्र कुमारी जी बोलने के लिये खड़ी हुयी।)

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है? सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

क्या सुन लें, इसमें क्या प्रश्न है। इसमें व्यवस्था नहीं।

नियम 53 में ऐसा है, । यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसे जानकारी मांगने के बाद, जिसे वे आवश्यक समझें, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र उठाया जाना चाहिये, तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन-नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे। तो यह तो कर दिया। अब जिस सदस्य ने सूचना दी हो (नियम 54) वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरः स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बात बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का एक प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मैंने लिखित वक्तव्य सदन में.....

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)

मान्यवर, नियम देखें। इसमें है कि जो सदस्य सूचना दें तो कई सदस्यों ने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन जो पहले हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, नियम के अनुसार, जिसने सूचना दी है, एक आदमी वक्तव्य देगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया। आप काशीनाथ जी.....

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपना इस विषय पर लिखित वक्तव्य करीब करीब सभी माननीय सदयों को वितरित करवा दिया था तो विषय आपके सामने उपस्थित है। ज्याद से ज्यादा माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो अच्छा यह होगा कि लोग पहले बोल लें, इसके बाद मैं जवाब दे दूंगी। मैं सदस्यों के समय को नहीं लेना चाहती।

(लिखित वक्तव्य के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 965–968 पर)

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूंकि माननीय राजेन्द्र कुमारी जी ने जो नोट दिया था उसमें लिखा है कि विरोधी पक्ष के नेताओं से अमुक तारीख को बात चीत हुई है सचिवालय में। इतिफाक से मैं मौजूद नहीं था लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि मेरी उनकी बात एक बार हो चुकी है। मान्यवर, मुझे 20 मिनट मिलेंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन और नेता विरोधी दल पर कोई पाबन्दी नहीं है।

*चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी से एक उसूल के मुकाबले मेरा उनसे मतभेद है। मैं समझता हूं कि जब पैदावार कम हो और आशा यह हो कि उस कमी के कारण भाव बढ़ेंगे और उससे गरीब लोगों को तकलीफ होगी तो लेवी इम्पोज्ड होनी चाहिये। यदि लेबी इम्पोज्ड नहीं होगी तो दुकानों में सामान के भाव बढेंगे और उससे गरीब आदमी को हार्डशिप होगी। यह मेरी और मेरे दल की बहुत दिनों से राय है। लेकिन गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया ने तय किया था कि गल्ले की पब्लिक ट्रैडिंग स्टेट में हो तो यदि यह स्कीम फेल होगी तो उससे गरीब आदमी और उपभोक्ता तथा सभी को नुकसान होगा। इसके मुतालिक बात 1959 में कांग्रेस के अधिवेशन में नागपुर में हुई थी। वर्किंग कमेटी की तरफ से प्रस्ताव 5 आइटम का आया था लेकिन उसके दो अंग ही लिये गये थे एक सहकारी खेती की जायेगी और दूसरा सरकारी व्यापार गल्ले का किया जायेगा। मैंने उनका विरोध तब भी किया था। माननीय नेहरू जी ने कोशिश की लेकिन वह नहीं चला। श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि मेरे पिता साधु थे और मैं पालीटीशियन हूं। इन्होंने सहकारी खेती और सरकारी व्यापार करने की कोशिश की लेकिन हम पाते हैं कि वह भी इसमें नाकामयाब रहीं। लेकिन मेरा तो गल्ले के सम्बन्ध में ताल्लुक है और वह फेल हुआ। उसके बाद वह होल सेलर और दुकानों को अधिकार दे दिये गये मजबूर होकर क्योंकि न पैदावार का हिसाब था, न जोत का था, न मालूम किया गया कि पैदावार हुई कि नहीं और ओला पड़ा कि नहीं।

पिछले साल मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने भी ज्यादती किसानों के साथ की। खैर यह सही रास्ते पर गवर्नमेंट आयी है। जहां तक लेबी वसूल करने का तालुक है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस साल स्थिति यह नहीं है कि लेवी इम्पोज की जाय क्योंकि गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया और आप स्वयं मानते हैं कि रेकर्ड प्रोडक्शन हुआ है। आज के अखबारों में जो कल बयान शिन्दे साहब ने दिया था जो कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के स्टेट मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर के हैं। तो उससे कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं। मेरे पास नई दिल्ली का स्वतंत्र भारत 9 अप्रैल का है। इसमें लिखा है कि इस वर्ष देश में रबी का रेकर्ड उत्पादन होने की आशा है। रबी का कुल उत्पादन 4 करोड़ 30 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ 70 लाख टन होने की आशा है। आज लोक सभा में हर्ष ध्वनि के बीच कृषि राज्य मंत्री श्री शिन्डे ने यह जानकारी दी और कहा कि इस अच्छे उत्पादन के कारण अगले दो महीनों में मूल्यों में निश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गिरावट आयेगी। यह एडमिशन है कि पैदावार आपकी रिकार्ड हुई है। पिछले साल 2.22 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था और इस बार 2.70 लाख टन हुआ है और कुल रबी का प्रोडक्शन रिकार्ड प्रोडक्शन है। बहरहाल शिन्दे साहब यह कह रहे हैं कि अब की बार पैदावार ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोपेगैण्डा है क्योंकि अगर ज्यादा पैदावार होती तो यह रिस्क उठाने की जरूरत नहीं थी कि प्रोक्योरमेंट किया जाय और फिर डिस्ट्रिब्यूशन किया जाय। या तो प्रोडक्शन अच्छा है और अगर है तो फिर यह लेवी क्यों लगाई जा रही है और अच्छा नहीं है तो यह प्रोपोगैण्डा क्यों हैं ?

मैं एक सुझाव दूंगा माननीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को। इस साल भारत सरकार 54 लाख टन गेहूं यू0 एस0 ए0 से मंगा रही है। 30 जून तक आ जायगा। अखबारों में 8 लाख टन की खबर है कन्सेशनल रेट पर और 46 लाख टन कामर्शियल रेट पर वहां से यह आ रहा है। आना शुरू हो गया है। लिहाजा अब इसमें लेवी न लगाई जाय और मार्केट फोर्सेज जो हैं उनको आपरेट होने दें। लोगों को तकलीफ नहीं होगी सरप्लस होने के कारण और थोड़ी बहुत कमी होगी तो 54 लाख टन बफर स्टाक को आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। आप को लगे कि भ व बढ़ रहे हैं तो उससे उससे मार्केट को फीड कर दें और आप इस लेवी के चक्कर से बच जायंगी। अगर आप लेवी लगाना ही चाहते हैं तो किस कीमत पर किया जाय ? किन लोगों पर यह कीमत लगाई जाय ? मेरी राय यह है कि 5 एकड़ तक के किसान को बरी कर दिया जाय। आपका जो एस्टिमेट था 3.125 एकड़ उसमें 45 लाख होल्डिंग्स आती थीं लेकिन 27 लाख होल्डिंग्स जहां तक मुझे याद पड़ता है पहले के जो कागजात थे उनके मुताबिक आती हैं इस कटेगरी में। अब अगर 3.125 एकड़ से 5 एकड़ तक आप मुस्तस्ना कर देते हैं तो इसमें 18 लाख होल्डिंग्स से कम नहीं पड़ेंगी और 9 लाख रह जायेंगी सिर्फ 5 से 6 एकड़ के बीच में। तो 45 लाख में से 18 लाख आदमियों से आपको नहीं लेना पड़ेगा।

यह मानकर कि एक होल्डिंग एक आदमी के पास होगा तो 45 लाख के बजाय यदि आप मेरी तजबीज को मान लेती हैं तो 27 लाख आदमियों से लेना पड़ेगा। सब लोगों के लिये सरदर्द कम हो जायगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही मैं एक बात यह भी कहने वाला हूं कि जिन लोगों को आप राशन देने वाली हैं वे गांव वाले हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप 1 हजार तक तनख्वाह पाने वाले को राशन देना चाहती हैं कोई पैमाना तो आप तय करेंगी। इरादा सबका यही है कि जो गरीब है उसको बेजा दाम न देना पड़े। वसूली उसी के पीछे है।

मैं पूछता हूं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है ? नेशनल इनकम जो देश की है उससे कम जो पाता है वह गरीब है और उसी नेशनल इनकम के अनुसार उससे जो ज्यादा पाता है वह अमीर है। हालांकि अमरीका का गरीब हमारे यहां के अमीर से ज्यादा पाता है। लेकिन हमे तो अपनी स्थिति देखनी है। 1973–74 में 850 रुपया फी व्यक्ति सालाना आमदनी अपने देश की है करेन्ट प्राइसेज पर। एक घर में पांच आदमी होते हैं तो 4250 रुपया हुआ। यदि इस सालाना आमदनी को 12 से तकसीम किया जाय तो 355 रुपया माहवार आता है। तो 355 रुपया माहवार तक जिस फैमली की आमदनी है वह गरीब है और जिस फैमली की आमदनी इससे ज्यादा है वह अमीर की कैटेगरी में आता है। यह वाजिब नहीं है कि गवर्नमेन्ट गरीब गांव वालों से इकट्ठा करके मालदार लोगों को दे। इसके पीछे क्या रीजन हैं ? जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है अगरचे हमेशा माननीय नारायण दत्त जी ठीक आंकड़े दिया करते थे, अबकी बार उन्होंने छोड़ दिया–23 सौ करोड़ 73–74 में आमदनी हुई.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

चौधरी साहब नेशनल इनकम के आंकड़ों में शायद गलती कर रहे हैं। वह तो 500/600 है। 850 नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

नेशनल इनकम 73–74 की मैंने बतायी वह 850 रु0 है । उसके बीच में भाव इतने बढ़ गये हैं इसलिये पर कैपिटा इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। इकौनामिक सर्वे 1974–75 की उठाकर आप पढ़ लें। मेरे पास रखी है, मैं दिखा दूंगा। उसी के आंकड़े में बता रहा हूं जो कि फाइनेन्स मिनिस्टर की तरफ से दिये गये हैं। हमारे यहां फी परिवार फी महीने 260 रुपये पड़ी जब कि सारे देश की 355 रुपया है। तो अगर कोई हेड आफ दि फेमिली, फादर या मैनेजर आफ दि फैमिली 260 रुपये से ज्यादा पाता है तो वह गरीब की कैटेगरी में नहीं आता है। मैं मान लेता हूं कि आप उसे 300 कर दें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक 300 रुपये की बात है, जितने हमारे सेक्रेटेरियट में काम करने वाले या मेरे दफ्तर में पी0ए0 वगैरह जो हैं उनकी तनख्वाह 260 या 300 रुपये से ज्यादा है, उनको किसी को राशन नहीं मिलेगा। उनसे सरकार का सम्बन्ध है। हमारा सम्बन्ध रिच आदिमयों से है गरीबों से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है।

मैं सही बात कहना चाहता हूं कि जितने गांव के लोग चुनकर आये हैं वे सब गांवों की कंडीशन को भूल गये हैं। शहर के साथ हमने अपने को पूरी तरह से जोड़ दिया है बावजूद इसके कि तरह-तरह के नारे लगाये जाते हैं। मैं शहर की इनकम बता देता हूं। 1951–56 में अगर शहर वाले की आमदनी 100 रुपये थी तो गांव वाले की 26.7 थी। सेकेंड प्लान में 56 से 61 में वह घट कर रह गई 23.8, अगली योजना में, तीसरी योजना में, 61 से 66 तक वह रह गई 19.60, 66 फिर से चार साल तक वह रह गई 18.5, तो इस तरह से सवा पांच गुना कम हो गई। शहर वालों के मुकाबले में डिपैरिटी बढ़ती जा रही है। गांव वालों से हम गल्ला लेकर एक हजार और 9 सौ रुपया तक पाने वालों को उसे देंगे। ह्वाट इज दि रीजन बिहाण्ड इट ? तो वह केवल यही है कि वह यहां तक नहीं आ सकते वह अखबारों में प्रेस का फरेन्स नहीं कर सकते हैं, वह अनआर्गनाइज्ड हैं, वह बे पढ़े हैं। उनकी नुमाइंदगी हम करते हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी हमारा एटीट्यूड भी बड़े आदमियों की तरफ हो गया है। मैं इसमें किसी पार्टी विशेष को दोष नहीं देना चाहता हूं हम सब इक्वली दोषी हैं। अगर आप 3 सौ तक आमदनी वालों को गल्ला देंगे तो आपको कम गल्ले की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही दूसरा रास्ता है कि 5 एकड़ से ऊपर वालों का हिसाब लगा दीजिये अगर तीन सौ रुपये वालों तक को देने में कमी पड़ती है तो फिर 10 से 20 एकड़ वालों तक का परसेंटेज बढ़ा दीजिये। लेकिन पांच एकड़ तक वालों को माफ कर दीजिये यह मेरा मशवरा आपसे है।

अध्यक्ष महोदय, अब कीमतों के मुतल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 140 रुपये से कम नहीं होना चाहिये। गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश ने 7 जून, 68 में एक कमेटी मुकर्रर की थी उसका नाम था वर्किंग सब ग्रुप आफ प्राइस सपोर्ट इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी एण्ड इंसेंटिव टु फारमर्स'। उसमें जो एक्सपर्ट्स थे वह थे श्री डी0 पी0 सिंह, वाइस चांसलर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पंतनगर, श्री भानुप्रताप सिंह, प्रोग्रेसिव फारमर, सोहेना, बस्ती, डा: धर्मपाल, एडीशनल डायरेक्टर, एग्रीकल्चर, श्री मनोहरन सुब्रमन्यम, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फूड एण्ड सिविल सप्लाईज, श्री आर0 के0 कौल, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी फाइनेन्स, श्री आर0 एन: आजाद, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी प्लानिंग, श्री टी0 एस0 कौशिक स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग आफिसर। तो यह रिपोर्ट उनकी है उसमें इस बात को बतलाया है कि पैदावार की कीमत किस हिसाब से लगाई जानी चाहिये। जिस हिसाब से वह लेबर, पानी, बीज और दूसरी चीजें इस्तेमाल करता है उसके अनुसार अगर उनकी कीमत बढ़ जाती हैं तो इनपुट्स की भी प्राईस बढ़नी चाहिये। तो उन्होंने 1957 को बेस इयर माना है। जो उस वक्त ह्वीट की कीमत थी उसको उसने बेस माना है। तो उस वक्त जो इनपुट्स की कीमत थी और उसमें जो बढ़ोत्तरी हुई है उस हिसाब से प्राइस बढ़नी चाहिये। उन्होंने कहा है कि यही यू0 एस0 ए0 में होता है। तो यह एक माकूल उसूल है तो उसे क्यों नहीं आप मानते हैं। उस हिसाब से 140 रुपया से कहीं ज्यादा दाम बैठता है। तो मैं यह उस कमेटी की राय बतला रहा हूं।

मैं माननीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेई से जानना चाहता हूं, खाद्य मंत्री जी से, और उन्होंने पिछले वर्ष स्वयं 105 रु0 मुकर्रर किया था। तो जो कंडीशन उस वक्त थी उस वक्त जो इनपुट्स के भाव थे तब से कितने बढ़ गये हैं। वह आप स्वयं तस्लीम कर सकते हैं कितने दाम इन चीजों के बढ़ गये है। जो प्राइवेट ट्यूब वेल हैं उनको बिजली के दाम आपने कितने बढ़ा दिये हैं जो कि बहुत हाई हैं (व्यवधान) तो मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरी चीजों के दाम कितने बढ़ गये ह जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे गरीब आदमी को पौने 30 पैसे, इन्डस्ट्रियलिस्ट को ऐज ए होल 14 पैसे, और सबसे बढ़े इन्डस्ट्रियलिस्ट जो बिड़ला हैं उन्हें साढ़े 10 पैसे जो कि उसके पहले केवल दो पैसे था। जरा सोचिए कितना गरीबों का आपको दर्द है। मैं आपकी गवर्नमेंट से कह रहा हूं, साथ के मेम्बरों से नहीं, जो बंधे हुए हैं। उनके साथ हमारी बात होती है, तो वह यही कहते हैं कि आप सही कहते हैं, लेकिन हम क्या करें, बंधे हैं। उनकी भी यह फीलिंग है। किसानों को पौने 30 पैसे और जो जितना बड़ा है, उसको उतना कम। पौने तीस पैसा तो वह देता है उसके अलावा वह ऊपर से साढ़े 13 से साढ़े 18 तक की जो गारेन्टी देता है, वह अलग उस पर भार है। इसके अलावा यह तो मिनिमम है। मैं राजेन्द्र कुमारी जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई इंडस्ट्री के लिये भी मिनिमम गारेन्टी है।

फर्टीलाइजर को आप स्वयं मानेंगे कि उसके दाम दुगुने हो गये। इस संबंध में आपको तीन बातें देनी है किसान के इनपुट्स की कीमत क्या है, क्या पैदावार है तथा कितना उस पर टैक्स लग रहा है। टैक्स में आपने हद कर दी। दुनियां में, एक ही साल में जितना टैक्स हमारे यहां बढ़ाया गया है, कभी भी दुनियां की किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। सब उस गरीब पर पड़ रहा है। जब पूरी मालगुजारी ली जाती थी,तो 22 करोड़ और अब 44 करोड़ है। शराब की आमदनी भी बढ़कर 47 करोड़ हो गई है, आप गांव-गांव में किसान के लड़कों में शराब का चलन बढ़ा रहे हैं। सेल्स-टैक्स किस पर पड़ता है? अल्टीमेटली जनता पर पड़ता है, दूकानदार पर नहीं पड़ता है। और 86 परसेंट जनता गांवों में रहती है। इन्यूट्स एक तो मिलते ही नहीं-पानी खाद कुछ भी समय पर नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो उसके अन्धाधुन्ध प्राईज और टैक्स की कोई सीमा नहीं?

तो मैं यह अर्ज कर रहा था जब 105 रुपया पिछले साल था, अब हर चीज की कीमत बढ़ गई और टक्स बढ़ गये, तो कीमत कम क्यों? इसके अलावा अमेरिका से जो गेहूं आ रहा है, उसकी 128 रुपया लैंडिंग कास्ट है, 10 परसेंट शिपिंग कास्ट है। इस तरह से वह 141 रुपया हो गया। जहां तक मेरी जानकारी है 4 रूपया शायद उस पर हैंडलिंग या अनलोडिंग कास्ट लगती है। इस प्रकार से यह कुल 145 रुपया हुआ और वह भी भुगतान फारेन एक्सचेंज में देना होगा, जो सो स्केयर। विदेशी मुद्रा में 145 रुपये क्रय करके देंगे और अपनी मुद्रा अपने किसान को नहीं देंगे। जब इस तरह से यह 145 है, तो यह 140 क्यों न रखा जाए। अब इसका कारण क्या है, यह ज सौतेला व्यवहार आप किसानों के साथ कर रहे हैं, वह क्यों? दे कैन नाट आर्गनाईज देमसेल्वज। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट है, वह काम ठप कर देंगे, इसलिये आप उनका ध्यान करते हैं। काम ठप कर देने से डरना नहीं चाहिये, लेकिन आप सब सरेन्डर कर देंगे दूसरे दिन। क्योंकि अखबार में निकलेगा, तोड़-फोड़ करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर काट देंगे। वह बेचारा कर ही नहीं सकता है, यह आपके दिमाग में है। यह भी आपके दिमाग में है कि मुद्रास्फीति हो जायगी गन्ने या गेहूं का दाम बढ़ाने से। क्यों हो जाएगा?

किसान के दाम बढ़ने से ज्यादा मुद्रास्फीति नहीं होती है, कारण यह है कि जितनी भी उसकी नेट इन्क्रीज होती है, वह अधिकतर प्रोडक्टिव खर्चे में जाती है। लड़के-लड़की की शादी में अन्धाधुन्ध खर्च करने का समय अब गया। अब यह पैटर्न बदल गया है। वह सबसे पहले ट्यूब बेल लगाएगा, कुआं खोदेगा। फर्टिलाइजर ज्यादा खरीदेगा, बैल अच्छे खरीदेगा, और अन्य मशीन खरीदेगा। जमीन ऊबड़-खाबड़ है उसको ठीक करेगा।

[चौधरी चरण सिंह]

लेकिन वह अधिक रुपया वह प्रोडक्शन बढ़े अगले साल, या दो साल में उसमें खर्च करेगा। लेकिन जब किसान को दाम देने की बात होती है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का आर्गूमेंट देती है। 1 अरब 4 करोड़ सेंट्रल एम्प्लाइज पर अगर बढ़ जाता है तो नहीं कहते कि इन्फ्लेशन होगा।

इन्डस्ट्रियल वर्कर्स के एक लीडर ने, उनका नाम नहीं लूंगा कहा कि मैंने बम्बई में यह करवा दिया है कि सारे इन्डस्ट्रियल वर्कर्स असेसिबिल टु इन्कम टैक्स होंगे, 500 रुपये से ज्यादा। स्ट्राइक होती है। ओनर फैक्टरी को बन्द भी करना चाहे तब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर पड़ता है कि वेजेज बढ़ाइये। वेजेज किस की जेब से गयी? उसकी जेब से नहीं गयी। प्रोपराइटर की, न गवर्नमेंट के खजाने से। उसने अपने गुड्स की प्राइस बढ़ा दी और मासेज की जेब से गयी। तो मतलब यह हुआ कि हर सक्सेसफुल स्ट्राइक का मतलब यह है कि भाव बढ़े गरीबों की जेब से पैसा जाय। बेशक उनको जितना माकूल है देना चाहिये लेकिन हर वक्त सरेडर, सरेंडर।

जिननी वेजेज बढ़ाते हैं वह सब कंजम्शन में जाता है। तब मुद्रास्फीति नहीं होती जब गवर्नमेंट एम्प्लाइज की बढ़ाते हैं। 469 हजार सूबे में हो गया है उसमें टीचर्स और लोकल बाडीज के एम्प्लाइज भी हैं। अगर यही पालिसी आपकी रहती है, और रहती हैं, तो रोजाना कोई न कोई डिमांड आपके सामने रहेगी कि हमारे एमालूमेंट्स बढ़ाओ क्योंकि दृष्टिकोण ही है सरेंडर करो उनके पैट्रियाटिज्म की अपील न करो। राजकर्मचारी पैट्रियाटिक हैं। इतनी आबपाशी हो रही है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो थोड़ी तनख्वाह से काम चल जायगा। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो सौ गुना तनख्वाह कर दी जाय, क्या लाभ? कौन उनके दिल को छूता है? कौन उनके पैट्रियाटिज्म को अपील करता है? इस वक्त सिर्फ यह आर्गूमेंट है कि गवर्नमेंट इम्प्लाइज की और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के वेजेज का प्रश्न, और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर करते हैं।

टेलीविजन सेट की फैक्टरी लगाएंगे। शराब का कारखाना गवर्नमेंट की तरफ से लगाने का डेसीजन हो गया। बड़े-बड़े होटल आप बनाएंगे यह सब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर नहीं है? प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं जायगा जब किसान को देने की बात आयेगी, तो कहा जायगा कि इन्फ्लेशन हो जायगा। आर्गुमेंट दिया जायगा, कोई अखबार पढ़िए चाहे दिल्ली के हों या बाहर के, सारे अखबारों में जो निकलता है, सब का कहना है कि सारा रुपया देहात में लग गया है और देहात पर टैक्स नहीं। जितने इकानामिक डेवलपमेंट के मेन्स हैं, जितना लाभ हुआ है, सब किसानों को दिया है। कौन आंकड़े हैं। गांव वाले किसान का क्या हुआ?

अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, वही आपके आंकड़े, दस साल का औसत ले लीजिये। जो नेशनल इन्कम है वह 45 परसेंट कृषि से होती है और 55 प्रतिशत नान ऐग्रीकल्चर से। 45 परसेंट नेशनल इन्कम डिवाइड होती है 70 फीसदी लोगों में। 70 फीसदी आदमी खेती पर लगा हुआ है। 55 परसेन्ट आमदनी डिवाइड होती है 30 परसेंट में, जो गैर जरायती पेशा हैं। तो 55 बटा 30 जो गैर जरायती पेशे वालों की आमदनी है, और 45 बटा 70 आमदनी हुई जो खेती में लगने वाले हैं। पौने तीन गुना बैठती है। कौन सा एडवांस हुआ। तो डेवलपमेंट इस प्रकार से हुआ कि गांव वालों की आमदनी रिलेटिवली रेजिडेंट्स आफ टाउन इज डिक्रीजिंग डे बाई डे। आप नारे लगाइये समाजवाद के। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांवों की तरफ ध्यान दिया जाये। बड़ी-बड़ी फैक्टरियां यहां नहीं लग सकती हैं। हजारों बार कहा कि वेस्टर्न पैटर्न पर यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन यह बात नहीं मानी गई। पंडित जी को खब्त था कि शानदार प्लानिंग हो, रूस के पैटर्न पर प्लानिंग हो। इसी ने हमारे मुल्क को गरीब बना दिया।

जो आर्गूमेन्ट्स दिए जाते हैं उसका भी मैंने जवाब दे दिया। तीसरे पैरा में माननीया मन्त्री जी फरमाती हैं कि गेहूं की फसल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसी आशा है कि इस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष से काफी अधिक होगा। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार ने इस विकल्प पर भी विचार किया कि सरकार गेहूं की खरीदारी न करके साधारण व्यापारिक प्रणाली को चलते रहने दें तो उसका क्या प्रभाव होगा। ऐसी सम्भावना है कि इस दशा में प्रारम्भ में अधिक उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति में छोटे व जरूरतमन्द काश्तकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्ते दामों में व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचने के लिए विवश हो जायं और अवांछनीय लोग इस प्रकार क्रय किए गेहूं के जखीरे जमा कर लें और बाद में बढ़े हुए दामों में उसको निकालें। इसका फल यह होता है कि उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर गेहूं खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा इसलिए बनिया किसानों से कम दाम पर गेहूं खरीद लेगा और उससे नाजायज फायदा उठाएगा। अगर यही रहा तो हर साल लेवी लगानी पड़ेगी। जब अन्डर प्रोडक्शन हो तब लेवी लगानी चाहिए। अगर यही दलील आपने रखी तो ठीक नहीं होगा। आपके सेक्रेटरी ने यह कैसे लिख दिया। आप इसमें फंस जातीं हैं। लेकिन आप इसमें दोषी नहीं है।

अब सवाल यह उठता है कि साढ़े छः एकड़ से 12 एकड़ तक 20-25 प्रतिशत रखी है। नीचे वालों के लिए दर घटा दी है। यह आपने अच्छा किया है। अब साढ़े सात एकड़ वाला किसान है या पौने सात एकड़ वाला किसान है उसको 25 प्रतिशत देनी होगी जब कि सवा छः एकड़ वाले को 15 प्रतिशत देनी होती है। तो यह पौने सात एकड़ वाले किसान के साथ बड़ी इनजस्टिस हो जाएगी। इसलिए मेरी राय यह है कि आप अपने आफिसर्स से मश्विरा कीजिए और इस बात की सफाई कीजिए। अब अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आपका स्लोगन जो है, कितनी कुर्बानी की है। मिनिस्टरों और गवर्नमेन्ट के मेम्बरों को राशन नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

उसमें आप भी तो शामिल हैं।

चौधरी चरण सिंह—

अब इस चीज को छोड़ मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि लूट है किसान की सरासर लूट है और यही कारण है कि किसान का इनसेन्टिव खत्म हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। आपकी विचारधारा है कि बड़े कारखानों को एक नम्बर पर रखा है और खेती को तीसरे या चौथे नम्बर पर रखा है। सब जगह से डाइवर्ट करके लगा दीजिए खेती की ओर। यही देश की बरबादी का मेन रीजन है। लंका जैसे देश भी पाकिस्तान के हक में वोट करते हैं। कमजोर का दुनिया में कोई साथ नहीं देता है। मेरी आपके माध्यम से बहिन जी से रिक्वेस्ट है कि इस पर फिर विचार करें।

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं विधायक के साथ ही साथ उस किसान का बेटा हूं जो खेती की मिट्टी को चखकर बता देता है कि इस जमीन में किस तरह की कमी है और कौन सी फसल बोनी चाहिए। इस आधार पर मैंने एक आंकड़ा तैयार किया है कि एक एकड़ में कितनी लागत आनी चाहिए।

		रु०
(1) खेत की तैयारी गोड़ाई, जुताई आदि 10 बार	..	300
(2) कम्पोस्ट खाद का मूल्य 150 मन	..	100
(3) रसायनिक खाद वेसल ड्रेसिंग यूरिया 40 कि०	..	83

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू लाल वर्मा]

		रु०
(4)	रसायनिक उर्वरक बेसल ड्रेसिंग डाई अमोनियम फासफेट 60 कि० ।	211.25
(5)	रसायनिक उर्वरक बेसल ड्रेसिंग पोटाश ..	30.00
(6)	बीज का मूल्य 50 कि0	150.00
(7)	बीज बोने की मजदूरी	150.00
(8)	सिंचाई 5 बार	150.00
(9)	सिंचाई पर मजदूरी	50.00
(10)	दवा छिड़कने पर	50.00
(11)	निराई	100.00
(12)	कटाई	60.00
(13)	मड़ाई	10.00
(14)	मालगुजारी	10.00
(15)	भूमि विकास कर	10.00
(16)	खेत चौमासा पलिहर रखने के कारण खरीफ फसल की हानि	300.00
(17)	लागत पूंजी पर ब्याज	12 प्रतिशत 6 माह का 11.00
(18)	एक एकड़ पर लागत मूल्य कुल ..	2,300.50
	एक एकड़ पर गेहूं की औसत उपज	15 क्विन्टल
	सरकारी निर्धारित मूल्य	105.00
	प्रति क्विन्टल से 15 क्वि0 का मूल्य	1,575.00
	उत्पादित भूसा पर आय	200.00
	वर्तमान निर्धारित मूल्य 105 रु0 प्र0 क्वि0 की दर से कृषक को होने वाली हानि	2,300.50 -1,775.00
		525.50

इस प्रकार किसान को 525.50 रु0 का घाटा हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि इसके दाम 153.35 रुपया प्रति क्विन्टल होना चाहिए तब जाकर किसान को 300 रुपया प्रति एकड़ का लाभ होगा। आपने जो लेवी लगाई उसके लगाने के पूर्व खेतों की पड़ताल नहीं कराई। हो क्या रहा है कि पटवारी तहसीलों में बैठकर खेतों की पड़ताल कर रहे हैं और उनमें गन्ना और अरहर लिख रहे हैं। जो प्रभावशाली लोग हैं, जो क्षेत्र में नेता लोग हैं, दादा लोग हैं, वे अपने गेहू के खेतों में गन्ने और अरहर की पैदावार लिखवा रहे हैं। इतना ही नहीं आपने छूट दी है कि अगर किसी जमीन में कम पैदावार हुई है तो मन्डलायुक्त और कलेक्टर उसके लिए तय करेंगे। जिस आदमी पर अगर 20 क्विन्टल की लेवी लगी है और यह देखेगा कि उसे तो 1 हजार रुपए का नुकसान देना पड़ रहा है तो वह बड़े-बड़े आदमी 100 या 200 रुपए देकर उसको 10 क्विन्टल करा लेंगे।

आपने पिछले साल गल्ले के व्यापार का प्रयोग किया, सारे गल्ले का राष्ट्रीयकरण कर दिया, वह आपका प्रयोग फेल हो गया। फिर अगले वर्ष आपने कहा कि हम गल्ले के व्यापारियों पर लेवी लगायेंगे, वह भी आपका प्रयोग फेल हुआ। अब आप यह तीसरा प्रयोग करने जा रहे हैं, किसानों के ऊपर आप लेवी लगाने जा रहे हैं। आपका यह प्रयोग भी फेल हो जायगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई देश के वैज्ञानिक चांद पर जाना चाहते हैं तो वे पहले आदमी को नहीं भेजते हैं, पहले जानवर, जैसे बन्दर आदि को भेजते हैं, लेकिन आपने तो यहां पर सीधे आदमी का ही पोस्टमार्टम कर दिया है।

इससे तो यह होगा कि जो जिन्दा है, वह ही मर जाएगा। मेडिकल साइन्स में भी जब कोई प्रयोग होता है यह देखने के लिए कि कौनसी धमनी क्या कार्य करती है तो मेढक को चीरा जाता है। आप तो यहां पर सीधे आदमी का ही आपरेशन करने जा रहे हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि यदि गेहूं का दाम 125 रुपया प्रति क्विन्टल कर दिया जाय तो गेहूं का दाम 185 रुपया प्रति क्विन्टल हो जाएगा इसमें 50 प्रतिशत तो सरकार फायदा उठा रही है। मैं किसान का बेटा हूं और मैंने गल्ले का व्यापार भी किया है (हंसी)। मैं एक छोटा सा किसान हूं। किसान होने के नाते मैंने गल्ला बेचा भी है और खरीदा भी है। उसमें बहुत कम फायदा होता है। अगर कोई व्यापारी 100 रुपए प्रति क्विन्टल का गेहूं खरीदता है तो उसे 105 रुपए में बेचता है। उसमें खर्चा भी शामिल रहता है। और जो छोटे दुकानदार हैं, वे 17 छटांक का गेहूं लेकर एक सेर का बेचते हैं। लेकिन सरकार ले रही है 50 प्रतिशत का फायदा। गत वर्ष 292 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया था और यह कहा गया था कि गरीब और कमजोर वर्ग को सस्ते भाव पर राशन दिया जायगा, हम सब्सीडाइज्ड रेट पर बेचेंगे लेकिन पूरे का पूरा 292 करोड़ रुपया अनाज खरीदने में खर्च किया गया और वह भी धतूरा मिले अनाज पर जिसको अमेरिका में सुअरों को खिलाया जाता है। अगर वह खरीदा जाता है तो उसका दाम 157-77 रुपए प्रति क्विन्टल है। और हिन्दुस्तान आते-आते उसका दाम 180 रुपए 92 पैसे होता है। इस पर जो खर्चा आता है वह 24 रुपए 15 पैसे प्रति क्विन्टल आता है।

आप जो गेहूं 105 रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदते हैं, उसको 134 रुपए के हिसाब के बेचते हैं। उस पर भी आप कहते हैं कि हमको 5 रुपया प्रति क्विन्टल घाटा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में जो खरीद होगी उस पर खर्च आता है 28 या 29 रुपया प्रति क्विन्टल लेकिन जो बाहर से आप मंगा रहे हैं, उस पर 24 रुपए 15 पैसे प्रति क्विन्टल खर्च होता है।

श्री अध्यक्ष—

5 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और ले लें।

श्री बाबू लाल वर्मा—

5 मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

2 मिनट।

श्री बाबू लाल वर्मा—

अभी डालडा का भाव जब कन्ट्रोल था तो 12 रुपए किलो आपने रखा था लेकिन बाजार में 16 रुपए भी नहीं मिलता था। और जब आपने कन्ट्रोल तोड़ दिया तो वही डालडा 11 रुपए में कहीं भी खरीदें मिल जायगा। उस समय सरसों का तेल 12 रुपए किलो पर था लेकिन जैसे ही डालडा का कन्ट्रोल तोड़ा गया तो सरसों के तेल का भाव 6 रुपए किलो हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अनाज का व्यापार खत्म करके स्वेच्छा से बिकने दें, अपने आप भाव गिर जायेंगे। मैं पूरे प्रदेश के अन्दर गांवों में गया हूं और किसानों से मिला हूं। उनका कहना है कि अगर हमसे लेवी लेकर सही दाम नहीं दिया गया तो हम गेहूं बोना बन्द कर देंगे। सरसों का दाम 300 रुपए प्रति क्विन्टल है, अलसी 400 रुपए प्रति क्विन्टल काबुली चना 260-270 रुपए प्रति क्विन्टल, अरहर की दाल 300 रुपए प्रति क्विन्टल है। इस दिशा में अगर 105 रुपए प्रति क्विन्टल गेहूं लेना चाहते हैं तो सारे किसान उतनी ही गेहूं बोयेंगे जितनी उनको जरूरत होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब समाप्त करें।

*श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जो यह लेवी की योजना चलायी है और हमारे सामने जो यह रपट आज सुबह मिली है इसमें लिखा हुआ है कि 25 लाख जो राशन कार्ड होल्डर शहरों में रहते हैं उनको खिलाने के लिए यह लेवी लगायी है। 25 लाख राशन कार्ड वाले, यदि 5 आदमी एक परिवार में मान लिए जायं, जो सरकारी पैमाना है, तो सवा करोड़ आदमी होता है। हमारे प्रदेश की पूरी आबादी 9 करोड़ है। उसमें से सवा करोड़ को खिलाने के लिए यह सारी योजना हो रही है जबकि सरकारी आंकड़े ही यह कहते हैं (व्यवधान) कि 72 प्रतिशत किसान छूट पा रहा है, केवल 28 प्रतिशत पर ही यह लेवी लगायी जा रही है। भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश गांवों और किसानों का देश है। उसमें से 72 प्रतिशत तो निकल गए। यानी लगभग 7 करोड़ के तो निकल गए और रह गए करीब 2, ढाई करोड़ के उसमें से सवा करोड़ को खिलाना है और बचिया जो बचे वही एक हजार के ऊपर वाले या बड़ी जोत वाले वही बचे। जो 7 करोड़ किसान हैं उनको सरकार स्वयं मानती है कि उनके पास इतनी कम उपज है कि उनसे लेवी नहीं ली जा सकती इसलिए उनको मुक्त किया। तो परिणाम यह होगा कि जो थोड़ा बहुत गल्ला इनके पास है वह चन्द दिनों बाद जब समाप्त हो जाएगा, यहां तक कि गरीब किसान बीज भी जब खा लेता है, जो खेतिहर मजदूर हैं वे भी करोड़ों से कम नहीं हैं। तो वह देहात में बनिए का सहारा लेगा। आज सरकार मुक्त किए दे रही है यह कह कर कि इतना गल्ला दे दो, बाकी बनिए चाहे जिस भाव बेचे। तो इसका अन्ततोगत्वा परिणाम घूम कर उन 72 प्रतिशत किसानों पर पड़ता है जो कि आपकी लेवी से मुक्त है। लेकिन जो बाद को खरीद कर खोयेंगे, वह गरीब और मजलूम हैं।

मान्यवर, इसके मानी यह हैं कि सवा करोड़ को खिलाने के लिए यह 7 करोड़ लोगों के जीवन को तबाही की दुनियां में ढकेल रहे हैं। किसान का कोई संगठन नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सरकारी पक्ष का हूं और सरकारी पक्ष से चुन कर आया हूं। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति अव्यावहारिक है....(व्यवधान)। मैंने पार्टी मीटिंग में भी इस बात को उठाया है, मन्त्री जी से भी बात की है कि कम से कम उन क्षेत्रों को जहां बाढ़ आयी थी, उनको तो मुक्त कर दिया जाय। इस रिपोर्ट में यह देखने को मिला कि वे क्षेत्र लेवी से मुक्त नहीं हैं। केवल जहां ओला आदि इस वर्ष पड़ा है उन्हीं को मुक्त किया गया है। यह तो वर्तमान फसल के बारे में है। मगर बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया आदि जो बाढ़ के क्षेत्र हैं, जहां सारी पिछली फसल स्वाहा हो गयी, खरीफ की फसल सारी मारी गयी, और इसी कारण सरकार ने वहां लोगों के लिए राहत दी, बच्चों की फीस आदि माफ की, अन्य सहायता दी, तो उन क्षेत्रों को लेवी से मुक्त क्यों नहीं किया गया ? जब खरीफ की फसल में उनके पास खाने को कुछ नहीं रहा, तो केवल रबी की फसल से ही वह अपना साल भर का खर्च चलायेगा, आपको कहां से गेहूं देगा। उस किसान की क्या हालत होगी जिसने सूद पर बीज आदि लेकर बोया था। कम से कम बाढ़ वाले क्षेत्रों को तो इससे मुक्त करना चाहिये था। किसान बेजबान तबका है। उसकी बेहतरी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेवी में क्या-क्या सहूलियत उनको दी गयीं यह भी नहीं बताया गया। जब उनसे गेहूं लिया जाएगा सस्ते दामों पर, तो उनको क्या-क्या चीज सस्ते दामों पर मिल सकेगी, यह नहीं बताया गया मेरा यही कहना है कि किसान को इस तरह से परेशान न किया जाय।

"दिल वह नगर नहीं जो फिर से आबाद हो,
पछताओगे याद रखो, यह बस्ती उजाड़ कर।

इसलिए इस पर सरकार फिर से विचार करे और इसको दुरुस्त किया जाय।

---

*वक्ता से भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, लेवी और कन्ट्रोल के माने यह है कि भ्रष्टाचार का दरवाजा खुल गया। पूरा ढांचा इस लेवी का जैसा कि हमारे मित्र ने कहा—25 लाख कार्ड होल्डर्स के ऊपर है। जो फीगर्स इन्होंने दी हैं उससे सवा करोड़ को खिलाना और 7 करोड़ को ईश्वर के रहम-करम पर छोड़ देना है। 72 प्रतिशत तक के लिए कोई इन्तजाम नहीं है और 25 लाख जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए यह सब लेवी है। मैं एक सीधा सवाल सरकार से करना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि इस साल बम्पर क्राप है यानी अधिक पैदावार है, अधिक पैदावार की मिसाल तो आपने देखी कि आलू अधिक पैदा हुआ कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं रखने तक की जगह नहीं है, कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं है। जिसका सरकार कोई इन्तजाम नहीं कर रही है, अगर अधिक पैदावार है तो यह लेवी का कोई सवाल ही नहीं है। इसके माने यह है कि आप ब्लैक कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं मेरा कहना है कि पैदावार है। जो 25 लाख कार्ड होल्डर्स हैं, यह जितना राशन है, उनको दिया जाएगा। वे जो सवा करोड़ हैं उनको आधा सामान तो कन्ट्रोल प्राइस पर मिलता है और आधा सामान चौगुनी कीमत पर खरीदना पड़ता है। जिनको अपना पूरा राशन भी नहीं मिलता है इसका माने यह हैं कि जो 25 लाख कार्ड होल्डर्स हैं उनमें कम से कम 10 लाख तो बोनस होंगे ही। उनको भी जब राशन की दूकानों से पूरा नहीं पड़ता तो बकाया चीजें चौगुनी कीमत पर बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। इसके माने यह है कि आप ठीक तरीके से इसे नहीं करा पा रहे हैं।

फिर यह तय कौन करेगा कि कितनी पैदावार हुई, कितना मिला और कितना देना है। कैसे औसत बनेगा। बतलाया गया है कि तहसील यह तय करेगा। इसके क्या माने हैं? आपने तहसील के रहमोकरम पर छोड़ दिया। यह जो गेहूं पैदा करने वाला जोन है, उनसे मैसूर और महाराष्ट्र को गेहूं चला जाता है। आप उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते? प्लानिंग कमीशन ने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री से एक बार पूछा था कि आपने गेहूं पैदा करने के लिए अनुदान लिया था उसे गन्ने पैदा करने पर क्यों लगा दिया? इस तरह से हमसे कहा जाता है कि उनको भी गेहूं खिलाना है तो देखना यह है कि माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में सिंचित, असिंचित में कोई अन्तर नहीं किया है। जहां नहरें नहीं हैं, ट्यूबवेल्स नहीं हैं, और जहां जाड़े की बरसात नहीं हुई, सूखा पड़ गया, वहां भी लेवी पड़ेगी। मैं उन चीजों को दोहराऊंगा नहीं लेकिन मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि जहां पानी न हो, बिजली न हो वहां लेवी का सवाल ही क्या है। वहां तो पैदावार हुई नहीं, लेकिन मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में उसका कोई जिक्र नहीं किया है? तो मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे उस तरफ के साथी ने बहुत सही बात कही कि सिंचित, असिंचित का जहां तक सवाल है उसमें फर्क करना पड़ेगा वरना जो स्थिति होगी वह तो जाहिर है।

अब आप देखें कि बिजली और खाद की कीमत कहां जा रही है, कहां जाएगी, इस विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चहता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जहां तक औसत मुकर्रर करने की बात है, अगर यह तहसील के ऊपर होगा तो वहीं से भ्रष्टाचार फैलना शुरू होगा। इसके माने क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कन्ट्रोल और लेवी से सिवा इसके कि रिश्वतखोरी बढ़े, स्मगलिंग बढ़े—जैसे राय बरेली से प्रतापगढ़ जाना हो, या गाजियाबाद से दिल्ली जाना हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री रफी साहब थे जिन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और मुल्क को दिखा दिया कि किस तरह से बगैर लेवी और कन्ट्रोल के भी देश का कल्याण होगा वरना इस देश को तबाही की तरफ ले जाना है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह जो इस प्रदेश में इस वर्ष लेवी लगाने की बात है, इस पर कई बार हमारी पार्टी में विचार हुआ और आपने देखा होगा कि पहले जिस रूप में लेवी लगाने की बात थी, इस प्रदेश में, उससे काफी परिवर्तन है और जो परिवर्तन खाद्य मन्त्री जी ने किए हैं मैं तो यह मानता हूं कि जो कुछ उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती थी, उसे उन्होंने किया है।

[श्री देव बहादुर सिंह]

मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि सिंचित और असिंचित में भेद नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भूमि असिंचित है उसमें 30 फीसदी कम लेवी लगेगी। मान्यवर; जैसा चार्ट बताता है इसमें 3 सही एक बटा आठ से लेकर 6 सही एक बटा चार एकड़ तक के लिए लेवी 20 फीसदी से कम करके 15 फीसदी से 6 सही एक बटा चार एकड़ से लेकर साढ़े 12 एकड़ तक के लिए 30 से कम करके 25 फीसदी कर दी गयी है। जैसा हम मानते हैं कि जिनकी होल्डिंग ज्यादा हो उनसे ज्यादा लेवी ली जाय जिससे लोगों को राशन दिया जा सके।

एक बात और कही जा रही है कि जब इस वक्त अधिक गल्ला या अधिक गेहूं उत्पन्न होने की सम्भावना है तब लेवी क्यों ली जा रही है। अगर जिस वर्ष अधिक उत्पादन हो उस वर्ष लेवी न ली जाय तो क्या जिस वर्ष कम गेहूं पैदा हो उस वर्ष लेवी लगायी जावे? यही उचित भी होगा कि जब आपत्ति की स्थिति आएगी, और जब आर्थिक कठिनाई में यह देश होगा तब के लिए इस वर्ष इतनी पर्याप्त मात्रा में गल्ला सरकार को स्टाक में खरीद कर रखना चाहिए कि किसी भी आपात् स्थिति का हम सामना कर सकें।

कीमतों के बारे में एक बात है कि 105 रुपए वाली बात उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं तय किया है यह तो केन्द्रीय सरकार ने तय किया है। बल्कि मैं तो बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ और दिया है। आप देखेंगे कि जो ढुलाई का चार्ज है वह किसान को मिलेगा और इसके अतिरिक्त भी मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार यह भी प्रयास करेगी कि जैसे पिछले वर्ष चीनी, सीमेन्ट लोहा, कपड़ा, सस्ती कीमत पर देने की व्यवस्था की गयी थी, वह इस वक्त भी किया जायगा। (व्यवधान) आप कहते हैं कि क्यों लेवी लगाते हो (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें। (व्यवधान) हम लेवी लगा रहे हैं तो जहां चावल मिलों पर है वहीं कहीं पर 85 फीसदी, कहीं पर 50 फीसदी और कहीं पर 35 फीसदी लेवी लगी है। गन्ना मिलों से 70 फीसदी चीनी निर्धारित कीमत पर सरकार लेती है और इसी तरह से जैसे चीनी में 30 फीसदी चीनी और 15 फीसदी चावल खुले बाजार में बेचने के लिए छूट है तो उससे उसकी वह क्षतिपूर्ति होती है और उसका लाभ भी होता है। पिछले साल आपने देखा कि जितना गल्ला पैदा हुआ था, सरकार की नीति थी कि सब का सब खरीद लिया जाय, इस वर्ष वह नहीं है। इस वर्ष लेवी का कुछ अंश सरकार लेगी, जो उसके पास बचेगा उसको खुले बाजार में बेचकर जो उसकी क्षति हो रही है, उसकी पूर्ति वह करेगा और लाभ भी कमा सकेगा। यह सही है और मैं भी मानता हूं कि 105 रुपया जो दाम निर्धारित है वह कम है इसलिए जो उसकी कमी होगी....(व्यवधान)

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, यह जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं वह तो माननीया मंत्री जी जब खड़ी होंगी तब स्वयं देंगी। यह अपनी बात कहें, उस स्पष्टीकरण को देकर यह सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, जितनी उसकी क्षति हो रही है....

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य—

ये कितना हिस्सा अपनी पैदावार का देंगे। अगर आप पूरा गेहूं अपना दे देंगे... (व्यवधान के मध्य सुनाई नहीं दिया) तो 40 फीसदी हम भी दे देंगे।

श्री देवबहादुर सिंह—

जो बाकी छूट है उसको खुले बाजार में बेचकर वह अपनी क्षति की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए यह कहना कि जो हमने लगाया है उससे उसको लाभ नहीं मिलेगा, हम इस बात को नहीं मानते।

अब मैं दो एक सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। और वह यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने लेवेल पर यह प्रयास करे कि अधिक से अधिक जो कुछ भी वह किसानों को दे सके, वह दें।

मान्यवर, आप देखें कि 25 लाख राशन कार्ड दिए गए। हमारी पार्टी की मीटिंग में तय हुआ कि जो मालदार हैं उनको राशन क्यों दिया जा रहा है, तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि महीने में 1 हजार रुपए से जिनकी आमदनी अधिक है, उन लोगों को राशन न दिया जाय। ऐसा करने से काफी बचत होगी। तो मैं इन्ही शब्दों के साथ खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इसमें कुछ छूट दें।

(अनेक सदस्य बोलने लगे)

(शोर)

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे सत्ता पक्ष के माननीय बस्ती के सदस्य श्री पुरी साहब ने जो विचार व्यक्त किये वह अक्षरश: सत्य है। इस सरकार को चिन्ता होती नहीं है कि देहात के रहने वाले जिनकी आमदनी शहरी लोगों की अपेक्षा 3-4-5 गुने कम है, उनको खिलाने की क्या व्यवस्था की जाय। यह सरकार यह सोचती है कि मात्र 28 फीसदी लोगों पर लेवी लगा रहे हैं और बाकी लोग छूटे हुए हैं। तो आखिर जो बाकी लोग हैं, छूटे हुए हैं उनके खिलाने के लिए क्या व्यवस्था है? आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15-20 दिन पहले लोग 2-3 टाइम आलू खाकर गुजर करते थे और इस सरकार को बिल्कुल चिन्ता नहीं हुयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो गेहूं पैदा होने वाला था उस पर एक तरह से नजर लगा दिया, यह कह करके कि बड़ा उत्पादन हो रहा है, बड़ा उत्पादन हो रहा है, बड़ा उत्पादन हो रहा है। नतीजा यह हुआ कि पत्थर पड़ गया और सारी पैदावार गिर गयी।

(हंसी)

इस सरकार ने नजर लगा दी, जिससे गल्ला समाप्त हो गया। और आज चिल्ला रही है कि रिकार्ड उत्पादन हुआ है। रिकार्ड उत्पादन हुआ है, यह तो बाद में पता चलेगा कि कितना उत्पादन हुआ है। लेकिन इनको कोई चिन्ता नहीं है यह तो सिर्फ यह सोचते हैं कि उन्ही लोगों को दें जो लोग संगठित होकर इनके खिलाफ नारा लगा सकें। शहरों के लोगों ने नारा लगा दिया बिक्री कर में छूट दे दी गयी। लेकिन किसान पर विकास कर 2-3-4-5 गुना हो गया। आप देखें ट्रैक्टर के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। पम्पिंग सेट्स की कीमत बढ़ गयी। खाद्य की कीमत बढ़ गयी। विद्युत की कीमत बढ़ गयी लेकिन किसान से 105 रुपए पर लिया जायगा। मैं तो कहता हूं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रूस में कम्यूनिस्टों ने कहा कि उत्पादन लागत से कम मूल्य पर गेहूं दो। उन्होंने नहीं दिया तो 60 लाख किसानों को गोली मार दी। आप भी ऐसा कोई निर्णय करना चाहते हैं। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान है, गोली के बल पर किसान नहीं दब सकता। चाहे कम्युनिस्टों की ताकत हो चाहे किसी की ताकत हो, उनको ताकत से नहीं दबा सकते हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

70 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनको बाद में खरीदना पड़ता है। मैं मन्त्री महोदया को बतलाना चाहता हूं कि वह बेचारा जब खरीदने के लिए जाता है तो जिसको कि अधिक से अधिक तीन रुपए मजदूरी मिलती है, तीन रुपए में डेढ़ किलो गेहूं भी नहीं मिलता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान के दमन की नीति यह छोड़ दें वरना किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

पर शासन करने के लिए जो बैठी हुई हैं और जो यह सरकार बैठी हुयी है उनको इसका पता नहीं चलेगा कि कब यह कुर्सी कहां गयी, यह लोग कहां गए।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री त्रिवेनी का नाम पुकारने पर)

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, अभी मेरी बात खत्म ही नहीं हुयी है। आप तो ऐसे घबरा जाते हैं....

*श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर मैं आभारी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। ....

श्री शारदा प्रसाद रावत---

यह 140 रुपया कम है। जैसा चौधरी साहब ने कहा कि बाहर से गेहूं 145 रुपए में आता है तो इतना कम से कम अवश्य दें। वरना आपकी लेवी सफल नहीं होगी चाहे किसान को जेल में बन्द करें या डी0 आई0 आर0 में बन्द करें, हम लोग तैयार हैं।

श्री त्रिवेनी---

अध्यक्ष महोदय, जो लेवी की बहस हो रही है उसके सिलसिले में मैं मन्त्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करूंगा। पूर्वी जिले का इलाका ऐसा है कि सरकारी रिकार्ड में वह घाटे का इलाका होता है। बाढ़ सूखे तथा ओले से वह हमेशा तबाह रहता है। तीसरे वहां दैवी प्रकोप ऐसा होता है कि पता नहीं क्या बदकिस्मती पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। यह सरप्लस इलाका नहीं है। लेवी की स्कीम जो सरप्लस है उनके लिये होनी चाहिये जो सरप्लस गल्ला है उससे गरीब आदमी जिन्दा रहेंगे। लेकिन जो घाटे का इलाका है, ऊसर और कटाव का इलाका है उसके लिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि फिर से वह जांच कराकर उस इलाके को लेवी से छूट दी जाय।

आजमगढ़ में 6 तहसीलें तो ऊसर हैं जैसे लालगंज तहसील। सरकारी रिकार्ड है कि वह ऊसर जमीन है लेकिन पता नहीं उसे कैसे गेहूं का इलाका दिखा दिया गया है। वह धान का इलाका है। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां गेहूं की पैदावार नहीं होती है वहां लेवी न लगायी जाय और जहां गेहूं पैदा होता है वहां लेवी अवश्य लगायी जाय। यदि नहीं लगेगी तो 72 फीसदी लोगों को गल्ला कहां से दिया जाएगा। यदि आपको दर्द है तो आप चाहते हैं कि अमरीका के हाथ बिकें। कुछ लोग जो अमरीका के एजेन्ट हैं वह चाहते हैं कि अमरीका के हाथ बिक जायें। मान्यवर, जहां गेहू नहीं पैदा होता है उसका फिर से रिकार्ड बनाया जाय जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का। मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में लालगंज और फूलगंज का जो इलाका है उसको लेवी से एक्जेम्प्ट किया जाय। जो लोग इस लेवी का विरोध कर रहे हैं तो मैं उसका अर्थ लगाऊं कि वह सी० आई० ए० वालों ने प्रचार किया है कि इस लेवी की स्कीम को फेल किया जाय। इसके साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, लेवी के सम्बन्ध में जो अपनी ओर से और दल की ओर से कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार की नीति इस प्रश्न के ऊपर आधे दिल की है। यदि आप चाहते हैं कि कमजोर तबके को गल्ला मिले और खाद्य संकट हल हो तो इसके बारे में संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, कि कैसे गल्ला इक्ट्ठा हो। मान्यवर, पहले मूल्य का प्रश्न है कि पिछले साल गेहूं 105 रुपए कुन्तल पर खरीदा गया और अब जबकि खाद और सभी चीजों के दाम, जो कृषि की आवश्यकता की हैं और कृषकों के इस्तेमाल की हैं, कहां से कहां चले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गए और आप वही 105 रुपये रख कर सारे प्रदेश से गल्ला वसूल करेंगे। तो इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय किसान सभा का निश्चित मत है कि 125 रुपए कुन्टल पर किसान से गेहूं लिया जाय इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिये। आपने वक्तव्य के पैरा 5 में खुद माना है कि लेवी लगा रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा नुकसान न हो। आप यह समझ रहे हैं कि 105 रुपये पर किसानों को नुकसान हो रहा है। अगर सरकार वाकई यह सिद्धान्त लागू करना चाहती है कि कमजोर वर्ग, अल्पवेतन भोगी कर्मचारी, फैक्टरी वर्कर्स, खेत मजदूर के हित में यह स्कीम लागू हो तो उसके पास गल्ला होना चाहिए। ऐसा न हो कि आपने थोक व्यापार लिया लेकिन उसे छोड़ दिया। इसी तरह से लेवी की स्कीम को भी यह सरकार गड़बड़ करना चाहती है क्योंकि जो परचेजिंग सेन्टर्स हैं वहां बड़ी गड़बड़ी चलती है। किसानों को वहां परेशान किया जाता है। लिहाजा मेरा सुझाव है कि परचेजिंग सेन्टर्स को दुरुस्त किया जाय और वहीं पर किसान की जरूरत की सारी चीजें जैसे सीमेंट चीनी, मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा सस्ते दामों पर मुहइया कराया जाय, ताकि आपकी लेवी, की स्कीम सफल हो सके और सही ढंग से चल सके।

एक बात सिंचित तथा असंचित की कही गयी और कहा गया कि असिंचित में 30 प्रतिशत रेश्यो कम लिया जायगा। मेरा सुझाव है कि यह रेश्यो सही नहीं है। यह रेश्यो 30 से बढ़ा कर 50 कर देना चाहिए।

इसके अलावा वक्तव्य के पैरा 11 में एक बात यह कही गयी है कि कुछ मन्डलों के लिए 21 मई तथा कुछ मन्डलों के लिए 23 मई अन्तिम वसूली की तारीख नियुक्त की गयी है। मेरा सुझाव है कि 30 मई आप लास्ट डेट नियुक्त करें। हमारी निश्चित राय है कि लेवी का सिद्धान्त बिलकुल सही है और मैं मांग करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वसूल करें। दोहरी नीति नहीं चल सकती। जो लोग इसका विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि उपज ज्यादा है इसलिए लेवी न लगाई जाय उनको मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उपज ज्यादा है लेकिन वह किसान के घर तो रहेगी नहीं। थोक व्यापारी उससे खरीद लेगा और फिर ज्यादा से ज्यादा मंहगे दाम पर उसे बेचेगा और अगर थोक व्यापारी को छूट दे दी गयी तो कन्ज्यूमर को नुकसान होगा ही। और किसानों को भी नुकसान होगा। जो लोग अपने को किसानों का नुमाइन्दा बतलाते हैं उनकी यह सही लाजिक नहीं है कि गल्ले को थोक व्यापारियों के लिए छोड़ दिया जाय और उनकी खत्तियों में भरने दिया जाय। लेवी को ठीक से चलना है तो किसानों को जरूरी चीजें मुहइया की जायं और उनको हर तरह की सुविधा दी जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इतने सदस्यों को समय मिलना मुश्किल होगा। दो-दो मिनट में आप लोग समाप्त करेंगे।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

पिछले दो वर्षों से मान्यवर इस प्रदेश में बड़ा संकट रहा है। बाढ़, पाला व सूखे के कारण इस प्रदेश की हालत खराब रही है लेकिन यह वर्ष जरूर ऐसा है जिसमें कुछ इलाकों को छोड़ कर पिछले साल के मुकाबले फसल बहुत अच्छी हुई है। ऐसी सूरत में सरकार के सामने, प्रदेश के सामने और किसान के सामने कर्त्तव्य पालन का सवाल उठ खड़ा हुआ है। मान्यवर, कोई भी प्रजातन्त्रीय सरकार जो प्रजा के हित का ख्याल रखती हो वह ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकती जैसा कि पिछले बंगाल के अकाल के जमाने में अनाज पैदा हुआ था, खत्तियों में अनाज भरा पड़ा था और वहां की सरकार अकाल को रोकने में नाकामयाब हुई थी। वहां की माताओं ने अपने शिशुओं के शवों को खाया। कोई भी प्रजातन्त्रीय सरकार इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती। जहां सरकार के कर्त्तव्य का प्रश्न है वहीं पर यह प्रश्न भी है कि वह किसान जो सरकार से कई तरह के लाभ उठाना चाहता है वह अपने कर्तव्य पालन में पीछे न रहे। उसके

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

कर्तव्यपालन का समय आज आया है, यही उसकी कसौटी का समय है। लेवी लगे या न लगे इस पर काफी चर्चा हुई। माननीय चौधरी साहब ने अपनी हुकूमत के जमाने में ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, ऐसे सिद्धान्त पेश किए हैं जो इस बात की ताईद करते हैं कि लेवी लगनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि लेवी किस पर हो ....(लाल बत्ती होने पर) मैं लेवी योजना का समर्थन करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इनको चार मिनट का तो समय दे दें मान्यवर.....

श्री मधुकर दिघे—

लेवी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।

*श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, हमारी सरकार की दुहरी नीति है। आपने स्वयं देखा है कि जहां सरकार शहर की 15 फीसदी जनता को खिलाने की जिम्मेदारी लेती है जो कि खेतों में जाकर काम नहीं करती है वहीं सरकार 35/40 फीसदी खेतिहर मजदूरों को जो कि दिन भर खेतों में काम करते हैं, उनको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं लेती है। मान्यवर, ट्रेन आदि में सफर करते हुये आपने देखा होगा कि खेतों मे गरीबों के एकएक आदमी काम करते हैं और बाकी सारी उनके घरों की बहुयें, माताएं और स्त्रियां लाई का काम करती रहती है। सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इन्साफी यही होगी कि हर न्याय पंचायत में गल्ले की दुकान खुलनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार में कई अच्छे नुमाइन्दे हैं, विवेकशील हैं, क्वालिफाइड हैं लेकिन न मालूम समझ उनकी कहां चली गई। मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि उनके पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि कोई लेने वाला नहीं रहेगा।

आपकी जो ये एटलस साइकिल है उसे कन्ट्रोल कर लिया जाय और किसानों से कहा जाय कि एक साइकिल लो और एक कुन्टल गेहूं दो, सोना इतना तस्कर में प्राप्त हुआ तो एक तोला सोना उन्हें दो और एक कुन्टल गेहूं लो, भट्ठे से 5000 ईंटे दो और एक कुन्टल गेहूं लो, 50 बोरी सीमेन्ट दो और एक क्विन्टल गेहूं लो। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास गल्ले की कमी नहीं रहेगी। अतः मेरा सुझाव है कि जिस किसान से आप गेहूं लें उसकी एवज में उसे कुछ दें तब आपके पास गल्ले की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से नहीं देंगे तो याद रखिये 105 का रेट भूल जाइए, 295 से भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। अब वह वक्त नहीं है कि आप किसान के घर में डाका डालें और शहर में बैठे रहने वाले लोगों को खिलाव।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं लेवी सिद्धान्त का समर्थन करता हूं लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है जो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि लेवी के लिए चार एकड़ से ऊपर जितनी भी होल्डिंग है जो रबी की फसल होने लायक है उसके ऊपर लगाई जाय चाहे वह कुछ भी पैदा करते हों चाहे तम्बाकू पैदा करते हों या दूसरी चीजें पैदा करते हों जसा कि मध्य प्रदेश में भी होता है। हर किसान को चाहे जो फसल लगाता हो या नहीं लगाता हो उस पर लगाना चाहिए लेकिन उसमें सिंचित और असिंचित का ध्यान जरूर रखें।

दूसरी बात मैं फतेहपुर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। (व्यवधान)।

श्री मधुकर दिघे—

लेवी नहीं देंगे; 105 में नहीं देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रेमदत्त—

तो मैं फतेहपुर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो 16 किलोमीटर यमुना के इधर-उधर आते हैं उसमें भी वही सिद्धान्त लागू होना चाहिये जो आपने इलाहाबाद, इटावा आदि के लिए किया है। तो हमारे यहां भी खजुहा और अमोली में एक रिन नदी पड़ती है (व्यवधान) उसमें भी 16 किलोमीटर इधर-उधर की जो सीमा रखी है वह यहां भी लागू होना चाहिये जैसा कि आपने इलाहाबाद के लिए किया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा सिर्फ 3 प्वाइंन्टस आपके सामने रखूंगा। इसमें जो कुछ कहना था वह माननीय चौधरी साहब ने बहुत उम्दा कह दिया है। (व्यवधान) मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूं। माननीय खाद्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य बांटा है उसमें 105 रुपए क्विन्टल के जो दाम देने की बात कही है वह गलत है इसलिए यह वक्तव्य झूठा है यह मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। यह जो कहा गया है 105 रुपये देंगे वह झूठ है। यदि आप पैरा 12 देखें उसमें लिखा है, 'यदि कोई उत्पादक उपरोक्त निर्धारित अवधियों के भीतर देय लेवी का पूरा भाग क्रय केन्द्र पर लाकर दे देता है तो उसको गेहूं के निर्धारित रुपए 105 प्रति क्विन्टल मूल्य के अतिरिक्त तीन रु0 प्रति क्विन्टल परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति में दिया जाएगा' तो इससे तो 105 रूपये से कम होकर 102 रुपये रह गए। तीन रुपया प्रति क्विन्टल परिवहन व्यय दिया जाएगा। तो यह तो (व्यवधान) हम कहते हैं कि जो ज्यादा देगा उसको तीन रुपया ज्यादा देंगे उसके लिए परिवहन व्यय देंगे लेकिन दूसरे को नहीं जो अपने आप लाएगा उसको वह पड़ेगा 102 रुपए (व्यवधान) श्रीमन्, मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं यह बोलने नहीं देते हैं। हुल्लड़ में बोलने की मेरी आदत नहीं है। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं।

श्री जय नारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसमें मैं थोड़े से ही प्वाइन्ट्स रख सकूंगा। तो पहला तो यह है कि यह जो लेवी लगाने का औचित्य है यह उचित है लेकिन कुछ दोषपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो सिंचित और असिंचित जमीन की बात है जैसा दूसरे साथियों ने 30 और 70 परसेन्ट का हिसाब लगाया है वह गलत हैं। दरअसल सिंचित जगह जो हैं जहां आबपाशी होती है उसके मुकाबले में असिंचित जमीन पर फसल बहुत कम होती है वह करीब एक चौथाई पड़ेगी इसलिए असिंचित पर 1/4 लेना चाहिए।

दूसरी बात मैं बागों के बारे में कहना चाहता हूं। बागों के रकबे को एक्जम्ट करना चाहिए क्योंकि वहां पर कोई पैदावार नहीं होती है इसलिए इसको शामिल न किया जाय। इसको इसमें शामिल न किया जाय।

दूसरी बात यह है कि कानून में यह है कि विधवाओं, फौजियों, नाबालिगों को यह अधिकार है कि वे अपनी जमीन बटाई पर दें। इसलिये उसका भी लिहाज सरकार को करना चाहिये। फतेहपुर में तीन चौथाई हिस्सा असिंचित है। बांदा, इलाहाबाद, कानपुर और रायबरेली में जो औसत पैदावार आंकी गई है, वह फतेहपुर से कहीं कम है। लेकिन वह ज्यादा आंकी गई है, फतेहपुर की पैदावार के आंकड़े गलत हैं, वहां असिंचित क्षेत्र ज्यादा है। इसलिये वह एक्जेम्ट होना चाहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, लेवी के संबंध में 105 रुपया गेहूं की कीमत किसी भी आधार पर सही नहीं उतरती। सभी मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया है, केवल नौकरशाही ने इसका समर्थन किया है। यूरिया 52–53 रुपया से 105 रुपया हो गयी, तब भी इसका यह रेट?

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है वह अनफेयर है। मैं उनसे आदरपूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, यह तो शहर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश के देहात के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में इसको जनता का मैनडेट मानकर चुनाव करा लिया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता 105 रुपये में देने के लिये तैयार नहीं है।

मैं साफ कहता हूं चुनाव हो जाए, इसी पर, उत्तर प्रदेश की 9 करोड़ जनता कभी भी 105 पर गेहूं देने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि प्रदेश में शान्ति को खतरा होगा, रायट्स होंगे। सरकार पुलिस और नौकरशाही तथा मैजिस्ट्रेटों के सहारे गेहूं वसूल करेगी और हम उसका घोर विरोध करेंगे। इससे इस प्रदेश में व्यापक प्रक्रिया होगी? अशान्ति की परिस्थिति पैदा होने वाली है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गेहूं की कीमत कम से कम 140 रुपया रखी जाए, जो कि लाजिकल है, साइन्टिफिक है। इससे कम कभी भी नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त एफ0 सी0 आई0 जो खरीदने वाला है, जिनके खिलाफ ढाई करोड़ के घोटाले के चार्जेज हैं, उनके द्वारा कभी भी गेहूं की खरीद नहीं होनी चाहिये। उनके द्वारा सीधे किसान से खरीद नहीं होनी चाहिये। मैं विनम्रतापूर्वक फिर आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो उनकी सरकार है, यह किसानों के दम पर यहां आई है, वे उनकी पीठ में छूरा भोंकने का काम न करें, नहीं तो किसान उनको उठाकर फेंक देंगे। अतः कम से कम 140 रुपया गेहूं का मूल्य रखा जाए।

श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष जी, हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने लेवी और गेहूं मूल्य का सवाल अच्छी तरह से उठाकर हमारी सरकार का लेवी के सिलसिले में काफी बोझ हल्का कर दिया है। उन्होंने बुनियादी तौर पर लेवी स्कीम मान ली है और लेवी का समर्थन किया है। लेवी के संबंध में महज एक बात उन्होंने यह कही है कि बजाए सवा तीन एकड़ के 5 एकड़ तक के किसान को छोड़ देने की। तो मैं समझता हूं कि कोई भी दल हो, यह एक अहम चीज है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और सियासत से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिये। म मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका अगर टार्गेट पूरा होता है और कुछ ऊपर का किसान छूट सकता है तो उनको अवश्य छोड़ देना चाहिये।

दूसरी बात एक अपने क्षेत्र की कहूंगा। आपने अपनी स्कीम में मेंशन कर दिया है पर्वतीय क्षेत्र या फलां नदी वाला क्षेत्र हम छोड़ देंगे। लेकिन सहारनपुर में जो पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्र है और जो 400 गांव का इलाका है, उसे उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। वह जो इलाका है, उनको एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 के सुपुर्द किया है, तो मैं समझता हूं यह एक मुस्तकिल ऐसी ही नेचर का पहाड़ी इलाका है और वह इलाका भी उसमें मेंशन करना चाहये। इसके साथ मैं लेवी की स्कीम का समर्थन करता हूं।

श्री बल्देव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जैसा सरकार की तरफ से वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, अध्यक्ष महोदय, उसको देखने से ऐसा लगता है कि सरकार सारा का सारा अन्याय किसानों के ऊपर लादने जा रही है। सरकार आज तक किसी भी ऐसे कारोबार में जिसमें घाटे का व्यवसाय होता हो मदद दे कर मुनाफे के व्यवसाय पर करवाती है। लेकिन किसान के व्यवसाय पर जो एक मात्र उनकी यही रोजीरोटी है घाटे पर करवाने के लिये जबरदस्त लेवी लगाने की बात शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकेंड में मंत्री जी से यह कह देना चाहूंगा कि यदि मंडी मुनाफा के व्यवसाय को खेती के साथ नहीं जोड़ा जायगा तो किसी भी कीमत पर लेवी लेना गैर मुमकिन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय अपने विचार को बदलें।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस लेवी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सिर्फ एक बात कहना चहता हूं। इस लेवी के प्रस्ताव के सिद्धान्त को माननीय

चौधरी चरण सिंह, माधव बाबू, सभी लोग मानते हैं। लेकिन विरोध करना उनका धर्म है इसलिये विरोध करते हैं (व्यवधान एवं जबरदस्त शोर) अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश और देश की गरीब जनता जानती है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

यह गलत कह रहे हैं।

(शोर)

श्री धर्मवीर—

भलाई के लिये है कभी वह इसको मान नहीं सकते। लेवी उनके लिये है जो भूमिहीन है, गरीब हैं (जबरदस्त शोर हुआ जिसमें आगे सुनायी नहीं दिया।)

श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं आपका। मैं केवल एक बात रख देना चाहता हूं कि हमारा ललितपुर और झांसी, जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्र मार्क किया है, लेवी से मुक्त होना चाहिए। हमारे यहां पार साल लेवी का बहुत बुरा असर पड़ा। गरीब आदमी भूखों मर गया। बांदा की तरह, मैं प्रार्थना करूंगा कि ललितपुर और झांसी को लेवी से मुक्त रखना चाहिए।

श्री काशी प्रसाद (जिला हमीरपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बांदा को मुक्त रखा गया है, हमीपुर जनपद की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 60 परसेंट सूखे की रिपोर्ट हमीरपुर जिले से आयी है। इसके बावजूद वहां पर लेवी लगायी गयी है। मैं चाहता हूं कि आप इसका सर्वे करवाएं। लेकिन साथ-साथ बांदा की जगह पर हमीरपुर को ले लें।

(शोर के बीच)

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी एक प्रार्थना है।

श्री धर्मवीर—

तीन चार सदस्य इकट्ठे बोलें तो ज्यादा लोगों को समय मिल जायगा।

(शोर) (कई सदस्य बोलने के लिये खड़े थे)।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जवाब न दें, तो दो एक को और हो सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी बात सब ने मान ली सबने मान लिया कि लेवी नहीं लगनी चाहिए।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, आज की डिबेट के दो मुख्य मुद्दे हैं (व्यवधान) एक तो जो गेहूं की कीमत 105 रुपये क्विन्टल रखी है वह उचित है या नहीं। दूसरे लेवी पर विचार करना। यह दो मुद्दे थे। पिछले वर्ष गेहूं का भाव 105 रुपये क्विन्टल रखा गया था उस समय खाद का भाव 52 रुपये क्विन्टल था और आज खाद का भाव 105 क्विन्टल है। 15 प्रतिशत डीजल में वृद्धि हुई है और 35 प्रतिशत बीज में हुई है। इस हिसाब से गेहूं की कीमत 105 रुपये क्विन्टल रखना सरासर अन्याय है और अनुचित है।

[श्री राज ब्रजराज सिंह]

(इस समय 6 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मोटा अनाज जो देहातों में खाया जाता है उसका भाव देखिये। चने का भाव 195 रुपये से 200 रुपये है, मटर का 160 से 175 रुपये है, बाजरा 195 रुपये से 200 रुपये है और ज्वार 180 से 190 रुपये है। मोटे गल्ले के भाव गेहूं के बनिस्बत कहीं ज्यादा महंगे हैं। गेहूं का भाव बहुत सस्ता है। गेहूं शहर के लोग खाते हैं और कर्मचारी लोग खाते हैं। इसलिये आपने यह भाव रखा है। जैसे कि कहावत है "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा"। इसलिये गेहूं को इतना सस्ता रखा है कि इसको शहर के लोग और सरकारी कर्मचारी खाते हैं। इनको 25 लाख कार्ड होल्डरों की चिन्ता है और 75 प्रतिशत किसानों की कोई चिन्ता नहीं है। देहातों में सस्ते गल्ले तथा मोटे अनाज की भी कोई दुकान नहीं है। दोनों तरफ के सदस्यों की राय है कि गेहूं का भाव कम से कम 155 रुपये प्रति क्विन्टल रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया समाप्त करें। दूसरे माननीय सदस्य को समय मिल सकता है।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

मैं इस लेवी का घोर विरोध करता हूं। पांच हजार आदमियों ने लखीमपुर खीरी में इसका विरोध किया। हमारी मांग है कि गेहूं की कीमत 155 रुपये प्रति क्विन्टल रखी जाय।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लेवी की कीमत 105 रुपये प्रति क्विन्टल रखी गई है, इसके संबंध में सबकी राय है कि यह गलत है। मैं एक बात रखना चाहता हूं कि 1972-73 में जब गेहूं की कीमत फिक्स की गई थी तो उसमें 76 रुपये प्रति क्विन्टल रखी थी। काश्तकार हाई कोर्ट चले गये तो हाई कोर्ट ने गेहूं की कीमत 105 रुपये प्रति क्विन्टल तय की थी। इसके बाद भी आपने वही 105 रुपये कीमत रखी है। जहां तक कीमत का सवाल है यह अनुचित है। चौधरी साहब ने जिक्र किया कि आपने शतप्रतिशत एरिया बेसिस पर जहां लिमिट खत्म होती है उसके ऊपर के एरिया के ऊपर अलग से लगना चाहिये जैसे कि इनकम टैक्स में होता है। मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड का इलाका असिंचित है। नेशनल सीड कारपोरेशन है, उन्होंने एक योजना बनायी और सीड भी दिया पौने चार रुपये किलो के हिसाब से और एग्रीमेंट हुआ कि सारा उत्पादन उनको दे देना पड़ेगा। लेकिन आपके विभाग ने यह कहा कि नहीं उसको भी देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि लेवी दें, आप तय कर दीजिए कि वह लेंगे कि आप लेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के इलाके में बेर्रा बोया जाता है। यह बेर्रा असिंचित क्षेत्र में होता है। जब बेर्रा बोया जाता है तो किसान कहां से देगा?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वीर सिंह जी समाप्त करें।

श्री बीर सिंह सेंगर--

खाने के लिये किसानों के पास थोड़ा बहुत गेहूं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष--

समय नहीं रह गया। इतना समय नहीं है कि अन्य माननीय सदस्यों को मौका दिया जा सके। जो भावनायें अभी तक माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं उनका उत्तर माननीय खाद्य मंत्री जी देंगी।

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर समय मांगने लगे।)

कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 7 बजे के बाद समय दिया जाये।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

[* * * * * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें।

(शोरगुल के मध्य श्री बांकेलाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य सुनना चाहें सुनें और जो जाना चाहें चले जायें।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)--

[* * * * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय भाभी जी इस तरह की अव्यवस्था करेंगे तो इसको खत्म कर दिया जायेगा। माननीय खाद्य मंत्री जी को जवाब देना है। आप सुनें आप व्यवधान कर रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? आप बैठें। जो भी इस तरह अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं वह लिखी नहीं जायेगी।

श्री मधुकर दिघे--

[* * * * * *]

(अत्यधिक शोर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मधुकर दिघे--

तो श्रीमन्, हम जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, जो माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं वे जा सकते हैं।

(अत्यधिक शोर)

जो भी माननीय सदस्य इस तरह से बोल रहे हैं, वह कोई भी कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

(इसके उपरान्त भारतीय लोक दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

नोट :--[* * * * * *] श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों की बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रश्न के ऊपर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी अपनी कीमती रायें दीं, शासन के समक्ष अपने अपने विचार प्रकट किए। मैं माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता जन संघ की भी विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने अपने-अपने विचार रखे। मुझे इस बात का आश्चर्य अवश्य है कि माधव बाबू तो अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि उनके दल की नीति है कि गल्ला खुले बाजार में बिके और उस पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल न हो। इसलिये उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि गल्ले को खुले बाजार में छोड़ देना चाहिए। इसमें हम उनसे मतभेद रखते हैं लेकिन चौधरी साहब ने, जो प्रोड्यूसर्स लेवी के विशेष रूप से हिमायती रहे हैं और जब वे संविद सरकार के नेता भी थे तो उस समय उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, इस प्रकार की लेवी को लगाया था।

अपने भाषण में आज उन्होंने दो प्रकार की बात कही। सिद्धान्ततः तो वे स्वीकार करते हैं कि लेवी लगनी चाहिये लेकिन मोनोपोली और ट्रेडर्स लेवी के वे खिलाफ रहे लेकिन उन्होंने कन्डीशनल बात कही। इसलिये मैं यह कह रही थी कि जो प्रोड्यूसर्स लेवी को सिद्धान्तः मानने वाले हैं, उनके दल के लोगों ने आज यहां पर वाक आउट किया। पहले वे स्वयं चले गये। जब वे यहां पर बैठे और भाषण दिया तो उन्हें सरकारी पक्ष को भी सुनना चाहिये था।

एक सदस्य—

मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बोलने लगते हैं। इस प्रकार आपको नहीं बोलना चाहिये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, इस बार जब नये गेहूं की वसूली की नीति सरकार के सामने आई तो हमारे सामने दो-तीन विकल्प थे। उन पर हमने बहुत विस्तार से विचार किया। केवल यही नहीं कि हमने स्वयं निर्णय ले लिया हमने विरोधी दलों के नेताओं से भी बात की और माननीय मुख्य मंत्री और पूरी कैबिनेट के सारे सदस्य मौजूद थे, जब निर्णय हुआ। और फिर हमारे दल की भी चार दिन लगातार मीटिंग हुई। हमारी कैबिनेट ने भी इस पर काफी दिन विचार किया। दो, तीन विकल्प थे कि मोनोपली परचेज ज्यादा किसानों के इन्टरेस्ट में होगी या डुअल प्राइस सिस्टम। बहुत सोच विचार कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस तरह से अन्य आवश्यक वस्तुओं मे दोहरी कीमत की बात को हम स्वीकार करते हैं, जसे कि चीनी है, अगर हम लेवी की चीनी 65 प्रतिशत मिल मालिकों से लेते हैं तो 35 प्रतिशत. . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मिल मालिक और किसान बराबर कर दिया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

क्योंकि हम 2.15 रुपये में सब लोगों को देते हैं चाहे शहर के हों चाहे देहात के। इसी तरह से मोटा कपड़ा हम मिल से एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित कीमत पर लेते हैं जो शहर के तीन, साढ़े तीन सौ रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को और देहात के लैंडलेस, हरिजन और एक एकड़ तक के गरीब किसानों को देते हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

वह कपड़ा गरीब आदमी को बिल्कुल नहीं मिलता है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह दूसरा प्रश्न है, लेकिन जो हमारा सिद्धान्त है डुअल प्राइस का उसको मैं आपके सामने रख रही हूं क ि कि हमने किसानों के सम्बन्ध में भी इसको ठीक समझा।

इस बात को लेकर अभी भी वाक आउट हुआ, ाफी चर्चा हुई कि किसा ों को जो 105 रुपये प्राइस दी गयी है वह कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि किसानों को बाजार मे ज्यादा दाम मिल सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में ही हम उनसे लेते हैं और बाकी के लिये हम उनको आजादी देते हैं कि वह खुले बाजार में बेचें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

परसाल तो आपने 125 रुपये की सिफारिश की थी।

एक सदस्य—

उनको बचता कहां है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमारे सामने यह विकल्प था कि हम मोनोपली परचेज करते हैं या डुअल प्राइस रख कर प्रोड्यूसर्स लेवी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री बाबूलाल वर्मा के खड़े होने पर) माननीय वर्मा जी, नियमों का जरा पालन करें।

श्री बाबू लाल वर्मा—

बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन पहले मुझसे पूछें तो।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वैसे एक निश्चित प्राइस पर किसान बेचने के लिये मजबूर होता है लेकिन डुअल प्राइस में एक निश्चित कीमत पर देने के बाद बाकी गल्ला बाजार में वह ज्यादा कीमत पर देता है इस तरह से वह मेक अप कर सकता है। इस तरह से यह किसान के हित में है कि हमने उनके ऊपर प्रोड्यूसर्स लेवी लगायी। यह भी उनके हित में है कि जो एक निश्चित मात्रा हमने उनसे ले ली उसके बाद वह निश्चित हो कर पूरे वर्ष भर जहां चाहें बेचें। जो लोग सवा तीन एकड़ तक के हैं उसमें 72 प्रतिशत छूट जाते हैं।

श्री वीर सिंह सेंगर—

बुन्देलखंड में 70 फीसदी किसानों पर लेवी लगा रहे हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आप गलत कह रहे हैं। 72 प्रतिशत छूट जाते हैं। कलकुलेट हम यह कर रहे हैं कि हमारे यहां 75 से 77 लाख टन तक उत्तर प्रदेश में पैदावार होने वाली है। इसमें से 60 लाख टन हम किसानों के खाने के लिये, उनके मजदूरों के लिये, उनके बीज के लिये छोड़ देते हैं। तो जिस देहात की जनता की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको फिकर नहीं है ऐसी बात नहीं है। 60 लाख टन अनाज को तो हम छू तक नहीं रहे हैं। जो 17–18 लाख टन मार्केटेबिल सरप्लस है उसमें से 8 लाख टन लेने की बात है, शेष को किसान खुले बाजार में बेचने के लिये आजाद होगा। आज मारी सूचना के अनुसार 120 रुपये तक पर मार्केट आ गया है, कीमत खुद गिर रही हैं। कल परसों तक कीमत और गिर जायेगी। उस वक्त किसान को जरूरत पड़ेगी कि उसको सही कीमत मिले और वह खुशी

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]
से हमारे सेन्टर पर आकर गेहूं देगा। 105 रुपये पर तो कीमत स्वयं कैश करने वाली है। एग्रीकलचरल प्राइस कमीशन जो हर बार कीमत फिक्स करता है, उसी ने सब विचार कर इस बार भी तय की है।

पिछले वर्ष ही जब कीमत तय करने की बात थी, उस समय पंजाब में जहां पर कि किसान अच्छा बीज इस्तेमाल करता है, अच्छी खाद इस्तेमाल करता है, सिंचाई के अच्छे साधन हैं, वहां की कास्ट आफ प्रोडक्शन को लेकर एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने जो प्राइस फिक्स की थी वह मैं बताना चाहती हूं। 1972-73 में ए-वन (कैश एन्ड कास्ट एक्सपेन्सेज) की कीमत 32.81 रुपये, 1973-74 में 36.98 रुपये ए-टू (ए-1 प्लस रेन्ट पेड फार लीज्ड इन लैंड), 1972-73 में 36.65 रु0, 1973-74 में 41.03 रुपये। बी-कैटेगरी (ए-2 प्लस इन्प्यूटेड रेन्टेड वैल्यू आफ ओन्ड लैंड एन्ड इन्टरेस्ट आन फिक्स्ड कैपिटल)। 1972-73 में 61.24 रुपये, 1973-74 में 67.33 रुपये। सी-कैटेगरी (बी-प्लस इन्प्यूटेड वैल्यू आफ कल्टीवेटर्स फैमिली लेबर) 1972-73 में 67.10 रुपये, 1973-74 में 74.34 रुपये थी। कमीशन ने 3 प्रकार की कीमत पहले रिकमेन्ड की थी। 90, 95, 100 रुपये। उसके बाद सरकार ने 105 रुपये किये। 10 रुपये उससे ज्यादा बढ़े हुये थे। जब 74.34 उसने रिकमन्ड किये थे तब भी बढ़ाकर प्राइस हमने रखी थी। 105 रुपये रखना इसलिये जस्टीफाइड समझा गया.....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
उसको डिजाल्व कर देना चाहिये।

श्री ऊदल—
पहली बार जब बढ़ाई थी इन्पुट्स को देखते हुये..... (व्यवधान)

एक सदस्य—
जिन गांव में आग लग गयी है, वहां छूट मिलेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
उनको छूट दे देंगे। दैवी आपदाओं के लिये छूट है। तो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि 105 के ऊपर जब हम लेते हैं तो उसको जो हमें मिलता है हम 133 रुपये पर-क्विन्टल पर सरकारी दूकानों से बेचते हैं। अगर 125 हम करते तो वह 155 हो जाता और 130 करते तो 160 होता; 135 करते तो 167 होता और 140 करते जैसा माननीय नेता विरोधी दल का सुझाव था तो वह 173 पर जाकर पड़ता। अगर हम 150 करते हैं जैसा माननीय जनसंघ के सदस्य कहते हैं तो वह 184 होता और अगर 160 करते तो वह 2 सौ रुपये पर जाता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
2 रुपये हैंडलिंग चार्जेज होता है और उसको 28 रुपया किया है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
यह भी गलतफहमी है। किसी दिन प्रश्न कर लें मैं उत्तर दे दूंगी। अब केवल तीन मिनट रह गये हैं मैं इतना ही इस समय कह सकती हूं कि गवर्नमेंट नो प्राफिट नो लास बेसिस पर काम करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले वर्ष अपने आप 2 रुपया हैंडलिंग चार्जेज में कम कर लिया, इस बार भी हम एक रुपया कम करके किसानों को दे रहे हैं। एक माननीय सदस्य माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी यह कह रहे थे कि यह जो कीमत 105 रुपया है वह अगर सेंटर पर देंगे तो हम..... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी ग्रामीण स्तर पर दुकानें खुलवायेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आपकी शंकाओं का समाधान करना तो बड़ा मुश्किल है।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

प्रदेश के बहुत से किसान नेशनल सीड कारपोरेशन से बीज लेकर ऐग्रीमेंट किये हैं कि उनको बीज के लिये सप्लाई करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी ऐसे काश्तकारों को ऐसी भूमि पर जिसमें नेशनल सीड कारपोरेशन का बीज बोया गया है उसको लेवी से मुक्त करेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो आपका वक्तव्य है उसके पृष्ठ 5 में आपने लिखा है कि पूर्णतया असिंचित होल्डिंग वालों को राहत मिलेगी. . . . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

समय कम है, जल्दी करिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

तो इसमें कौन आते हैं ? ऐसा तो नहीं है कि जिनके पास 6 एकड़ भूमि है जिनमें 2 एकड़ सिंचित है और 4 एकड़ असिंचित है तो क्या उनको पूर्णतया असिंचित मानेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जहां सिंचाई का कोई भी साधन नहीं होगा उनको ही पूर्णतया असिंचित माना जायेगा। जहां तक कि सीड वाली बात है जो कि नेशनल सीड कारपोरेशन की है और जो तराई सीड कारपोरेशन है या गवर्नमेंट के जो फार्म्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सबसे हम लेवी लेते हैं लेकिन सीड को हम अलग रखेंगे। जो फार्मर्स सीड बोते हैं वे अलग रहेंगे उनमें से और वह परसेंटेज के हिसाब से देंगे।

वक्त नहीं है नहीं तो मैं बाकी चीजों का जवाब देती। केवल इस समय इतना ही कहना चाहूंगी कि इस प्रदेश का किसान जानता है अपनी जिम्मेदारियों को और माननीय सदस्यों का जो यह कहना है कि फूड रायट्स होंगे या आन्दोलन होंगे तो यह सब कुछ नहीं होने वाला है इस प्रदेश में क्योंकि यहां इस प्रदेश का किसान जानता है और वह हमारे सेन्टर्स पर अभी से आता है और व्याकुल है देने के लिये और वह देता जा रहा है।

(व्यवधान) . . . . (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
10 अप्रैल, 1975।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 819 पर ।]

घटना तथा कार्यवाही का विवरण

दिनांक 6-3-75 को लखनऊ स्थित मालवीय नगर लेबर कालोनी, जो थाना बाजार खाला क्षेत्र में स्थित है, में श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री राम दयाल के मकान के अहाते के अन्दर दीवाल के सहारे राख के ढेर में एक बोरे में रखे हुये 11 बम बरामद हुये ।

2—उपरोक्त रामेश्वर प्रसाद मालवीय नगर चौराहे पर परचून की दुकान करता है और उसने कुछ वर्ष पूर्व एक प्लाट खरीदा था और उस प्लाट पर एक अहाता बना लिया है । इस प्लाट पर उसने एक किनारे मकान बनाने का काम शुरू किया है, परन्तु अभी तक वह उस अहाते में रहता नहीं है । 11 बम इसी अहाते से बरामद हुये । अहाता मामूली ईंटों की दीवाल से अवश्य घिरा हुआ है किन्तु चारों तरफ से खुला हुआ है ।

3—दिनांक 20-3-75 को सेन्ट्रल कमान्ड, लखनऊ के मेजर एस० एस० परमार ने थाना बाजार खाला में अवैध बरामद शुदा बमों का निरीक्षण किया । उनकी रिपोर्ट के अनुसार सभी बम सैनिक हैं । इन में से आठ खाली तथा 3 भरे हुये बताये गये । मेजर परमार ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि यदि किसी कानूनी कार्यवाही के लिये इन बमों के खाली खोल या भरे बमों की आवश्यकता न हो तो इन्हें पास के ऐम्यूनीशन डिपो को निस्तारण हेतु भेज दिया जाय ।

4—इस घटना की प्रथम सूचना थाना नाका हिंडोला की रिपोर्ट नं० 37, दिनांक 6-3-75 पर है । परन्तु चूंकि मालवीय नगर थाना बाजार खाला के अन्तर्गत है, अतः इस मामले की विवेचना हेतु दिनांक 6-3-75 को ही थाना बाजार खाला के सुपुर्द किया गया ।

5—विवेचना के दौरान श्री रामेश्वर प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उसे इन बमों के विषय में कोई ज्ञान नहीं है । मेजर परमार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना बाजार खाला में दिनांक 3-4-75 को श्री रामेश्वर प्रसाद के विरुद्ध 3/4 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध संख्या 22 कायम किया गया । विवेचना अभी जारी है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 833 पर)

गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते

1—रशीद, निवासी 69 चक दोरी, थाना नैनी, इलाहाबाद (न्यायालय में आत्म-समर्पण)।

2—श्री नाथ, निवासी चक मुंडी, थाना नैनी, इलाहाबाद (गिरफ्तार)।

3—बंशी लाल, निवासी नैनी बाजार, थाना नैनी, इलाहाबाद (गिरफ्तार)।

4—कन्हई, निवासी चक लाल मोहम्मद, थाना नैनी, इलाहाबाद (गिरफ्तार)।

5—निजामउद्दीन, निवासी जेल क्वार्टर्स छापा खाना, थाना नैनी, इलाहाबाद (गिरफ्तार)।

6—बुद्धन, निवासी सादियाबाद, थाना कर्नलगंज (गिरफ्तार)।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 855 पर)

कानपुर जिले के विभिन्न थानों में 1-1-74 से 31-8-74 तक दर्ज डकैती एवं हत्या के संबंध में सूचना

क्रम सं0	नाम थाना	संख्या जो रिपोर्ट हुई डकैती	हत्या	क्रम सं0	नाम थाना	संख्या जो रिपोर्ट हुई डकैती	हत्या
1	महाराजपुर	1	6	20	कोतवाली	2	4
2	नरवल	3	1	21	ग्वालटोली	..	3
3	सजेती	3	6	22	कर्नलगंज	..	3
4	बिधनू	5	3	23	कलक्टरगंज	..	3
5	मूसानगर	1	5	24	हरबंशमोहाल	..	2
6	घाटमपुर	8	8	25	अनवरगंज	..	3
7	भोगनीपुर	7	2	26	रायपुरवा	..	6
8	सिकन्दरा	5	1	27	सीसामऊ	1	1
9	गजनेर	3	5	28	नजीराबाद	..	2
10	बिठूर	3	6	29	फजलगंज	..	..
11	मंगलपुर	6	5	30	बजरिया	..	1
12	अकबरपुर	10	7	31	बाबूपुरवा	1	2
13	डेरापुर	2	5	32	जूही	3	3
14	सरेन्डी	12	4	33	गोविन्दनगर	..	2
15	शिवराजपुर	8	1	34	स्वरूपनगर	..	7
16	बिल्हौर	10	3	35	नवाबगंज	1	2
17	ककवन	4	3	36	कल्यानपुर	5	2
18	शिवली	10	3	37	छावनी	2	7
19	रसूलाबाद	3	4	38	पीलखाना	2	3

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीठे पृष्ठ 857 पर)

दिनांक 1 अगस्त, 1974 से 15 नवम्बर, 1974 तक हुई थानावार हत्या की सूचना-जनपद इलाहाबाद

(हत्या)

थाना	जिनकी रिपोर्ट दर्ज की गयी	जिनकी हत्या हुई नाम पते मृतक
1	2	3
1—मऊआइमा ..	1	(1) श्री चन्द्रकेत मास्टर, नि0 ककरा, थाना सराय इनायत।
2—नवाबगज ..	3	(1) श्री गन्धू अहिर, नि0 भगदेवरा, थाना नवाबगंज।
		(2) श्री सुरजीत लाल अरोरा, नि0 सुखरामपुर, नवाबगंज।
		(3) श्री प्रभाशंकर, नि0 जूड़ापुर बीहड़, नवाबगंज
3—थरवई ..	2	(1) श्री बुद्धू यादव, नि0 अड़हनपुर, थाना थरवई।
		(2) श्री राम अचल सिंह, नि0 भोपतपुर, थाना थरवई।
4—हंडिया ..	1	(1) श्री सीताराम, नि0 शंकरपुर, थाना हंडिया।
5—सराय इनायत ..	2	(1) श्री सुखदेव, सा0 कोखा, थाना सराय इनायत।
		(2) श्री छोटे, नि0 मलखान, थाना सराय इनायत।
6—नैनी ..	2	(1) श्री वली मोहम्मद, सा0 नैनी, थाना नैनी।
		(2) श्री बुधराम गड़रिया, सा0 मवैया, थाना नैनी
7—शंकरगढ़ ..	1	(1) श्री निरंजन का लड़का उम्र ढाई साल, सा0 करियाखुर्द, थाना शंकरगढ़।
8—पूरा मुफ्ती ..	5	(1) श्री भागीरथी यादव, साकिन कलवा, थाना पूरा मुफ्ती।
		(2) श्री शिवमूरत, साकिन हरदुआ, थाना पूरा मुफ्ती।
		(3) श्रीमती रामकली, सा0 भीखपुर, थाना पूरा मुफ्ती।
		(4) श्री एसन, सा0 रामपुर मुहेली, थाना कोखराज।
		(5) श्रीमती मतवा, सा0 मोहीउद्दीनपुर, थाना पूरा मुफ्ती।

1	2	3
9—सराय आकिल ..	6	(1) श्री राम खेलावन, सा0 तिलगोरी, थाना सराय आकिल। (2) श्री विश्वनाथ, सा0 ओधन, थाना सराय आकिल। (3) श्री छोटे लाल, सा0 किसनपुर, थाना सराय आकिल। (4) श्री सुहेल अहमद, सा0 बूढ़ा, थाना सराय आकिल। श्री बेनी प्रसाद, सा0 बूढ़ा, थाना सराय आकिल। (5) श्री वसीर सा0 बरई, थाना सराय आकिल। (6) श्री महादेव, सा0 डिहवा, थाना सराय आकिल।
10—करारी	6	(1) श्री भैयालाल, सा0 नगरेहा, थाना करारी (2) श्री झुरई, सा0 बमनपुरवा, थाना करारी। (3) श्री कंधईराम, सा0 पिपरकुडी, थाना करारी। (4) श्री छोटेलाल, सा0 पिपरा, थाना करारी। (5) श्री नन्हा, सा0 पचम्भा, थाना करारी। (6) श्री बूदी, सा0 पवारा, थाना करारी।
11—कोखराज ..	3	(1) श्री सरजू पासी, सा0 देगाई, थाना कोखराज। (2) श्री बरीलुद्दीन, सा0 कोखराज, थाना कोखराज। (3) श्री शहजाद, सा0 मड़ियावां, थाना कोखराज।
12—मंझनपुर ..	2	(1) श्री मदन, सा0 डेनशाह, थाना मंझनपुर। (2) श्रीमती सतानिया, सा0 अंठा, थाना मंझनपुर।
13—पश्चिम शरीरा	2	(1) श्रीमती फूलमती का लड़का राम दुलारे, सा0 असाड़ा, थाना पश्चिम शरीरा। (2) श्री वशीर अहमद सा0 कटरी, थाना पश्चिम शरीरा।
14—कोतवाली ..	1	(1) श्री राकेश, सा0 कोटी, थाना फूलपुर, इलाहाबाद।
15—खुल्दाबाद ..	3	(1) श्री रऊफ, सा0 अटाला, थाना खुल्दाबाद। (2) श्री मोती लाल, सा0 राजरूप, थाना धूमनगंज। (3) श्री संतोष नरायन, सा0 सारंगपुर, थाना फूलपुर।

उत्तर प्रदेश सभा

1	2	3	4
16—कर्नलगंज	..	3	(1) श्री मकसूद उर्फ लल्लू, निवासी कर्नलगंज। (2) श्री किशन लाल, सा0 23ए, बेली रोड, कर्नलगंज। (3) श्रीमती आशा, स0 पुराना कटरा, कर्नलगंज।
17—कैनिंगटन	..	1	(1) श्रीमती सरस्वती देवी, सा0 कीडगंज, थाना कीडगंज।
18—कैन्ट	..	2	(1) श्री राम दास, निवासी थाना हिल रोड, थाना कैन्ट। (2) श्रीमती इन्द्र रानी, सा0 शिवचरन लाल का हाता, थाना कैन्ट।
19—धूमनगंज	..	3	(1) श्री बुद्धू, सा0 बकसीमोढ़ा, थाना धूमनगंज। (2) श्रीमती द्रोपदी, सा0 बकसीमोढ़ा, थाना धूमनगंज। (3) श्री गुजरात, सा0 रावतपुर, थाना धूमनगंज।
20—कीडगंज	..		(1) श्री विजय कुमार, नि0 कोठापारथा, थाना मुठ्ठीगंज।
21—दारागंज	..	1	(1) श्री राम चन्द्र, सा0 अलोपी बाग थाना दारागंज।

योग .. 51 मृतक की संख्या 52

उत्तर प्रदेश सरकार

दिनांक 1 अगस्त, 1974 से 15 नवम्बर, 1974 तक हुई थाना-वार डकैती की सूचना
जनपद इलाहाबाद (डकैती)

थाना	जिनकी रिपोर्ट दर्ज की गयी	नाम व पते जिनके यहां डकैती पड़ी
1	2	3
1—सोरांव ..	1	(1) श्री राधे श्याम, साकिन जीतपुर, थाना सोरांव।
2—मऊ आइमा ..	3	(1) श्री बुद्धू, साकिन अमानगंज, थाना मऊ आइमा। (2) श्री स्वयम्बर सिंह, साकिन सिसवा, थाना आइमा। (3) श्री जगन्नाथ, साकिन दूल्हेपुर, थाना आइमा।
3—नवाब गंज ..	7	(1) श्री बच्चू लाल, साकिन पाठक का पूरा, थाना नवाबगंज। (2) श्री बाबू लाल, साकिन मोहरख, थाना नवाबगंज। (3) श्री जवाहर लाल, साकिन काशीपुर, थाना नवाबगंज। (4) श्री मनोहर, साकिन टकारी, थाना नवाबगंज। (5) श्री इन्द्र नरायन, साकिन आमराजपुर, थाना नवाबगंज। (6) श्री राम कृपाल, साकिन भवानीपुर, थाना नवाबगंज। (7) श्री राम दुलारे, साकिन रानीगंज, थाना नवाबगंज।
4—हंडिया ..	1	(1) श्री इन्द्र बहादुर, साकिन किराव, थाना हंडिया।
5—फूलपुर ..	1	(1) श्री अमृत लाल, साकिन फसला डीह, थाना फूलपुर।
6—सराय इनायत ..	2	(1) श्री सुमर नाथ, साकिन अलमापुर, थाना सराय इनायत। (2) श्री सियाराम सिंह, साकिन अजवइया, थाना इनायत।
7—सराय ममरेज ..	1	(1) श्री किले श्वर नाथ, साकिन महरदस, थाना सराय ममरेज।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
8—मांडा	..	1	(1) श्री रामपाल, साकिन पूरा रामधन, थाना मांडा।
9—कोराव	..	2	(1) श्री अधीन, साकिन सेमरिया, थाना कोराव। (2) श्री शिव प्रसाद, साकिन बेलवनिया, थाना कोराव।
10—कोखराज	..	2	(1) श्री साबिर अली, साकिन अतर्रा, थाना अतर्रा, जिला बांदा। (2) श्री ननकू, साकिन शुकलपुर, थाना कोखराज, इलाहाबाद।
11—सेनी	..	3	(1) श्री घसीटे, साकिन सोरई, थाना सैनी, इलाहाबाद। (2) श्री शीतल प्रसाद, साकिन अठसरई, थाना सौनी, इलाहाबाद। (3) श्री मुहम्मद रफीक, साकिन औरइनी, थाना सौनी, इलाहाबाद।
12—पश्चिम शरीरा		1	(1) श्री निर्भय सिंह, साकिन दूडी, थाना पश्चिम शरीरा।
13—कर्नलगंज	..	4	(1) श्री चन्द्र भान सिंह, साकिन लठार, थाना पट्टी प्रतापगढ़। (2) श्री सुन्दर लाल, साकिन पुराना कटरा, थाना कर्नलगंज। (3) श्री चन्द्रकेस पाण्डेय, साकिन विश्वविद्यालय छात्र, थाना कर्नलगंज। (4) श्री श्याम लाल, साकिन शिवकुटी, थाना कर्नलगंज।
14—कैंट	..	1	(1) श्री जानकी, निवासी नहेरा, थाना कैंट, इलाहाबाद।
15—घूमनगंज	..	1	(1) श्री मिठाई लाल, साकिन गोलवा, थाना घूमनगंज।
16—दारागंज	..	1	(1) श्री राजेन्द्र, साकिन 124 तुलारामबाग, थाना दारागंज।
17—मुट्ठीगंज	..	1	(1) श्री बांके लाल, साकिन सालिकगंज, थाना मुट्ठीगंज।
योग	..	33	संख्या जिनके घर डकैती पड़ी—33

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 861 पर)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित तथा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1975 कहलाएगा।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुन: अधिनियमिति राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन:अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित तथा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन।

धारा 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित तथा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा (3) में शब्द 'राज्य सरकार' के पश्चात् शब्द 'समय-समय' पर बढ़ा दिए जायं।

धारा 21 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (9) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाये और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाय तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।"

4—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय" के पश्चात् शब्द "अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय" बढ़ा दिए जायं।

5—मूल अधिनियम की धारा 28 में,— धारा 28 का संशोधन,

(क) उपधारा (4) में, शब्द "प्रवेश पाने के लिए मापदण्ड या रीति" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है)" रख दिए जायं;

(ख) उपधारा (5) में, शब्द "इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों में और शिक्षा में उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है)" रख दिए जायं।

6—मूल अधिनियम की धारा 33 में, शब्द "जो विहित की जाय" के स्थान पर शब्द "जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें" रख दिए जायं। धारा 33 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (2) का परन्तुक निकाल दिया जाय। धारा 37 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (2) क खण्ड (झ) में शब्द वैतनिक अधिकारियों" के स्थान पर शब्द "वैतनिक कर्मचारियों" रख दिए जायें। धारा 51 का संशोधन

9—मूल अधिनियम के अध्याय 11 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :— नए अध्याय 11-क का बढ़ाया जाना

अध्याय 11-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

60-क—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषायें

(1) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है);

(2) 'उप निदेशक' से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(3) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है —

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो; या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो;

(4) 'पोषण अनुदान' से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिए समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिए निदेश दें।

(5) 'वेतन' का वही अर्थ होगा जो धारा 56 के खण्ड (ख) में उसके लिए दिया गया है ;

(6) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो—

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से 1 अप्रैल, 1975 के पूर्व सृजित किसी पद पर, या

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित किसी पद पर,

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से नियोजित हो।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किए बिना वेतन का भुगतान

60-ख—(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी कालावधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसके लिए या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करें, उसे किया जायगा।

(2) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जायगा।

निरीक्षण करने की शक्ति

60-ग—(1) उप निदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उस के अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बहियां तथा वाउचर भी है) मांग सकेगा अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिए उसके प्रबन्धतन्त्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिशेध के लिए कोई निदेश भी है) दे सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन छटनी के लिए प्रत्येक निदेश शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात जारी किया जायगा और उसमें ऐसा भावी दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब से ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी।

(3) जहां उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार छटनी के लिए कोई निदेश जारी किया जाय, वहां सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी, इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायगा।

कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया

60-घ—(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवितरण के प्रयोजनों के लिए, किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में, एक पृथक लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में 'वेतन संदाय लेखा' कहा गया है) खोलेगा, जिसे प्रबन्धतन्त्र के एक प्रतिनिधि और उप निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उप-निदेशक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से चलाया जायगा ;

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात्, यदि उप निदेशक का धारा 60-ज के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखंडित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट दशा में, अथवा जहां किसी अन्य दशा में प्रबन्धतन्त्र को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो उप निदेशक बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि वेतन सदाय लेखा केवल उप निदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त प्राधिकृत करे, चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखंडित कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग, और महाविद्यालय की या उसके लाभार्थ पूर्णत: या अंशत: धर्मस्विति किसी जंगम, या स्थावर, सम्पत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वेतन संदाय लेखा में जमा करे, और तदुपरान्त प्रबन्धतन्त्र ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(3) जहां, उप निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतन्त्र ने उपधारा (2) अथवा तद्धीन जारी किए गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहां उप निदेशक, आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त, उप निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षत: (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा।

(4) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो, उपधारा (2) तथा (3) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिए आवश्यक हो।

(5) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा, अर्थात् :—

(क) 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के लिए महाविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिए ;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्धतन्त्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए।

(6) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, वेतन संदाय लेखा से उसी बैंक में उसके लेखे में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उस बैंक में उसका लेखा न हो तब चेक द्वारा संदत्त किया जायगा।

वेतन के संबंध में दायित्व

60-ङ—(1) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के सम्बन्ध में देय होने वाले वेतन का संदाय करने के लिए देनदार होगी।

(2) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हो, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है।

दण्ड, शक्तियां तथा प्रक्रिया

60-च.—(1) यदि धारा 60-ग के अधीन किसी निदेश का या धारा 60-ख या धारा 60-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यतिक्रम किए जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसमें व्यतिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिए उसी सम्यक् तत्परता बरती थी, धारा 60-ख के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारन्ट के बिना गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे की पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

आदेश का अन्तिम होना

60-छ.—इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), उप निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

60-ज.—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जाएंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

10—मूल अधिनियम की धारा 68 में शब्द "विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश, या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है)" रख दिए जायें। धारा 68 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् — धारा 69 का प्रति स्थापन

"69—राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उप निदेशक (जैसा धारा 60-क में परिभाषित है) या प्राधिकृत नियन्त्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां की जा सकेंगी।"

12—मूल अधिनियम की धारा 72 में — धारा 72 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात् —

"(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के एक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा।"

(ख) उपधारा (2) में उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् —

"परन्तु ऐसा कोई निदेश, 31 दिसम्बर, 1976 के पश्चात् नहीं दिया जायगा।"

13—मूल अधिनियम की धारा 74 में — धारा 74 का संशोधन

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात् :—

"(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, —

(क) किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किए गए प्रमाण-पत्र, मंजूर किए गए विशेषाधिकार अथवा की गई कोई अन्य बातें (जिसके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन क्रमश: की गयी जारी किए गए, प्रदत्त, मंजूर गिए गए या की गई समझी जायगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत न कर दिए जायें प्रवृत्त बनी रहेंगी ;

(ख) चयन समितियों की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, प्रबन्धतन्त्र या कार्य परिषद् द्वारा

की गई सभी कार्यवाहियां, जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया में इस अधिनियम द्वारा परिष्कार कर दिया गया है, विधिमान्य समझी जाएंगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी और उसी प्रक्रम से जारी रखी जाएगी जहां वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं।";

(ii) उपधारा (3) में—

(1) खन्ड (घ) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :

"परन्तु यह कि उक्त उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 तथा 2 के उपबन्ध इस खन्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खंड के अधीन ऐसे पैनलों में से किए गये नाम-निर्देशनों पर भी लागू होंगे ;"

(2) खण्ड (छ) में, उपखण्ड (3) में, शब्द तथा अंक "वर्ष 1975 में" के पश्चात् शब्द तथा अंक "अथवा वर्ष 1976 में" बढ़ा दिए जायें।

अनुसूची का संशोधन

14—मूल अधिनियम की अनुसूची में क्रमसंख्या 5 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"5—कानपुर विश्वविद्यालय

(1) बुन्देलखंड तथा अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना होने तक।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
(2) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर, किन्तु बुदेन्लखंड विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पूर्व।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव के जिले।
(3) अवध विश्वविद्यालय की तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो जाने पर।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव के जिले।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का संशोधन

15—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खन्ड (घ) में शब्द "बेसिक शिक्षा निदेशक" के स्थान पर शब्द "शिक्षा निदेशक" रख दिए जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972 की धारा 2 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में, खन्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायं, अर्थात् :— धारा 3 का संशोधन

"(च-1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, पदेन ;

(च-2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पदेन ; "।

17—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, धारा 4 का संशोधन

(1) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्तर मापक निर्धारित करना तथा उक्त संस्थाओं द्वारा संशिक्षण प्रदान करने और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करने के सम्बन्ध में उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना।; ";

(2) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय; अर्थात् :—

"(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार या तथा सुधार और उसमें अनुसन्धान के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर बेसिक शिक्षा समिति द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का (परिष्कार सहित या रहित) अनुमोदन करना करना ; ";

(3) खण्ड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायें, अर्थात :—

"(छ-1) जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों पर, इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन में, अधीक्षण रखना और राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, समितियों को निदेश देना, जो ऐसी समितियों पर बन्धनकारी होंगे ;

(छ-2) ऐसे प्रयोजनों के लिये जिसे परिषद् उचित समझे (जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों के सदस्यों में से) उप-समितियों का गठन करना। "

18—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (3) निकाल दी जाय। धारा 6 का संशोधन ·

19—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायें, अर्थात :—

धारा 10 का प्रतिस्थापन तथा नयी धारा 10-क का बढ़ाया जाना।

"10—(1) प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलाएगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

(क) अध्यक्ष; जिला परिषद्, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् के सदस्यों म से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे;

(ग) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन), पदेन;

(घ) जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, पदेन;

(ङ) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन;

(च) अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), यदि कोई हो और उसकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षिका, पदेन;

(छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन; जो समिति का सदस्य-सचिव होगा;

(ज) विद्यालय उप-निरीक्षक, पदेन, जो समिति का सहायक सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद् के अधीक्षण और निदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात :—

(i) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना;

(ii) नए बेसिक स्कूल स्थापित करना;

(iii) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार तथा सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।

नगर बेसिक शिक्षा समितियां

10-क—(1) प्रत्येक नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के लिए एक समिति स्थापित की जायगी जो नगर बेसिक शिक्षा समिति कहलाएगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

(क) महापालिका का नगर प्रमुख, यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन से अनधिक व्यक्ति जो, यथास्थिति, महापालिका, नगर-पालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे;

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन;

(घ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन;

(ङ) सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उपनिरीक्षक, पदेन;

(च) सर्किल की अधिकारितायुक्त बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका, पदेन ;

(छ) अधीक्षिका, बालिका शिक्षा, यदि कोई हो, पदेन ;

(ज) शिक्षा अधीक्षक, यदि कोई हो, और यदि ऐसा कोई अधिकारी न हो तो सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उप निरीक्षक, पदेन, सदस्य सचिव।

(2) धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, नगर बेसिक शिक्षा समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जिला बेसिक शिक्षा समिति को लागू होते हैं।"

धारा 11 का संशोधन

20--मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (2) के खण्ड (क) में, शब्द, "यथास्थिति, जिला परिषद अथवा अन्तरिम जिला परिषद" के स्थान पर शब्द 'जिला बेसिक शिक्षा समिति" रख दिए जायं।

नई धारा 12-क का बढ़ाया जाना

21--मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात :--

"12-क--(1) जिला परिषद के प्रत्येक सदस्य को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे जिला परिषद के अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी।

(2) यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, या टाउन एरिया कमेटी के प्रत्येक सदस्य को उस स्थानीय निकाय, जिसका वह सदस्य हो, की सीमा में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे स्थानीय निकाय के, यथास्थिति, नगर प्रमुख अथवा प्रेसीडेन्ट को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी।"

धारा 19 का संशोधन

22--मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में, शब्द "किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों" के स्थान पर शब्द "परिषद द्वारा मान्यता-प्राप्त बेसिक स्कूलों" रख दिए जायं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

सहायता-प्राप्त उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों के अनियमित भुगतान सम्बन्धी परिवादों को दूर करने की दृष्टि के राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि 31 मार्च, 1975 के पश्चात् देय होने वाली धनराशियों के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का संवितरण सरकारी अभिकरण के माध्यम से किया जाय। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन करना आवश्यक है। इस अवसर का लाभ उपर्युक्त अधिनियम में निम्न-लिखित संशोधन तथा अन्य औपचारिक संशोधन करने के लिए भी उठाया जा रहा है :—

(1) इन्जीनियरिंग तथा मेडिकल महाविद्यालयों की तरह बी० एड० कक्षाओं में भी प्रवेश को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करना ;

(2) विश्वविद्यालयों तथा उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों की भविष्य निधि को सरकारी कोषागार में जमा करने के लिए अनुदेश जारी करने के निमित्त राज्य सरकार को प्राधिकृत करना ; तथा

(3) अधिनियम की धारा 72 (2) के अधीन निदेश देने की शक्ति को 31 दिसम्बर, 1976 तक बढ़ाना।

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन बेसिक शिक्षा का नियन्त्रण स्थानीय निकायों से नव-गठित बेसिक शिक्षा परिषद् को अन्तरित कर दिया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि जिला परिषद्, महापालिका, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के स्तर पर सम्बद्ध स्थानीय निकायों के प्रधानों की अध्यक्षता में स्थानीय समितियां स्थापित की जायं। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव को परिषद् में पदेन सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है।

3—तदनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1975 पुरः स्थापित किया जाता है।

डाक्टर रामजी लाल सहायक,
मन्त्री, उच्च शिक्षा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 122 पर।)

मार्केटिंग वर्ष 1975–76 में गेहूं की खरीदारी के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

सम्मानित सदस्यों को ज्ञात है कि प्रदेश में लगभग 25 लाख राशन कार्ड होल्डरों को, जो कि अधिकांशत : प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व मेहनतकश वर्ग के लोग हैं, को एक नियन्त्रित एवं समुचित दर पर राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शासन के ऊपर एक लम्बे अरसे से चली आ रही है। खाद्यान्नों के भावों में अधिकता होने से सबसे अधिक बोझ इसी वर्ग पर पड़ता है जिसकी मासिक आमदनी भी बहुत कम है अगर बाजार भाव पर इन्हें खाद्यान्न खरीदने के लिए कहा जाय तो फिर इन लोगों में से जो सरकारी कर्मचारी, अध्यापक आदि हैं उनको करोड़ो रुपया अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी देना पड़ सकता है जिसका भार आखिरकार सारी जनता और किसान वर्ग को उठाना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से राशन के ढांचे को इस प्रकार बनाया जाय और उसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाय। वर्ष भर इस सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए जब खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो तो भारत सरकार के फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया की सहायता ली जाना अनिवार्य हो जाता है।

2—इस पृष्ठ भूमि में सदन सहमत होगा कि शासन को राशन की दूकानों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति के अनुसार उचित व्यवस्था करनी है। अतएव इस वर्ष खाद्यान्नों की खरीदारी करने व सप्लाई का विकल्प पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक बिचार किया है।

3—गेहू की फसल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसी आशा है कि इस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष से काफी अधिक होगा। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार ने इस विकल्प पर भी विचार किया कि सरकार गेहू की खरीदारी न करके साधारण व्यापारिक प्रणाली को चलते रहने दे तो उसका क्या प्रभाव होगा। ऐसी सम्भावना है कि इस दशा में प्रारम्भ में अधिक उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति में छोटे व जरूरतमन्द काश्तकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्ते दामों में व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचने के लिए विवश हो जायं और अवांछनीय लोग इस प्रकार क्रय किए गए गेहू के जखीरे जमा कर लें और बाद में बढ़े हुए दामों में उसको निकालें। इसका फल यह होता है कि उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर गेहूं खरीदना पड़ता। शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के के लिए हमें विदेशों से आयात पर भी और अधिक निर्भर होना पड़ता जो स्थिति राजकीय हितों की दृष्टि में वांछनीय नहीं होती। यह प्रदेश अन्य ऐसे प्रदेशों की आवश्यकताओं से भी विमुख नहीं हो सकता जहां गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। अतएव राष्ट्रीय नीति के अनुसार और पूरे देश की आवश्यकताओं को देखते हुए भी सरकार द्वारा गेहूं की खरीदारी आवश्यक समझी गई।

4—दूसरा विकल्प यह हो सकता था कि हम केवल व्यापारिक खरीदार के रूप में 105.00 रुपया की सपोर्ट प्राइस की घोषणा करते हुए केवल वही गेहू खरीदते जो काश्तकार स्वेच्छा से हमें बेचने को तैयार होता। इस सम्बन्ध में यह एक खतरा निहित है कि व्यापारी वर्ग में से कुछ अवांछनीय तत्व ऐसी योजना को विफल करने का हर प्रयत्न करते और अन्ततोगत्वा काश्तकारों तथा उपभोक्ताओं दोनों का शोषण करते।

5—अगला विकल्प मोनोपोली परचेज अर्थात् एकाधिकार क्रय का था। मोनोपोली परचेज की प्रणाली में यह आवश्यक रूप से निहित है कि काश्तकार अपना सारा उत्पादन केवल सरकार द्वारा घोषितमूल्य पर ही बेचने को बाध्य हो। इसमें एक ओर तो काश्तकारों को अनुचित हानि की सम्भावना थी दूसरी ओर बाजार में गेहू की प्राप्ति व वितरण व्यवस्था

पर भी कुप्रभाव पड़ता और संचरण पर भी प्रतिबन्ध लगाने पड़ते। सभी बातों को देखते हुए सरकार ने ऐसा करना जनहित में नहीं समझा। इसके बजाय उत्पादन के केवल एक अंश पर लेवी लगाना अधिक इष्टकर समझा गया क्योंकि इसमें काश्तकारों को यह सुविधा है कि सीमित मात्रा में निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज का अंश देने के बाद शेष उत्पादन को बिना किसी प्रतिबन्ध के प्रदेश में कहीं पर और किसी भी भाव पर बेचने की सुविधा मिलेगी। वर्तमान आर्थिक ढ चे में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए दोहरी मूल्य व्यवस्था इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि लेवी का भाग तथा शेष भाग को बेचने से प्राप्त धनराशि को मिलाकर काश्तकार की उचित प्रतिभूति भी हो जाती है तथा दूसरी ओर निर्बल वर्ग के उपभोक्ताओं को जिन्हें जनवितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें वितरित की जाती ह उचित मूल्य पर वस्तुयें उपलब्ध हो जाती ह और समस्त वर्ग को बिना कठिनाई के बढ़े मूल्य पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह वस्तु उपलब्ध हो जाती है। अतएव इस दोहरी कीमत प्रणाली के अपनाने से जो कुछ अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में पहले से ही लागू हैं, गेहू के सम्बन्ध में भी अपनाते हुए उत्पादकों के उत्पादन के एक अंश पर कृषि मूल्य आयोग की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रय करना जनहित में होगा।

6---इस सम्बन्ध में सरकार ने विभिन्न स्तरों पर निरन्तर विचार विमर्श किया। जो विचार विमर्श मुख्य मन्त्री जी के कक्ष में दिनांक 13 जनवरी, 1975 को विरोधी दल के नेताओं के साथ किया गया था, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं ---

(1) गेहू ही नहीं बल्कि चना तथा जौ पर भी लेवी लगाई जाय।

(2) लेवी के लिए सभी रबी फसलों का क्षेत्र शामिल किया जाय।

(3) लेवी का स्लैब 3 1/8 एकड़ के अधिक व 6 1/4 एकड़ तक सभी रबी खाद्यान्नों की उपज का 20 प्रतिशत, 6 1/4 एकड़ से अधिक व 12 1/2 एक तक 30 प्रतिशत, 12 1/2 एकड़ से अधिक व 20 एकड़ तक 40 प्रतिशत तथा 20 एकड़ से अधिक 60 प्रतिशत रखा जाय।

(4) सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों से जिलेवार औसत उत्पादन के आधार पर समान रूप के लेवी ली जाय।

(5) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 337 में दिए हुए क्षेत्रों तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लेवी के बारे में कोई अन्तर नहीं रखा था।

इस आधार पर बाद में भी विभिन्न स्तरों पर व विभिन्न जन प्रतिनिधियों तथा माननीय नेता विरोधी दल से भी बातचीत की गई।

7---राज्य सरकार ने इस प्रकार व्यक्त किए गए सभी मतों पर गम्भीरतापूर्वक इस दृष्टि से पुनर्विचार किया कि लेवी योजना में ऐसे संशोधन किये जायं जिनसे कि उत्पादकों कम से कम कठिनाई महसूस हो। फलस्वरूप लेवी योजना की अन्तिम रूप रेखा निम्न प्रकार निश्चित की गई है :

(क) देहरादून, नैनीताल, पौड़ी-गढ़वाल, बांदा तथा मिर्जापुर जिले के पहाड़ी भाग व अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली व टेहरी-गढ़वाल जनपद लेवी से पूर्णतः मुक्त रहेंगे।

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य समस्त मैदानी भाग में लेवी लगेगी परन्तु 3 1/8 एकड़ तक की लेवी होल्डिंग्स के समस्त उत्पादकों का जिनकी संख्या 72 प्रतिशत से अधिक है, लेवी से मुक्त रखा जायगा। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि-सुधार अधिनियम 1950 की धारा 337 के अनुसार मिर्जापुर के विशिष्ट भागों तथा बुन्देलखंड, मथुरा, आगरा, इटावा तथा इलाहाबाद जिलों में जमुनापार क्षेत्रों में 4 11/16 एकड़ की होल्डिंग्स को लेवी से मुक्त रखा जायगा।

(ग) नदी के पेटे में चली गई भूमि तथा ऐसी भूमि जिस पर नदियों के कारण बालू जम गई हो, को लेवी होल्डिंग्स में सम्मिलित नहीं किया जायगा चाहे ऐसी भूमि किसी उत्पादक के खाते में दर्ज हो।

(घ) 20 एकड़ से अधिक के संयुक्त प्रबन्धित फार्मों को छोड़ते हुए, अन्य सभी संयुक्त खातेदारों को सुविधा प्रदान करने हेतु संयुक्त खाते के प्रत्येक खातेदार को अलग अलग उपाल्दक माना जायगा तथा प्रत्येक ऐसे खातेदार को लेवी से मुक्त रखा जायगा जिसके भाग का क्षेत्रफल 3 1/8 एकड़ अथवा उससे कम हो।

(ङ) उपरोक्त छूटों के अतिरिक्त यह भी प्राविधान किया गया है यदि दैवी आपदा या किसी ऐसे ही कारण से किसी क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन में क्षति हुई है तो ऐसे क्षेत्र के उत्पादकों को लेवी से आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया मुक्त करने का अधिकार मन्डलायुक्त को रहेगा। इसके अतरिक्त जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी लेवी होल्डिग में गेहूं की उपज किसी विशेष कारणवश नगण्य हुई है तो वह देय लेवी की मात्रा को आवश्यकतानुसार कम कर सकते हैं।

8—उपरोक्त छूटों के पश्चात् उत्पादकों पर ग्रेडेड आधार पर केवल गेहूं व गेहूं मिश्रण के बारे बोए गए क्षेत्रफल पर ही लेवी देय होगी और न कि लेवी होल्डिग के समस्त क्षेत्रफल पर। इस निमित्त उत्पादकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तथा छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेवी की मात्रा में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :—

लेवी होल्डिग का आधार	उत्पादन का लेवी प्रति त	
	पूर्व निश्चित	संशोधित
(क) 3 1/8 एकड़ से अधिक व 6 1/4 एकड़ तक	20	1
(ख) 6 1/4 एकड़ से अधिक व 12 1/2 एकड़ तक ..	30	25
(ग) 12 1/2 एकड़ से अधिक व 20 एकड़ तक ..	40	40
(घ) 20 एकड़ से अधिक ..	60	60

उपरोक्त वर्गीकरण के निमित्त जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 337 में उल्लिखित विशिष्ट भागों में लेवी होल्डिग की साइज आंकने में 1 1/2 एकड़ को एक एकड़ माना जायगा।

9—सिंचित व असिंचित सभी क्षेत्रों के लिए जिलेवार उत्पादन का एक ही ऐवरेज लेवी की मात्रा आंकने के लिए आधार रखा गया था। पूर्णतया असिंचित लेवी होल्डिग्स वाले उत्पादकों को राहत देने के उद्देश्य से अब उनसे 30 प्रतिशत कम लेवी लेने का निर्णय लिया गया है।

10—प्रारम्भ में गेहूं, जौ, चना व उन मिश्रणों को लेवी अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव था किन्तु अब केवल गेहूं व गेहूं मिश्रणों को बोए गए क्षेत्रफल पर ही लेवी ली जाएगी। केवल गेहूं व गेहूं मिश्रणों के क्षेत्रफल रखने के फलस्वरूप लेवी की कुल देय मात्रा में कमी हो जायगी, और इस आधार पर औसत उपज आंकने के लिए गेहूं की उपज को ही आधार मानना उचित होता परन्तु उत्पादकों को राहत देने के विचार से उपज का आधार पूर्ववत गत तीन वर्ष में गेहूं, जौ, व चने उत्पादन का वेटेड एवरेज ही रक्खा जाएगा जो गेहूं की औसत उपज से काफी कम है। इस निमित्त जिलाधिकारियों द्वारा जो मांग-पत्र आदि वितरित कर दिए गए हैं उनमें उल्लिखित वेटेड एवरेज में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।

11—प्रदेश के विभिन्न भागों में कटाई की अवधियों को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गयी है कि गोरखपुर, वाराणसी तथा बुन्देलखंड मण्डलों में 15 मई, 1975 तक, लखनऊ तथा फैजाबाद मन्डलों व इलाहाबाद, फतेहपुर तथा कानपुर के जनपदों में 21 मई, 1975 तक और प्रदेश के शेष भागों में 31 मई, 1975 तक लेवी दे दी जाय।

12---यदि कोई उत्पादक उपरोक्त निर्धारित अवधियों के भीतर देय लेवी का पूरा भाग क्रय केन्द्र पर लाकर दे देता है तो उसको गेहूं के निर्धारित रु0 105 प्रति क्विन्टल मूल्य के अतिरिक्त रु0 3 प्रति क्विन्टल परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई उत्पादक देय लेवी की मात्रा से अधिक मात्रा निर्धारित मूल्य पर क्रय केन्द्र पर ला कर देता है तो उसको शासन क्रय कर लेगा और उनको उक्त रु0 3 के अतिरिक्त लेवी से अधिक की गयी मात्रा पर रु0 1 प्रति कुन्तल अधिक दिया जायगा।

13---प्रत्येक उत्पादक लेवी देने के उपरान्त उत्पादन की शेष मात्रा की सीमा पट्टी को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी बेचने को स्वतन्त्र होगा। इस सुविधा का पूरा लाभ उत्पादकों को देने के लिए उन पर संग्रह सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लेवी का मुक्त भाग बेचने में उत्पादकों को कोई कठिनाई न हो, फुटकर, थोक व्यापारी तथा कमीशन एजेन्ट कार्यरत रहेंगे परन्तु फुटकर व्यापारी एक समय में अधिक से अधिक 100 कुन्टल गेहूं व गेहूं उत्पाद तथा थोक व्यापारी व कमीशन एजेन्ट 500 कुन्तल तक संग्रह कर सकेंगे। इन सीमाओं को इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है कि एक ओर उत्पादकों को लेवी का मुक्त भाग बेचने में को कठिनाई न हो और दूसरी ओर व्यापारी वर्ग अनुचित मात्राओं में गेहूं की जखीरेबाजी न कर सकें। इसका यह भी लाभ होगा कि उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खुले बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुये यह भी प्राविधान किया गया है कि उन पर भी संग्रह सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध न होगा।

14---जैसा कि मैंने पहले कहा है, शासन द्वारा खाद्यान्नों के क्रय का मुख्य उद्देश्य जन वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर यथासम्भव मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनवितरण प्रणाली के माध्यम से विशेषकर समाज के दुर्बल वर्ग को अधिक से अधिक खाद्यान्न सुगमता से उपलब्ध हो, शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में रु0 1,000 से अधिक मासिक आय वाले व्यक्तियों को जन वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुयें न वितरित की जायं।

15---इस निर्णय के साथ-साथ मन्त्रि-परिषद के समस्त सदस्यों में जिनके पास अपने राशन कार्ड हैं, तुरन्त सरेन्डर करने का निश्चय किया है।

16---अन्त में, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत लेवी योजना के कार्यान्वयन में शासन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे योजना पूर्णतया सफल हो और कृषकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो।

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
खाद्य मन्त्री।

खाद्य तथा रसद (गेहूं) अनुभाग-1
दिनांक लखनऊ अप्रैल 4, 1975।

पी0एस0यू0पी0--एल0 121 वि0 सभा(536)--1976--8401